आज़ादी का अमृत महोत्सव

SPMCIL

19 वीं/th

19 वीं/th वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2023-24

आस्था के साधनों के निर्माता

Manufacturer of Instruments of Faith



भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

एसपीएमसीआईएल के बारे में
About SPMCIL

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) अनुसूची ए मिनी रत्न श्रेणी–1, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन) को 13 जनवरी 2006 को निगमित किया गया जिसका पंजीकृत कार्यालय 16वां तल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली–110001 में है।

निगम करेंसी तथा बैंक नोटों प्रतिभूति कागजों, गैर न्यायिक स्टाम्प पेपरों डाक टिकटों तथा स्टेशनरी, यात्रा दस्तावेजों अर्थात पासपोर्ट एवं बीजा, प्रतिभूति प्रमाण पत्रों, चेक, बॉन्ड, वारंट, प्रतिभूति विशेषताओं के साथ विशेष प्रमाण पत्र प्रतिभूति स्याही परिचालन एवं स्मारक सिक्के, मेडालियनों, सोने, चाँदी के परिष्करण तथा बहुमूल्य धातुओं की परख आदि के विनिर्माण / उत्पादन में कार्यरत है।

Security Printing and Minting Corporation of India Ltd. (SPMCIL) Schedule 'A' Mini- Ratna Category-1, Central Public Sector Enterprise (Wholly owned by Govt. of India) was incorporated on 13th January 2006 having its registered office at 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi-110001.

The Corporation is engaged in the manufacturing/production of Currency and Bank Notes, Security Papers, Non-judicial Stamp Papers, Postal Stamps & Stationery, Travel Documents viz., Passport and Visa, Security Certificates, Cheques Bonds, Warrants, Special Certificates with Security Features, Security Inks, Circulating & Commemorative Coins, Medallions, Refining of Gold, Silver and Assaying of Precious Metals, etc.

विकास का उत्प्रेरक
Catalyst of Growth

एसपीएमसीआईएल अपनी पहचान के अनुसार ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक सुरक्षित तथा अत्याधुनिक सुविधाओं के अंतर्गत अभिनव तथा अनुकूलित गुणवत्ता के उत्पादों का उत्पादन करता है। एसपीएमसीआईएल की इकाइयों ने प्रतिभूति मुद्रण के अभिजात वर्ग के बाजार में लगभग 100 वर्षों से अपनी साख बना रखी है। सिक्कों के निर्माण में एसपीएमसीआईएल की इकाइयाँ पिछले दो शताब्दियों से प्रचालन कर रही है।

Innovative and customized quality products are produced under highly secured, state of the art of Growth facilities, ensuring customer satisfaction, which is the hallmark of SPMCIL. SPMCIL units have built credibility in the elite market of security printing for almost 100 years. In the field of minting, SPMCIL units have been operating for the last two centuries.









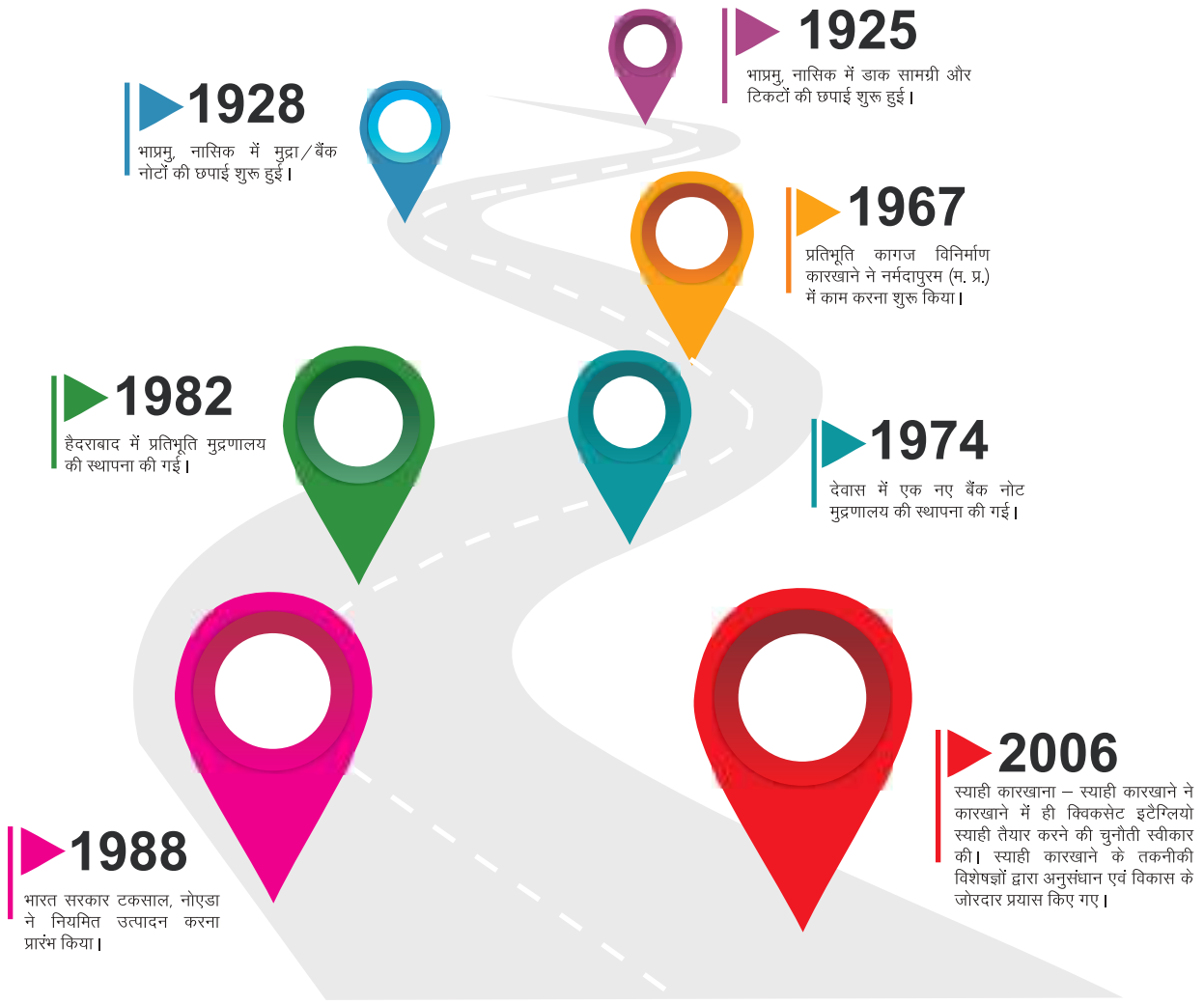


उद्भव

एसपीएमसीआईएल तकनीकी रूप से एक नई संस्था है, जिसका प्रतिभूति मुद्रण तथा सिक्कों की ढलाई में शताब्दियों पुराना अनुभव है। सभी नौ उत्पादन इकाइयों का प्रबंधन, नियंत्रण, रख–रखाव तथा प्रचालन आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन था, जिसे एसपीएमसीआईएल को 10 फरवरी 2006 को स्थानांतरित किया गया। वित्त मंत्रालय बोर्ड निदेशकों के माध्यम से एसपीएमसीआईएल पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। नौ उत्पादन इकाइयों में चार भारत सरकार टकसालें, दो चलार्थ पत्र मुद्रणालय, दो प्रतिभूति मुद्रणालय तथा एक प्रतिभूति कागज कारखाना हैं।

एसपीएमसीआईएल का इतिहास

सिक्कों की ढलाई का कार्य कलकत्ता टकसाल में प्रारंभ हुआ। वर्ष 1790 में इंग्लैंड से आधुनिक मशीन खरीदी गई और दूसरी टकसाल की स्थापना की गई। इन टकसालों में पीतल, चांदी तथा सोने के सिक्कों की ढलाई की जाती थी।



एसपीएमसीआईएल के 19वाँ स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण की गरिमामयी उपस्थिति।





विषय सूची

दृष्टिकोण एवं लक्ष्य		04
निदेशक मंडल		05
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक की कलम से		09
एक दशक के वित्तीय प्रदर्शन पर एक नजर		14
एसपीएमसीआईएल के बारे में		19
निदेशक विवरण		69
निदेशक रिपोर्ट		76
वित्तीय विवरण की रिपोर्ट		154
एकल (क)		
(i)	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	155
(ii)	तुलन पत्र	175
(iii)	लाभ और हानि का विवरण	176
(iv)	नकदी प्रवाह विवरण	177
(v)	वित्तीय विवरण पर टिप्पणी	181
समेकित (ख)		
(i)	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	239
(ii)	तुलन पत्र	253
(iii)	लाभ और हानि का विवरण	254
(iv)	नकदी प्रवाह विवरण	255
(v)	वित्तीय विवरण पर टिप्पणी	259
शब्दावली		321
वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना		322



कार्य उत्कृष्टता और नवोन्मेष द्वारा मुद्रा, सिक्कों और प्रतिभूति उत्पादों के विनिर्माण में श्रेष्ठ रहना।

निम्नलिखित द्वारा बाजारीय सर्वोत्कृष्टता कायम करना:

★ संपूर्ण क्षमता एवं डिजाइन निर्माण सामर्थ्य द्वारा पारदर्शी, लागत प्रभावी और कुशल तरीके से अत्याधुनिक मुद्रा, सिक्कों तथा विविध प्रतिभूति उत्पादों को तैयार करना।

★ मानक, प्रक्रिया स्वचालन, अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास, स्वदेशीकरण और तीन प्रमुख क्षेत्रों समाज, पर्यावरण एवं वित्तीय लक्ष्यों पर निरंतर ध्यान केन्द्रित करना।

★ कर्मचारियों, ग्राहकों और हितधारकों का हित सुनिष्चित करना।



निदेशक मंडल



श्री विजय रंजन सिंह
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक



श्री एस.के. सिन्हा
निदेशक (मा.सं.)



श्री अजय अग्रवाल
निदेशक (वित्त)



श्री मनोज सहाय
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
वित्त मंत्रालय



श्री आशीष वच्छानी
अपर सचिव (बजट), आर्थिक कार्य विभाग,
वित्त मंत्रालय



श्री अनिल सुब्रमण्यम
संयुक्त सचिव (आईएस– I),
गृह मंत्रालय



डॉ. के.जे. श्रीनिवासा
संयुक्त सचिव (पीएसपी) एवं सीपीओ, विदेश मंत्रालय



श्री संजीव प्रकाश
सीजीएम, डीसीएम, भारतीय रिजर्व बैंक



श्री सचिन किशोर
उप महानिदेशक (फिलैटली), डाक विभाग



श्री राम कुमार चिलुकुरी
स्वतंत्र निदेशक



श्री अजय कुमार जशवंतलाल चोकसी
स्वतंत्र निदेशक

बोर्ड संरचना

कार्यात्मक निदेशक

- **श्री विजय रंजन सिंह**
  अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक
  डीआईएनः 06386038
- **श्री एस.के. सिन्हा**
  निदेशक (मानव संसाधन)
  डीआईएनः 07585095
- **श्री अजय अग्रवाल**
  निदेशक (वित्त)
  डीआईएनः 06778079

सरकारी नामित निदेशक

- **श्री मनोज सहाय**
  अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वित्त मंत्रालय
  डीआईएनः 08711612
- **श्री आशीष वच्छानी**
  अपर सचिव (बजट), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
  डीआईएनः 08189848
- **श्री अनिल सुब्रमण्यम**
  संयुक्त सचिव (आईएस–I), गृह मंत्रालय
  डीआईएनः 10344845

अंतिम उपयोगकर्ता प्रतिनिधि निदेशक

- **डॉ. के.जे. श्रीनिवासा**
  संयुक्त सचिव (पीएसपी) एवं सीपीओ, विदेश मंत्रालय
  डीआईएनः 10648337
- **श्री संजीव प्रकाश**
  मुख्य महाप्रबंधक, डीसीएम, भारतीय रिजर्व बैंक
  डीआईएनः 09528516
- **श्री सचिन किशोर**
  उप महानिदेशक (फिलैटली), डाक विभाग
  डीआईएनः 10626315

स्वतंत्र निदेशक

- **श्री राम कुमार चिलुकुरी**
  स्वतंत्र निदेशक
  डीआईएनः 00321060
- **श्री अजय कुमार जशवंतलाल चौकसी**
  स्वतंत्र निदेशक
  डीआईएनः 09451875

वरिष्ठ प्रबंधन



श्री विनय कुमार सिंह
मुख्य सतर्कता अधिकारी



श्री रमाकांत दीक्षित
मुख्य महाप्रबंधक,
निगम कार्यालय, नई दिल्ली



श्री सुधीर साहू
मुख्य महाप्रबंधक,
भा.स.ट., मुंबई



श्री राजेश बंसल
मुख्य महाप्रबंधक,
भा.प्र.मु., नासिक एवं सी.बी.एस.आई, नासिक



श्री एस.बी. बेहेरा
मुख्य महाप्रबंधक,
प्रशिक्षण केंद्र एवं संग्रहालय,
भा.स.ट., कोलकाता



श्री बी.जे. गुप्ता
मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.),
निगम कार्यालय, नई दिल्ली



श्री डी.पी. तिवारी
मुख्य महाप्रबंधक,
भा.स.ट., नोएडा



श्री बेंकटेश कुमार
मुख्य महाप्रबंधक,
प्र.का.का., नर्मदापुरम



श्री सुनील तिवारी
मुख्य महाप्रबंधक
भा.स.ट., हैदराबाद



डॉ. डी.के. रथ
महाप्रबंधक एवं विभागाध्यक्ष
च.प.मु., नासिक



श्री के.एन. महापात्रा
महाप्रबंधक एवं विभागाध्यक्ष
बै.नो.मु., देवास



श्री एस.आर. वाजपे
महाप्रबंधक एवं विभागाध्यक्ष
प्र.मु., हैदराबाद



श्री गोरख नाथ यादव
महाप्रबंधक एवं विभागाध्यक्ष
भा.स.ट., कोलकाता



श्री सचिन अग्रवाल
कंपनी सचिव
निगम कार्यालय, नई दिल्ली

एसपीएमसीआईएल के लेखापरीक्षक



सांविधिक लेखापरीक्षक
मैसर्स ज्ञानेन्द्र एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, नई दिल्ली

सचिवीय लेखापरीक्षक
मैसर्स सौरभ अग्रवाल एण्ड कंपनी
कंपनी सचिव, नई दिल्ली

लागत लेखा परीक्षक
मैसर्स सिखा नागा मल्लेश्वर राव एंड कंपनी,
लागत लेखाकार,
बेंगलुरु

इकाई लेखापरीक्षक

इकाई	लेखापरीक्षक
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक	मैसर्स रतन चांडक एंड कंपनी सनदी लेखाकार, नासिक
चलार्थ पत्र मुद्रणालय, नासिक	मैसर्स रतन चांडक एंड कंपनी सनदी लेखाकार, नासिक
बैंक नोट मुद्रणालय, देवास	मैसर्स आनंद लाधा एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार, देवास
प्रतिभूति कागज कारखाना, नर्मदापुरम	मैसर्स सौरभ श्रीवास्तव एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार, नर्मदापुरम
प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद	मैसर्स लक्ष्मीनिवास एंड कंपनी सनदी लेखाकार, हैदराबाद

इकाई	लेखापरीक्षक
भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद	मैसर्स शरद एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार, हैदराबाद
भारत सरकार टकसाल, मुंबई	मैसर्स आर.एम.आर. एंड कंपनी सनदी लेखाकार, मुंबई
भारत सरकार टकसाल, कोलकाता	मैसर्स एस पोद्दार एंड कंपनी सनदी लेखाकार, कोलकाता
भारत सरकार टकसाल, नोएडा	मैसर्स ज्ञानेन्द्र एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार, नई दिल्ली

अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक की कलम से



प्रिय शेयरधारक,

मुझे आपकी कंपनी की 19वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है। आपका अटूट विश्वास और समर्थन लगातार परिवर्तित होते कारोबारी माहौल से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण रहा है, और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी ने वर्ष 2023–24 में एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है।

एक जटिल और गतिशील परिचालन परिदृश्य के बावजूद, हमने अपने सभी प्रमुख कार्यों में उत्कृष्ट लचीलेपन और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है।

वर्ष 2023–24 हमारी कंपनी के लिए विकास और उपलब्धि का काल रहा है, जो हमारे प्रमुख उत्पाद खंडों में उत्पादन और आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि द्वारा चिह्नित है। ये उपलब्धियाँ हमारे कर्मचारियों के समर्पण और कड़ी मेहनत और हमारे हितधारकों द्वारा हम पर जताए गए भरोसे और विश्वास का प्रमाण हैं।

उत्पादन एवं आपूर्ति

बैंक नोटों का उत्पादन और आपूर्ति

मुद्रा निर्माण के क्षेत्र में, आपकी कंपनी ने 9707.34 मिलियन बैंक नोटों का उत्पादन किया है और वर्ष 2023–24 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को 9720 मिलियन नग की आपूर्ति की है। यह पिछले वर्ष, 2022–23 में उत्पादित 8983 मिलियन नग की तुलना में उत्पादन में 8.06% की वृद्धि है और पिछले वर्ष आपूर्ति किए गए 9040 मिलियन नग की तुलना में आपूर्ति में 7.52% की वृद्धि को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, प्रति कर्मचारी बैंक नोटों का उत्पादन 2023–24 में बढ़कर 4.99 मिलियन नग हो गया है, जो 2022–23 में 4.35 मिलियन नग था।

परिचालन सिक्का उत्पादन और आपूर्ति

आपकी कंपनी ने वर्ष 2023–24 के दौरान परिचालन सिक्कों के 1200.99 मिलियन नग का उत्पादन किया है और 1205.64 मिलियन नग की आपूर्ति की है। यह पिछले वर्ष,

2022–23 में उत्पादित 992.22 मिलियन नग की तुलना में उत्पादन में 21.04% की वृद्धि दर्शाता है। हालांकि, यह एसपीएमसीआईएल की कुल वार्षिक सिक्का उत्पादन क्षमता का केवल 15% है। हाल के वर्षों में परिचालन सिक्कों के उत्पादन में कमी का कारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिचालन सिक्कों की मांग में अत्यधिक कमी के कारण हुई है।

प्रतिभूति कागज़ उत्पादन और आपूर्ति

प्रतिभूति कागज़ के उत्पादन की ओर बढ़ते हुए, आपकी कंपनी ने वर्ष 2023–24 के दौरान 7113.75 मीट्रिक टन (एमटी) प्रतिभूति कागज़ का उत्पादन किया है और मुद्रणालय को 7375.40 मीट्रिक टन प्रतिभूति कागज की आपूर्ति की है। यह पिछले वर्ष, 2022–23 में उत्पादित 6681.60 मीट्रिक टन की तुलना में 6.47% की वृद्धि तथा पिछले वर्ष आपूर्ति किए गए 6644.21 मीट्रिक टन की तुलना में आपूर्ति में 11% की वृद्धि दर्शाता है। प्रति कर्मचारी, प्रतिभूति कागज़ का उत्पादन, वर्ष 2023–24 में बढ़कर 8.72 मीट्रिक टन हो गया है, जबकि पिछले वर्ष 2022–23 के दौरान यह 7.86 मीट्रिक टन था।

प्रतिभूति स्याही का उत्पादन और आपूर्ति

देवास में हमारी इंक फैक्ट्री में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। आपकी कंपनी ने स्याही कारख़ाना, देवास में 592.18 मीट्रिक टन (एमटी) प्रतिभूति स्याही का उत्पादन किया है और वर्ष 2023–24 के दौरान मुद्रणालय को 595.38 मीट्रिक टन स्याही की आपूर्ति की है। यह पिछले वर्ष, 2022–23 में उत्पादित 305 मीट्रिक टन की तुलना में 94.16% की वृद्धि और पिछले वर्ष आपूर्ति किए गए 341 मीट्रिक टन की तुलना में 74.60% की वृद्धि दर्शाता है। इसके अलावा, प्रति कर्मचारी प्रतिभूति स्याही का उत्पादन 2023–24 में बढ़कर 10.21 मीट्रिक टन हो गया है, जबकि 2022–23 में यह 5.75 मीट्रिक टन था।

यात्रा दस्तावेज़ / पासपोर्ट पुस्तिकाएँ उत्पादन और आपूर्ति

हमारे पासपोर्ट बुकलेट्स क्षेत्र में, आपकी कंपनी ने वर्ष 2023–24 के दौरान 14.031 मिलियन नग (एमपीसी) यात्रा दस्तावेजों का उत्पादन किया और विदेश मंत्रालय (एमईए) को 13.14 मिलियन नग की आपूर्ति की। यह पिछले वर्ष के 11.453 मिलियन नग की तुलना में उत्पादन में 22.51% की वृद्धि और पिछले वर्ष आपूर्ति किए गए 9.50 मिलियन नग की तुलना में आपूर्ति में 38.32% की वृद्धि दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, हमारी आईएसपी, नासिक इकाई ने 1.36 मिलियन नग ई–पासपोर्ट का सफलतापूर्वक उत्पादन किया है, जो हमारी क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण कदम है।

गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर (एनजेएसपी) उत्पादन और आपूर्ति

आपकी कंपनी ने गैर–न्यायिक स्टांप पेपर (एनजेएसपी) के उत्पादन में भी उल्लेखनीय प्रगति की है, वर्ष 2023–24 में 206.462 मिलियन नग का उत्पादन किया और इसी अवधि के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को 211.421 मिलियन नग की आपूर्ति की।

एक्साइज़ एड्हेसिव लेबल (ईएएल) उत्पादन और आपूर्ति

एक्साइज़ एड्हेसिव लेबल (ईएएल) के उत्पादन में, हमने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को 6,098.052 मिलियन नगों की आपूर्ति करते हुए 6,121.217 मिलियन नग का उत्पादन किया।

चुनाव स्टेशनरी उत्पादन और आपूर्ति

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 78.95 मिलियन नग चुनाव स्टेशनरी का उत्पादन किया और 81.40 मिलियन नग की आपूर्ति की।

वित्तीय प्रदर्शन

आइए, अब मैं आपके साथ 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की वित्तीय झलकियाँ साझा करता हूँ। 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी (स्टैंडअलोन) की कुल आय ₹5078.88 करोड़ है जबकि वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान यह ₹5225.92 करोड़ थी। कुल आय में से, वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान संचालन से प्राप्त राजस्व ₹4714.80 करोड़ है, जो वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान संचालन से ₹4918.22 करोड़ के राजस्व से थोड़ा कम है।

हालाँकि हमारी कुल आय में मामूली गिरावट देखी गई, लेकिन इसमें व्यापक संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुछ असाधारण आय घटक थे, जिसमें महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर (एमवीएटी) और आईएसपी, नासिक में केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) के लंबे समय से लंबित मामलों के निपटान के कारण कुल ₹545.62 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधानों को लाभ खाते में

पुनरांकित किया गया था। इसके अतिरिक्त, सिक्कों के परिचालन के लिए अनंतिम दर अंतर के परिणामस्वरूप ₹385.87 करोड़ की प्राप्ति ने पिछले वर्ष कर पूर्व लाभ (पीबीटी) को और बढ़ा दिया।

इसकी तुलना में, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए हमारा कर पूर्व लाभ (पीबीटी) ₹1383.84 करोड़ है, जो पिछले वर्ष के ₹2341.21 करोड़ से कम है। यह कमी काफी हद तक 2023–24 में उपरोक्त असाधारण आय की अनुपस्थिति के कारण है। हालांकि, जब हम प्रमुख व्यवसाय संचालन को देखते हैं, तो प्रदर्शन मजबूत रहा है और लाभप्रदता और परिचालन दक्षता बनाए रखने के हमारे चल रहे प्रयासों को दर्शाता है।

जहां व्यय की बात आती है, तो वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए हमारा कुल व्यय ₹3695.04 करोड़ था, जो पिछले वर्ष के ₹3430.33 करोड़ से अधिक है। यह वृद्धि हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप है और इसमें उत्पादकता और भविष्य के विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी उन्नयन, परिचालन दक्षता और कर्मचारी लाभ में निवेश शामिल है।

कंपनी ने वर्ष 2023–24 में ₹1006.55 करोड़ की कुल व्यापक आय (टीसीआई) प्राप्त की जबकि वर्ष 2022–23 के दौरान ₹1709.54 करोड़ की आय थी। वर्ष 2023–24 में, संयुक्त उद्यम कंपनी, बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीएनपीएमआईपीएल) की 50% हिस्सेदारी को ध्यान में रखते हुए, समेकित टीसीआई ₹1067.79 करोड़ है, जबकि वर्ष 2022–23 में यह ₹1772.62 करोड़ थी।

लाभांश

लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सीपीएसई के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देशों के अनुसार, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने निवल मूल्य के 5% पर अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। यह लाभांश 31 मार्च 2024को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ (पीएटी) के 30% से अधिक है। वर्ष 2023–24 के लिए कुल लाभांश राशि ₹364.11 करोड़ है। कंपनी की 19वीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों से मंजूरी मिलने के बाद यह लाभांश हमारे शेयरधारकों को वितरित किया जाएगा। .

आधुनिकीकरण पहल

आपकी कंपनी अपने ग्राहकों की बढ़ती मांगों को पूरा करने और अपनी परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए अपने परिचालन को आधुनिक बनाने और क्षमता बढ़ाने पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रही है। वर्ष 2023–24 के दौरान, हमने कई महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण प्रयास किए::

- बैंक नोट मुद्रणालय (बीएनपी), देवास में एक अत्याधुनिक ऑफसेट बैंकनोट प्रिंटिंग मशीन स्थापित की गई, जिससे हमारी मुद्रा मुद्रण क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- चलार्थ पत्र मुद्रणालय (सीएनपी), नासिक में, एक अत्याधुनिक श्रेडर और ब्रिकेटिंग मशीन चालू की गई, जिससे अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाओं में और सुधार हुआ।
- भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (आईएसपी), नासिक ने एक उन्नत ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन और लेजर माइक्रो परफोरेशन मशीन दोनों को चालू किया, जो हमारी सुरक्षा प्रिंटिंग क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण उन्नयन है।
- प्रतिभूति मुद्रणालय (एसपीपी), हैदराबाद ने स्क्रीन प्रिंटिंग क्षमताओं वाली एक उन्नत ऑफलाइन वेरिएबल डेटा प्रिंटिंग (वीडीपी) मशीन के साथ–साथ एक्साइज एडहेसिव लेबल (ईएएल) प्रिंट करने के लिए एक ऑफलाइन डाई कटिंग मशीन की स्थापना की, जिससे लोगों की जरूरतों को पूरा करने की हमारी क्षमता बढ़ गई है। विभिन्न राज्य सरकारें।
- इसके अतिरिक्त, भारत सरकार टकसाल (आईजीएम), कोलकाता में, हमने एक्वा–रेजिया गोल्ड रिफाइनिंग प्लांट को सफलतापूर्वक चालू किया, जिससे हमारी कीमती धातुओं की रिफाइनिंग क्षमताओं को और बढ़ावा मिला।

अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)

- स्याही कारखाना बीएनपी, देवास ने कलर शिफ्ट इंटैग्लियो (सीएसआई) स्याही विकसित की है । थोक उत्पादन शुरू करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल गई है।
- निगम अनुसंधान एवं विकास केंद्र, नासिक ने पासपोर्ट स्पेसिफिक इंक टैगगेंट के विकास के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी), मुंबई के साथ सहयोग किया है और यह प्रक्रियाधीन है।

- निगम अनुसंधान एवं विकास केंद्र, नासिक ने रिसर्च एलायंस एंड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट (आरएएफए) के तहत वार्निश विनिर्देशों के लिए आरबीआई की आवश्यकताओं के अनुसार बैंक नोटों के लिए प्रिंट वार्निश पर एंटी–सॉइलिंग की तैयारी और अनुकूलन के लिए एनसीएल, पुणे के साथ एक परियोजना विशिष्ट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

सतत विकास

एसपीएमसीआईएल ने इकाइयों में सतत विकास के लिए निम्नानुसार विभिन्न प्रयास किए हैं:

- सभी इकाइयों ने बैटरी चालित सौर लाइटें स्थापित की हैं और पुरानी लाइटों के स्थान पर नई ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटें लगाई हैं जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा की बचत हुई है।
- प्र.का.का., नर्मदापुरम में तेल से चलने वाले बॉयलर को एलपीजी बॉयलर से बदलने से ऊर्जा की बचत के साथ–साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी हुई।

प्रमाणपत्र

मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी टकसालों, मुद्रा मुद्रणालयों, प्रतिभूति मुद्रणालयों और कागज़ कारखानों सहित एसपीएमसीआईएल की सभी नौ इकाइयों ने गुणवत्ता और परिचालन उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए हैं।

हमारी प्रत्येक इकाई को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 9001:2015 और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 14001:2015 से प्रमाणित किया गया है। ये प्रमाणपत्र हमारे परिचालनों में गुणवत्ता और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों में उच्चतम मानकों को बनाए रखने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। इसके अतिरिक्त, नासिक में हमारा कॉर्पोरेट आर एंड डी सेंटर भी आईएसओ 9001:2015 से प्रमाणित है, जो नवाचार और अनुसंधान में हमारी क्षमताओं को और बढ़ाता है।

इसके अलावा, नर्मदापुरम में प्रतिभूति कागज़ कारखाना (एसपीएम), देवास में बैंक नोट प्रेस और नोएडा में भारत सरकार टकसाल ने व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 45001:2018 प्रमाणन प्राप्त किया है। यह हमारे कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करने के हमारे अटूट उद्देश्य को दर्शाता है।

प्र.का.का., नर्मदापुरम को ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 50001:2018 प्रमाणन से भी सम्मानित किया गया है, जो ऊर्जा दक्षता और स्थिरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा, प्र.का.का., नर्मदापुरम और प्र.मु., हैदराबाद दोनों ने राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से आईएसओ/आईईसी 17025:2017 प्रमाणन प्राप्त किया है, जिससे प्रयोगशाला परीक्षण और अंशांकन में उच्चतम मानकों का हमारा पालन सुनिश्चित होता है।.

मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि मुंबई में भारत सरकार टकसाल को आईएसओ 17034:2016 मान्यता प्राप्त हुई है। यह प्रतिष्ठित प्रमाणीकरण आईजीएम मुंबई को उच्च शुद्धता वाले स्वर्ण प्रमाणित संदर्भ सामग्री (सीआरएम) का निर्माण और बिक्री करने में सक्षम बनाता है।

ये प्रमाणपत्र उत्कृष्टता की हमारी निरंतर खोज और हमारे परिचालन के सभी पहलुओं में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं।

मानव संसाधन

31 मार्च, 2024 तक हमारे कार्यबल की संख्या 5,752 थी, जिसमें हमारी नौ इकाइयों और निगम कार्यालय में 373 कार्यकारी, 913 पर्यवेक्षक और 4,466 कार्यालय स्टाफ और कर्मचारी शामिल हैं। यह पिछले वर्ष की 5,987 कर्मचारियों की संख्या की तुलना में कमी दर्शाता है। जनशक्ति में कमी के बावजूद, हमने अपने कार्यबल के विकास को प्राथमिकता देना जारी रखा है। प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण पहल एक केंद्र बिंदु रही है, जिसका लक्ष्य सॉफ्ट स्किल और समूह गतिशीलता को बढ़ाने के साथ–साथ कार्यात्मक कौशल और विशेषज्ञता को उन्नत करना है। ये प्रयास यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि हमारे कर्मचारी हमारे व्यवसाय की उभरती मांगों को पूरा करने के लिए सुसज्जित रहें और संगठन की सफलता में प्रभावी ढंग से योगदान देना जारी रखें।

सतर्कता परिदृश्य

एसपीएमसीआईएल का सतर्कता विभाग ऐसे वातावरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जहां अखंडता, दक्षता और पारदर्शिता सर्वोपरि है। उच्चतम नैतिक मानकों

को कायम रखते हुए, हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि सभी ऑपरेशन निष्पक्षता और जवाबदेही के साथ संचालित हों। विभाग, निवारक, सक्रिय और दंडात्मक उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें पूर्व दो पर अधिक जोर दिया गया है। व्यवस्थित संस्थागत सुधारों की बदौलत, हमने नियमों और प्रक्रियाओं के पालन में वृद्धि देखी है। इसके परिणामस्वरूप हमारे कार्यों में अधिक पारदर्शिता, मितव्ययिता और दक्षता आई है, जो हमारी प्रक्रियाओं की अखंडता को बनाए रखने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

निगम से संबंधित शासन प्रणाली

सुदृढ़ निगम प्रशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटल है। निगम अभिशासन पर एक व्यापक रिपोर्ट, कार्यरत कंपनी सचिव के प्रमाण पत्र के साथ, हमारी वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। बोर्ड ने कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन पर एक आचार संहिता जारी की है। यह संहिता हमारी कंपनी की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने इसके अनुपालन की पुष्टि की है। यह शासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के प्रति हमारे समर्पण को मजबूत करता है, यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने व्यवसाय के सभी पहलुओं में ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करते हैं।

जोखिम प्रबंधन

एक विविध उद्यम के रूप में, एसपीएमसीआईएल व्यवसाय जोखिम प्रबंधन के लिए प्रणाली–आधारित दृष्टिकोण पर केंद्रित है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुरूप, हमारी जोखिम प्रबंधन नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह नीति निगम कार्यालय और विनिर्माण प्रभागों दोनों के सभी कार्यों को शामिल करती है। यह सुनिश्चित करती है कि हम संभावित जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। यह नीति हमारे संचालन से जुड़े जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, रिपोर्टिंग और प्रबंधन के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण को बढ़ावा देने, स्थिरता के साथ स्थायी व्यापार विकास का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसके माध्यम से, हमारा लक्ष्य विकास के अवसरों का लाभ उठाते हुए, अपने व्यवसाय को अनिश्चितताओं से सुरक्षित रखना है।

आभार

मैं उन सभी के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने पूरे वर्ष हमारी कंपनी की सफलता में समर्थन और योगदान दिया है।

सबसे पहले, मैं भारत सरकार, विशेष रूप से वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, श्रम मंत्रालय आदि के प्रति अपनी हार्दिक सराहना व्यक्त करना चाहूंगा। रोजगार और विभिन्न राज्य सरकारों को उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद। उनका मार्गदर्शन और सहायता हमारी उपलब्धियों में सहायक रही है।

मैं अपने साथी निदेशकों का भी वर्ष भर उनके बहुमूल्य इनपुट, निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए बहुत आभारी हूं। आपका नेतृत्व कंपनी को सफलता की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण रहा है।

इसके अलावा, मैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, हमारे वैधानिक लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक, सचिवीय लेखा परीक्षक और लागत लेखा परीक्षक को उनके रचनात्मक सुझावों और मेहनत के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिससे हमें उत्कृष्टता और पारदर्शिता के हमारे मानकों को बनाए रखने में मदद मिली है।

अंत में, मैं हमारे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के समर्पण, कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के लिए अपनी हार्दिक सराहना व्यक्त करना चाहूंगा। कंपनी के लक्ष्यों के प्रति आपकी अटूट निष्ठा हमारी सफलता की आधारशिला रही है, और मैं इसकी निरंतर वृद्धि और उपलब्धियों के लिए तत्पर हूं।

ह०/–

(विजय रंजन सिंह)
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06386038

दिनांकः 28/09/2024

स्थानः नई दिल्ली

एक दशक के वित्तीय प्रदर्शन पर एक नज़र

(राशि ₹ करोड़ में)

I. वित्त	2023-24 (भा.ले.मा.)	2022-23 (भा.ले.मा.)	2021-22 (भा.ले.मा.)	2020-21 (भा.ले.मा.)	2019-20 (भा.ले.मा.)	2018-19 (भा.ले.मा.)	2017-18 (भा.ले.मा.)	2016-17 (भा.ले.मा.)	2015-16	2014-15
संचालन से राजस्व	4714.80	4918.22	4086.63	4712.57	4966.07	5711.34	4445.16	5966.02	4774.24	3803.34
जोड़ें: अन्य आय	364.08	307.70	181.50	171.18	210.30	113.88	200.68	137.88	101.36	108.14
घटाएं : व्यय	3695.04	3430.33	3388.00	4094.00	4149.58	5010.04	4015.89	5189.46	4830.81	4187.79
विशिष्ट मदों और कर पूर्वलाभ	1383.84	1795.60	880.13	789.74	1026.79	815.18	629.94	914.44	44.79	(276.31)
विशिष्ट मदें	–	545.62	–	–	–	–	–	–	–	–
कर पूर्व लाभ	1383.84	2341.21	880.13	789.74	1026.79	815.18	629.94	914.44	54.70	(281.77)
कर के बाद लाभ	911.04	1779.25	689.19	423.81	527.60	527.87	631.46	652.41	203.08	(352.07)
लाभांष वितरण	364.11	533.77	259.62	240.41	215.48	218.48	204.87	227.64	60.92	–
आस्तियां										
निवन स्थायी आस्तियां	1823.91	1767.92	1763.32	1364.37	1282.33	1327.65	1296.84	1316.83	1312.44	970.95
कार्यगत पूंजी (सीडब्ल्यूआईपी)	212.91	54.60	58.21	421.27	76.06	11.79	75.49	63.65	84.34	417.49
निवेश	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	490.09	501.09	500.92	399.45
आस्थगित कर आस्तियां	237.54	365.34	585.01	548.31	704.52	944.36	841.52	686.86	371.57	223.19
ऋण और अग्रिम एवं अन्य गैरमौजूदा आस्तियां	187.42	72.15	2169.73	140.27	79.20	81.46	61.02	60.01	149.59	155.12
चालू आस्तियां	6775.12	6786.58	3467.57	4953.97	5546.60	5208.81	4336.14	4941.56	5165.84	4806.72
कुल	9636.90	9446.59	8443.84	7828.19	8088.71	7972.66	7101.11	7569.99	7584.70	6972.92
देयताएं										
इक्विटी										
शेयर पूंजी	987.50	987.50	987.50	987.50	987.50	1064.24	1064.24	1182.49	1182.49	0.05
अन्य इक्विटी	6294.65	5766.84	4204.93	3820.67	3322.09	3305.32	3033.19	3370.38	2936.21	2472.46
कुल	7282.15	6754.34	5192.43	4808.17	4309.59	4369.56	4097.43	4552.87	4118.70	2472.51
भारत सरकार से निधी (समायोजनीय)	158.54	158.54	158.54	158.54	–	–	–	–	179.77	2878.65
चालू देयताएं	800.61	708.68	1544.14	1507.64	1819.95	1801.86	2376.74	2427.39	1775.42	1303.05
ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	1182.44	–
अन्य दीर्घावधिक देयताएं और प्रावधान	1395.60	1825.02	1548.73	1352.84	1959.17	1801.24	626.94	589.73	328.37	318.71
कुल	9636.90	9446.58	8443.84	7828.19	8088.71	7972.66	7101.11	7569.99	7584.70	6972.92
निवल संपत्ति (कंपनी अधिनियम के अनुसार)	7282.15	6754.34	5192.43	4808.17	4309.59	4369.56	4097.43	4552.87	4118.70	2472.51
अनुपात प्रति शेयर अर्जन	9.23	18.02	7.17	4.01	5.18	5.00	5.75	5.21	62.76	(70415)
प्रतिशेयर अंकित मूल्य	73.74	68.40	52.58	48.69	43.64	41.06	38.50	38.50	34.83	494502
निवल संपत्ति पर प्रतिलाभ (%)	12.51%	26.34%	13.27%	8.81%	12.24%	12.08%	15.41%	14.33%	4.93%	(14.24%)
पीबीटी / संचालन से राजस्व (%)	29.35%	47.60%	21.54%	16.75%	20.68%	14.27%	14.17%	15.33%	1.15%	(7.41%)
पीएटी / संचालन से राजस्व (%)	19.32%	36.18%	16.86%	8.99%	10.62%	9.24%	14.21%	10.94%	4.25%	(9.26%)

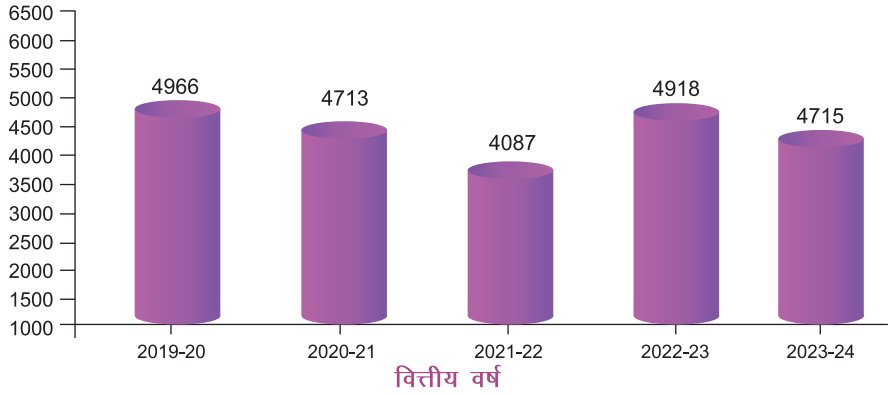
निवेश	:	अप्रचलित निवेश + प्रचलित निवेश
उधार	:	अल्पावधिक ऋण + दीर्घावधिक ऋण + पूर्ण होने वाला दीर्घावधिक ऋण + ऋण पर प्रोद्भूत और बकाया ब्याज.
प्रति शेयर अर्जन	:	कर के बाद लाभ (पीएटी)/इक्विटी शेयरों की संख्या
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य	:	निवल संपत्ति/इक्विटी शेयरों की संख्या
निवल परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ (%)	:	कर के बाद लाभ (पीएटी)/निवल संपत्ति (कंपनी अधिनियम के अनुसार)
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)/संचालन से राजस्व (%)	:	विशिष्ट मदें और कर पूर्व लाभ/संचालनों से राजस्व
कर के बाद लाभ (पीएटी)/संचालन से राजस्व (%)	:	कर के बाद लाभ (पीएटी)/संचालनों से राजस्व

II. संचालनीय प्रदर्शन 2023-24		2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	
नोट/करेंसी नोट	उत्पादन (मिलियन नग)	9707.34	8983	8008	8288	9824	10482	9219	8785	7150	8358 बैंक
	आपूर्ति (मिलियन नग)	9720	9040.40	8939	8764	8453	10306	8594	9265	6785	8141
	प्रति कर्मचारी उत्पादकता (मिलियन नग)	4.99	4.35	3.56	3.24	3.33	3.29	2.72	2.48	1.93	2.12
परिचालन सिक्के	उत्पादन (मीट्रिक टन)	1200.99	992.22	784	2757	3282	5331	6703	9681	9254	7929
	आपूर्ति (मीट्रिक टन)	1205.64	1000.19	800	2963	3169	6133	5571	9691	9257	7907
	प्रति कर्मचारी उत्पादकता (मीट्रिक टन)	0.93	0.73	0.51	1.53	1.55	2.24	2.55	3.37	3.07	2.49
प्रतिभूति कागज़	उत्पादन (मीट्रिक टन)	7113.75	6681.60	7488	6870	7010	6003	5779	3200	3816	3266
	आपूर्ति (मीट्रिक टन)	7375.40	6644.21	7751	6742	6765	6837	4657	3540	2949	3110
	प्रति कर्मचारी उत्पादकता (मीट्रिक टन)	8.72	7.86	8.49	7.35	7.03	5.68	5.16	2.74	3.07	2.44
प्रतिभूति स्याही	उत्पादन (मीट्रिक टन)	592.18	305	450	600	851	752	579	825	809	525
	प्रति कर्मचारी उत्पादकता (मीट्रिक टन)	10.21	5.75	7.50	8.96	13.30	11.23	8.04	11.00	10.93	5.83
यात्रा दस्तावेज़/ पासपोर्ट पुस्तिकाएं	उत्पादन (मिलियन नग)	14.031	11.453	8.30	6.15	14.72	14.11	11.61	15.58	15.28	10.67
	आपूर्ति (मिलियन नग)	13.14	9.50	8.44	5.97	14.96	13.89	11.61	15.59	15.18	10.69गैर
न्यायिक स्टांप पेपर	उत्पादन (मीलियन नग)	206.46	245	311.68	241.29	341.36	309.46	259.05	258.99	289.17	414.32
	आपूर्ति (मिलियन नग)	211.42	213.44	303.22	244.47	288.36	324.20	260.58	293.53	299.18	390.18

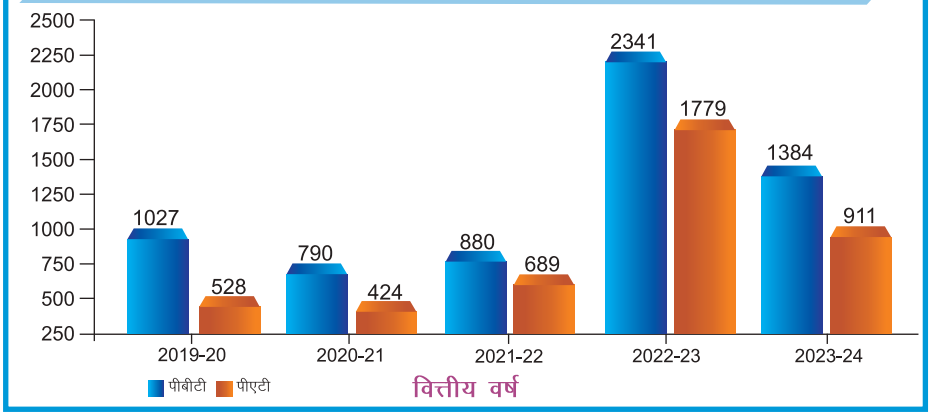
III. कार्यबल	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
करेंसी मुद्रणालय*	2004	2064	2249	2559	2953	3190	3386	3546	3714	3941
टकसालें	1290	1362	1552	1801	2120	2381	2633	2876	3013	3188
प्रतिभूति मुद्रण मुद्रणालय	1558	1632	1694	1864	2077	2223	2428	2695	3012	3252
प्रतिभूति कागज़ कारखाना	816	850	882	935	997	1056	1121	1170	1244	1337
निगम कार्यालय	84	79	77	75	71	68	70	67	69	66
कुल	**5752**	**5987**	**6454**	**7234**	**8218**	**8918**	**9638**	**10354**	**11052**	**11784**

*देवास में स्याही कारखाना सहित

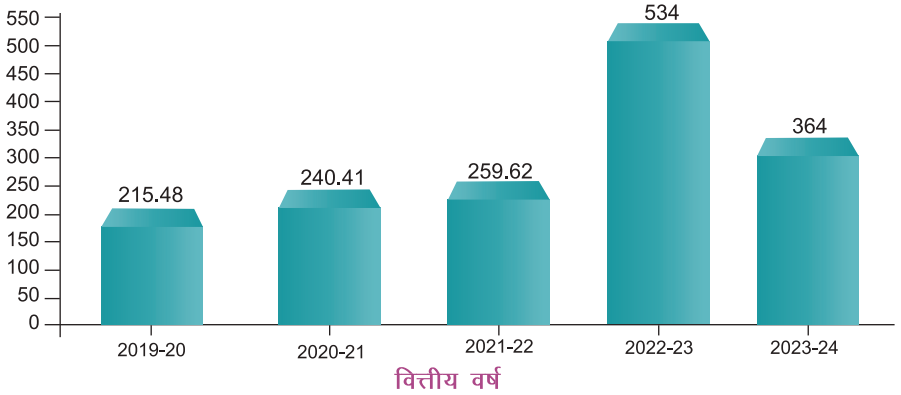
संचालन से राजस्व (₹ करोड़ में राशि)



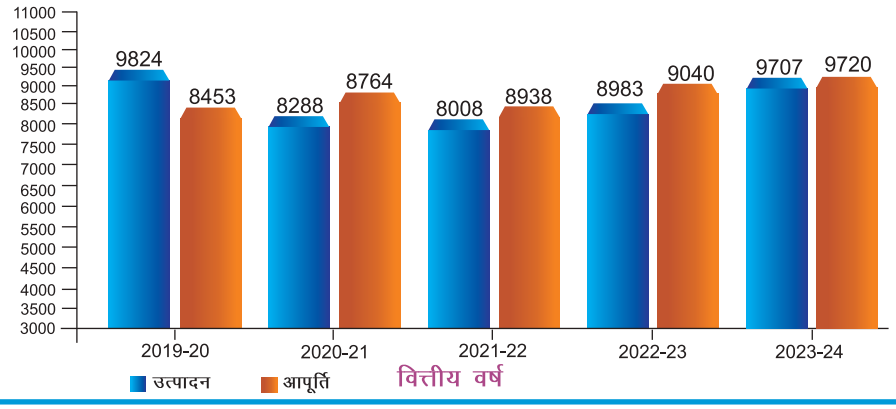
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)/कर के बाद लाभ (पीएटी) (₹करोड़ में राशि)



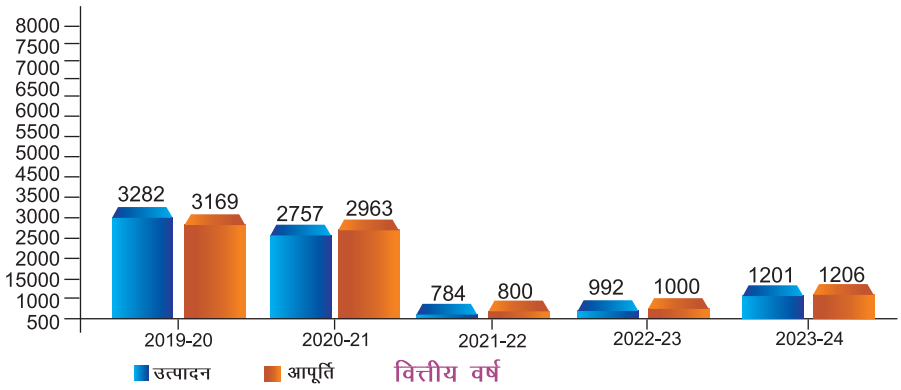
लाभांश वितरण (₹करोड़ में राशि)



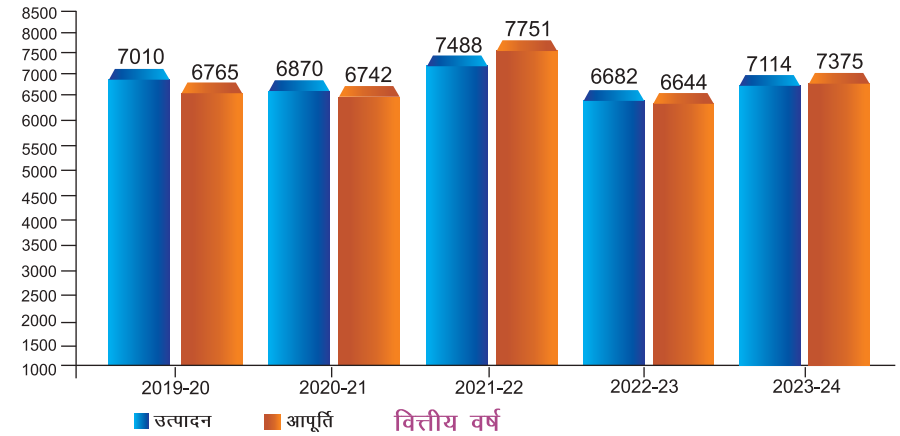
बैंक नोट/करेंसी नोट का उत्पादन/आपूर्ति (मिलियन नग में)



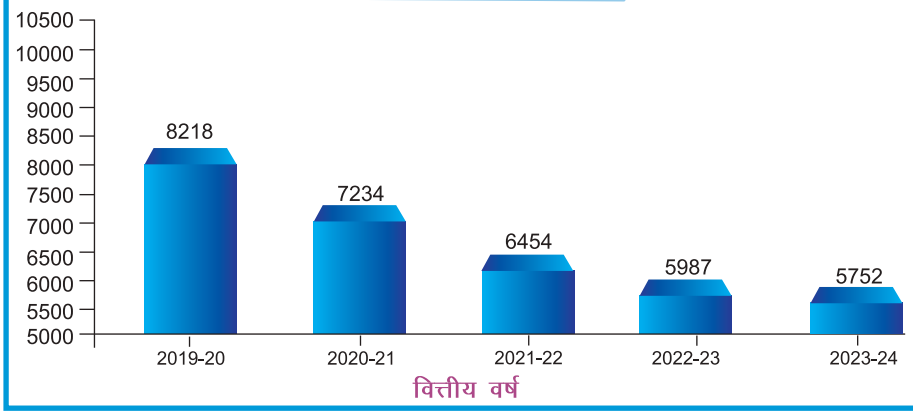
परिचालन सिक्कों का उत्पादन/आपूर्ति (मिलियन नग में)



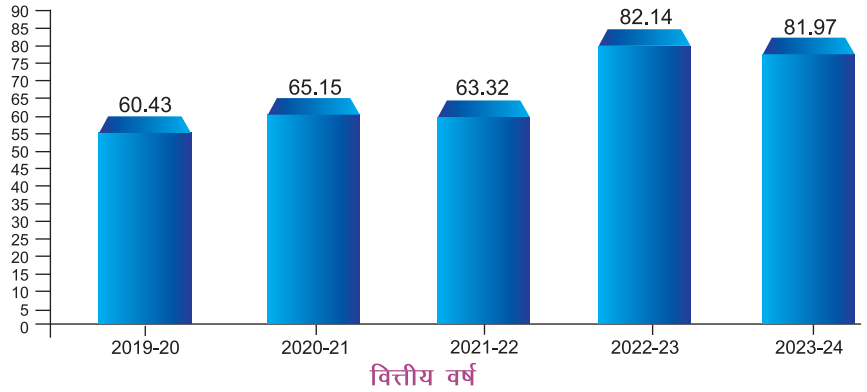
प्रतिभूति कागज़ का उत्पादन/आपूर्ति (मीट्रिक टन)



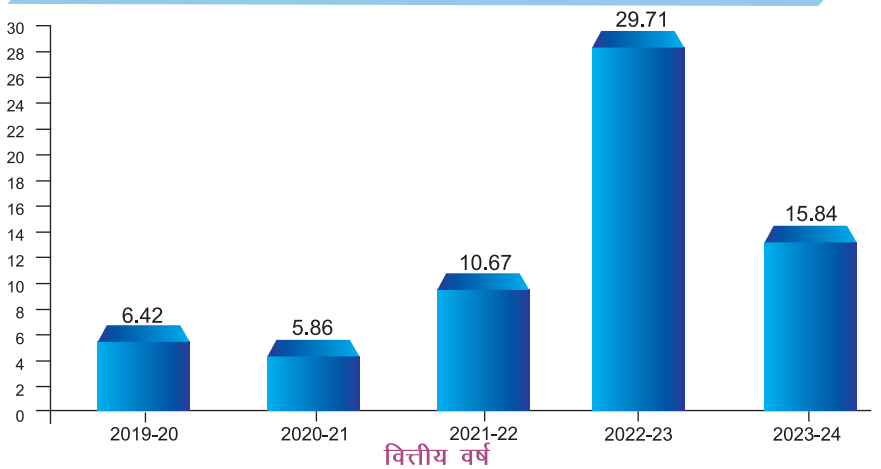
कार्यबल (संख्या)



प्रति कर्मचारी संचालन से राजस्व (₹लाख में राशि)



प्रति कर्मचारी कर के बाद लाभ (पीएटी) (₹लाख में राशि)



एसपीएमसीआईएल के बारे में

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निगम लिमिटेड को 13 जनवरी, 2006 को निगमित किया गया था। यह एक मिनीरत्न श्रेणी–। अनुसूची–'ए' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कंपनी है। इसे 04 भारत सरकार टकसालों, 02 प्रतिभूति मुद्रणालयों, 02 चलार्थ पत्र मुद्रणालयों और 01 कागज कारखाने के संचालन के उद्देश्य से निगमित किया गया था। पहले आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनका संचालन किया जाता था। कंपनी दिनांक 31.03.2023 तक अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 2500 करोड़ और प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 987.50 करोड़ के साथ केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) कंपनी की दो चलार्थ पत्र मुद्रणालय, अर्थात बैंक नोट मुद्रणालय (बीएनपी), देवास और चलार्थ पत्र मुद्रणालय (सी.एन.पी.), नासिक द्वारा आपूर्ति किए गए करेंसी नोटों का ग्राहक है। विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय क्रमशः पासपोर्ट और वीज़ा स्टिकर के ग्राहक हैं और राज्य सरकारें गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर्स और संब (स्टाम्पों विशेष रूप से आबकारी आसंजक लेबल की ग्राहक हैं, जो व्यापार का आधार प्राप्त कर रहे हैं तथा डाक विभाग कंपनी के दो प्रतिभूति मुद्रणालय, अर्थात प्रतिभूति मुद्रणालय (एस.पी.पी.), हैदराबाद और भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (आई.एस.पी.), नासिक द्वारा आपूर्ति की गई डाक स्टेशनरी, टिकटों इत्यादि का ग्राहक है। ये प्रतिभूति मुद्रणालय सुरक्षा विशेषताओं के साथ विविध प्रतिभूति उत्पादों जैसे चेक, रेलवे वारंट, आयकर विवरणिका आदेश फार्म, बचत पत्र, स्मारक टिकटें, शैक्षणिक प्रमाण–पत्र आदि का भी उत्पादन करते हैं। आर्थिक कार्य विभाग (डी.ई.ए.), वित्त मंत्रालय मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में स्थित कंपनी के चार भारत सरकार टकसालों (आई.जी.एम.) द्वारा आपूर्ति किए गए परिचालन सिक्कों के ग्राहक हैं।

परिचालन सिक्कों के उत्पादन के मुख्य व्यवसाय के अलावा, भारत सरकार टकसाल, मुंबई वजन और माप अधिनियम 1976 के अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक और क्रियाशील वजन और माप (मास/वॉल्यूम/लंबाई) के निर्माण की एकमात्र अधिकृत एजेंसी है। भारत सरकार टकसाल, मुंबई और भारत सरकार टकसाल, कोलकाता स्मारक सिक्कों के निर्माण में सम्प्रभु कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त, वे विभिन्न मंत्रालयों, विश्वविद्यालयों और न्यासों आदि के लिए पदकों का निर्माण करती हैं। इसमें भारत रत्न पदक, पद्म श्रृंखला पदक, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र जैसे वीरता पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी शामिल हैं। इसके अलावा, वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए पदकों का निर्माण और आपूर्ति भी करती हैं। भारत सरकार टकसाल, मुंबई, भारत सरकार टकसाल, कोलकाता और भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद सोने और चांदी के परिष्करण और परख में भी संलग्न हैं। भारत सरकार टकसाल, मुंबई और भारत सरकार टकसाल, कोलकाता ने स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत भारतीय सोने के सिक्के (999.9 शुद्धता) का निर्माण किया है।

कंपनी का नर्मदापुरम में एक प्रतिभूति कागज कारखाना (एसपीएम) है जो करेंसी/प्रतिभूति मुद्रणालय के प्रयोग हेतु प्रतिभूति कागज बनाता है। देवास में कंपनी का एक स्याही कारखाना भी है जो एसपीएमसीआईएल के मुद्रणालय द्वारा उपयोग के लिए ऑफसेट इंक, यूवी इंक और क्विकसेट इंटैग्लियो इंक का निर्माण करता है।

एसपीएमसीआईएल का बैंक नोट पेपर के निर्माण के लिए बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बी.एन.पी.एम.आई. पी.एल.) के नाम पर भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बी.आर.बी.एन.एम.पी.एल.) के साथ एक संयुक्त उद्यम (50:50) है।

उत्पादन क्षेत्र

चलार्थ पत्र मुद्रण
₹500, ₹200, ₹100, ₹50, ₹20, ₹10 और ₹1 मूल्यवर्ग बैंक नोटों का मुद्रण



प्रतिभूति मुद्रण
पासपोर्ट, वीजा स्टिकर, डाक स्टेशनरी, एमआईसीआर चेक, गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर और अन्य प्रतिभूति दस्तावेजों का मुद्रण



टकसालें
₹20, ₹10, ₹5, ₹2, ₹1 मूल्यवर्ग के परिचालन सिक्कों, स्मारक सिक्के, सोने के सिक्के, सोने और चांदी का शोधन, सोने और चांदी की परख, पदक और पदक की ढलाई





प्रतिभूति कागज
₹500, ₹200, ₹100, ₹50, ₹20, ₹10 रूपये मूल्यवर्ग के बैंक नोटों, गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर आदि के लिए कागज का निर्माण



प्रतिभूति स्याही
ऑफसेट स्याही, यूवी स्याही और क्विकसेट इंटैग्लियो स्याही का निर्माण

एसपीएमसीआईएल की इकाइयों का संक्षिप्त विवरण

चलार्थ पत्र मुद्रणालय

- चलार्थ पत्र मुद्रणालय (सीएनपी), नासिक
- बैंक नोट मुद्रणालय (बीएनपी),देवास

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के पास दो चलार्थ पत्र मुद्रणालय अर्थात चलार्थ पत्र मुद्रणालय, नासिक और बैंक नोट मुद्रणालय, देवास हैं जो करेंसी/बैंक नोटों के उत्पादन का कार्य करते हैं। भारत में परिचालित लगभग 40% करेंसी/बैंक नोट एसपीएमसीआईएल द्वारा मुद्रित किए जाते हैं। ये इकाइयां डिजाइनिंग, उत्कीर्णन, पूर्ण पूर्व–प्रिंटिंग और ऑफसेट प्रिंटिंग सुविधाएं, इंटैग्लियो प्रिंटिंग मशीन, नंबरिंग और फिनिशिंग मशीन आदि से सुसज्जित हैं। इन इकाइयों में ट्रेजरी कंसाइनमेंट के परिवहन के लिए कैप्टिव रेलवे ट्रेजरी वैगन/कैरिज भी हैं।



चलार्थ पत्र मुद्रणालय (सीएनपी), नासिक

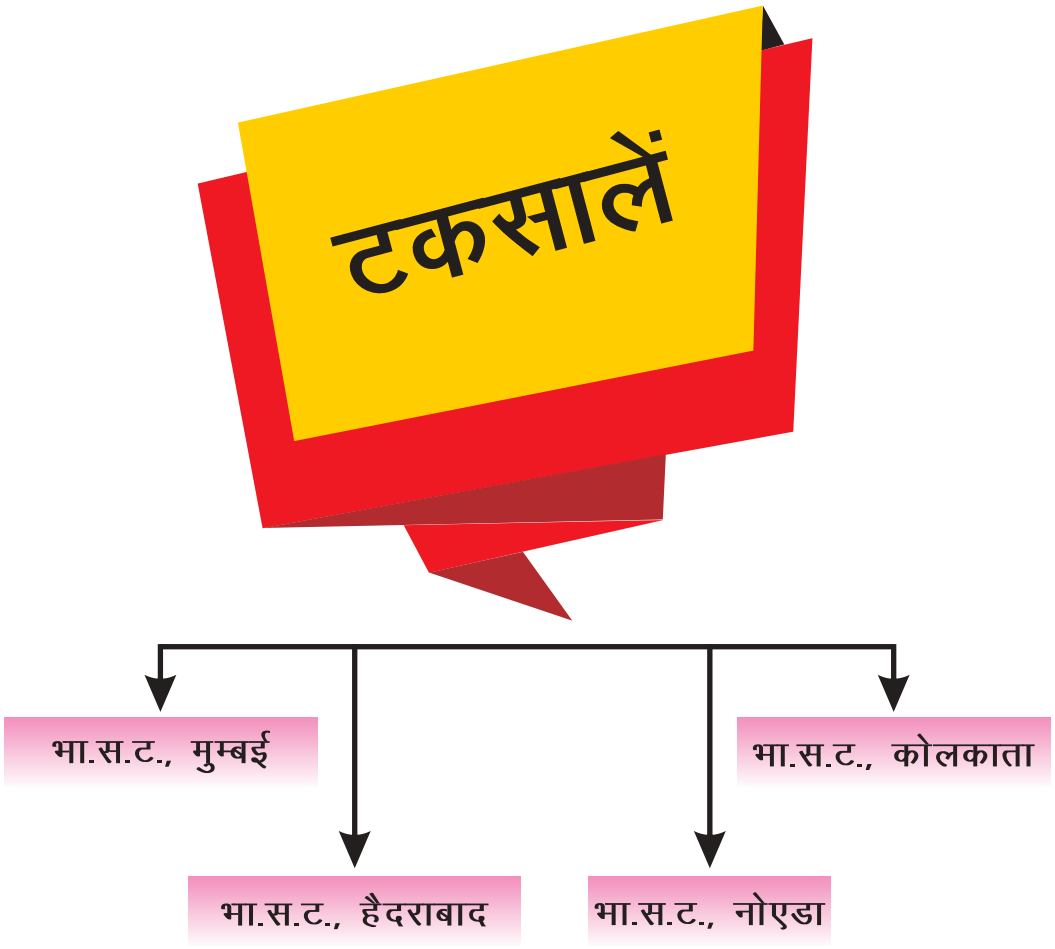
चलार्थ पत्र मुद्रणालय, नासिक रोड, महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना सन् 1928 में भारतीय रिजर्व बैंक की समय–समय पर करेंसी/विभिन्न मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की आवश्यकताओं तथा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से की गई थी। परिसर का कुल क्षेत्रफल 48 एकड़ है। यह एक आईएसओ 9001:2008 क्यूएमएस और आईएसओ 14001 ईएमएस प्रमाणित इकाई है। यह इकाई डिजाइनिंग, इन्ग्रेविंग, पूर्ण प्री–प्रिन्टिंग तथा ऑफसेट मुद्रण सुविधाओं, इंटैग्लियों मुद्रण मशीनों, नम्बरिंग तथा परिष्करण आदि के लिए सुविधाओं से सुसज्जित है। इस इकाई ने भारत सरकार तथा 9 विदेशों जैसे नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश आदि को लगभग 300 प्रकार के नोटों की डिजाइनिंग, मुद्रण तथा आपूर्ति की है। इस इकाई में सुरक्षा प्रणालियों का फुलप्रूफ लेखा–जोखा, माइक्रोटिंट्स, इंटर–लॉक डिजाइनों, डिजाइनों के माध्यम से देखना, अव्यक्त छवि की सुविधा तथा जालसाजी को रोकने के लिए फ्लोरोसेंट और आप्टिकली वेरियबल स्याही आदि का उपयोग किया जाता है। यह संदिग्ध जाली नोटों की जांच के लिए एक अग्रणी और प्रमुख इकाई है जहां जाली नोटों को परखने हेतु परिपक्व प्रयोगशाला तथा विशेषज्ञ अधिकारियों के समूह हैं। च.प.मु. को विभिन्न जाँच एजेंसियों जैसे एनआईए, राज्य की सीआईडी, सीबीआई, बैंकों, न्यायालयों आदि से संदिग्ध नोट प्राप्त होते हैं। च.प.मु., नासिक में आंतरिक रूप से अत्याधुनिक पेपर परीक्षण प्रयोगशाला वाटर मार्क बैंक नोट पेपर के निरीक्षण का कार्य कर रही है।



बैंक नोट मुद्रणालय (बीएनपी), देवास

बैंक नोट मुद्रणालय, देवास की स्थापना 1974 में की गई जिसमें उच्च प्रतिभूति विशेषताएं, नवीनतम आधुनिक तकनीकियों जैसे इंटैग्लियों मुद्रण, प्रतिभूति विशेषताओं जैसे रंगत का निरंतर फीका पड़ना, इंटरलॉक डिजाइन, पारदर्शी डिजाइन, फ्लोरेसेंट स्याही, ऑप्टिकल वेरियबल स्याही आदि के साथ ड्राई ऑफसेट मुद्रण विशेषताओं को शामिल कर नोटों की जालसाजी को रोकते हुए विश्व स्तरीय, उच्च गुणवत्ता के नए बैंक नोटों का उत्पादन करने के लिए की गई थी।

यहाँ उत्पादन वर्ष 1974 में आरंभ किया गया था और नोटों के नए किस्म की पहली खेप मार्च 1975 में भारतीय रिजर्व बैंक को भेजी गई थी। बैंक नोट मुद्रणालय को उच्च गुणवत्ता के बैंक नोटों की छपाई और प्रसंस्करण के लिए सभी सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है तथा विभिन्न गतिविधियों के नियंत्रण जैसे मुद्रण, गुणवत्ता नियंत्रण, इंजीनियरिंग के लिए जांच समूह, सम्बद्ध तथा प्रशासनिक खण्ड हैं। इसका अपना स्वयं का एक स्याही निर्माण संयंत्र है जो ऑफसेट, नंबरिंग तथा इंटैग्लियों स्याही का निर्माण करता है। एसपीएमसीआईएल के उपयोग हेतु प्रतिभूति स्याही की आपूर्ति इस स्याही निर्माण संयंत्र द्वारा आंतरिक रूप से की जा रही है।



भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि.) की मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता तथा नोएडा स्थित चार टकसालों में सिक्कों की ढलाई की समृद्ध विरासत है तथा गुणवत्ता उत्पादों के उत्पादन की धरोहर है। इन टकसालों में देश में प्रचलित सभी सिक्कों की ढलाई का कार्य किया जाता है। भारत सरकार टकसालें (भा.स.ट) कोरे सिक्कों से लेकर तैयार उत्पादों की ढ़लाई प्रक्रियाओं की प्रत्येक अवस्था को शामिल करते हुए गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला में कार्यरत हैं। उन्नत प्रौद्योगिकी, नवाचार, गुणवत्ता और विश्वसनीय वितरण तंत्र इन टकसालों की ताकत है। भारत सरकार टकसालों ने विश्व में ढ़लाई के कार्यक्षेत्र में डिजाइन, उत्कृष्टता, बहुमूल्य घातुओं की ढ़लाई में विशेषज्ञता तथा सबसे ऊपर शिल्पकारी की लम्बी परंपरा में अलग स्थान बनाया है।



भारत सरकार टकसाल, मुम्बई

मुंबई टकसाल भारत की सबसे पुरानी टकसालों में से एक है। इसके इतिहास की जड़ें सत्रहवीं शताब्दी को अंतिम तिमाही से जुड़ी हैं। रुपये की तरह टकसाल का इतिहास भी शताब्दी दर शताब्दी चलता रहा। एक छोटी सी जगह में हथोड़ा–निहाई पर पीट कर सिक्के बनाए जाने से लेकर, क्वाइल मशीन में डालने पर छपे–छपाए तैयार सिक्के निकलने तक की विकास गाथा में कई रोचक कहानियाँ शामिल हैं जैसे प्राचीन काल में सिक्कों का वजन ग्राम से नहीं बल्कि अनाज के दानों से निर्धारित किया जाता था। मुंबई में पहली टकसाल गवर्नर अंगियर ने रुपये, पाइयाँ और बाजरूक ढालने के लिए स्थापित की थी। मुंबई टकसाल का पहला रुपया 1672 में ढाला गया था। बाम्बे इंजीनियर्स के कैप्टन जॉन हॉकिस द्वारा वर्ष 1824 से 1829 के बीच वर्तमान मुंबई टकसाल का निर्माण किया गया था। कोरे सिक्के बनाने की सुविधा के अलावा, यह इकाई परिचालन और स्मारक सिक्के भी निर्मित करती है जो विशेष अवसरों/आयोजनों को मनाने या महापुरुषों अथवा स्मारकों के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में जारी किए जाते हैं।

स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के दौरान मुंबई टकसाल ही एकमात्र अधिकृत टकसाल थी जहां आभूषणों के अलावा सोने का दूसरे रूपों में प्रसंस्करण होता था। नए एक्वा रेजिया गोल्ड/सिल्वर परिष्करण संयंत्र की स्थापना के पश्चात टकसाल में सोने को 999.9 तक की शुद्धता के साथ तैयार करने की सुविधा है।

यह टकसाल कानूनी मैट्रालोजी अधिनियम 2009 के अनुसार क्षमता व लम्बाई मापन के गौण तथा कार्यिक मानकों तथा भार के प्राथमिक एवं गौण तथा कार्यिक मानकों का निर्माण तथा आपूर्ति कर रही है। ये मानक सटीक मानकों के विरूद्ध निर्मित होते हैं जो एनपीएल, दिल्ली द्वारा प्रमाणित, अंशांकित और अनुमोदित होते हैं। यह सभी मानक राज्य सरकार के कार्यों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि व्यापार में उपयोग किए जाने वाले वजन अपेक्षित सटीकता से सुसज्जित हैं।



भारत सरकार टकसाल, कोलकाता

कोलकाता टकसाल का इतिहास नवाब सिराज–उद–दौला के साथ 7 फरवरी 1757 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ की गई संधि से शुरू होता है। कोलकाता टकसाल में बने सबसे पहले रुपए मुगल सिक्कों की तर्ज पर फारसी शिलालेखों के साथ जारी किए गये थे। पहली टकसाल की जगह मालूम नहीं है। दूसरी कलकत्ता टकसाल 1792 में स्थापित की गई। स्ट्रैंड रोड पर तीसरी टकसाल बनाने की योजना 1819 में बनाई गई और 1 अगस्त 1829 को सिक्का उत्पादन हेतु इसका उद्घाटन किया गया और इसे सिल्वर मिंट के रूप में जाना गया हालांकि यहाँ सोने के सिक्कों का भी निर्माण होता था। सिल्वर मिंट की उत्तरी दिशा में 1860 में खासतौर से तांबे के सिक्कों की ढलाई के लिए एक नई इमारत का निर्माण किया गया जिसे ''कॉपर मिंट'' नाम से जाना जाता था। इस बीच भारत सरकार को काफी पहले 1940 में एक नई अधिक क्षमता वाली टकसाल की जरूरत महसूस हुई और इसे अलीपुर में स्थापित करने की योजना बनाई गई तथा कलकत्ता टकसाल को अलीपुर में स्थानांतरित किया गया जिसका निर्माण कार्य 1941 में शुरू हुआ। भारत सरकार ने अलीपुर टकसाल के लिए 1941 में कलकत्ता के बंदरगाह आयुक्त से 26 एकड़ जमीन ली थी। अलीपुर की नई टकसाल ने लगभग 12 लाख नग प्रति 8 घंटे पारी की सिक्का ढलाई उत्पादन क्षमता के साथ काम शुरू किया। इस टकसाल ने गोल्ड, सिल्वर, निकल, तांबा, ताम्र–निकल, निकल–पीतल और कांस्य के सिक्कों के ढलाई में शानदार भूमिका निभाई है। इसके अलावा पदक, सैनिक चिह्न, स्मारक सिक्के, सरकारी विभागों, शैक्षिक संस्थानों, कुलीन परिवारों, इस प्रकार के अनंत कार्यों के लिए कुशल कारीगरी द्वारा निर्माण किया गया।

इसने ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, मिस्र, पुर्तगीज भारत, सऊदी अरब, भूटान और पाकिस्तान के लिए सिक्कों का उत्पादन किया है और सीलोन, स्ट्रेट्स सरकार या स्ट्रैथ बस्तियों और इंपीरियल ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका कंपनी, मोम्बासा के लिए सिक्कों का उत्पादन किया है।



भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद

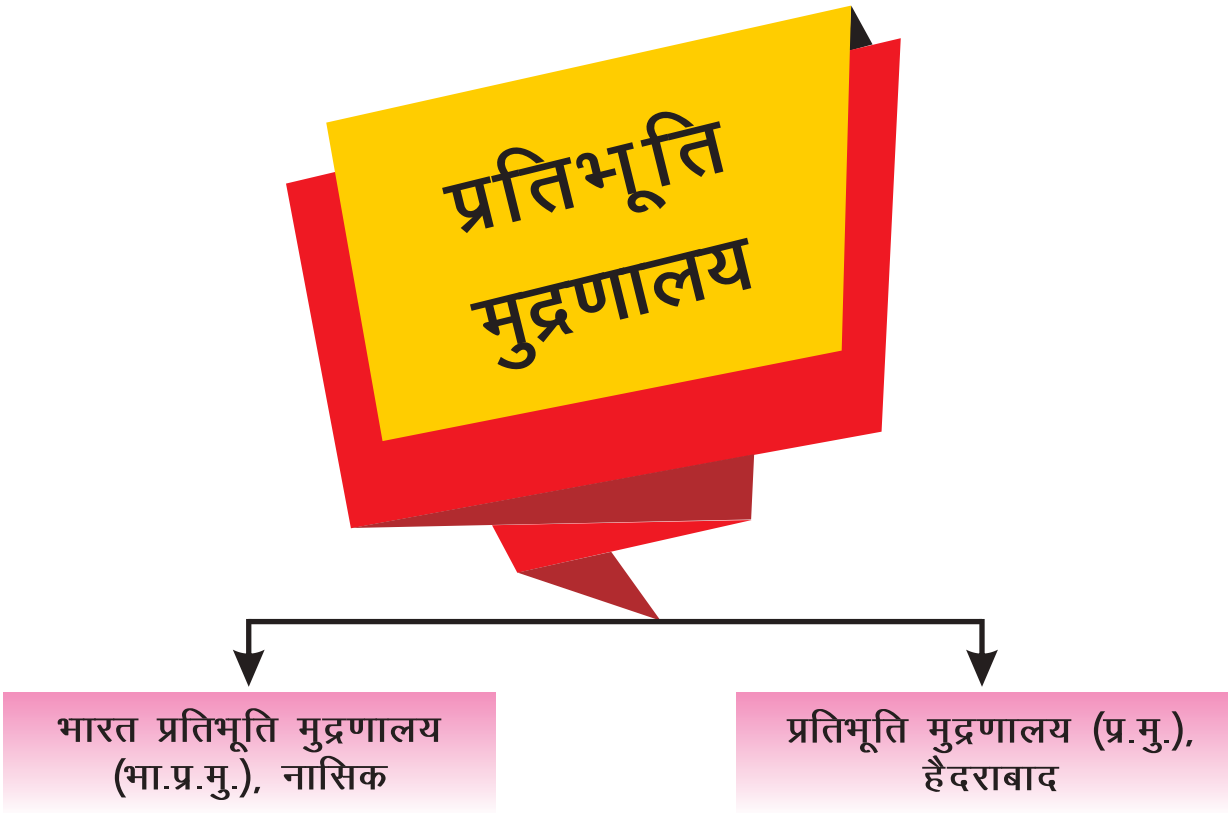
भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद को मूल रूप से 1803 में रॉयल मिंट के रूप में हैदराबाद के निज़ाम के लिए टकसाल के रूप में स्थापित किया गया था। वर्ष 1950 में, टकसाल को भारत सरकार द्वारा ले लिया गया था। एक नई टकसाल का उद्घाटन 28 अगस्त, 1997 को चेरलापल्ली में किया गया था जहां सैफाबाद से टकसाल को 1 नवंबर, 2001 को पूरी तरह से स्थानांतरित कर दिया गया था, और इस प्रकार टकसाल में उत्पादन शुरू हो गया था। टकसाल हैदराबाद और सिकंदराबाद के दोनों शहरों में प्रतिष्ठित संगठनों में से एक है। यह विशाल कार्य सफलतापूर्वक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और मेकॉन से परामर्श के तहत पूरा किया गया था। यह परिसर 80 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। उच्च सुरक्षा टकसाल परिसर के अतिरिक्त, इसमें कर्मचारियों के लिए अच्छी तरह से समर्थित बुनियादी ढांचे के साथ आवासीय (लगभग 100 आवास) परिसर हैं। कारखाना और कॉलोनी अपनी सभी बुनियादी जरूरतों के लिए लगभग आत्म–निर्भर हैं। इस टकसाल में दुनिया के प्रमुख क्वाइनिंग मशीन निर्माताओं द्वारा आपूर्ति की गई आधुनिक मशीनरी हैं। यह सिक्के के उत्पादन के आरंभ से लेकर समापन तक की प्रक्रियाओं जैसे ब्लैंकिंग, एनीलिंग, पिकलिंग एवं पॉलिशिंग तथा मुद्रांकन कार्य में संलग्न है। परिचालन सिक्कों के निर्माण के अलावा यह टकसाल स्मारक सिक्कों, पदकों/मैडालियनों के निर्माण का कार्य करती है तथा अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ चाँदी को पिघलाने तथा परिष्करण का कार्य करती है। इस टकसाल की अपनी परख एवं अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला है।



भारत सरकार टकसाल, नोएडा

भारत सरकार टकसाल, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश आजादी के बाद की अवधि में स्थापित की जाने वाली एकमात्र टकसाल है। यह देश की चौथी टकसाल है। देश में मांग के सापेक्ष सिक्कों की आपूर्ति में कमी को पूर्ण करने के लिए वर्ष 1984 में भारत सरकार द्वारा नोएडा में नवीन टकसाल परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। टकसाल में नियमित उत्पादन की शुरुआत 1988 से हुई। यह देश की पहली ऐसी टकसाल है जहां स्टैनलेस स्टील के सिक्कों का निर्माण हुआ। यह परियोजना भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जनवरी, 1986 में कुल ₹30 करोड़ की अनुमानित लागत से प्रारम्भ की गयी। टकसाल का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड (एन.बी.सी.सी.) द्वारा किया गया तथा इसके इंजिनियरिंग परामर्दाता मेटलर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (एम.ई.सी.ओ.एन.) थे। इस परियोजना को दिए गए समय सीमा के अंदर पूरा किया गया और 1 जुलाई 1988 को राष्ट्र को समर्पित किया गया।

निगमीकरण के पश्चात, यह टकसाल एसपीएमसीआईएल की एक इकाई के रूप में कार्यरत है। यहाँ कोरे सिक्कों को सिक्कों में परिवर्तित करने की सुविधा है।



दो प्रतिभूति मुद्रणालयों अर्थात भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक तथा प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद में सुरक्षित प्रचालन प्रक्रियाओं तथा निर्माण कार्यों के अंतर्गत प्रतिभूति उत्पादों के उत्पादन के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकी तथा बहु मुद्रण प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। इन मुद्रणालयों में डिजाइनिंग, प्री–प्रिंटिंग तथा पोस्ट–प्रिंटिंग के लिए आधुनिकतम प्रौद्योगिकी सुविधाएं हैं तथा प्रतिभूति विषेशताओं जैसे रसायन प्रतिक्रिया तत्वों, विविध गुलोचे प्रणाली, माइक्रो लेटरिंग, यूवी तथा बाई–फ्लूरोसेंट स्याही के साथ डिजाइन माइक्रो परफोरेशन, एडहेसिव/ग्लू, इम्बोसिंग, डाई–कटिंग तथा निजीकरण आदि विशेषताएं हैं।



भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (भा.प्र.मु.), नासिक

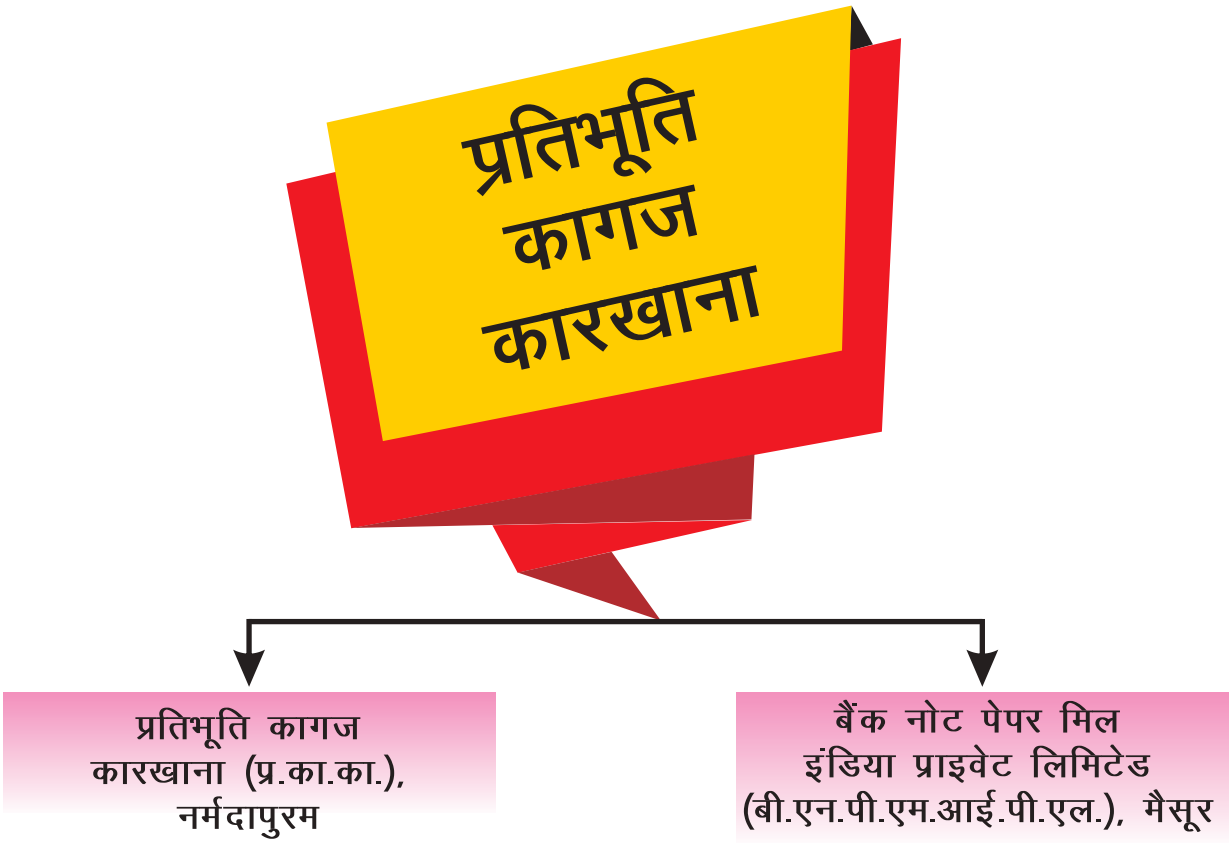
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक, भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के अधीन एक प्रमुख संस्थान है। भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक 95 वर्ष पुराना संस्थान है। इसकी स्थापना अंग्रेज़ों द्वारा औपनिवेशिक शासन में न्यायालय शुल्क, राजकोषीय, डाक टिकट, गैर डाक टिकट तथा डाक स्टेशनरी के मुद्रण हेतु 1925 में की गई थी। भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक विभिन्न प्रकार की प्रतिभूति सम्बन्धी उत्पादों की छपाई और आपूर्ति में कार्यरत है जैसे कि गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर, न्यायिक स्टाम्प पेपर, राजस्व टिकट, अदालत शुल्क टिकट, पासपोर्ट पुस्तकें, डाक टिकट, वीजा, अन्य यात्रा दस्तावेजों, विश्वविद्यालयों के प्रमाण–पत्रों, चिपकने वाली उत्पाद शुल्क टिकट, एवं अन्य सामग्री जैसे नियमित स्टेशनरी हेतु एम.आई.सी.आर. चेक और बुकलेट फॉर्म, भारतीय सेना के पहचान पत्र, रेलवे वारंट, आयकर विवरण आदेश फार्म, बचत दस्तावेज़, स्मारक टिकट आदि। एक विशिष्ट फोर्जरी डिटेक्शन सेल विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों और आर.बी.आई. की मांग को पूरा करता है।



प्रतिभूति मुद्रणालय (प्रमु), हैदराबाद

प्रतिभूति मुद्रणालय (प्र.मु.), हैदराबाद को मुख्य रूप से डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली के लिए पोस्टल स्टेशनरी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 1982 में स्थापित किया गया था। इसके बाद, मुद्रणालय ने राज्य सरकारों के लिए गैर–न्यायिक स्टांप पेपर्स और न्यायालय शुल्क स्टांप का विकास और मुद्रण का कार्यभार संभाला।

यह उच्च मूल्य के प्रतिभूति दस्तावेजों के मुद्रण के लिए नवीनतम प्री–प्रेस, प्रेस और पोस्ट–प्रेस मशीनरी से सुसज्जित है। इस मुद्रणालय में आंतरिक प्रयोगशाला भी है जो उत्पादों की गुणवत्ता, उच्च मुद्रण मानकों के अनुरूप तथा प्रतिभूति उत्पादों की सुरक्षा विशेषताओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है। प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद विशेष नंबरिंग, छिद्रण, यूवी–प्रिंट तकनीक, प्री–प्रेस गतिविधियों के लिए उच्च स्तर सुरक्षा सॉफ्टवेयर जैसी सुविधाओं के साथ उच्च मूल्य वाले सुरक्षा दस्तावेजों के उत्पादन के लिए आधुनिक उच्च गति मुद्रण मशीनरी से सुसज्जित है।



दो प्रतिभूति कागज कारखानों अर्थात् प्रतिभूति कागज कारखाना, नर्मदापुरम तथा बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बी.एन.पी.एम.आई.पी.एल.), मैसूर ने कंपनी को करंसी पेपर, बैंक नोट पेपर तथा प्रतिभूति कागज की आवश्यकता के लिए आत्मनिर्भर बनाया है तथा विदेशी मुद्रा के व्यय में भी कमी की है।

वर्ष 2015 में 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमतायुक्त एक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पेपर लाइन की स्थापना, बैंक नोट पेपर के निर्माण के लिए प्रतिभूति कागज कारखाना, नर्मदापुरम में की गई।

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बी.एन.पी.एम.आई.पी.एल.) के साथ 50:50 की भागीदारी पर अक्टूबर, 2010 में बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बी.एन.पी.एम.आई.पी.एल) नाम से एक संयुक्त उद्यम की स्थापना की है। यह 6000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमतायुक्त दो अत्याधुनिक पेपर लाइनों से बैंक नोट कागज के निर्माण की एक ग्रीन फील्ड परियोजना है।

संयुक्त उद्यम कंपनी का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी सी.डब्ल्यू.बी.एन. पेपर के उत्पादन तथा आयात प्रतिस्थापन्न को बढ़ावा देना है, जिससे अमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहित करते हुए बैंक नोट पेपर उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में भारत की सहायता करना है।



प्रतिभूति कागज कारखाना (प्र.का.का.), नर्मदापुरम

स्वतन्त्र भारत का सपना था कि देश करेंसी मुद्रा के कागज़ के वर्षों से हो रहे आयात के भार से मुक्त हो। करेंसी एवं बैंक नोट कागज़ के उत्पादन में आत्मनिर्भर एवं कागज़ के आयात में व्यय हो रही विदेशी मुद्रा की बचत के उद्देश्य से साठ के दशक के शुरुआती वर्षों में ही ''प्रतिभूति कागज़ कारखाना'' की स्थापना का निर्णय लिया गया। उद्योग की पूर्व अपेक्षित आवश्यकताओं जैसे भूमि, जल, विद्युत, परिवहन एवं मानव शक्ति आदि के दृष्टिकोण से नर्मदापुरम को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के रूप में चुना गया।

प्रतिभूति कागज़ कारखाना (प्र.का.का.), नर्मदापुरम की स्थापना 1968 में हुई। यहाँ बैंक नोटों तथा गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपरों के लिए विभिन्न प्रकार के उच्च गुणवत्ता वाले प्रतिभूति कागज का निर्माण किया जाता है। इस इकाई द्वारा उत्पादित प्रतिभूति कागज का उपयोग अन्य एसपीएमसीआईएल इकाइयों द्वारा करेंसी/बैंक नोटों तथा गैर–न्यायिक स्टाम्प के मुद्रण के लिए किया जाता है। प्रतिभूति कागज कारखाना, नर्मदापुरम को प्रतिभूति कागज में अनेक सुरक्षा विशिष्टिताओं जैसे– फ्लोरोसेन्ट फाइबर्स, मल्टीटोनल थ्री डाइमेन्शनल वाटरमार्क, इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क, विभिन्न प्रकार के सुरक्षा धागे, टैजेन्टस आदि शामिल करने का गौरव प्राप्त है।

प्रतिभूति कागज़ कारखाना, नर्मदापुरम में बैंक नोट पेपर के निर्माण के लिए 6000 मी. टन प्रतिवर्ष निर्माण की क्षमतायुक्त एक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पेपर लाइन की स्थापना की गई। वाणिज्यिक उत्पादन वर्ष 2015 में प्रारम्भ हुआ।

यह मुद्रणालयों द्वारा निर्धारित प्रमुख मापदंडों का गहन संविक्षण तथा नियंत्रण करता है तथा निरंतर प्रक्रिया प्रणाली अर्थात भंडार तैयार करने, कागज निर्माण, कैलेंडरिंग, कटिंग तथा परिष्करण प्रक्रिया में कार्यरत है। कागज की गुणवत्ता संगठन के लिए प्रमुख कारक है जिसकी अत्यधिक सुरक्षित वातावरण में पूर्ति की जाती है।



बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बी़एऩपी़एम़आई़पी़एल़), मैसूर

भाप्र.मु.नि.लि. ने भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बी.आर.बी.एन.एम.पी.एल.) के साथ 50:50 की भागीदारी पर अक्टूबर, 2010 में बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बी.आर.बी.एन.एम.पी.एल.) नाम से एक संयुक्त उद्यम की स्थापना की है। यह प्रति संयंत्र 6000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमतायुक्त दो अत्याधुनिक पेपर लाइनों से बैंक नोट कागज के निर्माण की एक ग्रीन फील्ड परियोजना है अर्थात इसकी कुल क्षमता 12000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। दोनों लाइनों से वाणिज्यिक उत्पादन वर्ष 2016 में प्रारंभ हुआ।

संयुक्त उद्यम कंपनी का मुख्य उद्देश्य करेंसी पेपर तथा बैंक नोट पेपर तथा इसकी संबद्ध गतिविधियों के विकास, डिजाइन, निर्माण, उत्पादन हेतु भारत एवं विदेश में व्यवसाय को आगे बढ़ाना है। यह एक निरंतर प्रक्रियारत उद्योग है तथा उत्पाद अनुपम है जिसकी अपनी अखंड उपयोगिता के अलावा अतुलनीय कीमत है। बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने उत्पादन प्रारंभ होने की अल्पावधि में ही उच्च गुणवत्ता के बैंक नोट कागज के उत्पादन के शिखर को छुआ है। अब बैंक नोट कागज की आवश्यकता की पूर्ति घरेलू स्तर पर की जा रही है।

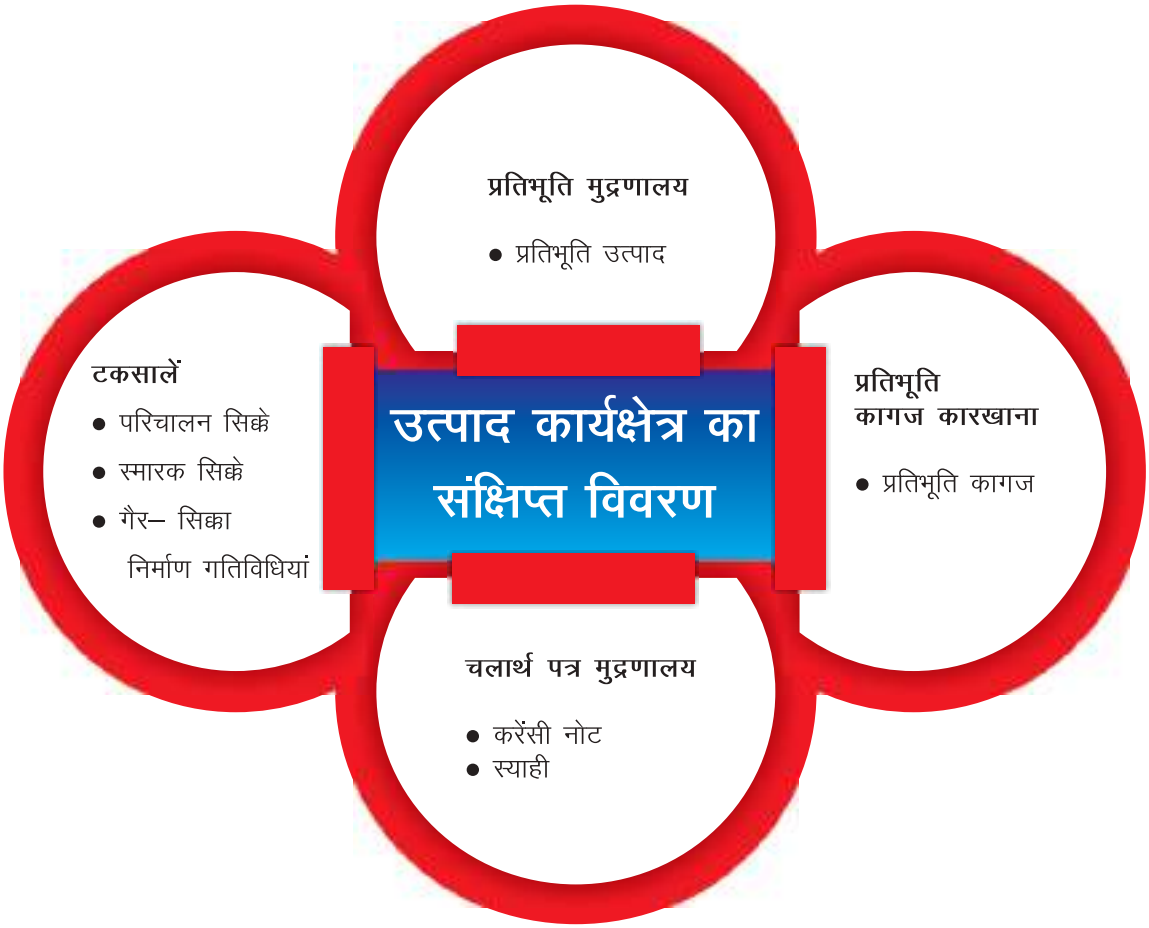


निगम अनुसंधान एवं विकास केंद्र, नासिक

भाप्र.मु.मु.नि.नि.लि. के निगम अनुसंधान एवं विकास केंद्र (सीआरडीसी) की स्थापना वर्ष 2015 में करेंसी नोट प्रेस, नासिक में विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इत्यादि के साथ सहयोग बुनियादी अनुसंधान और अनुप्रयुक्त अनुसंधान करने के लिए की गई थी। निगम अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना बेहतर प्रौद्योगिकियों/विधियों को शुरु करके/विकसित करके और कर्मचारियों के सभी स्तरों से उपयुक्त तकनीकी विचारों को प्रोत्साहित करके उत्पादन इकाइयों के साथ समन्वय करके उत्पादकता और गुणवत्ता प्रदान करने के लिए की गई है।

केंद्र के पास 2022 के वर्ष में अपने क्रेडिट के लिए आईएसओः 9001 प्रमाणन है। सीआरडीसी अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने और जालसाजी के खतरों का मुकाबला करने के लिए प्रौद्योगिकी में एक कदम आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास प्रदान करता है।

वर्तमान में निगम अनुसंधान एवं विकास केंद्र के पास नकलरोधी, सामग्री लक्षण वर्णन, रासायनिक विश्लेषण आदि के लिए अपनी अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं हैं। निगम अनुसंधान एवं विकास केंद्र एसईएम–ईडीएक्स, वीएससी 8000, लाइट फास्टनेस परीक्षक आदि जैसे उन्नत लक्षण वर्णन के लिए उपकरणों से सुसज्जित हैं।



चलार्थ पत्र मुद्रणालय

भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाईयों ने भारत के साथ–साथ विदेशों के लिए करेंसी मुद्रण में 75 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ बाजार में अपने लिए अलग जगह बनाई है। नासिक स्थित हमारी चलार्थ पत्र मुद्रणालय (च.प.मु.) में आधुनिक मुद्रण पूर्व तथा ऑफसेट सुविधाएं, इंटाग्लियो मुद्रण मशीनें, नंबरिंग तथा परिष्करण मशीनें एवं मुद्रण पश्चात की प्रक्रियाओं के लिए पूर्ण अत्याधुनिक मशीनें सुसज्जित हैं।

बैंक नोट मुद्रणालय (बैं.नो.मु.), देवास भी एसपीएमसीआईएल की एक और तकनीकी रूप से सुसज्जित इकाई है जो डिजाइनिंग, उत्कीर्णन, अद्यतन पूर्ण प्री–प्रिंटिंग और ऑफसेट सुविधाएं, इंटैग्लियो प्रिंटिंग मशीन, नंबरिंग और फिनिशिंग मशीन से लैस है। यह एक अग्रणी प्रतिभूति स्याही निर्माता भी है।

दोनों करेंसी नोट मुद्रणालयों में प्रतिभूति मदों के पूर्ण प्रमाण लेखांकन, आधुनिक कड़ी सुरक्षा प्रणाली, पारगमन सुरक्षा में अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सेवा विभाग सहित पर्यावरण अनुकूल कुशल सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन इकाइयों के पास राजकोष की खेपों के परिवहन के लिए कैप्टिव रेलवे ट्रेजरी वैगन्स / वाहन हैं।

महात्मा गांधी (नई) शृंखला



भारतीय गणतंत्र नवंबर 2016 में दूसरे सबसे बड़े मौद्रिक सुधार का साक्षी बना, जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 8 नवंबर, 2016 तक जारी महात्मा गांधी शृंखला के ₹500 व ₹1000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को विमुद्रित कर उनके वैधानिक स्वरूप को वापस ले लिया गया। देश की सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों को दर्शाते हुए महात्मा गांधी (नई) शृंखला के नए बैंक नोटों की शुरुआत की गई। विभिन्न मूल्यवर्ग के लिए विशिष्ट रंग का प्रयोग किया गया और आकार को भी घटाया गया। महात्मा गांधी (नई) शृंखला में 8 नवंबर, 2016 को ₹2000 मूल्यवर्ग और 23 अगस्त 2017 को ₹200 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की शुरुआत की गई थी।

दस रुपये : आकार 63 x 123 एमएम





बीस रुपये : आकार 63 x 129 एमएम





पचास रुपये : आकार 66 x 135 एमएम



एक सौ रुपये : आकार 66 x 142 एमएम



दो सौ रुपये : आकार 66 x 146 एमएम



पाँच सौ रुपये : आकार 66 x 150 एमएम



प्रतिभूति स्याही



देवास में बैंक नोट मुद्रणालय का स्याही कारखाना प्रतिभूति स्याही के निर्माण में क्रियाशील है। प्रारंभ में मुख्य उत्पादों में विभिन्न स्याहियों में ड्राई ऑफसेट स्याही, लेटरप्रेस और ग्रेवर स्याही थे। समयावधि के बाद स्याही कारखाने के तकनीकी विशेषज्ञों ने विभिन्न प्रतिभूति दस्तावेजों में प्रयोग होने वाली विविध प्रकार की स्याही विकसित करने के समर्पित प्रयास किए।

स्याही कारखाने द्वारा पासपोर्ट, वीजा, स्टांप पेपर, पोस्टल स्टेशनरी, बैंक दस्तावेज, प्रमाण–पत्र इत्यादि हेतु स्याही निर्मित कर विभिन्न प्रतिभूति मुद्रणालयों जैसे भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, चलार्थ पत्र मुद्रणालय और प्रतिभूति मुद्रणालय आदि को आपूर्ति की जाती हैं। स्याही कारखाने की कुछ प्रमुख उपलब्धियों में सभी प्रकार की स्याहियों, संख्यांकन स्याही, अदृश्य स्याही अर्थात् बाई–फ्लोरोसेंट स्याही, अवरक्त संवेदनशील स्याही, पारंपरिक इंटैग्लियो स्याही और सबसे महत्वपूर्ण क्विकसेट इंटैग्लियो स्याही के लिए इन–हाउस फार्मूलेशन विकसित करना है।

अन्य चलार्थ पत्र मुद्रणालयों सहित बैंक नोट मुद्रणालय, देवास विदेशों से क्विकसेट इंटैग्लियो स्याही खरीद रहे थे। वर्ष 2006 में स्याही कारखाने ने आंतरिक रूप से क्विकसेट इंटैग्लियो स्याही तैयार करने की चुनौती स्वीकार की। स्याही कारखाने के तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा जबरदस्त अनुसंधानात्मक एवं विकासात्मक प्रयास किए गए थे। वर्ष 2009–10 में वाणिज्यक थोक उत्पादन किया गया था।

प्रारंभ में प्रतिवर्ष 240 मीट्रिक टन विविध स्याही के उत्पादन के लिए स्याही कारखाना स्थापित किया गया था। बैंक नोटों की बढ़ती मांग के मद्देनजर, स्याही कारखाने के विस्तार की आवश्यकता महसूस की गई और एक नई स्याही कारखाने की इमारत को खड़ा कर नई मशीनों और अन्य सहायक उपकरणों को स्थापित करने का निर्णय लिया गया ताकि विविध स्याही उत्पादन क्षमता को 1500 मीट्रिक टन तक बढ़ाया जा सके। स्याही कारखाना ओ.वी.आई./सी. एस.आई. स्याही को छोड़कर, बी.एन.पी., सी.एन.पी., आई.एस.पी. और एस.पीपी. की संपूर्ण मांग की आपूर्ति करता है।

टकसालें

मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में भारत सरकार टकसालों (आई.जी.एम.) में ढलाई की समृद्ध विरासत और गुणवत्ता वाले ढलाई उत्पादों की धरोहर है। भारत सरकार टकसालें तैयार उत्पादों की योजना बनाने से लेकर ढलाई प्रक्रिया के हर चरण को कवर करने वाली व्यापक सेवाएँ प्रदान करती हैं। उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग, नवाचार, गुणवत्ता और विश्वसनीय वितरण तरीके हमारी टकसालों की प्रमुख ताकत हैं।

भारत सरकार टकसालें उत्पाद तैयार करने और गुणवत्ता आश्वासन में वैश्विक गुणवत्ता मानदंडों का सख्ती से अनुकरण करती है। भारत सरकार टकसालें आई.एस.ओ. 9001 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) तथा आईएसओ 14001 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) से प्रमाणित है। भारत सरकार टकसाल, मुंबई में परख प्रयोगशाला एनएबीएल मान्यता प्राप्त (आई.एस.ओ. 17025:2005) हैं।



आजादी का अमृत महोत्सव के डिजाइन के साथ परिचालन सिक्कों की नई शृंखला (दृष्टिबाधित अनुकूल)

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड में परिचालन सिक्कों की विनिर्माण अभिक्रिया से उत्कीर्णन की सदियों पुरानी कला, मुद्रा निर्माण प्रक्रिया और विश्व स्तरीय तकनीक, सामग्री प्रबंधन, ट्रेसेबिलिटी, ऑटोमेशन सहित अत्याधुनिक औद्योगिक प्रक्रिया सख्त गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों का अनुपालन करते हुए सिक्के तैयार करने हेतु एक आदर्श सहजीविता का गठन करता है।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्रालय और कारपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह का 06 जून 2022 को उद्घाटन किया। इस सप्ताह को 6 से 11 जून 2022 तक 'आजादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री ने ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 और ₹20 के सिक्कों की विशिष्ट शृंखला का विमोचन किया। सिक्कों की इन विशेष शृंखलाओं में आजादी का अमृत महोत्सव के लोगो का विषय होगा और ये आसानी से दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा पहचाना जा सकेगा।

उच्चतम एवं न्यूनतम मूल्य वर्गानुसार घटता आकार और भार इन सिक्कों की विशेषता है। विवरण इस प्रकार हैं:

धातु	वजन	व्यास	आकार	अग्रभाग	पश्चभाग
द्विधातु	8.54 ग्राम	27 एमएम	12 सिरे (बहुभुज)		
द्विधातु	7.74 ग्राम	27 एमएम	वृत्ताकार		
निकल ब्राश	6.75 ग्राम	25 एमएम	वृत्ताकार		
फेरिटिक स्टेनलेस	4.07 ग्राम	23 एमएम	वृत्ताकार		
स्टील फेरिटिक स्टेनलेस	3.09 ग्राम	20 एमएम	वृत्ताकार		

स्मारक/संकलनकर्ताओं के सिक्के

स्मारक सिक्कों की ढलाई किसी घटना, अवसर, स्थान, व्यक्ति, संगठन या प्रसिद्ध व्यक्तियों की याद में की जाती हैं और इन्हें विख्यात हस्तियों द्वारा विमोचित किया जाता है। अधिकांश स्मारक सिक्के विश्व में 1960 से जारी किए गए हालांकि, इससे पूर्व में भी स्मारक सिक्कों के बहुत से उदाहरण हैं। स्मारक/संकलनकर्ताओं के सिक्के किसी के पास होना सम्मान की बात है। इस प्रकार के सिक्कों में घटना विशेष के संदर्भ में विशेष डिजाइन रहता है। इस श्रेणी के अनेक सिक्के केवल संग्रहकर्ताओं के उपयोग में ही रहते हैं, हालांकि कुछ देशों में स्मारक सिक्के नियमित परिचालन के लिए भी जारी किए जा रहे हैं।

इन सिक्कों को वर्ष 1964 से तैयार किया जा रहा है तथा प्रथम भारतीय स्मारक सिक्का वर्ष 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती की स्मृति में जारी किया गया। तभी से 5 पैसा (आई.एन.आर. 0.05) से ₹1000 (आई.एन. आर. 1000.00) के अनेक सिक्के जारी किए गए। ये सिक्के विख्यात व्यक्तित्व की जयंती अथवा मृत्यु, विशेष सरकारी कार्यक्रम अथवा खेल गतिविधि, ऐतिहासिक घटनाओं, सरकारी संगठनों आदि की वर्षगांठ की स्मृति पर आधारित होते हैं।

मुम्बई तथा कोलकाता टकसाल द्वारा अनेक स्मारक सिक्के जारी किए गए हैं। भारत सरकार टकसालों द्वारा निर्मित इन विशेष सिक्कों की श्रेणी पिछली प्रमाणित उपलब्धियों का परिणाम हैं, जहां निपुणता, उत्कृष्टता तथा शिष्टता जैसे प्रमुख शब्दों को मान्यता दी जाती है।

स्मारक सिक्के दो प्रकार के हैं:– प्रूफ तथा अपरिचालित।

प्रूफ सिक्के

प्रूफ सिक्के उच्च गुणवत्ता वाले स्मारक सिक्के हैं, जिनमें सिक्कों की सतह के डिजाइन पर दर्पण के समान चमक के साथ अवरूद्ध प्रभाव होते हैं। ये सिक्के प्रीमियम मूल्य पर बेचे जाते हैं क्योंकि ये उच्च गुणवत्ता मानकों के साथ निर्मित होते हैं और इनका उच्च मुद्रा संग्रहण मूल्य होता है।

अपरिचालित सिक्के

अपरिचालित सिक्के उच्च गुणवत्ता वाले स्मारक सिक्के होते हैं, जिन पर दर्पण जैसी चमक होती है परंतु डिजाइन पर कोई अवरूद्ध प्रभाव नहीं होता है। अपरिचालित सिक्के प्रीमियम कीमत पर ही बेचे जाते हैं लेकिन उनकी कीमत प्रूफ सिक्कों की तुलना में थोड़ी कम होती है।

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए स्मारक सिक्के

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हीरक जयंती

भारत सरकार टकसाल, मुंबई ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की हीरक जयंती के जश्न को चिह्नित करने के लिए ₹60 मूल्यवर्ग के स्मारक सिक्के का निर्माण किया, जिसे 3 अप्रैल, 2023 को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया था।



प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष

भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹ 50 मूल्य का स्मारक सिक्का बनाया, जिसे 9 अप्रैल, 2023 को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया था।



मन की बात का 100वां एपिसोड



भारत सरकार टकसाल, कोलकाता ने मन की बात के 100वें एपिसोड को चिह्नित करने के लिए ₹ 100 मूल्य का स्मारक सिक्का बनाया, जिसे 26 अप्रैल, 2023 को माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा जारी किया गया था।



ऑपरेशन शक्ति की 25वीं वर्षगांठ



भारत सरकार टकसाल, मुंबई ने ऑपरेशन शक्ति की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर ₹ 100 का मूल्यवर्ग, स्मारक सिक्के का निर्माण किया। जिसे 11 मई, 2023 को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया था।

राजा राम मोहन राय की 251वीं जयंती





भारत सरकार टकसाल, कोलकाता ने राजा राम मोहन राय की 251वीं जयंती को मनाने के लिए ₹ 250 मूल्य का स्मारक सिक्का बनाया, जिसे 22 मई, 2023 को माननीय संस्कृति राज्य मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जारी किया गया था।

नये संसद की इमारत का उद्घाटन

भारत सरकार टकसाल, कोलकाता ने नए संसद भवन के उद्घाटन का जश्न मनाने के लिए 75 रुपये मूल्यवर्ग के स्मारक सिक्के का निर्माण किया है। जिसे 28 मई, 2023 को लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश के साथ भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा जारी किया गया था।





भारत सरकार टकसाल, कोलकाता ने भारत की जी–20 अध्यक्षता के अवसर पर ₹75 और ₹100 मूल्यवर्ग के स्मारक सिक्के का निर्माण किया, जिसे 26 जुलाई, 2023 को प्रगति मैदान दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी–सह–सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन करते समय माननीय प्रधान मंत्री द्वारा जारी किया गया था।

एन.टी. रामा राव जन्म शताब्दी

श्री नंदामुरी तारक राम राव, जिन्हें प्यार से एनटीआर के नाम से जाना जाता है, के शताब्दी वर्ष का जश्न मनाने के लिए भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद ने ₹100 मूल्यवर्ग का स्मारक सिक्के का निर्माण किया। जिसे 28 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति भवन, सांस्कृतिक केंद्र में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी किया गया था।





रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती



भारत सरकार टकसाल, कोलकाता ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती को चिह्नित करने के लिए ₹500 मूल्य का स्मारक सिक्का बनाया, जिसे 5 अक्टूबर, 2023 को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया था।



कैवल्यधाम का शताब्दी वर्ष

भारत सरकार टकसाल, मुंबई ने कैवल्यधाम के शताब्दी वर्ष का जश्न मनाने के लिए ₹100 मूल्यवर्ग का स्मारक सिक्का बनाया, जिसे माननीय आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने 1 नवंबर, 2023 को जारी किया।



संत मीरा बाई की 525वीं जयंती

भारत सरकार टकसाल, कोलकाता ने संत मीरा बाई की 525 वीं जयंती को चिह्नित करने के लिए ₹525 मूल्यवर्ग का स्मारक सिक्का बनाया, जिसे 23 नवंबर, 2023 को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया था।





एनडीए के 75 वर्ष, 2023

भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला, पुणे के प्लेटिनम जयंती समारोह को चिह्नित करने के लिए ₹75 मूल्यवर्ग का स्मारक सिक्का बनाया, जिसे 30 नवंबर, 2023 को भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी किया गया।





सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे (एएफएमसी) का प्लैटिनम जयंती समारोह

भारत सरकार टकसाल, मुंबई ने सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज (एएफएमसी), पुणे के प्लेटिनम जयंती समारोह को चिह्नित करने के लिए ₹ 75 मूल्य का स्मारक सिक्का बनाया, जिसे 1 दिसंबर, 2023 को भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर द्वारा जारी किया गया था।



सहस्त्राब्दी वर्ष समारोह
जैन श्वेताम्बर खरतरगच्छ संघ



भारत सरकार टकसाल, कोलकाता ने खरतरगच्छ सहस्त्राब्दी के अवसर पर, जैनाचार्य जिनेश्वर सूरी द्वारा अपनी स्थापना के 1000 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹1000 मूल्य का स्मारक सिक्का निर्मित किया, जिसे 26 दिसंबर, 2023 को गुजरात के माननीय राज्यपाल, श्री आचार्य देवव्रत द्वारा जारी किया गया था।



रामकृष्ण मठ एवं मिशन, बेलूरमठ की 125वीं वर्षगांठ



भारत सरकार टकसाल, कोलकाता ने द्वारा रामकृष्ण मठ और मिशन, बेलूरमठ की 125वीं वर्षगांठ मनाने के लिए ₹125 रुपये का मूल्यवर्ग स्मारक सिक्के का निर्माण किया। जिसे 27 दिसंबर, 2023 को संस्कृति राज्य मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जारी किया गया था।

डॉ. पंजाबराव उर्फ भाऊसाहेब देशमुख की 125वीं जयंती

भारत सरकार टकसाल, मुंबई द्वारा डॉ. पंजाबराव उर्फ भाऊसाहेब देशमुख की 125वीं जयंती के अवसर पर ₹125 मूल्यवर्ग स्मारक सिक्के का निर्माण किया। जिसे 27 दिसंबर, 2023 को भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा जारी किया गया था।





वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के 20 वर्ष



भारत सरकार टकसाल, मुंबई ने वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹ 20 मूल्य का स्मारक सिक्का बनाया, जिसे 9 जनवरी, 2024 को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया था।

स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी





भारत सरकार टकसाल, कोलकाता ने स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी मनाने के लिए ₹100 मूल्यवर्ग के स्मारक सिक्के का निर्माण किया है, जिसे 24 जनवरी, 2024 को माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह द्वारा जारी किया गया था।

75वां गणतंत्र दिवस समारोह

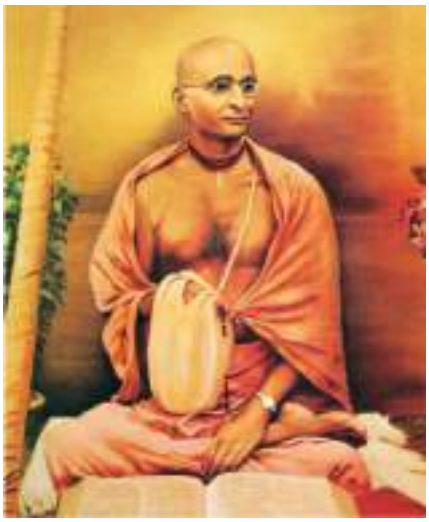
भारत सरकार टकसाल, मुंबई ने 75वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने के लिए ₹ 75 मूल्य का स्मारक सिक्का बनाया, जिसे 25 जनवरी, 2024 को माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा जारी किया गया।





श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की 150वीं जयंती





भारत सरकार टकसाल, कोलकाता ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की 150वीं जयंती मनाने के लिए ₹ 150 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का बनाया, जिसे 8 फरवरी, 2024 को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया था।

श्री सतगुरु राम सिंह जी की दूसरी जन्मशताब्दी



भारत सरकार टकसाल, कोलकाता ने श्री सतगुरु राम सिंह जी की दूसरी जन्म शताब्दी जश्न मनाने के लिए ₹200 और ₹10 मूल्यवर्ग स्मारक सिक्के का निर्माण किया। जिसका विमोचन 11 फरवरी, 2024 को विदेश एवं संस्कृति मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा किया गया।

कर्नाटक बैंक का शताब्दी वर्ष



भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद ने कर्नाटक बैंक के शताब्दी वर्ष के अवसर पर ₹100 मूल्यवर्ग स्मारक सिक्के का निर्माण किया। जो 18 फरवरी, 2024 को जारी किया गया था।



पदक और स्मृति चिह्न की एक झलक



भारत रत्न



पद्म विभूषण




पद्म भूषण




पद्म श्री




परमवीर चक्र




महावीर चक्र




वीर चक्र



पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान



श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट



प्रवासी भारतीय सम्मान



सेंट पीटर्स स्कूल, पंचगनी



पंचतंत्र स्मारिका 2022



पंचतंत्र स्मारिका 2022



श्री महालक्ष्मी पूजन 2019



श्री महालक्ष्मी पूजन 2019



श्री गणेश चतुर्थी 2019



कुंभ स्नान स्मारिका 2019



राष्ट्रमंडल खेल 2010



तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम



अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव



विदेश मंत्रालय



पश्चिम बंगाल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय



भारतीय फिल्म महोत्सव



आईआईटी खड़गपुर



बंगाल एशियाटिक सोसायटी बार्कले पदक



बर्मा कृषि–बागवानी सोसायटी



भारतीय कला प्रदर्शनी

2. परख

परख विभाग का प्राथमिक कार्य टकसाल में निर्मित सिक्कों की गुणवत्ता की जांच करना है और देश में सिक्कों का रख–रखाव तथा सही कानूनी मानक सुनिश्चित करना है। इसके अलावा अन्य पक्षों से प्राप्त सोने और अन्य कीमती धातुओं की परख तथा शुद्धता के लिए प्रमाणीकरण किया जाता है।





3. सोना/चांदी परिष्करण

स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के दौरान, केवल मुम्बई टकसाल ही सोने के आभूषणों के अलावा सोने का अन्य किसी रूप में प्रसंस्करण करने के लिए अधिकृत इकाई थी। नई एक्वा रेजिया एवं इलेक्ट्रोलाइटिक गोल्ड/सिल्वर परिष्करण संयंत्र की स्थापना के बाद हमारे पास अब सोने को 999.9 तक शुद्ध करने की सुविधा है।

वर्ष 2017 में भारत सरकार टकसाल, मुंबई ने मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत सोने की 999.9 शुद्धता के साथ प्रमाणित संदर्भ सामग्री (सी.आर.एम.) सफलतापूर्वक तैयार की। यह सीआरएम भारत में पहली बार विकसित की गई जिसमें बार्क तथा सी.एस.आई.आर.–एन.पी.एल. के सहयोग से अनुसंधान तथा विकास आदानों का प्रयोग किया गया। सी.आर.एम. राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला अर्थात् भारतीय निर्देशक द्रव्य (बीएनडी) 4201 द्वारा आवंटित एक विशिष्ट पहचान संख्या है।



भारत सरकार टकसाल, मुम्बई ने स्वर्ण परिष्करण तथा चांदी की परख के लिए एनएबीएल से मान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त किया है। भारत सरकार टकसाल, मुम्बई और भारत सरकार टकसाल, कोलकाता ने सोने के सिक्कों के लिए मानक चिह्न का उपयोग करने के लिए बी.आई.एस. लाइसेंस भी प्राप्त किया है। भारत सरकार टकसाल, मुम्बई के पास सोने के परिष्करण की सुविधा उपलब्ध है और यह सोने को 999.9 तक शुद्ध कर सकता है।

उपरोक्त के अलावा, भारत सरकार टकसाल, मुम्बई को भारत सरकार स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत उच्च गुणवत्ता मानकों द्वारा भारतीय सोने के सिक्कों के निर्माण का कार्य सौंपा गया था।



4. वजन और माप मानकों और मुद्रांकन उपकरणों का निर्माण





मुंबई टकसाल की महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक प्राथमिक, गौण व क्रियाशील भार मानकों एवं क्षमता एवं लंबाई मापन के प्राथमिक व गौण मानकों का निर्माण करना है। इनमें से प्रत्येक मापदंड़ यह सुनिश्चित करके राज्य सरकारों के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि व्यापार और वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले बाट और माप जरूरत के मुताबिक हैं। इसके अलावा, इस इकाई में विधिक मापिकी विभाग के लिए सत्यापन टिकट, पहचान टिकट, क्वार्टर टिकट, तिरछी टिकट आदि भी निर्मित किए जाते हैं। भारत सरकार टकसाल, मुंबई ने वर्ष 2015 में 5 मि.ली. की सटीकता वाले 10 लीटर वॉल्यूम हेतु 'क्षेत्र मानक जांच मापक' (एफ.एस.टी.एम) विकसित किया। एफ.एस.टी.एम का उपयोग ईंधन वितरण पंप (पेट्रोल और डीजल) को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। एफएसटीएम का परीक्षण और अंशांकन द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, पल्लकड़, केरल में किया गया था।

प्रतिभूति मुद्रणालय

प्रतिभूति उत्पाद

मूल्यवान दस्तावेजों की शुद्धता को बनाए रखना

80 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के प्रतिभूति मुद्रणालय प्रतिभूति उत्पादों के उत्पादन के लिए विशेष तकनीक और कई मुद्रण प्रक्रियाओं के सुरक्षित संचालन प्रक्रियाओं और विनिर्माण प्रोटोकॉल के तहत कार्यरत हैं। प्रतिभूति मुद्रण के लिए अपनाई गई मुद्रण प्रक्रियाओं को ऑफसेट, फोटोग्रेव्युअर और लेटर प्रेस के माध्यम से किया जाता है।

प्रतिभूति उत्पादों का व्यापक क्षेत्र

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक में मुद्रण की विशेष सुविधा है तथा स्मारक डाक टिकटों के उत्पादन में विशेषज्ञता है। गुणवत्तापूर्ण उत्पाद के निर्माण हेतु उन्नत मशीनें जैसे ऑटोमैटिक पासपोर्ट बुकलेट निर्माण प्रणाली, विश्व स्तरीय मानक गिलोटिन मशीनें, छिद्रण मशीनें, नवीनतम चैक मुद्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद आधुनिक उत्पाद मशीनों तथा मुद्रण पश्चात की तकनीक के साथ छिद्रण, नंबरिंग, यू.वी. मुद्रण तकनीक, ऑनलाइन लिफाफों का निर्माण, अंतर्देशीय पत्र, एरोग्राम, डाक स्टेशनरी आदि के प्रसंस्करण की सुविधाओं से सुसज्जित है।

डाक टिकटों का संक्षिप्त इतिहास

भारत में पहला डाक टिकट 1 जुलाई, 1852 को सिंध जिले में शुरू किया गया था। वर्ष 1854 में समान डाक दरों की शुरुआत से समूचे भारत में उपयोग के लिए मान्य पहले डाक टिकटों का निर्माण हुआ। ब्रिटेन में समान डाक की शुरुआत के साथ ही डाक प्रणाली के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई। वर्ष 1854 और 1866 के बीच तथा फिर वर्ष 1866 व 1871 के बीच डाकों की संख्या दोगुनी हो गई।

वर्ष 1931 में प्रथम सचित्र टिकट जारी किया गया था। वर्ष 1946 में यह विजय का विषय था, इसके तुरंत बाद पहला प्रभुत्व विषय था। प्रभुत्व अवसर पर तीन टिकटों में अशोक स्तंभ, भारत का नया ध्वज और एक हवाई जहाज दर्शाया गया है।



1931 में जारी सचित्र टिकटें


भारत
INDIA
500
संत मीरा बाई की 525 वीं जयन्ती
525th Birth Anniversary of
Saint Meera Bai


भारत
INDIA
500
1080-2080
खरतरगच्छ सहस्राब्दी
Khartargachha Millennium


500
भारत INDIA
SRILA BHAKTISIDDHANTA SARASWATI PRABHUPAD
150वीं जन्म वर्षगांठ 1874-2024
th BIRTH ANNIVERSARY


500
भारत INDIA
2023
रामन अनुसंधान संस्थान
RAMAN RESEARCH INSTITUTE


ओडिशा के विख्यात कवि
Legendary Poets of Odisha


भारत
INDIA
500
2023
MUSIC OF TRUTH
हिंदू कॉलेज के 125 वर्ष
125 Years of Hindu College


सी बी आई की हीरक जयंती
500
भारत
INDIA
1963 - 2023
उत्कृष्टत्वस्य संधाने
In Pursuit of Excellence
2023
Diamond Jubilee of CBI


बॉम्बे सैपर्स युद्ध स्मारक
The Bombay Sappers War Memorial
1924 - 2024
2024
500
INDIA


भारत
INDIA
500
75
NATIONAL DEFENCE ACADEMY
2023


500
भारत
INDIA
250th BIRTH ANNIVERSARY OF RAJA RAM MOHAN ROY
2023
राजा राम मोहन राय की 250वीं जयन्ती




भारत
INDIA
60
2023
सशस्त्र सीमा बल की हीरक जयंती
DIAMOND JUBILEE OF SASHASTRA SEEMA BAL

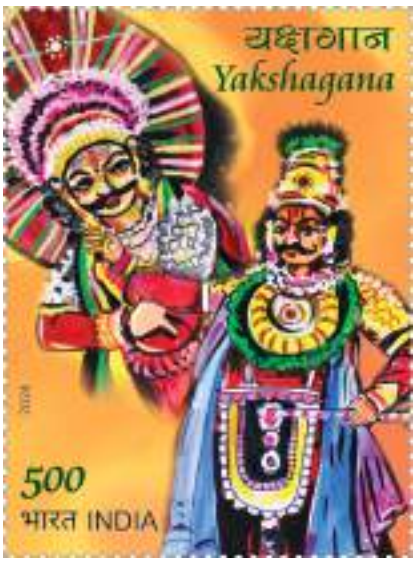

500
भारत
INDIA
RANI AHILYABAI DEVI
2023
रानी अहल्याबाई देवी




भारत INDIA
500

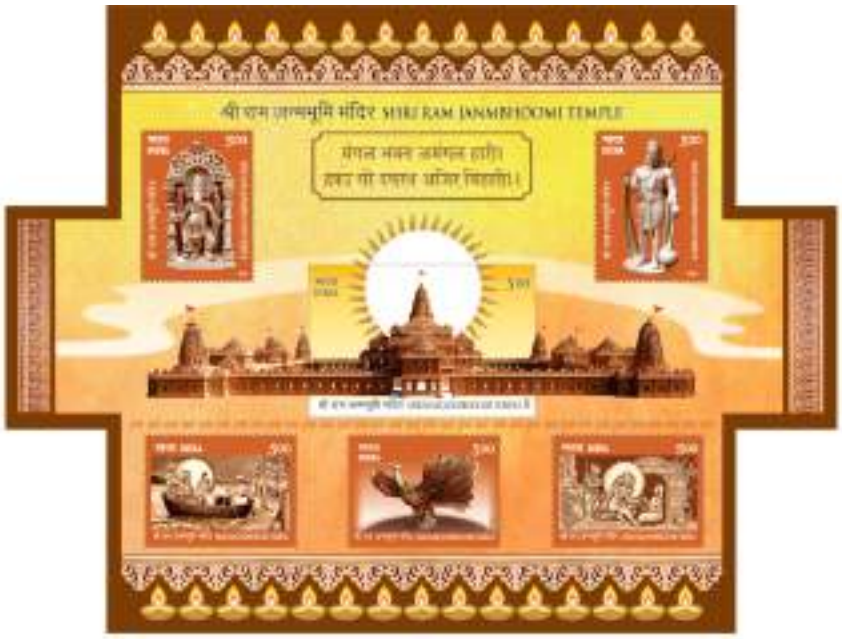

भारत
INDIA
500
2023
दयानन्द सरस्वती
Dayanand Saraswati


500
भारत
INDIA
500th BIRTH ANNIVERSARY OF RANI DURGAVATI
2023
रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती


यक्षगान
Yakshagana
500
भारत INDIA







GOLD FOIL AREAS Miniature Sheet Size: 212mm x 160mm Stamp Size : 29mm x 39mm (5 STAMPS), 58mm x39mm (1STAMP)






500
INDIA भारत
परिचमी ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत CULTURAL HERITAGE OF WESTERN ODISHA




भारत INDIA


भारत INDIA
500
SCO Council of Heads of State


500
भारत INDIA
रामकृष्ण मिशन के १२५ वर्ष 125 YEARS OF RAMAKRISHNA MISSION


25.00
INDIAN PEACOCK
MAURITIUS KESTREL

भारतीय पासपोर्ट का संक्षिप्त इतिहास

वर्श 1958 में भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक में पासपोर्ट और अन्य यात्रा दस्तावेजों का निर्माण प्रारंभ हुआ था। वर्श 1958 से 1999 तक सभी पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों का निर्माण मैन्युअल रूप से किया गया था। प्रारंभ में, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक भारत पासपोर्ट पुस्तिका, भारत और पाकिस्तान पासपोर्ट पुस्तिकाएं, भारत और सीलोन पासपोर्ट पुस्तिकाएं, भारत–बांग्लादेश पासपोर्ट, भारत–श्रीलंका पासपोर्ट जैसे पासपोर्ट दस्तावेजों के विभिन्न प्रकार का निर्माण कर रहा था। भूटान सरकार के लिए भारत–म्यांमार पासपोर्ट, साधारण पासपोर्ट, आधिकारिक पासपोर्ट और राजनयिक पासपोर्ट भी तैयार किए गए थे।

भारत सरकार द्वारा समय–समय पर आवश्यकता के अनुरूप सुरक्षा सुविधाओं में विस्तार किया गया था। वर्श 1999 से स्वचालित पासपोर्ट निर्माण प्रणाली (ए.पी.एम.एस.) पर नए डिजाइन और उन्नत सुरक्षा सुविधा युक्त सभी पासपोर्ट पुस्तिकाएं और यात्रा दस्तावेज निर्मित किए जा रहे हैं।

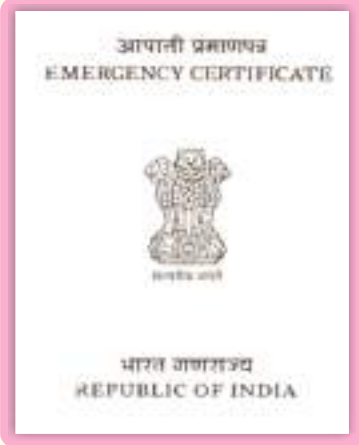
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक में निम्नलिखित विभिन्न पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज मुद्रित किए जा रहे हैं:

1. अंतर्राष्ट्रीय साधारण पासपोर्ट पुस्तिका
2. अंतर्राष्ट्रीय जंबो पासपोर्ट पुस्तिकाएं
3. अंतर्राष्ट्रीय आधिकारिक पासपोर्ट पुस्तिका
4. अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक पासपोर्ट पुस्तिका
5. अंतर्राष्ट्रीय जंबो राजनयिक पासपोर्ट बुकलेट
6. आपाती प्रमाण–पत्र
7. पहचान प्रमाण–पत्र
8. प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड
9. दीर्घावधि वीज़ा पुस्तिकाएं
10. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेतु चलत उन्मोचन निर्वहन प्रमाण पत्र
11. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए 18 तरह की पुस्तिकाएं
12. आई.सी.ए.ओ के दिशा–निर्देशों के अनुरूप अब भारत प्रतिभूति मुद्रणालय उन्नत सुरक्षा विशेषतायुक्त ई–पासपोर्ट का निर्माण करने जा रहा है।



पासपोर्ट एवं संबद्ध पुस्तिकाओं की झलकियां



















पासपोर्ट एवं संबद्ध पुस्तिकाओं की झलकियां







वीजा स्टिकर







गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपरों का संक्षिप्त इतिहास

वर्ष 1926 में भारत में आना, रुपये और आना के मूल्यवर्ग में गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपरों (एनजेएसपी) की छपाई शुरू की गई थी (उदाहरण के लिए 1 आना, 2 आना और 5 रुपये और 2 आना)।

भारत में गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपरों की छपाई के लिए स्वदेशी कागज का प्रयोग किया गया था। प्रारंभ में, राज्यों के तत्कालीन क्षेत्रवार नाम जैसेः जूनागढ़, होल्कर, रीवा, भोपाल, ग्वालियर, सावंतवाड़ी राज्य, हैदराबाद रेजीडेंसी, रैराखोल राज्य, नीलगिरी राज्य आदि के अनुरूप गैर–न्यायिक स्टांपों की छपाई की जा रही थी।

वर्ष 2004 तक भारत के सभी राज्यों के लिए सारे गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपरों को राज्य के नाम और नबंर के बिना मुद्रित किया जा रहा था।

वर्ष 2004 में क्रमशः ₹50 से ₹500, ₹1000 और ₹5000, तथा ₹10000 से ₹25000 की छपाई के लिए समूह III, IV और V पेपरों के लिए सुरक्षा धागे और सुरक्षा विशेषताओं को अलग से शामिल किया गया था।

सुरक्षा सुविधाओं में वृद्धि करने के बाद सभी राज्यों के लिए राज्य के नाम और क्रम संख्या के साथ छपाई शुरू हुई। वर्ष 2007–08 के दौरान आयातित कागज का उपयोग गैर–न्यायिक स्टाम्पों की छपाई के लिए भी किया जाता था।

इसके पश्चात प्रतिभूति कागज कारखाना, नर्मदापुरम की क्षमता बढ़ाने के बाद गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपरों की छपाई के लिए पूरे स्वदेशी कागज का उपयोग किया जा रहा है।

वर्ष 2010 में 500 से 25000 रूपये तक न्यायिक स्टाम्प पेपरों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताओं के रूप में सूक्ष्म छिद्रण को शुरू किया गया था। वर्ष 2013 में महाराष्ट्र सरकार के लिए ई–एस.बी.टी.आर. (इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित बैंक लेनदेन रसीद) मुद्रण शुरू किया गया था।



गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपरों की झलकियां



















विविध उत्पाद


SPECIMEN
SBI
STATE BANK OF INDIA
Doctor of Philosophy
Punjab Technical University
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

प्रतिभूति कागज उत्पादन

प्रतिभूति कागज कारखाना (प्र.का.का.), नर्मदापुरम और संयुक्त उद्यम कंपनी बी.एन.पी.एम. आई.पी.एल., मैसूर ने उच्च गुणवत्ता वाले प्रतिभूति कागज के उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाई है, जहां नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा कार्य प्रणाली का उपयोग करके विभिन्न सुस्पष्ट एवं गुप्त विशेषताओं के साथ सिलेंडर मोल्ड वॉटरमार्क प्रतिभूति कागज निर्मित किया जाता है।

कागज कारखाने को कागज में कई सुरक्षा विशेषताओं को शामिल करने का गौरव प्राप्त है, जैसे कि फ्लोरोसेंट फाइबर, मल्टी टोनल थ्री डायमेंशनल वॉटरमार्क, इलेक्ट्रोटाइप वॉटरमार्क, विभिन्न प्रकार के सुरक्षा धागे, टैगगेंट्स, आदि। कागज़ कारखानों में पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रिया और ऊर्जा संरक्षण पहलुओं को अत्यधिक महत्व दिया जाता है।



उल्लेखनीय ग्राहक

हमारे परिसर में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण आगंतुक ग्राहक होता है। वह हम पर आश्रित नहीं है। हम उस पर आश्रित हैं। वह हमारे काम में बाधक नहीं है। हमारा काम उसी से है। वह हमारे व्यवसाय का बाहरी व्यक्ति नहीं है। वह इसका हिस्सा है। हम उसकी सेवा करके उस पर उपकार नहीं कर रहे हैं। वह हमें ऐसा करने का अवसर देकर हम पर उपकार कर रहा है।

एसपीएमसीआईएल राष्ट्र उपयोग के उत्पादों जैसे करेंसी, टिकटें, न्यायिक, गैर–न्यायिक दस्तावेजों तथा प्रमाण–पत्रों के नियमित निर्माण के अलावा यह देशभर में फैले विभिन्न मंदिरों के उदार ग्राहकों की मेजबानी भी करता है। एसपीएमसीआईएल इन मंदिरों को दान में दी गई बहुमूल्य धातुओं के परिष्करण की सेवाएं प्रदान करता है तथा इन आध्यात्मिक मूल्यों के स्थानों पर स्मृति चिह्न/ सिक्कों के उत्पादन का कार्य भी करता है। उपरोक्त के अलावा विभिन्न प्रतिष्ठित संगठन जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग तथा कुछ महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान भी हमारे साथ ग्राहक के रूप में जुड़े हुए हैं। हमारे कुछ प्रतिष्ठित ग्राहकों का विवरण नीचे उल्लेखित है:

सरकारी संगठन	
भारतीय रिजर्व बैंक	बैंक नोट
विदेश मंत्रालय	पासपोर्ट एवं संबद्ध पुस्तिकाएं
डाक विभाग	डाक स्टेशनरी
निर्वाचन आयोग	निर्वाचन स्टेशनरी
गृह मंत्रालय	पदक एवं प्रतिभूति मुहर
रक्षा मंत्रालय	पदक, पहचान पत्र
वित्त मंत्रालय	करेंसी नोट, सिक्के
विभिन्न राज्य	एनजेएसपी, ईएएल



प्रतिष्ठित मंदिर	
तिरूमाला तिरूपति देवस्थानम	स्वर्ण परिष्करण+स्वर्ण पेंडेंट विनिर्माण
सिद्धिविनायक मंदिर	स्वर्ण परिष्करण + स्वर्ण पेंडेंट विनिर्माण
सांई बाबा संस्थान ट्रस्ट	चांदी के सिक्कों का विनिर्माण
श्री माता वैष्णों देवी श्राइन बोर्ड	स्वर्ण परिष्करण
श्री वेंकटेश्वर वारि देवस्थानम	एसबीआई के माध्यम से स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के अंतर्गत स्वर्ण परिष्करण
श्री त्रिकोटेश्वर स्वामी मन्दिर	एसबीआई के माध्यम से स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के अंतर्गत स्वर्ण परिष्करण
श्री नेत्तिकांति अंजनेय स्वामी वारि देवस्थानम	एसबीआई के माध्यम से स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के अंतर्गत स्वर्ण परिष्करण
श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी देवस्थानम	एसबीआई के माध्यम से स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के अंतर्गत स्वर्ण परिष्करण
अटुकल मंदिर	स्वर्ण परिष्करण
श्री जगदम्बा देवी सार्वजनिक ट्रस्ट	स्वर्ण तथा चांदी परिष्करण

निदेशकों की प्रोफाईल

श्री विजय रंजन सिंह 1996 बैच के एक प्रतिष्ठित भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं, जिन्हें भारत सरकार में विभिन्न भूमिकाओं में काम करने का 28 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है। वह व्यापक अनुभव वाले उच्च श्रेणी के अधिकारियों में से एक हैं। इससे पहले उन्होंने कर्नाटक वन विभाग, ज़िला पंचायत, कर्नाटक चिड़ियाघर प्राधिकरण (एक स्वायत्त निकाय) में कार्य किया है। साथ ही उन्होंने रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (एमसी एंड एफ़) के उर्वरक विभाग में नीति अनुभाग के निदेशक के पद पर तथा भारत सरकार के केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री एवं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री के निजी सचिव के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन में कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में विशेष आवासीय आयुक्त तथा कर्नाटक वन विभाग के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एपीसीसीएफ़) (सतर्कता) के रूप में भी कार्यरत रहे। एक प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में भी, उनकी प्रतिभा तब सामने आई, जब उन्होंने अपना प्रशिक्षण डिस्टिंकशन के साथ पूर्ण किया तथा 'जन एवं जंगल' विषय में स्वर्ण पदक जीता।



श्री विजय रंजन सिंह
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक

अपने विस्तृत अनुभव द्वारा उन्हें आम लोगों से जुड़े मामलों की गहरी समझ है, विशेषकर उन लोगों के बारे में जो वनों या उसके आस–पास के क्षेत्रों में निवास करते हैं। लोक सेवा के सच्चे उद्देश्य के साथ वे विभिन्न क्षेत्रों की गहरी समझ रखते हैं, जिनमें संरक्षित क्षेत्रों से जनजातियों का पुनर्वास, भारत में वनों एवं वन्यजीवों के प्रबंधन में चुनौतियाँ, अभिशासन की प्रक्रिया, अंतर–शासकीय नियोजन, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों के साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया आदि शामिल हैं। उर्वरक विभाग में भारत सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों, जैसे यूरिया क्षेत्र में नई निवेश नीति–2013, नई यूरिया नीति–2015, यूरिया की 100% नीम की परत, तथा एफ़सीआईएल एवं एचएफ़सीएल जैसी बंद इकाइयों की पुनः शुरुआत करके यूरिया उत्पादन में आत्म–निर्भरता जैसे कदमों में निदेशक (नीति) की भूमिका में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में विभिन्न सीपीएसई जैसे एफ़सीआई, बीवीएफ़सीएल, आदि में वह सरकार द्वारा नामित निदेशक भी रहे हैं।

श्री सिंह को महत्वपूर्ण पहचान तब मिली जब इन्होंने, सामान्य लोगों एवं देश की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने वाले रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तीन प्रमुख विभागों, रसायन एवं पेट्रो– रसायन विभाग, उर्वरक विभाग एवं औषध विभाग का अभूतपूर्व समन्वय किया। नई दिल्ली में कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष आवासीय आयुक्त के रूप में कोविड–19 महामारी के दौरान लॉकडाउन में प्रवासियों तथा चिकित्सा संबंधी समस्याओं का समाधान करने में उनकी अहम भूमिका के लिए चारों ओर से अत्यधिक सराहना की गई।

श्री विजय रंजन सिंह जी को उनकी मज़बूत संगठनात्मक एवं संप्रेषण क्षमताओं, उत्कृष्ट समस्या समाधान एवं विश्लेषण कौशल तथा समय प्रबंधन कौशल के लिए अपने सह–कर्मियों एवं वरिष्ठ कर्मियों द्वारा जाना एवं सराहा जाता है। उनके पास गतिशील परिवेश में बहु–कार्य करने, नई पहलों के सहज कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर नौकरशाही के साथ संवाद, तथा नीति निर्माण, हितधारकों की भागीदारी, प्रक्रियाओं एवं उनके कार्यान्वयन की सूक्ष्मताओं तक जाने की क्षमता है।

श्री विजय रंजन सिंह वन्यजीव फोटोग्राफी के शौकीन हैं तथा उन्होंने अनेक अद्भुत तस्वीरें भी खींची हैं। फोटोग्राफी के विविध अवसरों की खोज में उनको यात्रा करना भी बेहद पसंद है। वह सदा नई चीज़ें सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं तथा उन्हें नई भाषाएँ सीखने का बहुत शौक़ है। श्री विजय रंजन सिहं जी को 27 सितंबर, 2023 से आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें एसपीएमसीआईएल और बीआरबीएनएमपीएल के मध्य 50:50 के संयुक्त उद्यम, बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया है।



श्री एस.के. सिन्हा
निदेशक (मानव संसाधन)

श्री एस. के. सिन्हा ने 1993 में भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (आईआरपीएस) अधिकारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। आप ने अंग्रेजी साहित्य में स्नातक (ऑनर्स), विधि में स्नातक और एचआरएम में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है।

इससे पहले, आप ने भिलाई, बिलासपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और फिर दिल्ली में डीएमआरसी के साथ भारतीय रेलवे में बड़ी संख्या में मानव संसाधन, कर्मचारी कल्याण और औद्योगिक संबंधों का प्रबंधन करते हुए विभिन्न पदों पर काम किया है।

डीएमआरसी के शुरुआती दिनों से ही संगठन की स्थापना में आप की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप क्षमता निर्माण, भर्ती, प्रशिक्षण, मानव संसाधन परामर्श तथा स्थापना के प्रभारी थे। डीएमआरसी में महाप्रबंधक (मानव संसाधन) के पद पर रहकर ,आप ने डीएमआरसी के संपूर्ण मानव संसाधन ढांचे के प्रबंधन के साथ–साथ देश में विभिन्न आगामी एमआरटीएस (मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) जैसे– जयपुर, कोच्चि, लखनऊ, नागपुर, बैंगलोर, नोएडा, मुंबई आदि, जिसमें दिल्ली की पूर्ववर्ती पीपीपी मॉडल एयरपोर्ट लाइन भी शामिल है, की मैनपॉवर योजना, बेंचमार्किंग, उत्पादकता और क्षमता निर्माण के लिए परामर्श प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । आप ने एशियाई मेट्रो सिस्टम और विश्व के एमआरटी सिस्टम के नोवा–सीओएमईटी समूह के साथ संगठन, मानव संसाधन मुद्दों और सर्वोत्तम प्रथाओं का बेंचमार्किंग के लिए समन्वय भी किया है। 2013–14 के दौरान, आप ने जकार्ता (इंडोनेशिया) मेट्रो के लिए जेआईसीए द्वारा वित्त पोषित कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट में एक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ (संगठन और मानव संसाधन) के रूप में काम किया।

श्री एस. के. सिन्हा ने 1 सितंबर, 2016 को भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) में निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में पदभार संभाला।

वर्तमान में, उनका प्रमुख प्रयास प्रति कर्मचारी उच्च उत्पादकता के साथ–साथ कर्मचारी संतुष्टि के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करना है, जिसके परिणामस्वरूप एसपीएमसीआईएल का समग्र विकास होगा। वह प्रभावी नेतृत्व, प्रतिस्पर्धी लाभ और समर्थन के माध्यम से एमओयू लक्ष्यों, सीएसआर लक्ष्यों और अन्य वैधानिक दायित्वों और कर्मचारी आउटपुट को प्राप्त करने की दिशा में अत्यधिक प्रयास कर रहे हैं। उनके एचआर प्रबंधन के तहत कर्मचारी उत्पादकता बढ़ाने, नए कौशल सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण और विकास, सलाह और शिक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। श्री सिन्हा ने मई, 2023 से सितंबर, 2023 तक एसपीएमसीआईएल में सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार संभाला।

फरवरी, 2017 में श्री. सिन्हा को ग्लोबल एचआर एक्सीलेंस अवार्ड्स में एचआर लीडरशिप अवार्ड (पीएसयू फोकस) प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके नेतृत्व में, जुलाई 2019 में राष्ट्रीय पुरस्कार–प्रतिभा प्रबंधन लीडरशिप में एसपीएमसीआईएल को "सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा संगठन" "प्रशिक्षण एवं विकास के लिए श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ" के लिए पुरस्कार मिला। इसके साथ ही, फरवरी, 2023 में वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस द्वारा "सर्वोत्तम सीएसआर प्रथाओं" के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें जनवरी, 2020 में एसपीएमसीआईएल के लिए "नरचरिंग लीडरशिप सम्मान" से भी सम्मानित किया गया। श्री सिन्हा ने फरवरी, 2023 में बेल्जियम में आयोजित विश्व बैंकनोट समिट में "मुद्रा के उत्पादन में कार्बन पदचिह्न को कम करना" विषय पर वक्ता के रूप में भाषण दिया।

वह बीएनपीएमआईपीएल (एसपीएमसीआईएल और भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, आरबीआई की सहायक कंपनी का एक संयुक्त उद्यम) के बोर्ड के सदस्य भी हैं और यहाँ वह बीएनपीएमआईपीएल कर्मचारियों के लिए विभिन्न सेवा नियमों की शुरूआत करके और बीएनपीएमआईपीएल की सीएसआर गतिविधियों के प्रबंधन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं।



श्री अजय अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

श्री अजय अग्रवाल 23 नवंबर 2017 से एसपीएमसीआईएल में निदेशक (वित्त) के रूप में सेवारत हैं। वे वाणिज्य में प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक विजेता हैं, एक लागत और प्रबंधन लेखाकार हैं, और उनके पास व्यवसाय प्रशासन (मानव संसाधन) में स्नातकोत्तर डिग्री है। श्री अग्रवाल वर्ष 1992 में भारतीय लागत लेखा सेवा में शामिल हुए और विभिन्न मंत्रालयों और उन्हें क्षेत्रीय संगठनों में तीन दशकों से अधिक अनुभव है। उनके विस्तृत अनुभव में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, और वाणिज्य मंत्रालय शामिल हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में निदेशक (प्रशासन और सतर्कता) के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, श्री अजय अग्रवाल ने पूरे भारत में लगभग 110 अधीनस्थ कार्यालयों का प्रबंधन किया। उन्होंने केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस), बंदरगाह स्वास्थ्य कार्यालय (पीएचओ), हवाईअड्डा स्वास्थ्य कार्यालय (एपीएचओ), क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय और अन्य राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थानों जैसे विभिन्न स्वास्थ्य कार्यालयों के भीतर नवीन उपायों के माध्यम से प्रणालीगत सुधार लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्होंने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) में मुख्य सतर्कता अधिकारी और दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी) में चार वर्षों से अधिक समय तक निदेशक (वित्त) के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने अल्प समय के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के मुख्य सलाहकार (लागत) कार्यालय में सलाहकार (लागत) के रूप में भी कार्य किया।

श्री अजय अग्रवाल ने भारत और विदेश दोनों में कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। उनके प्रशिक्षण में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वित्तीय विश्लेषणात्मक कौशल और वाशिंगटन, यूएसए में इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप (आईपी3) में पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) पर एक पाठ्यक्रम शामिल है।

30 से अधिक वर्षों के व्यापक अनुभव के साथ, श्री अजय अग्रवाल निगम वित्त, निगम प्रशासन, पूंजी संरचना, इक्विटी और ऋण फंडिंग, रणनीतिक व्यापार योजना, परियोजना फंडिंग, ट्रेजरी और वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय और आंतरिक नियंत्रण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, बजटीय नियंत्रण, लागत नियंत्रण, प्रक्रिया में सुधार, अनुपालन, और वैधानिक और प्रबंधन रिपोर्टिंगमें विस्तृत विशेषज्ञता रखते हैं। ।

श्री अजय अग्रवाल को 21 मार्च 2022 को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के 20वें वैश्विक संस्करण में "सीएफओ ऑफ द ईयर" पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 3 मार्च 2023 को बीडब्ल्यू बिजनेसवर्ल्ड द्वारा आयोजित सर्वश्रेष्ठ सीएफओ और वित्त रणनीति पुरस्कार के अंतर्गत बीडब्ल्यू सीएफओ वर्ल्ड 6वें संस्करण में "पीएसयू के सर्वश्रेष्ठ सीएफओ" का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। उनकी देखरेख और मार्गदर्शन में, एसपीएमसीआईएल ने 8 अप्रैल 2021 को इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तुत लागत प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 17वें राष्ट्रीय पुरस्कार–2019 में "विनिर्माण–सार्वजनिक–मध्यम" श्रेणी के तहत प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त एसपीएमसीआईएल को ₹ 500 करोड़ से ₹ 5000 करोड़ –नॉन–डीम्ड (गोल्ड) श्रेणी, टीआईओएल अवार्ड्स 2022 के विजेता के रूप में टीकेएफआई द्वारा मान्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया।

वे बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीएनपीएमआईपीएल) के बोर्ड सदस्य भी हैं, जो एसपीएमसीआईएल और भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की सहायक कंपनी का एक संयुक्त उद्यम है।



श्री मनोज सहाय
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
वित्त मंत्रालय

श्री मनोज सहाय वर्ष 1994 में भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा में सम्मिलित हुए। उन्होंने रुड़की विश्वविद्यालय से बीई (सिविल) किया है। वे प्रधान महालेखाकार, रांची, झारखंड के कार्यालय में जून 1998 से जून 2001 तक उप महालेखाकार के पद पर सेवारत रहे। इसके बाद, उन्होंने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली कार्यालय में निदेशक/उप निदेशक के तौर पर जुलाई 2001 से मई 2004 तक प्रशासन संभाला। उन्हें भारतीय उच्चायोग, लंदन में यूरोप और सी.आई.एस देशों में मिशनों और सरकारी कार्यालयों की लेखापरीक्षा को संभालने के लिए मई, 2004 से जुलाई, 2006 तक प्रथम सचिव के रूप में तैनात किया गया था।

उन्होंने अगस्त 2006 से अगस्त 2007 तक प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), असम, गुवाहाटी के कार्यालय में राज्य सरकार की लेखापरीक्षा करने वाले वरिष्ठ उपमहालेखाकार के तौर पर भी कार्य किया तथा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई

दिल्ली में सितंबर 2007 से अप्रैल, 2011 तक पदों का उन्नयन, पेंशन, प्रशासन से संबंधित दायित्वों का निर्वाह किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने महालेखाकार (ए एंड ई), झारखंड, रांची के कार्यालय में अप्रैल, 2011 से जुलाई, 2015 तक महालेखाकार (संयुक्त सचिव समकक्ष) के रूप में भी कार्य किया।

श्री सहाय भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली के कार्यालय में जुलाई 2015 से दिसंबर, 2018 तक प्रधान निदेशक (संयुक्त सचिव समकक्ष) और जनवरी, 2019 से जनवरी, 2020 तक महानिदेशक (अपर सचिव समकक्ष) के पद पर भी पदस्थ थे, जहाँ उन्होंने केंद्र सरकार के खातों तथा केंद्रीय स्वायत निकायों के प्रमाणन संबंधी दायित्वों का निष्पादन किया। श्री सहाय ने राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम (एन.एच.आई.डी.सी.एल.), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में जनवरी, 2020 से फरवरी, 2022 तक निदेशक (प्रशासन और वित्त) के पद पर भी अपनी सेवाएं दी।

वर्तमान में वे वित्त मंत्रालय में अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं, जिसमें वे राजस्व विभाग, व्यय विभाग, कार्य विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डी.आई.पी.ए.एम.) तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) जैसे 6 विभागों को संभालने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा सरकार नामिती के रूप में नियुक्त किया गया है और वे दिनांक 28 मार्च, 2022 से एसपीएमसीआईएल के बोर्ड में अंशकालिक सरकार नामित निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं।



श्री आशीष वच्छानी
अपर सचिव (बजट), डीईए, वित्त मंत्रालय

श्री आशीष वच्छानी, जो वर्तमान में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में अपर सचिव (बजट) के पद पर तैनात हैं, आईएएस 1997 बैच के तमिलनाडु कैडर अधिकारी हैं, जो केंद्रीय बजट के निर्माण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं।

उन्होंने अपने करियर का अधिकांश समय सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में बिताया है। इसमें उप सचिव/संयुक्त सचिव (बजट), तमिलनाडु सरकार, निदेशक (बुनियादी ढांचा), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और कार्यकारी निदेशक के सलाहकार, एशियाई विकास बैंक शामिल हैं।

वह 2008 से 2012 तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में संकाय भी थे। उन्होंने अपना करियर शिवकाशी के उप–कलेक्टर के रूप में शुरू किया और तमिलनाडु के धर्मपुरी और तिरुचिरापल्ली जिलों के कलेक्टर के रूप में तैनात हुए।

एसपीएमसीआईएल के बोर्ड में उन्हें 04.03.2024 को वित्त मंत्रालय से भारत सरकार के नामित निदेशक अंशकालिक कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है।



श्री अनिल सुब्रमण्यम
संयुक्त सचिव (आईएस– I), गृह मंत्रालय

श्री अनिल सुब्रमण्यम सीएसएस कैडर, 1998 बैच के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की है। श्री अनिल सुब्रमण्यम वर्तमान में गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात हैं और आंतरिक सुरक्षा–1 प्रभाग की देखरेख कर रहे हैं। उन्हें एसपीएमसीआईएल के बोर्ड में 06.10.2023 को गृह मंत्रालय की ओर से भारत सरकार के अंशकालिक नामित निदेशक के रूप नियुक्त किया गया है।



डॉ. के.जे. श्रीनिवासा
संयुक्त सचिव (पीएसपी)
एवं सीपीओ,
विदेश मंत्रालय

डॉ. के.जे. श्रीनिवासा 2002 बैच के भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के अधिकारी हैं। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव (पीएसपी) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।

उनके पिछले कार्यों में 2004 से 2007 तक भारतीय दूतावास, मैड्रिड, स्पेन में कांउसलर मामलों, प्रशासन, वाणिज्य और राजनीतिक विंग के प्रमुख, 2007 से 2010 तक भारत के दूतावास, लीमा, पेरू, 2013 से 2016 तक सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में उप महावाणिज्य दूत शामिल हैं। वह 2016 से 2019 तक, महावाणिज्यदूत, भारत के महावाणिज्य दूतावास, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका और 2019 से 2023 तक गुयाना में भारत के उच्चायुक्त रहे।

डॉ. के.जे. श्रीनिवासा 2010 से 2013 तक बेंगलुरु के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी थे और अग्रणी पासपोर्ट सेवा परियोजना प्रणाली की शुरुआत में शामिल थे। उन्होंने 2023 से 2024 तक विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (सीपीवी) के रूप में कार्य किया।

डॉ. के.जे. श्रीनिवासा सरकारी मेडिकल कॉलेज, मैसूर से एक योग्य चिकित्सा डॉक्टर हैं। उन्हें 29.05.2024 को विदेश मंत्रालय की ओर से एसपीएमसीआईएल के बोर्ड में अंशकालिक अंतिम–उपयोगकर्ता प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया है।



श्री संजीव प्रकाश
मुख्य महाप्रबंधक, डी.सी.एम.
भारतीय रिजर्व बैंक

श्री संजीव प्रकाश ने 1998 में भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यभार ग्रहण किया। वे इंजीनियरिंग में स्नातक तथा भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट (सी.ए.आई.आई.बी.) और वित्तीय जोखिम प्रबंधक (एफ.आर.एम.) योग्यता धारक हैं।

मैसर्स एच.पी.सी.एल. में अल्पावधि में परियोजना इंजीनियर के रूप में कार्य करने के बाद, श्री प्रकाश ने भारतीय रिजर्व बैंक में पिछले 25 वर्षों में कोलकाता और नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालयों और मुंबई में बैंक के केंद्रीय कार्यालय में कार्य किया है। बैंक में उनके कार्य के मुख्य क्षेत्रों में बैंकों, गैर–बैंकों और वित्तीय समूहों का पर्यवेक्षण, मानव संसाधन प्रबंधन और आईटी खरीद और परियोजना कार्यान्वयन शामिल हैं। श्री प्रकाश ने पांच वर्ष के कार्यकाल में भारतीय रिजर्व बैंक के दो डिप्टी गवर्नरों के कार्यकारी सहायक के रूप में भी कार्य किया है।

उन्हें रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय स्थिरता संस्थान–बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बी.आई.एस.) बेसल, स्विट्जरलैंड में प्रतिनियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की पहचान के मामले के अध्ययन पर बड़े पैमाने पर कार्य किया।

वर्तमान में, श्री प्रकाश मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय में मुद्रा प्रबंधन विभाग में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे हैं। कुशल मुद्रा प्रबंधन प्रचालनों के लिए नीति निर्माण पहलों के भाग के रूप में, वे मुख्य रूप से मुद्रा के आदान–प्रदान और सिक्कों के वितरण को सुविधाजनक बनाने, खराब नोटों के निपटान, मुद्रा चेस्टों के सुचारु संचालन और जाली नोट सतर्कता के लिए जिम्मेदार हैं। श्री संजीव प्रकाश को दिनांक 28.03.2022 से एसपीएमसीआईएल के बोर्ड में आर.बी.आई. नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।



श्री सचिन किशोर
उप महानिदेशक (फिलैटली),
डाक विभाग

श्री सचिन किशोर एक सिविल सेवक हैं और 1997 से भारत सरकार में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। श्री सचिन किशोर के पास विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में परियोजनाओं और योजनाओं की अवधारणा, डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रबंधन में महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संभालने का 27 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है। उन्हें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को संभालने और सरकारी विभाग के लिए संचार और विपणन रणनीति तैयार करने में विशेषज्ञता हासिल है। उनके पास परियोजना प्रबंधन, परिवर्तन प्रबंधन और संचार रणनीतियों से संबंधित कौशल हैं। वर्तमान में, वह भारत सरकार के संचार मंत्रालय में उप महानिदेशक (फिलैटली एवं मार्केटिंग), डाक विभाग के पद पर हैं।

उन्हें दिनांक 13.05.2024 से एसपीएमसीआईएल के बोर्ड में संचार मंत्रालय से अंशकालिक अंतिम उपयोगकर्ता प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया है।



श्री राम कुमार चिलुकुरी
स्वतंत्र निदेशक

श्री राम कुमार चिलुकुरी के पास ऑयल एवं गैस, इंजीनियरिंग, कृषि तकनीकी, ई–लर्निंग और वित्तीय सेवा के क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों में बोर्ड के सदस्य के रूप में दो दशक से अधिक का प्रबंधन अनुभव है। वे विभिन्न नीतियों को तैयार करने, बड़ी कंपनियों के सुचारू कामकाज के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं को विकसित करने में अच्छी तरह से निपुण हैं। उन्होंने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए समिति के अध्यक्ष और वित्त समिति के सदस्य के रूप में भी जिम्मेदारियां निभाई हैं। उन्हें दो स्टार्ट–अप कंपनियों के सफलतापूर्वक संचालन का श्रेय है।

श्री राम कुमार चिलुकुरी भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान से प्रशिक्षित सनदी लेखाकार हैं। उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आई.एस.बी.), हैदराबाद और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई.आई.एम.), बेंगलोर में प्रबंधन और निगम अभिशासन पाठ्यक्रमों में भाग लिया है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की व्यावसायिक यात्राओं पर बड़े पैमाने पर भ्रमण किया है। उन्हें 30 दिसंबर 2021 से भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एस.पी.एम.सी.आई.एल.) के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।



श्री अजय कुमार जशवंतलाल चोकसी
स्वतंत्र निदेशक

श्री अजय कुमार जशवंतलाल चोकसी एक वाणिज्य स्नातक (स्वर्ण पदक धारक) और वित्त विषय से व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर (एम.बी.ए.) हैं। वे पंचशील मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक (पी.एम.सी.बी.), सूरत के अध्यक्ष भी रहे थे और अभी भी पीएमसीबी, सूरत के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें सामाजिक व खेल कार्यों का वृहद अनुभव है। वे अक्टूबर, 2000 से अप्रैल, 2003 तक सूरत (गुजरात) के मेयर और गुजरात विधानसभा के सचेतक भी थे।

उन्हें 30 दिसंबर, 2021 से एसपीएमसीआईएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

निदेशकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी के प्रदर्शन पर 19वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। इस रिपोर्ट के साथ लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जा रही है। परिवर्तन और नवाचार की इस अवधि के दौरान, एसपीएमसीआईएल ने उल्लेखनीय परिणाम हासिल किए हैं, जो अपने हितधारकों को मूल्य प्रदान करने के संगठन के समर्पण भाव को दर्शाता है।

आस्था के साधनों के निर्माता के रूप में, एसपीएमसीआईएल, अत्याधुनिक प्रतिभूति उत्पादों का उत्पादन कर, विशिष्ट दक्षताओं का लाभ उठाकर और डिजाइन क्षमताओं का विस्तार करके, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करने के अपने दृष्टिकोण से प्रेरित होती है। लगभग एक शताब्दी के प्रतिभूति मुद्रण तथा दो शताब्दियों से अधिक के सिक्का निर्माण के अनुभव के साथ, एसपीएमसीआईएल, विश्व स्तरीय, अत्यधिक सुरक्षित बैंक नोटों, सिक्कों और प्रतिभूति दस्तावेजों का निर्माण करके राष्ट्र का सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले वर्ष, कंपनी ने अपनी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर स्थापित किए और रणनीतिक प्रगति की, जो उत्कृष्टता और नवाचार के प्रति कंपनी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। महत्वपूर्ण मील के पत्थरों की स्थापना और रणनीतिक प्रगति द्वारा चिह्नित वित्तीय वर्ष 2023–24, इस प्रतिबद्धता का एक अतिरिक्त प्रमाण है।

भौतिक प्रदर्शन (उत्पादन)

पूर्व की भांति ही, वित्त वर्ष 2023–24 भी उत्कृष्टता और उपलब्धियों का वर्ष साबित हुआ है। जज्बे से भरे और उत्साही कार्यबल की मदद से, आपकी कंपनी निम्नलिखित तरीके से समृद्ध हुई है:

- **बैंक नोट/करेंसी नोट**

  आपकी कंपनी ने 9707.34 मिलियन बैंक नोटों का उत्पादन किया है और वर्ष 2023–24 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) को 9720 मिलियन नग की आपूर्ति की है। यह पिछले वर्ष, 2022–23 में उत्पादित 8983 मिलियन नग की तुलना में उत्पादन में 8.06% की वृद्धि है और पिछले वर्ष आपूर्ति किए गए 9040 मिलियन नग की तुलना में आपूर्ति में 7.52% की वृद्धि को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, प्रति कर्मचारी बैंक नोटों का उत्पादन 2023–24 में बढ़कर 4.99 मिलियन नग हो गया है, जो 2022–23 में 4.35 मिलियन नग था।

- **परिचालन सिक्के**

  आपकी कंपनी ने वर्ष 2023–24 के दौरान परिचालन सिक्कों के 1200.99 मिलियन नग का उत्पादन किया है और 1205.64 मिलियन नग की आपूर्ति की है। यह पिछले वर्ष, 2022–23 में उत्पादित 992.22 मिलियन नग की तुलना में उत्पादन में 21.04% की वृद्धि और पिछले वर्ष आपूर्ति किए गए 1000.19 मिलियन नग की तुलना में आपूर्ति में 20.54% की वृद्धि दर्शाता है। हालांकि यह एसपीएमसीआईएल की कुल वार्षिक सिक्का उत्पादन क्षमता का केवल 15% है। हाल के वर्षों में परिचालन सिक्कों के उत्पादन में कमी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिचालन सिक्कों की मांग में अत्यधिक कमी के कारण हुई है।

- **प्रतिभूति कागज**

  आपकी कंपनी ने वर्ष 2023–24 के दौरान 7113.75 मीट्रिक टन (एमटी) प्रतिभूति कागज का उत्पादन किया है और मुद्रणालय को 7375.40 मीट्रिक टन प्रतिभूति कागज की आपूर्ति की है। यह पिछले वर्ष, 2022–23 में उत्पादित 6681.60 मीट्रिक टन की तुलना में 6.47% की वृद्धि तथा पिछले वर्ष आपूर्ति

किए गए 6644.21 मीट्रिक टन की तुलना में आपूर्ति में 11% की वृद्धि दर्शाता है। प्रति कर्मचारी, प्रतिभूति कागज का उत्पादन, वर्ष 2023–24 में बढ़कर 8.72 मीट्रिक टन हो गया है, जबकि पिछले वर्ष 2022–23 के दौरान यह 7.86 मीट्रिक टन था।

- **प्रतिभूति स्याही**

  आपकी कंपनी ने स्याही कारखाना, देवास में 592.18 मीट्रिक टन (एमटी) प्रतिभूति स्याही का उत्पादन किया है और वर्ष 2023–24 के दौरान मुद्रणालय को 595.38 मीट्रिक टन स्याही की आपूर्ति की है। यह पिछले वर्ष, 2022–23 में उत्पादित 305 मीट्रिक टन की तुलना में 94.16% की वृद्धि और पिछले वर्ष आपूर्ति किए गए 341 मीट्रिक टन की तुलना में 74.60% की वृद्धि दर्शाता है। इसके अलावा, प्रति कर्मचारी प्रतिभूति स्याही का उत्पादन 2023–24 में बढ़कर 10.21 मीट्रिक टन हो गया है, जबकि 2022–23 में यह 5.75 मीट्रिक टन था।

- **पासपोर्ट/गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर (एनजेएसपी)**

  आपकी कंपनी ने वर्ष 2023–24 में 14.031 मिलियन नग यात्रा दस्तावेज/पासपोर्ट पुस्तिकाएं तैयार की हैं और विदेश मंत्रालय (एमईए) को 13.14 मिलियन नग प्रदान की हैं। यह पिछले वर्ष, 2022–23 में 11.453 मिलियन नग के उत्पादन की तुलना में 22.51% की वृद्धि और पिछले वर्ष 9.50 मिलियन नग की आपूर्ति की तुलना में 38.32% की वृद्धि दर्शाता है। आईएसपी, नासिक ने 1.36 मिलियन नग ई–पासपोर्ट का भी उत्पादन किया है।

  आपकी कंपनी ने वर्ष 2023–24 में 206.462 मिलियन नग गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर (एनजेएसपी) का भी उत्पादन किया है और इसी वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को 211.421 मिलियन नग एनजेएसपी की आपूर्ति की है।

  आपकी कंपनी ने एक्साइज एड्हेसिव लेबल (ईएएल) के 6121.217 मिलियन नग का उत्पादन किया है और वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 6098.052 मिलियन नग की आपूर्ति की है। यह पिछले वर्ष, 2022–23 में उत्पादित 4740.75 मिलियन नग की तुलना में 29.12% की वृद्धि और पिछले वर्ष आपूर्ति किए गए 4937.77 मिलियन नग की तुलना में 23.50% की वृद्धि दर्शाता है।

  आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 78.95 मिलियन नग चुनाव स्टेशनरी का उत्पादन किया है और 81.40 मिलियन नग चुनाव स्टेशनरी उत्पादों की आपूर्ति की है।

वित्तीय परिणाम

वर्ष 2023–24 के लिए आपकी कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के साथ वर्ष 2022–23 के तुलनात्मक वित्तीय विवरण, भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं। 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी (स्टैंडअलोन) की कुल आय ₹ 5078.88 करोड़ है जबकि वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान यह ₹ 5225.92 करोड़ थी। कुल आय में से, वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान संचालन से प्राप्त राजस्व ₹ 4714.80 करोड़ है, जबकि वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान संचालन से ₹ 4918.22 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हुई।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹ 3695.04 करोड़ का कुल व्यय हुआ जबकि वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹ 3430.33 का कुल व्यय हुआ था। वर्ष 2023–24 के लिए निरंतर संचालन से प्राप्त, कर पूर्व लाभ (पीबीटी) ₹ 1383.84 करोड़ है जबकि वर्ष 2022–23 के लिए यह ₹ 2341.21 करोड़ था। वर्ष 2022–23 में कर पूर्व लाभ (पीबीटी) अधिक होने का मुख्य कारण आईएसपी, नासिक में महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर (एमवीएटी) और केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) के लंबित मामलों के निपटान के कारण ₹ 545.62 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान को लाभ खाते में पुनरांकित किया गया था। इसके साथ ही, परिचालन सिक्कों के लिए अनंतिम मूल्य अंतर के परिणामस्वरूप ₹ 385.87 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी।

कंपनी ने वर्ष 2023–24 में ₹ 1006.55 करोड़ की कुल व्यापक आय (टीसीआई) प्राप्त की जबकि वर्ष 2022–23 के दौरान ₹ 1709.54 करोड़ की आय थी। वर्ष 2023–24 में, संयुक्त उद्यम कंपनी, बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट

लिमिटेड (बीएनपीएमआईपीएल) की 50% हिस्सेदारी को ध्यान में रखते हुए, समेकित टीसीआई ₹ 1067.79 करोड़ है, जबकि वर्ष 2022–23 में यह ₹ 1772.62 करोड़ थी।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए एकल आधार पर कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश 2022–23 की तुलना में नीचे दिया गया है:

(₹ लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2022–23
संचालन से प्राप्त राजस्व	4,71,479.73	4,91,821.69
जोड़ें: अन्य आय	36,408.26	30,770.35
कुल आय	5,07,887.99	5,22,592.04
घटाएं: कुल व्यय	3,69,503.86	3,43,032.54
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	1,38,384.13	2,34,121.30
घटाएं: कराधान	47,280.29	56,196.00
वर्ष के लिए लाभ	91,103.84	1,77,925.30
जोड़ें: अन्य व्यापक आय	9,551.00	(6,970.97)
कुल व्यापक आय	1,00,654.84	1,70,954.33
भंडार और अधिशेष	6,29,465.18	5,76,684.25
निवल संपत्ति	7,28,215.25	6,75,434.32
ऋण	–	–
लाभांश	36,410.76	53,377.59

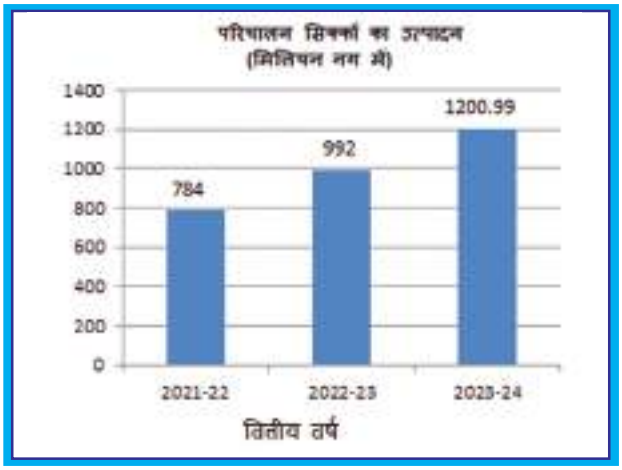
गतिविधियां: एक नजर में

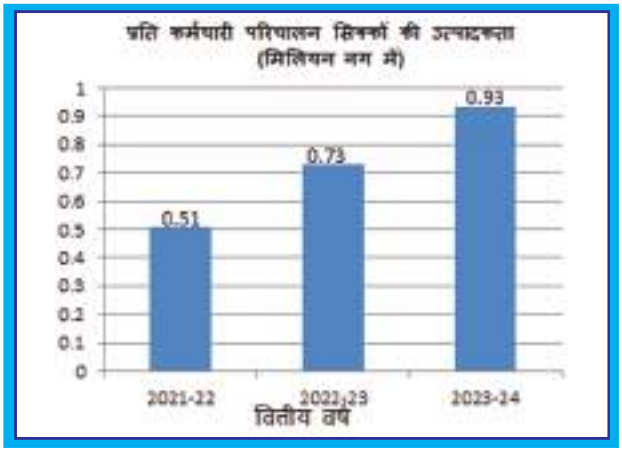
आपकी कंपनी पांच उत्पादन कार्यक्षेत्रों की नौ इकाइयों अर्थात भारत सरकार टकसालों, करेंसी मुद्रण प्रेसों, स्याही कारखानों, प्रतिभूति मुद्रण प्रेस और प्रतिभूति कागज मिल के माध्यम से कार्य कर रही है। वर्ष 2023–24 के दौरान संचालन गतिविधियों की समीक्षा के साथ एसपीएमसीआईएल उत्पादन नेटवर्क का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है:

1. टकसालें

आपकी कंपनी की चार टकसालें मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में स्थित हैं। वर्ष 2023–24 के दौरान, चार टकसालों में 1200.99 मिलियन सिक्कों का उत्पादन किया गया जबकि वर्ष 2022–23 के दौरान कुल 992.22 मिलियन सिक्कों का उत्पादन किया गया।

वर्ष 2023–24 के दौरान, भारत सरकार टकसाल, नोएडा ने 489.18 मिलियन परिचालन सिक्कों का उत्पादन किया जबकि वर्ष 2022–23 में 389.95 मिलियन सिक्कों का उत्पादन किया गया। भारत सरकार टकसाल, मुंबई ने वर्ष 2023–24 में 269.00 मिलियन सिक्कों का उत्पादन किया है, जबकि वर्ष 2022–23 में 216.31 मिलियन सिक्कों का उत्पादन किया गया था। भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद ने वर्ष 2023–24 में 200.65 मिलियन सिक्कों का उत्पादन किया है, जबकि वर्ष 2022–23 में 175.00 मिलियन सिक्कों का उत्पादन किया गया था। भारत सरकार टकसाल, कोलकाता ने वर्ष 2023–24 में 242.16 मिलियन सिक्कों का उत्पादन किया है, जबकि वर्ष 2022–23 में 210.96 मिलियन सिक्कों का उत्पादन किया गया था।





स्मारक सिक्के

वर्ष 2023–24 के दौरान, निम्नलिखित स्मारक सिक्के जारी किए गए:

- **केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हीरक जयंती**

  भारत सरकार टकसाल, मुंबई ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में ₹ 60 मूल्यवर्ग के स्मारक सिक्के का निर्माण किया, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 3 अप्रैल, 2023 को जारी किया गया।



- **व्याघ्र परियोजना के 50 वर्ष**

  भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद ने व्याघ्र परियोजना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ₹ 50 मूल्यवर्ग के स्मारक सिक्के का निर्माण किया, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 अप्रैल, 2023 को जारी किया



- **मन की बात का 100वां एपिसोड**

  भारत सरकार टकसाल, कोलकाता ने मन की बात के 100वें एपिसोड को चिह्नित करने के लिए ₹ 100 मूल्यवर्ग के स्मारक सिक्के का निर्माण किया, जिसे 26 अप्रैल, 2023 को माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा जारी किया गया।



- **ऑपरेशन शक्ति की 25वीं वर्षगांठ**

  भारत सरकार टकसाल, मुंबई ने ऑपरेशन शक्ति की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर ₹ 100 मूल्यवर्ग के स्मारक सिक्के का निर्माण किया, जिसे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 मई, 2023 को जारी किया।



- **राजा राम मोहन रॉय की 251वीं जयंती**

  भारत सरकार टकसाल, कोलकाता ने राजा राम मोहन रॉय की 251वीं जयंती के अवसर पर ₹250 मूल्यवर्ग के स्मारक सिक्के का निर्माण किया, जिसे माननीय संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा 22 मई, 2023 को जारी किया गया।



- **नए संसद भवन का उद्घाटन**

  भारत सरकार टकसाल, कोलकाता ने नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में ₹ 75 मूल्यवर्ग के स्मारक सिक्के का निर्माण किया, जिसे माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला और राज्यसभा के उप–सभापति, श्री हरिवंश नारायण सिंह के साथ 28 मई 2023 को जारी किया था।



- **भारत की जी–20 अध्यक्षता**

  भारत सरकार टकसाल, कोलकाता ने भारत की जी–20 अध्यक्षता के अवसर पर ₹75 और ₹100 मूल्यवर्ग के स्मारक सिक्के का निर्माण किया, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 जुलाई, 2023 को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी–सह–सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन करते हुए जारी किया था।



- **एन.टी. रामा राव जन्म शताब्दी**

  भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद ने श्री नंदामुरी तारक रामा राव, जिन्हें एनटीआर के नाम से भी जाना जाता है, के शताब्दी वर्ष का जश्न मनाने के लिए ₹ 100 मूल्यवर्ग के स्मारक सिक्के का निर्माण किया। इसे माननीय राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 28 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति भवन, सांस्कृतिक केंद्र, नई दिल्ली में जारी किया गया।



- **रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती**

  भारत सरकार टकसाल, कोलकाता ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के अवसर पर ₹500 मूल्यवर्ग के स्मारक सिक्के का निर्माण किया, जिसे माननीय

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 अक्टूबर, 2023 को जारी किया गया।



- **कैवल्यधाम का शताब्दी वर्ष**

  भारत सरकार टकसाल, मुंबई ने कैवल्यधाम के शताब्दी वर्ष का जश्न मनाने के लिए ₹100 मूल्यवर्ग के स्मारक सिक्के का निर्माण किया, जिसे माननीय आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने 1 नवंबर, 2023 को जारी किया।



- **संत मीरा बाई की 525वीं जयंती**

  भारत सरकार टकसाल, कोलकाता ने संत मीरा बाई की 525वीं जयंती के अवसर पर ₹ 525 मूल्यवर्ग के स्मारक सिक्के का निर्माण किया, जिसे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 23 नवंबर, 2023 को जारी किया गया।



- **एनडीए के 75 वर्ष, 2023**

  भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला, पुणे के प्लेटिनम जुबली समारोह को चिह्नित करने के लिए ₹ 75 मूल्यवर्ग के स्मारक सिक्के का निर्माण किया, जिसे भारत की माननीय राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 30 नवंबर, 2023 को जारी किया गया था।



- **सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय पुणे (एएफएमसी) का प्लेटिनम जयंती समारोह**

  भारत सरकार टकसाल, मुंबई ने सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय (एएफएमसी), पुणे के प्लेटिनम

जयंती समारोह को चिह्नित करने के लिए ₹ 75 मूल्यवर्ग के स्मारक सिक्के का निर्माण किया, जिसे भारत के माननीय राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 1 दिसंबर, 2023 को जारी किया गया।



- **जैन श्वेतांबर खरतरगच्छ संघ का सहस्राब्दी वर्ष समारोह**

  भारत सरकार टकसाल, कोलकाता ने खरतरगच्छ सहस्त्राब्दी के अवसर पर ₹1000 मूल्यवर्ग के स्मारक सिक्के का निर्माण किया, जिसकी स्थापना जैनाचार्य जिनेश्वर सूरी द्वारा 1000 वर्ष पूर्व की गई थी। इस सिक्के को गुजरात के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत द्वारा 26 दिसंबर, 2023 को जारी किया गया था।



- **रामकृष्ण मठ और मिशन, बेलूरमठ की 125वीं वर्षगांठ**

  भारत सरकार टकसाल, कोलकाता ने रामकृष्ण मठ और मिशन, बेलूरमठ की 125वीं वर्षगांठ मनाने के लिए ₹125 मूल्यवर्ग के स्मारक सिक्के का निर्माण किया, जिसे माननीय संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा 27 दिसंबर, 2023 को जारी किया गया।



- **डॉ. पंजाबराव उर्फ भाऊसाहेब देशमुख की 125वीं जयंती**

  भारत सरकार टकसाल, मुंबई ने डॉ. पंजाबराव उर्फ भाऊसाहेब देशमुख की 125वीं जयंती के अवसर पर ₹ 125 मूल्यवर्ग के स्मारक सिक्के का निर्माण किया, जिसे 27 दिसंबर, 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा जारी किया गया।



- **वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के 20 वर्ष**

  भारत सरकार टकसाल, मुंबई ने वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹20 मूल्यवर्ग के स्मारक सिक्के का निर्माण किया, जिसे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 जनवरी, 2024 को जारी किया।



- **स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी**

  भारत सरकार टकसाल, कोलकाता ने स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी मनाने के लिए ₹ 100 मूल्यवर्ग के स्मारक सिक्के का निर्माण किया, जिसे माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने 24 जनवरी, 2024 को जारी किया।



- **75वां गणतन्त्र दिवस समारोह**

  भारत सरकार टकसाल, मुंबई ने 75वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने के लिए ₹ 75 मूल्यवर्ग के स्मारक सिक्के का निर्माण किया, जिसे माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 25 जनवरी, 2024 को जारी किया।



- **श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की 150वीं जयंती**

  भारत सरकार टकसाल, कोलकाता ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की 150वीं जयंती मनाने के लिए ₹150 मूल्यवर्ग के स्मारक सिक्के का निर्माण किया, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 फरवरी, 2024 को जारी किया।



- **श्री सतगुरु राम सिंह जी की दूसरी जन्म शताब्दी**

  भारत सरकार टकसाल, कोलकाता ने श्री सतगुरु राम सिंह जी की दूसरी जन्म शताब्दी मनाने के लिए ₹ 200 और ₹ 10 मूल्यवर्ग के स्मारक सिक्के का निर्माण किया, जिसे 11 फरवरी, 2024 को विदेश और संस्कृति मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा जारी किया गया।



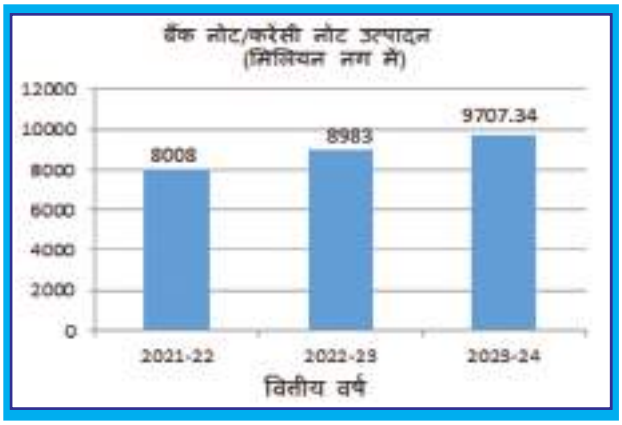
- **कर्नाटक बैंक की शताब्दी**

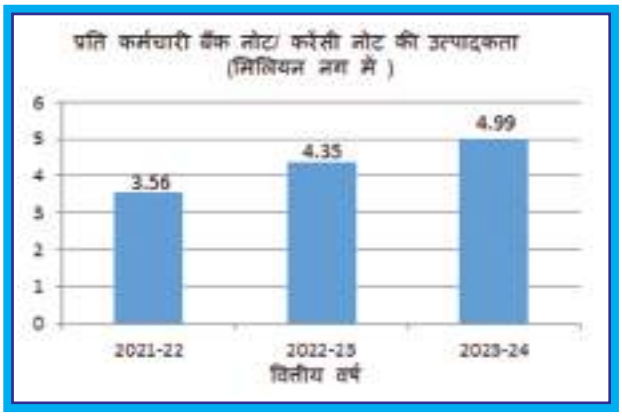
  भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद ने कर्नाटक बैंक के शताब्दी वर्ष के अवसर पर ₹100 मूल्यवर्ग के स्मारक सिक्के का निर्माण किया, जिसे 18 फरवरी, 2024 को जारी किया गया।



2. करेंसी नोट मुद्रणालय

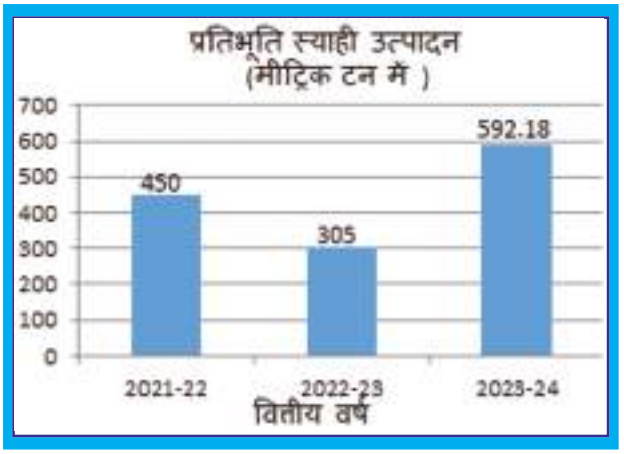
कंपनी के दो करेंसी मुद्रण मुद्रणालय, चलार्थ पत्र मुद्रणालय (सीएनपी), नासिक और बैंक नोट मुद्रणालय (बीएनपी), देवास हैं। सीएनपी, नासिक ने वर्ष 2023–24 में 5387.09 मिलियन नग बैंक नोटों का उत्पादन किया, जबकि वर्ष 2022–23 में 4942 मिलियन नग का उत्पादन किया गया था। सीएनपी, नासिक ने वर्ष 2023–24 के दौरान आरबीआई को 5300 मिलियन बैंक नोटों की आपूर्ति की, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 5000 मिलियन बैंक नोटों की आपूर्ति की गई थी। बीएनपी, देवास ने 2023–24 में 4320.25 मिलियन बैंक नोटों का उत्पादन किया, जबकि पिछले वर्ष 2022–23 में 4041 मिलियन बैंक नोटों का उत्पादन किया गया था। बीएनपी, देवास ने वर्ष 2023–24 के दौरान आरबीआई को 4420 मिलियन बैंक नोटों की आपूर्ति की, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 4040 मिलियन नग बैंक नोट की आपूर्ति की गई थी।

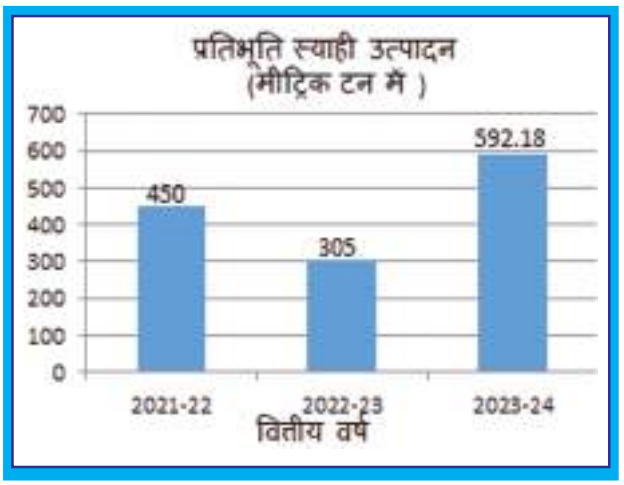




3. देवास में स्याही कारखाना

स्याही कारखाना, देवास एसपीएमसीआईएल के मुद्रा और प्रतिभूति मुद्रणालयों के लिए ऑफसेट, यूवी फ्लोरोसेंट नंबरिंग स्याही और क्विकसेट इंटैग्लियो स्याही के निर्माण में कार्यरत है। स्याही कारखाने में वर्ष 2022–23 के दौरान उत्पादित 305 मीट्रिक टन स्याही की तुलना में वर्ष 2023–24 के दौरान, 592.18 मीट्रिक टन स्याही का उत्पादन किया गया। स्याही कारखाने ने वर्ष 2023–24 के दौरान मुद्रण मुद्रणालयों को 595.38 मीट्रिक टन प्रतिभूति स्याही की आपूर्ति की, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 341 मीट्रिक टन प्रतिभूति स्याही की आपूर्ति की





गई।

4. प्रतिभूति मुद्रणालय

कंपनी के दो प्रतिभूति मुद्रणालय हैं, अर्थात् भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (आईएसपी), नासिक और प्रतिभूति मुद्रणालय (एसपीपी), हैदराबाद। ये पासपोर्ट पुस्तिकाओं, अंतर्राष्ट्रीय वीजा स्टिकर, गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर (एनजेएसपी), डाक टिकट और स्टेशनरी, एमआईसीआर चेक, एक्साइज एड्हेसिव लेबल (ईएएल), प्रमाण पत्र और अन्य प्रतिभूति दस्तावेजों जैसे विभिन्न सुरक्षा उत्पादों के मुद्रण कार्यों में संलिप्त हैं।

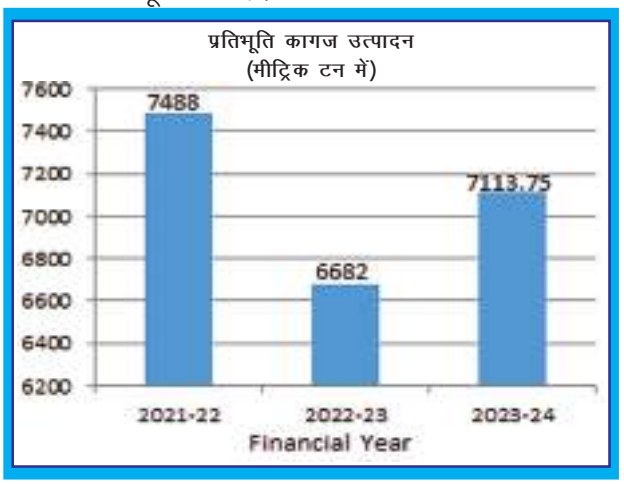
वर्ष 2023–24 के दौरान, आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के 11.453 मिलियन नग की तुलना में 14.031 मिलियन यात्रा दस्तावेज/पासपोर्ट पुस्तिकाएं मुद्रित की और विदेश मंत्रालय (एमईए) को 13.14 मिलियन नग यात्रा दस्तावेज/पासपोर्ट पुस्तिकाएं प्रदान कीं। वर्ष 2023–24 के दौरान, आपकी कंपनी ने 206.462 मिलियन नग एनजेएसपी मुद्रित किए जबकि वर्ष 2022–23 के दौरान 245 मिलियन नग एनजेसपी का मुद्रण किया गया।

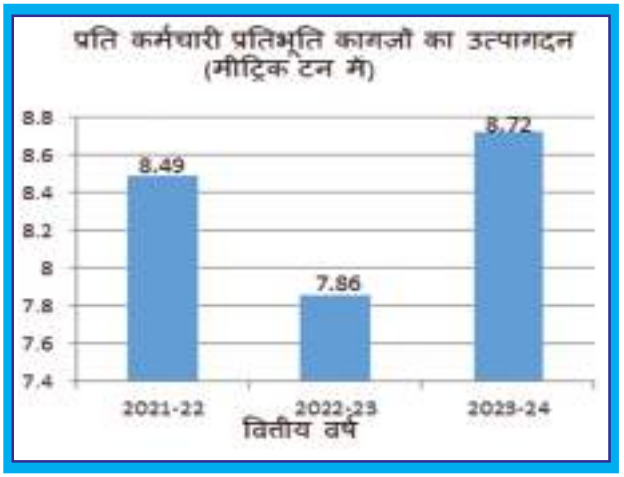
5. प्रतिभूति कागज कारखाने

(क) प्रतिभूति कागज कारखाना, नर्मदापुरम

प्रतिभूति कागज कारखाना (एसपीएम), नर्मदापुरम विभिन्न प्रकार के प्रतिभूति पत्रों का विनिर्माण कर रहा है। इकाई द्वारा निर्मित प्रतिभूति कागजों का उपयोग कंपनी के मुद्रणालयों द्वारा बैंक नोटों और अन्य प्रतिभूति दस्तावेजों की छपाई के लिए किया जाता है।

वर्ष 2023–24 के दौरान, आपकी कंपनी ने 7113.75 मीट्रिक टन प्रतिभूति कागज का उत्पादन किया और मुद्रणालयों को 7375.40 मीट्रिक टन प्रतिभूति कागजों की आपूर्ति की है।





(ख) बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीएनपीएमआईपीएल)

एसपीएमसीआईएल की बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीएनपीएमआईपीएल) के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह सीडब्ल्यूबीएन कागज निर्माण की एक ग्रीन–फील्ड परियोजना है, जिसकी कुल क्षमता 12000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, जिसमें 6000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली दो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पेपर लाइनें शामिल हैं। बीएनपीआईपीएल ने 2022–23 के दौरान 13966 मीट्रिक टन के उत्पादन की तुलना में वर्ष 2023–24 के दौरान 15627 मीट्रिक टन प्रतिभूति कागज का उत्पादन किया है।

वर्ष 2023–24 के दौरान प्रमुख विकास / गतिविधियां

- **आधुनिकीकरण**

  बीएनपी, देवास में एक अत्याधुनिक (स्टेट आफ द आर्ट) ऑफसेट बैंकनोट मुद्रण मशीन स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त, सीएनपी, नासिक में एक अत्याधुनिक श्रेडर और ब्रिकेटिंग मशीन लगाई गई है। आईएसपी, नासिक में अत्याधुनिक ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन और लेजर माइक्रो पेरफोरेशन मशीन दोनों की शुरुआत की गई। इसके अलावा, एसपीपी, हैदराबाद ने स्क्रीन प्रिंटिंग के साथ एक उन्नत ऑफलाइन वीडीपी और एक्साइज एड्हेसिव लेबल (ईएएल) का मुद्रण करने के लिए एक ऑफलाइन डाई कटिंग मशीन की शुरुआत की है। अंत में, आईजीएम, कोलकाता में एक एक्वा–रेजिया स्वर्ण शोधन संयत्र सफलतापूर्वक चालू किया गया है।

- **अन्य प्रमुख गतिविधियां**

  - ❖ आईएसपी, नासिक ने आरएफआईडी चिप और ट्रैक और ट्रेस सिस्टम के साथ ई–पासपोर्ट बुकलेट का सफलतापूर्वक निर्माण किया है। ई–पासपोर्ट पुस्तिकाओं की आपूर्ति विदेश मंत्रालय (एमईए) को कर दी गई है और मंत्रालय द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।
  - ❖ एसपीएमसीआईएल ने अयोध्या की पवित्र मिट्टी और जल का उपयोग करके राम मंदिर पर डाक टिकट का निर्माण किया है। डाक विभाग की आवश्यकता के अनुसार देश के सभी जिलों और ब्लॉकों में 10 लाख टिकटों की सफलतापूर्वक आपूर्ति की गई।
  - ❖ एसपीएमसीआईएल द्वारा श्री राम लला का रंगीन स्मारिका सिक्का सफलतापूर्वक जारी किया गया है।
  - ❖ एसपीपी, हैदराबाद ने स्मार्ट पहचान कार्ड की आपूर्ति के लिए भारतीय सेना के साथ पायलट परियोजना सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।
  - ❖ आईजीएम, मुंबई ने 999.9 पीपीटी शुद्धता के सोने के लिए प्रमाणित संदर्भ सामग्री (सीआरएम) सफलतापूर्वक विकसित की है। इस इकाई को आईएसओ 17034:2016 मान्यता भी मिली है जो आईजीएम, मुंबई को उच्च शुद्धता स्वर्ण प्रमाणित संदर्भ सामग्री (सीआरएम) के निर्माण और बिक्री में सक्षम बनाती है। यह सीआरएम अज्ञात सोने के नमूनों के परीक्षण में मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी के साथ एक संदर्भ नमूने के रूप में, विनिर्माण और प्रयोगशाला दोनों पैमाने पर कीमती धातु उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
  - ❖ आईजीएम, कोलकाता ने 'गौतम बुद्ध' के थीम पर तांबे और स्टेनलेस स्टील से बने दोहरी परत वाले स्मारिका सिक्का सफलतापूर्वक विकसित और लॉन्च किया।

मानव संसाधन प्रबंधन

मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) ने संगठन के रणनीतिक लक्ष्यों के साथ कार्यबल को संरेखित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस वर्ष, हमारे प्रयासों ने कर्मचारी जुड़ाव बढ़ाने, प्रतिभा अधिग्रहण को अनुकूलित करने, पेशेवर विकास को बढ़ावा देने और विविधता और समावेश की संस्कृति को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है।

भर्ती और ऑन–बोर्डिंग

हमारी एचआरएम रणनीति शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने और विकसित करने पर केंद्रित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे पास सही भूमिकाओं में सही लोग हैं। एक व्यापक भर्ती और चयन प्रक्रिया को लागू करके, हमने सफलतापूर्वक कुशल पेशेवरों को कंपनी में शामिल किया है, जो हमारी कंपनी के मूल्यों और लक्ष्यों के साथ संरेखित हैं। हम विविधता और समावेशिता के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा एक ऐसा कार्यबल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे समुदाय की समृद्ध संरचना को दर्शाता हो। वित्तीय वर्ष 2023–24 में, हमने कुल 49 पदों को विज्ञापित किया, जिसमें विभिन्न विभागों में 42 कार्यकारी पद, 3 सलाहकार पद, 2 युवा पेशेवर पद और निगम कार्यालय में 2 गैर–कार्यकारी पद शामिल हैं।



इन प्रयासों के माध्यम से, हमारा लक्ष्य एक गतिशील और समावेशी कार्य वातावरण बनाना है, जो विकास और नवाचार को बढ़ावा देता है। ऑन–बोर्ड होने के बाद, हमारी एचआर टीम ने कर्मचारियों की प्रगति और विकास को पोषित किया। व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लेकर मेंटरशिप पहल (एसपीएमसीआईएल मेंटरशिप स्कीम–2021 के माध्यम से) तक, हमने नए पदाधिकारियों को अपने कौशल को बढ़ाने और नए वातावरण और भूमिका में सहज परिवर्तन के लिए सशक्त बनाया। 2023 और 2022 के अंत में शामिल होने वाले 25 अधिकारियों के लिए कोलकाता में एक व्यापक 10 दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम (4 अक्टूबर 2023 से 14 अक्टूबर 2023 तक) की सुविधा प्रदान की गई थी। कार्यक्रम ने नए अधिकारियों को एक दूसरे से परिचित होने और समग्र सीखने का अवसर प्रदान किया। इससे कंपनी के विजन, मिशन और मूल्यों के साथ नई प्रतिभा के एकीकरण में मदद मिली। निर्बाध आन–बोर्डिंग अनुभव की सुविधा के लिए एक एचआर पुस्तिका भी प्रकाशित और वितरित की गई।

प्रशिक्षण और विकास

एसपीएमसीआईएल अपने कर्मचारियों के लिए सीखने और विकास के परिवेश को निरंतर बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रबंधन का मानना है कि किसी संगठन की सफलता प्रत्यक्ष रूप से उसकी मानव संपत्ति की वृद्धि और विकास से जुड़ी होती है। वर्ष भर, इस प्रतिबद्धता का समर्थन करने के लिए हमने विभिन्न पहलों को लागू किया है, जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, विकास केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और परामर्श के अवसरों के माध्यम से अवसर प्रदान करना शामिल है।

हमने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए उद्योग के विशेषज्ञों के साथ भागीदारी की है, जो हमारे कर्मचारियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाते हैं, जिससे वे तेजी से बदलती दुनिया में प्रभावी ढंग से काम कर सकें। इसके अतिरिक्त, हमने अपने कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों सहित विभिन्न कार्यशालाओं और सेमिनारों के लिए नामांकित किया है, ताकि उन्हें नई दक्षताओं को विकसित करने और उद्योग के रुझानों और सर्वोत्तम प्रथाओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिल सके। इस संदर्भ में कुछ उल्लेखनीय कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

- **गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस पर प्रशिक्षण कार्यक्रम**

  अप्रैल 2023 में, हमने जीईएम (गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस) पोर्टल पर दो घंटे के प्रशिक्षण सत्र की सुविधा प्रदान की। इस सत्र का नेतृत्व जीईएम के सूचीबद्ध प्रशिक्षक श्री मनेन्द्र पाल सिंह ने किया। प्रशिक्षण में तकनीकी, सतर्कता, वित्त, मानव संसाधन और विधि सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। सत्र में खरीददार के रूप में खरीददारी करने के विभिन्न माध्यमों, कैटालॉग प्रबंधन प्रणाली और एकीकृत घटना प्रबंधन प्रणाली में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों ने पोर्टल पर नई सुविधाओं का अवलोकन किया, जिससे जीईएम पोर्टल को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने और उपयोग करने की उनकी क्षमता बढ़ सके।



- **प्रबंधन विकास कार्यक्रम**

  वर्ष भर, विभिन्न कर्मचारियों को ओपन लर्निंग व्यवहार्य कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए नामित किया जाता रहा है। इन प्रबंधन विकास कार्यक्रमों (एमडीपी) के विषयों के रूप में प्रबंधकीय उत्कृष्टता के लिए क्षमताओं के निर्माण और नेतृत्व विकास से लेकर नेतृत्व के तंत्रिका विज्ञान एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता तक थे। ये कार्यक्रम प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित किए गए थे, जिनमें राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, आर्ट ऑफ लिविंग, स्कोप और अन्य शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में भाग लेने से, हमारे कर्मचारियों ने मूल्यवान कौशल और अंतर्दृष्टि प्राप्त की, जो उनके पेशेवर विकास और हमारे संगठन की समग्र सफलता में योगदान देते हैं।

- **अनुकूलित कार्यक्रम**

  एसपीएमसीआईएल ने उच्च प्रतिभूति मुद्रण समाधानों में विशेषज्ञता वाली एक प्रतिष्ठित और विश्व प्रसिद्ध कंपनी मैसर्स जुरा के साथ सहयोग में ''उच्च प्रतिभूति उत्पादों के डिजाइन में उन्नति'' पर एक अनुकूलित और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया।

  दो सप्ताह से अधिक की समयावधि के इस कार्यक्रम में, लगभग 20–25 कर्मचारियों को एक्सपोजर प्रदान किया गया, जिसमें उच्च प्रतिभूति मुद्रण उद्योग में नवीनतम रुझानों और प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया। सितंबर 2023, में एसपीएमसीआईएल इकाई में आयोजित कार्यशाला को प्रतिभागियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिससे कर्मचारी विकास और उद्योग उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और बढ़ी।



- **सम्मेलन**

  एसपीएमसीआईएल प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन, मई 2023 में इंदौर में किया गया था, जिससे क्रय/सामग्री विभाग के कर्मचारियों को लाभ हुआ। वित्त मंत्रालय और एमएसएमई मंत्रालय के सम्मानित अतिथियों को दो दिवसीय चर्चा मंच के दौरान वक्ताओं के रूप में आमंत्रित किया गया था।

  कॉन्क्लेव में विभिन्न इकाइयों के क्रय विभाग के कुल 25 कर्मचारियों ने भाग लिया। उन्होंने नियमों के अनुपालन में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद से संबंधित संचालन और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए समाधानों पर मंथन किया। इस सम्मेलन ने संशोधित एसपीएमसीआईएल क्रय मैनुअल के लिए मूल्यवान इनपुट भी प्रदान किए, जिससे हमारी खरीद प्रथाओं में दक्षता को बढ़ावा मिला।



- **पदारोहण योजना के लिए वरिष्ठ नेतृत्व के तहत मार्गदर्शित मेंटरशिप**

  एसपीएमसीआईएल की पदारोहण योजना नीति के हिस्से के रूप में, महत्वपूर्ण पदों पर कर्मचारियों और वरिष्ठ भूमिकाओं में प्रगति की श्रंखला में खड़े कर्मचारियों को वर्ष भर वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा परामर्श दिया गया। इस मेंटरशिप ने नई भूमिकाओं में उनके निर्बाध संक्रमण की सुविधा प्रदान करने, संगठन के लिए एक मजबूत आगामी प्रतिभा सुनिश्चित करने और हमारे दीर्घकालिक रणनीतिक उद्देश्यों का समर्थन किया है।

- **अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर**

  उपरोक्त विकास पहलों के अलावा, एसपीएमसीआईएल ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में कर्मचारियों के एक समूह को नामित किया, जिसमें स्पेन में ग्लोबल प्रेशियस मेटल्स कॉन्फ्रेंस, जॉर्जिया में टैक्स स्टैम्प एंड ट्रेसेबिलिटी फोरम और कनाडा में मिंट डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस शामिल हैं। ये नामांकन हमारे कर्मचारियों को एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं, जो प्रेरक के रूप में कार्य करते हुए नेटवर्किंग और सहयोग के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करते हैं।

  यह विश्वास करते हुए कि इन पहलों ने हमें शीर्ष प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने में मदद की है, एसपीएमसीआईएल को कर्मचारियों के सीखने और विकास में किए गए निवेश पर गर्व है। इसके साथ ही, एसपीएमसीआईएल कर्मचारियों को संगठन के भीतर बढ़ने और फलने–फूलने के लिए श्रेष्ठ अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

औद्योगिक संबंध

मानव संसाधन टीम ने यूनियनों और संघों के साथ बातचीत के लिए विभिन्न जुड़ाव मंच प्रदान करके सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस सक्रिय दृष्टिकोण ने सहयोगी वातावरण को पोषित करने के साथ–साथ, प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच संचार और आपसी समझ को बढ़ाया है।

1. स्थापना दिवस समारोह

एसपीएमसीआईएल ने 15 फरवरी, 2024 को अपना 19वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भाग लिया। उन्होंने एसपीएमसीआईएल की अपनी परिचालन सुविधाओं को आधुनिक बनाने प्रतिभूति उत्पादों संबंधी विभिन्न पहलों की सराहना की। इस अवसर के दौरान, तीन स्मारिका सिक्के लॉन्च किए गए, यानी भारत के लुप्तप्राय जानवरों पर एक रंगीन स्मारिका सिक्का–ग्रेटर वन–हॉर्नड राइनो, बुद्ध के ज्ञान पर एक द्वि–धातु स्मारिका सिक्का, और श्री राम लला और अयोध्या राम मंदिर का एक रंगीन स्मारिका सिक्का। ये सिक्के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विषयों के स्मारक हैं, जो नवाचार और विरासत के लिए एसपीएमसीआईएल के समर्पण भाव को दर्शाते हैं।



2. द्विपक्षीय बैठकें

कामगारों/कर्मचारियों और प्रबंधन के प्रतिनिधियों के लिए एक साझा मंच प्रदान करने के उद्देश्य से, एसपीएमसीआईएल शीर्ष द्विपक्षीय मंच की दो बैठकें सफलतापूर्वक आयोजित की गईं। 24वीं शीर्ष बैठक 19 और 20 जून, 2023 को नर्मदापुरम में हुई और 25वीं शीर्ष बैठक 19 और 20 जनवरी, 2024 को नासिक के कॉर्पोरेट आर एंड डी सेंटर में आयोजित की गई। इन बैठकों ने कार्यबल और प्रबंधन के बीच खुले संवाद और सहयोग की सुविधा प्रदान करके एक सामंजस्यपूर्ण और उत्पादक कार्य वातावरण में योगदान दिया।



3. एससी, एसटी और ओबीसी प्रतिनिधियों के साथ बैठक

इकाइयों के एससी, एसटी और ओबीसी प्रतिनिधियों के साथ 10वीं बातचीत बैठक 19 अप्रैल, 2023 को भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद में आयोजित की गई थी।

4. एसपीएमसीआईएल में जीवन

एसपीएमसीआईएल में, हम विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से एक जीवंत और समावेशी संस्कृति को बढ़ावा देने पर गर्व करते हैं, जो कर्मचारियों की भलाई और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ाते हैं।

अंतर इकाई बैडमिंटन खेल प्रतियोगिता

एसपीएमसीआईएल अंतर इकाई बैडमिंटन खेल प्रतियोगिता का आयोजन भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक द्वारा 18 जनवरी से 20 जनवरी, 2024 तक सफलतापूर्वक किया गया। इस प्रतियोगिता के माध्यम से विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को एक साथ लाकर, टीम वर्क, सौहार्द और मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया गया। अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करके बैंक नोट प्रेस, देवास विजयी हुआ। इस गतिविधि ने संगठन के भीतर परस्पर जुड़ाव की भावना को बढ़ावा दिया।

चिकित्सा शिविर

धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, दिल्ली की टीम के सहयोग से 6 दिसंबर, 2023 को निगम कार्यालय में सभी कर्मचारियों के लिए एक स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया था। शिविर में ईसीजी, रक्तचाप की जांच, रक्त शर्करा परीक्षण, बोन मिनेरल डेनसिटी परीक्षण, पलमनेरी परीक्षण और मधुमेह न्यूरोपैथी निगरानी सहित मुफ्त स्वास्थ्य जांच और परामर्श दिया गया। अपने कार्यबल की भलाई को प्राथमिकता देकर, हमने उनके समग्र विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित की।



महिला दिवस समारोह

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 एसपीएमसीआईएल निगम कार्यालय में मनाया गया, जिसमें सभी नौ इकाइयों की महिला अधिकारियों और कर्मचारियों ने वर्चुअल मोड के माध्यम से भाग लिया। इस कार्यक्रम में एक प्रतिष्ठित व्याख्याता द्वारा "यौन उत्पीड़न की रोकथाम और सशक्तिकरण" पर व्याख्यान दिया गया, जिसमें लैंगिक समानता और कार्यस्थल समावेशिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया था।



स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान 3.0

एसपीएमसीआईएल ने 1 अक्टूबर, 2023 को प्लॉट नंबर 2 और 3, माता सुंदरी मार्ग, नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान 3.0 का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की प्रतिज्ञा के साथ हुई और इसमें श्रमदान गतिविधियां भी शामिल थीं। हमारे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित सभी

स्तरों के कर्मचारियों ने इस पहल में सक्रिय रूप से भाग लेकर पर्यावरणीय स्थिरता और सामुदायिक सेवा के प्रति हमारे समर्पण का प्रदर्शन किया।



राजभाषा सम्मेलन

एसपीएमसीआईएल अंतर–इकाई राजभाषा सम्मेलन 19 दिसंबर, 2023 को भारत सरकार टकसाल, कोलकाता द्वारा कोलकाता में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से राजभाषा के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए एसपीएमसीआईएल के राजभाषा विभाग के अधिकारी और अनुवादक सहित अन्य कर्मचारी एक साथ एकत्रित हुए। एसपीएमसीआईएल के निदेशक (मानव संसाधन) श्री एस. के. सिन्हा ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें श्री रजत पॉल, मुख्य महाप्रबंधक, आईजीएम, कोलकाता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर की शोभा बढ़ा रहे थे।

ये पहल एसपीएमसीआईएल में एक सहायक और आकर्षक कार्य वातावरण को पोषित करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं, जहां हमारे कर्मचारी पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से कामयाब हो सकते हैं।



5. विधिक रूपरेखा का अनुपालन

- **महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013**

एसपीएमसीआईएल ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू किया है। हमारा उद्देश्य कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना और शिकायतों का प्रभावी निवारण सुनिश्चित करना है। प्रत्येक इकाई और निगम कार्यालय स्तर पर आंतरिक समितियों की स्थापना की गई है, जिनमें से प्रत्येक की अध्यक्षता वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी करती हैं। इन समितियों को यौन उत्पीड़न की शिकायतों को तुरंत और संवेदनशील रूप से निपटाने का अधिकार है। विशेष रूप से, वर्ष 2023–24 के दौरान, यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

- **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, एसपीएमसीआईएल ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन में एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किया है। हमने देश भर में अपनी इकाइयों और कार्यालयों में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और अपीलीय अधिकारियों को नामित किया है। इसके अतिरिक्त, एसपीएमसीआईएल भारत सरकार के ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल पर 'लाइव' है, जिससे नागरिकों को डिजिटल रूप से जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सकता है। हम आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 25 का अनुपालन करते हुए आरटीआई आवेदनों की स्थिति पर तिमाही रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करते हैं। जानकारी को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से प्रदान करने का यह दोहरा दृष्टिकोण शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

राजभाषा का कार्यान्वयन

राजभाषा के प्रगतिशील उपयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित राजभाषा नीति, अधिनियम, नियम और लक्ष्यों का वर्ष 2023–24 के दौरान निगम कार्यालय और सभी नौ इकाइयों में विधिवत पालन किया गया। हमने प्रत्येक स्तर पर राजभाषा के कार्यान्वयन को मजबूत बनाया है। अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की जाती रही हैं और प्रगति की समीक्षा के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठकें आयोजित की गईं।

राजभाषा कार्यान्वयन के बारे में मुख्य बिंदु:

- **संसद की उप–समिति द्वारा निरीक्षण:** राजभाषा पर संसद की माननीय तीसरी उप–समिति ने 18 अप्रैल, 2023 को भारत सरकार टकसाल, नोएडा का निरीक्षण किया और इकाई में राजभाषा के पूर्ण कार्यान्वयन की सराहना की।
- **अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हिंदी कार्यशाला:** एसपीएमसीआईएल निगम कार्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस–2023 के अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ''एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला'' का आयोजन किया।
- **वार्षिक कार्यक्रम अनुपालन:** भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा संघ के आधिकारिक कार्यों के संचालन के लिए वर्ष 2023–24 के लिए हिंदी में जारी वार्षिक कार्यक्रम को, अनुपालन और प्रचार के लिए, निगम कार्यालय और सभी नौ इकाइयों में परिचालित किया गया। विभिन्न प्रचार योजनाएं लागू की गईं और राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जांच बिंदुओं की स्थापना की गई।
- **निरीक्षण:** एसपीएमसीआईएल निगम कार्यालय ने वर्ष 2023–24 के दौरान सभी नौ इकाइयों और आंतरिक अनुभागों का निरीक्षण किया।
- **अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भागीदारी:** एसपीएमसीआईएल निगम कार्यालय और सभी नौ इकाइयों के प्रतिनिधियों ने 14 सितंबर, 2023 को पुणे, महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित तीसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भाग लिया। विभाग के निर्देशानुसार हिंदी दिवस–2023 के उपलक्ष्य में निगम कार्यालय और सभी नौ इकाइयों में 14 से 29 सितंबर, 2023 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, और 18 अक्टूबर, 2023 को राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा गृह राजभाषा पत्रिका ''अभिव्यक्ति'' के चौथे संस्करण का विमोचन किया गया।
- **हिंदी में संबोधन प्रतियोगिता:** 17 अक्टूबर, 2023 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए हिंदी में संबोधन से संबंधित प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी उपस्थित लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी थी।
- **अंतर इकाई वार्षिक राजभाषा सम्मेलन:** 19 दिसंबर, 2023 को भारत सरकार टकसाल, कोलकाता में निगम कार्यालय और सभी नौ इकाइयों के राजभाषा अधिकारियों और अनुवादकों के लिए निदेशक (मा.सं.), एसपीएमसीआईएल की अध्यक्षता में अंतर इकाई वार्षिक राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- **हिंदी वेबसाइट:** कंपनी की वेबसाइट को सीधे हिंदी में खोलने की व्यवस्था की गई।
- **वार्षिक रिपोर्ट अनुवाद:** एसपीएमसीआईएल की 18वीं वार्षिक रिपोर्ट (2022–23) का आंतरिक व्यवस्थाओं के माध्यम से हिंदी में अनुवाद किया गया।
- **नराकास की बैठकों में भागीदारी:** एसपीएमसीआईएल निगम कार्यालय ने नराकास, दिल्ली (उपक्रम–2) के तत्वावधान में आयोजित अर्धवार्षिक बैठकों में भागीदारी सुनिश्चित की, और समिति के सदस्य कार्यालयों द्वारा आयोजित सभी 10 प्रतियोगिताओं के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय से कर्मियों को नामित किया गया।

ये प्रयास एसपीएमसीआईएल में प्रभावी ढंग से राजभाषा नीति को बढ़ावा देने और लागू करने, अनुपालन सुनिश्चित करने और संगठन के भीतर समावेशिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

राजभाषा पुरस्कार

- एसपीएमसीआईएल निगम कार्यालय को 28 अगस्त, 2023 को ''संयुक्त राजभाषा उत्सव'' के आयोजन और गृह राजभाषा पत्रिका, ''अभिव्यक्ति'' के तीसरे संस्करण के प्रकाशन के लिए शील्ड से सम्मानित किया गया।
- भारत सरकार टकसाल, नोएडा को वर्ष 2022–23 के दौरान राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए ''राजभाषा शील्ड'' प्राप्त हुई। यह पुरस्कार 20 सितंबर, 2023 को हैदराबाद में एसपीएमसीआईएल स्थापना दिवस समारोह में प्रस्तुत किया गया था।
- बैंक नोट प्रेस, देवास को 2022–23 के दौरान मध्य और पश्चिमी क्षेत्र उपक्रम श्रेणी में उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए तीसरा पुरस्कार और एक शील्ड प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल और केंद्रीय राज्य मंत्री, गृह मंत्रालय द्वारा 23 नवंबर, 2023 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित मुंबई में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में प्रदान किया गया।
- भारत सरकार टकसाल, नोएडा को राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 28 दिसंबर, 2023 को जोधपुर, राजस्थान में राजभाषा सम्मेलन और पुरस्कार वितरण समारोह में प्रदान किया गया।
- भारत सरकार टकसाल, मुंबई को नराकास (उपक्रम) मुंबई द्वारा वर्ष 2022–23 के दौरान राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार दिया गया।
- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), हैदराबाद–सिकंदराबाद ने 2022–23 के दौरान राजभाषा हिंदी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद को लघु कार्यालय श्रेणी के तहत प्रथम पुरस्कार ''राजभाषा शील्ड'' से सम्मानित किया। इस इकाई को राजभाषा के क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों से लगातार नराकास से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।
- भारत सरकार टकसाल, कोलकाता को वर्ष 2022–23 के दौरान राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए क्षेत्रीय कार्यालय श्रेणी में ''तीसरा पुरस्कार'' मिला। यह पुरस्कार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), कोलकाता द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

सतर्कता गतिविधियां

1. एसपीएमसीआईएल सतर्कता विभाग का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) करते हैं। प्रत्येक इकाई और निगम कार्यालय में सतर्कता टीम का गठन किया गया है, जिसमें निर्धारित अवधि के आधार पर प्रतिनियुक्त कंपनी के अधिकारी शामिल हैं।
2. निष्पक्ष निर्णय हेतु अनुकूल वातावरण बनाने के लिए, दंडात्मक सतर्कता के बजाय सतर्कता विभाग, मानव हस्तक्षेप को कम करने के लिए निवारक सतर्कता, प्रणालीगत सुधार तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। इसके अतिरिक्त, यह निविदाओं और संविदाओं की निवारक जांच, कार्यों के निष्पादन और अन्य कार्यों के साथ–साथ प्राप्त शिकायतों की जांच के माध्यम से निर्धारित दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।
3. इस वित्त–वर्ष के आरंभ में 36 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जो पिछले वित्तीय वर्ष से आगे स्थानांतरित हुई थी। 2023–24 के दौरान, 67 शिकायतें प्राप्त हुईं और 83 शिकायतों का निपटारा किया गया। शेष 20 शिकायतों में से 4 शिकायतों का तार्किक निष्कर्ष/निपटान केन्द्रीय सतर्कता आयोग की टिप्पणियों/प्रथम स्तर के परामर्श के लिए प्रतीक्षित है। इसके अलावा, सावधानीपूर्वक चुने गए कार्यों/निविदाओं के लिए 6 सीटीई प्रकार के निरीक्षण किए गए थे।

क्र. सं.	शिकायत की प्रकृति	अवधि के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या
1.	किसी भी प्रकार का सतर्कता कोण/भ्रष्टाचार का आरोप न होने पर उचित कार्रवाई के लिए प्रशासनिक प्राधिकारियों को सौंप दिया गया	15
2.	प्रेषक द्वारा बेनामी/छद्म नाम के रूप में दायर शिकायतों की पुष्टि नहीं की गई	41
3.	गैर–सतर्कता मामले	13
4.	सीवीओ द्वारा विस्तृत जांच के लिए	14
	कुल	**83**

31.03.2024 तक 20 शिकायतें लंबित थीं और इन शिकायतों की स्थिति इस प्रकार है:

क्र. सं.	शिकायत की प्रकृति	31.03.2024 तक लंबित शिकायतों की संख्या
1.	सत्यापन के तहत	09
2.	गैर–सतर्कता मामले	07
3.	सतर्कता मामले	04
	कुल	**20**

क) प्रशासनिक शिकायतें स्थानांतरण, तैनाती, छुट्टियों का निपटान, कार्यालय में दुर्व्यवहार, त्यागपत्र/सेवानिवृत्ति के बाद देय राशियों के निपटान में विलंब आदि से संबंधित होती हैं।

ख) भर्ती से संबंधित मामले, एसपीएमसीआईएल की वेबसाइट से ऑनलाइन बुक किए गए सिक्कों की प्राप्ति न होना आदि संबंधित मामले गैर– सतर्कता में शामिल हैं।

ग) गुणवत्ता मानक/एसओपी और खरीद मैनुअल के उल्लंघन, चिकित्सा बिलों में पाई गई विसंगतियों, दोषपूर्ण वस्तुओं की स्वीकृति आदि से संबंधित मामले सतर्कता की श्रेणी में आते हैं।

घ) शिकायतों, सीटीई प्रकार की रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट आदि की जांच के दौरान यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो सतर्कता विभाग निवारक उपाय के रूप में आवश्यक परिपत्र जारी करता है। इन परिपत्रों को सीवीओ कॉर्नर के तहत एसपीएमसीआईएल की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाता है।

प्रणालीगत सुधार

1. ब्लीच्ड कॉटन कॉम्बर पल्प (बीसीसीपी) की मौजूदा मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) की समीक्षा करते हुए एसपीएमसीआईएल सतर्कता विभाग द्वारा ब्लीच्ड कॉटन कॉम्बर पल्प (बीसीसीपी) की खरीद के लिए प्रतिभूति कागज कारखाना (एसपीएम), नर्मदापुरम से संबंधित कार्य पर की गई सीटीई गहन जांच के अनुसरण में यह देखा गया कि तैयार सीडब्ल्यूबीएन पेपर में कुछ यूवी सक्रिय घटकों की मौजूदगी के कारण एसपीएम, नर्मदापुरम द्वारा 99.69 एमटी बीसीसीपी को अस्वीकार कर दिया गया था और ऐसा एसपीएम, नर्मदापुरम प्रयोगशाला में सभी परीक्षण मापदंडों को पारित करने के बाद, उत्पादन के दौरान हुआ था। इस मामले में सतर्कता कोण का पता लगाने के लिए, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद एसपीएमसीआईएल सतर्कता विभाग द्वारा एक प्रारंभिक जांच (पीई) की गई थी। जांच रिपोर्ट की जांच करने पर, यह नोट किया गया कि इकाई के एसओपी में उल्लिखित बीसीसीपी के नमूने के लिए लॉट का आकार भ्रामक प्रतीत होता है और यह स्पष्ट रूप से प्रारूपण संबंधी त्रुटि है। भविष्य में इस इकाई में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए एसपीएमसीआईएल सतर्कता विभाग द्वारा निम्नानुसार कुछ प्रणालीगत सुधार उपायों के सुझाव दिए गए थे

   क) इकाई को भंडारण में सामग्री प्रबंधन में सुधार करना चाहिए ताकि परीक्षण उद्देश्य के लिए

नमूनों को लेने के दौरान सामग्री की आसान पहुंच के लिए, बड़ी मात्रा में सामग्री के एक दूसरे के ऊपर ढेर लगाने से बचा जा सके।

ख) नमूने लेने की विधि की समीक्षा की जानी चाहिए और उपयुक्त विधि इस तरह से तैयार की जानी चाहिए कि इस प्रकार लिए गए नमूने पूरी लॉट/माल का सही प्रतिनिधित्व बन जाएं।

ग) आपूर्तिकर्ता से लॉट/माल से प्राप्त सामग्री की गुणवत्ता तय करने के लिए नमूने लॉट का आकार पर्याप्त होना चाहिए।

2. निजी क्षेत्र में काम करने वाले/स्वरोजगार करने वाले पति/पत्नी के चिकित्सा बिलों के दावे के लिए दिशानिर्देशों को शामिल करनाः पीआईडीपीआई संकल्प के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। उक्त शिकायत में आरोप लगाया गया था कि एक अधिकारी ने उसके पिता और उसके पति को आश्रित दिखाकर झूठी घोषणा करके एसपीएमसीआईएल की मेडिकल पॉलिसी ली है और उसने एसपीएमसीआईएल से मेडिकल बिल प्रतिपूर्ति की झूठी वसूली की है। तदनुसार, एसपीएमसीआईएल सतर्कता विभाग द्वारा जांच की गई। जांच में अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला। तथापि, एसपीएमसीआईएल सतर्कता विभाग ने कतिपय प्रणालीगत सुधार उपायों के सुझाव निम्नानुसार दिए गएः

क) किसी अन्य सरकारी संगठन/पीएसयू/स्वायत्त निकायों आदि में कार्यरत पति/पत्नी के मामले में, एसपीएमसीआईएल में उस पति/पत्नी को चिकित्सा लाभ प्रदान करने से पहले उस संगठन से चिकित्सा लाभ प्राप्त नहीं करने की लिखित पुष्टि प्राप्त करनी होगी।

ख) निजी क्षेत्र में काम करने वाले पति या पत्नी के मामले में 'आश्रित' की परिभाषा के लिए एसपीएमसीआईएल चिकित्सा नीति को अद्यतन करने की सिफारिश की जाती है।

ग) निजी क्षेत्र/स्वरोजगार में कार्यरत पति/पत्नी के चिकित्सा बिलों के दावे के लिए दिशा–निर्देशों को शामिल करने की सिफारिश की जाती है।

3. चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्तिः एक अन्य मामले में, एसपीएमसीआईएल सतर्कता विभाग में चिकित्सा बिलों में पाई गई विसंगतियों के बारे में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। तदनुसार, एसपीएमसीआईएल सतर्कता विभाग द्वारा जांच की गई और चिकित्सा बिल प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए झूठे/नकली दस्तावेज यानी डॉक्टर के पर्चे, चिकित्सा बिल आदि प्रस्तुत करने जैसी विभिन्न खामियां पाई गईं। इस संबंध में, एसपीएमसीआईएल सतर्कता विभाग ने कुछ प्रणालीगत सुधार उपायों की सिफारिश की है जो निम्नानुसार हैं:

क) सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आश्रितों की विधिवत प्रमाणित सूची प्रस्तुत करने का निदेश दिया जा सकता है जिसमें आयु/लिंग/नियोजन तथा पुत्रियों के मामले में विवाह की स्थिति आदि का विवरण दिया गया हो।

ख) इकाई को पूरे शहर में और अधिक अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के प्रयास करने चाहिए। जिन अस्पतालों का ट्रैक रिकार्ड अच्छा नहीं है, उन्हें पैनल में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

ग) प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए खरीदी गई दवा के लिए केवल मुद्रित जीएसटी बिल अनिवार्य किया जाना चाहिए। निर्धारित दवाओं की खरीद के लिए भुगतान का प्रमाण भी अनिवार्य किया जाना चाहिए। पैथोलॉजिकल जांच के लिए भी यही तरीका अपनाया जाना चाहिए।

घ) रिकॉर्ड रखरखावः आसान पहुंच के लिए रिकॉर्ड को अच्छे तरीके से रखे जाने के प्रयास किए जाने चाहिए क्योंकि इकाई में चिकित्सा बिलों

को बेतरतीब तरीके से रखा गया था।

ङ) एसपीएमसीआईएल की सभी इकाइयों में चिकित्सा उपचार और प्रतिपूर्ति के संबंध में समान चिकित्सा पद्धतियों के लिए प्रयास किए जा सकते हैं।

च) प्रतिपूर्ति के लिए चिकित्सा बिलों का दावा करते समय संबंधित कर्मचारी का स्व–प्रमाणन सभी बिलों में अनिवार्य किया जा सकता है।

4. कर्तव्यों के चार्टर का संशोधनः केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, एसपीएमसीआईएल सतर्कता विभाग ने दिनांक 24.11.2023 के आदेश के तहत एसपीएमसीआईएल के सतर्कता अधिकारियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले चार्टर को संशोधित किया है, जिसमें शिकायतों (इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि डीओपीटी/आयोग के दिशानिर्देशों के अनुरूप बेनामी/छद्म नाम वाली शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी है), निजी विदेश यात्राओं पर रिपोर्ट, भ्रष्टाचार विरोधी उपायों की कार्य योजना पर त्रैमासिक रिपोर्ट, सीवीओ के साथ सतर्कता अधिकारियों की त्रैमासिक बैठक, सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) का आयोजन, एपीआर की जांच और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय आवश्यक बिंदुओं पर जोर देना, आदि पहलुओं को शामिल किया गया है।

सक्रिय सतर्कता के लिए प्रस्तावित नई पहलें

क) एक इकाई में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान, कुछ सूचीबद्ध क्लीनिकों से दंत चिकित्सा उपचार के लिए कैशलेस चिकित्सा दावों के संबंध में महत्वपूर्ण विसंगतियों का पता चला था। प्रतिपूर्ति पैटर्न के अध्ययन से पता चला कि यह क्लीनिक आवश्यक प्रकार की प्रक्रियाओं में हेरफेर करके दावों को बढ़ा देते हैं। बिलों की गहन जांच ने पुष्टि की कि क्लीनिकों ने वास्तव में उपचार/प्रक्रियाओं के प्रकार को बदलकर बिल राशि को बढ़ा दिया। परिणामस्वरूप, एसपीएमसीआईएल ने दोषी दंत क्लीनिकों को निषेध सूची में डाल दिया है और उनकी जमानत राशि जब्त कर ली है। इसके अतिरिक्त, सभी इकाइयों को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश दिया गया है कि पैनलबद्ध क्लीनिक/अस्पताल यथोचित प्रक्रिया का पालन करें और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे प्रस्तुत करते समय समझौते/एसपीएमसीआईएल चिकित्सा नीति की शर्तों का सख्ती से पालन करें।

ख) एक अन्य इकाई के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान सीआईएसएफ कार्मिकों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर पर्यवेक्षी प्रभार लगाने के संबंध में एक विसंगति पाई गई थी। प्रतिपूत पैटर्न के अध्ययन से पता चला कि जब सीआईएसएफ स्टाफ ने चिकित्सा दावे प्रस्तुत किए, तो इन दावों को तैनाती की लागत में शामिल किया गया और 11.87% की दर से पर्यवेक्षी प्रभार लागू किया गया। इसके विपरीत, जब एसपीएमसीआईएल के अधिकारियों ने बिलों की जांच की, तो कोई पर्यवेक्षी शुल्क नहीं लगाया जाना था। समझौता ज्ञापन की शर्तों की गलत व्याख्या के परिणामस्वरूप एसपीएमसीआईएल ने पर्यवेक्षी शुल्क के रूप में अधिक भुगतान किया और सीआईएसएफ को चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति पर भारत सरकार को जीएसटी भी दिया। मानव संसाधन विभागए पत्र सं CHO(HR)/admin-/security/31/2/2011/(PT) 2988 दिनांक 18.12.2023 के माध्यम से एमओयू शर्तों की गलत व्याख्या करने वाली इकाइयों को पर्यवेक्षी शुल्क लगाने के लिए सही प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) के दौरान गतिविधियाँः

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 : 30 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर, 2023 तक, 'भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें' विषय पर बनाया गया। वीएडब्ल्यू –2023 के उद्घाटन के दिन, नई दिल्ली में एसपीएमसीआईएल के निगम कार्यालय में कर्मचारियों को सीएमडी, एसपीएमसीआईएल द्वारा सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा दिलाई गई।

- सप्ताह के दौरान कई आउटरीच गतिविधियां आयोजित की गईं। कंपनी के साथ–साथ पास के स्कूलों/कॉलेजों में प्रमुख संकाय द्वारा व्याख्यान/सेमिनार,

विक्रेता/आपूर्तिकर्ता बैठक, निबंध लेखन/पोस्टर प्रतियोगिताओं, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जैसी गतिविधियों ने भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों के बारे में कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने में मदद की।

- सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान एसपीएमसीआईएल के सीएमडी द्वारा एसपीएमसीआईएल सतर्कता विभाग की इन–हाउस पत्रिका सतर्कवाणी (वॉल्यूम–IX) का विमोचन किया गया।
- इसके अलावा, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के अग्रदूत के रूप में, वर्ष भर लगातार निवारक सतर्कता उपायों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। निवारक सतर्कता एवं आंतरिक हाउसकीपिंग गतिविधियों के भाग के रूप में, सीवीसी ने निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की:

क) सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और सूचना प्रदाता संरक्षण (पीआईडीपीआई) संकल्प के बारे में जागरूकता

ख) क्षमता निर्माण कार्यक्रम

ग) प्रणालीगत सुधार उपायों की पहचान और कार्यान्वयन

घ) शिकायत निपटान के लिए आईटी का लाभ उठाना

ङ) परिपत्रों/दिशानिर्देशों/नियमावली का अद्यतन

च) 30.06.2023 से पहले प्राप्त शिकायतों का निपटान।

3 महीने के अभियान के रूप में, उपरोक्त मापदंडों पर एसपीएमसीआईएल द्वारा 16 अगस्त, 2023 से 15 नवंबर, 2023 तक प्रयास किए गए। उपर्युक्त क्षेत्रों पर एसपीएमसीआईएल द्वारा की गई पहलों पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी आयोग को प्रस्तुत की गई थी।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2023 की झलक



30.10.2023 को सत्यनिष्ठा शपथ का संचालन करते हुए अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक



31.10.2023 को पत्रिका सतर्कवाणी (खंड IX) का विमोचन



31.10.2023 को अटल आदर्श बाल विद्यालय, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली में आउटरीच गतिविधियां

एसपीएमसीआईएल में डिजिटल परिवर्तन

वर्ष 2023–24 के लिए एसपीएमसीआईएल में डिजिटल परिवर्तन ने संगठन के भीतर संचालन को सुव्यवस्थित करने, लागत कम करने, समय बचाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमता का काफी लाभ उठाया है। यह परिवर्तन भारत सरकार के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया पहल के साथ संरेखित है।



एसपीएमसीआईएल के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने रणनीतिक पहलों की एक श्रृंखला के माध्यम से संगठन की डिजिटल उपस्थिति और वैश्विक बाजार प्रतिष्ठान को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है। इन प्रयासों से समय, लागत और प्रयास में उल्लेखनीय बचत हुई है, और तंत्र के भीतर पारदर्शिता बढ़ी है। प्रमुख पहलें कुछ इस प्रकार हैं:

1. **परियोजना पारगमन:**

- ईआरपी प्रणाली अद्यतन: एसएपी ईसीसी से एसएपी एस/4 हाना में संक्रमण।
- संरचना पुनर्निर्माण: डेटा सेंटर (डीसी) और डिजास्टर रिकवरी सेंटर (डीआरसी) में आईटी और गैर–आईटी हार्डवेयर/बुनियादी सरंचना का व्यापक उन्नयन।
- ईमेल प्रणाली अद्यतन: एमएस एक्सचेंज सर्वर के नवीनतम संस्करण में मेल सर्वर का संक्रमण।
- वेब और ई–कॉमर्स कार्यान्वयन: एसपीएमसीआईएल की नवीनीकृत वेबसाइट और ई–कॉमर्स पोर्टल का शुभारंभ।

2. **तृतीय–पक्ष लेखा परीक्षा:**

- डीसी, डीआरसी और व्यावसायिक इकाइयों में आईटी और गैर–आईटी बुनियादी सरंचना और अनुप्रयोगों के लेखा परीक्षा के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के साथ सहयोग

3. **ई–ऑफिस कार्यान्वयन:**

- एसपीएमसीआईएल की सभी इकाइयों में आधिकारिक कार्य–संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजिटल कार्यस्थल समाधान की तैनाती।

4. **तकनीकी उन्नयन:**

- ई–खरीद, नई वेबसाइट और ई–कॉमर्स, वास्तविक समय डेटा विश्लेषिकी और डायनेमिक डैशबोर्ड के माध्यम से सूचना रिपोर्टिंग के लिए विस्तृत क्षमताएं

5. **अवधारणा का ब्लॉक श्रृंखला प्रमाण:**

- ब्लॉक चेन–सक्षम ई–स्टांपिंग परियोजना पर सी–डैक, हैदराबाद के साथ सहयोग।

6. **खरीद मैनुअल 3.0:**

- पारदर्शी रूप से खरीद अनुमोदन को नियंत्रित करने के लिए सैप एस/4 हाना में कॉन्फिगरेशन।

7. **ट्रस्टों का डिजिटलीकरण:**

- सैप में ईपीएफ, जीपीएफ और पेंशन ट्रस्टों का डिजिटल परिवर्तन।

इन पहलों का उद्देश्य एसपीएमसीआईएल को डिजिटल रूप से सशक्त संगठन में बदलना है, जो डिजिटल इंडिया दृष्टिकोण के साथ जुड़ा हुआ है। यह परिवर्तन एक सहयोगी कार्य संस्कृति और प्रभावी ज्ञान प्रबंधन को बढ़ावा देते हुए, बढ़ी हुई पारदर्शिता, जवाबदेही, डेटा सुरक्षा और सत्यनिष्ठा का समर्थन करता है। संचालन और प्रक्रियाओं को एकीकृत करके, एसपीएमसीआईएल अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतर स्थिति में है, जिसने संगठन को अधिक सक्षम, गतिशील, लचीला और कुशल बना दिया है।

माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा सम्मान

माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे फंड (एएफएफडीएफ) में निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत महत्वपूर्ण योगदान (₹1.00 करोड़ तक मूल्य) के लिए एसपीएमसीआईएल को सम्मानित किया। श्री विजय रंजन सिंह, सीएमडी, एसपीएमसीआईएल द्वारा 29 नवंबर, 2023 को अशोक हॉल, मानेकशॉ सेंटर, दिल्ली कैंट में सम्मान प्राप्त किया गया।



सुरक्षा और संरक्षा

एसपीएमसीआईएल सभी प्रतिष्ठानों, कर्मचारियों और सहयोगियों के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी को समझती है। इसे हासिल करने के लिए, कंपनी ने गृह मंत्रालय के मानदंडों के अनुसार आठ इकाइयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (के.औ.सु.) को तैनात किया है। इसके अतिरिक्त, अत्याधुनिक सुरक्षा प्रौद्योगिकी स्थापित करके सभी इकाइयों में निगरानी प्रणाली को उन्नत करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

कार्यस्थल पर व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, एसपीएमसीआईएल के लिए एक प्राथमिक महत्व का विषय है। कंपनी सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने और कर्मचारियों के बीच सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने पर अत्यधिक महत्व देती है। जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) और कॉर्पोरेट जोखिम समिति (सीआरसी) जैसे उच्च–स्तरीय प्रबंधन मंचों में सुरक्षा मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। इकाई प्रमुखों द्वारा नियमित संयंत्र निरीक्षण और समीक्षाएं की जाती हैं तथा सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार सुरक्षा अधिकारियों द्वारा आंतरिक सुरक्षा जांच और प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा बाह्य सुरक्षा जांच, दोनों ही किए जाते हैं। इन लेखा–परीक्षाओं की सिफारिशों की समीक्षा की जाती है और उन्हें पूरी लगन से कार्यान्वित किया जाता है। इसके अलावा, एसपीएमसीआईएल यह सुनिश्चित करता है कि कर्मियों और सामग्रियों की सुरक्षा की देखरेख के लिए सभी इकाइयों में पर्याप्त संख्या में योग्य सुरक्षा अधिकारी तैनात किए जाएं। संविदाकर्ताओं के बीच सुरक्षा मानकों और प्रथाओं को लागू करने के लिए संविदा की सामान्य शर्तों में सुरक्षा खंड शामिल किए गए हैं।

लाभांश

सीपीएसई के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देशों के विषय पर निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/2/2016–नीति दिनांक 27.05.2016 के खंड 5.2 के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई, वर्तमान कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन, कर पश्चात लाभ (पीएटी) का 30% या निवल मूल्य का 5%, जो भी अधिक हो, का न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करेगी।

उपरोक्त के मद्देनजर, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने 31.03.2024 को कंपनी के निवल मूल्य का 5% होने के नाते ₹ 364.11 करोड़ के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो दीपम द्वारा जारी उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कर पश्चात लाभ (पीएटी) के 30% से अधिक है।

सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना

कंपनी भारत सरकार द्वारा जारी आरक्षण नीति के संबंध में सभी निर्देशों और दिशानिर्देशों को लागू करती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के संघ के प्रतिनिधियों के साथ आवधिक बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि मुद्दों, यदि कोई हो, को हल किया जा सके। 31 मार्च 2024 तक एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी के प्रतिनिधित्व और वर्ष 2023–24 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला

वार्षिक विवरण इस रिपोर्ट के ***अनुलग्नक–I*** में दिया गया है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुसंधान एवं विकास और विदेशी मुद्रा आय पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुसंधान एवं विकास और विदेशी मुद्रा आय और व्यय (प्रोद्भवन आधार पर) से संबंधित विवरण नीचे, रिपोर्ट के लिए ***अनुबंध–II*** में दिया गया है।

निदेशक मंडल

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हैं। निदेशकों और कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर, निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क प्रदान किया जाता है। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार, सरकार द्वारा नामित निदेशक कंपनी से कोई पारिश्रमिक या बैठक शुल्क प्राप्त नहीं करते। निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न निगम अभिशासन रिपोर्ट में पाया जा सकता है।

वर्ष 2023–24 के दौरान, श्री विजय रंजन सिंह ने 27.09.2023 से कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में पदभार ग्रहण किया। सुश्री तृप्ति पी. घोष ने 30.04.2023 से कंपनी की सीएमडी का पदभार छोड़ा।

श्री अनिल सुब्रमण्यम, संयुक्त सचिव (आईएस-I), गृह मंत्रालय को श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, तत्कालीन अपर सचिव (पी-II), गृह मंत्रालय के स्थान पर दिनांक 06.10.2023 से कंपनी के बोर्ड में भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में अंशकालिक निदेशक नियुक्त किया गया।

श्री आशीष वच्छानी, अपर सचिव (बजट), डीईए, वित्त मंत्रालय को सुश्री मनीषा सिन्हा, तत्कालीन अपर सचिव (सी एंड सी), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के स्थान पर दिनांक 04.03.2024 से कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने सरकारी कंपनियों को पूर्णकालिक निदेशक (निदेशकों) और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट दी है। तदनुसार, कंपनी के बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित नहीं है।

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की चार (4) बैठकें आयोजित की गईं। प्रत्येक निदेशक की बैठकों में भागीदारी का ब्यौरा निगम अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है और दोहराव से बचने के लिए यहां दोहराया नहीं जा रहा है।

निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के तहत आवश्यकताओं के अनुसार, धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (सी) में निर्दिष्ट निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण के संबंध में, यह एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है:

(क) वार्षिक लेखा तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की विसामान्यता की स्थिति में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है,

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें नियमित रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं, जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि 31.03.2024 को कंपनी की स्थिति और 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।

(ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के

प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त संरक्षण किया है।

(घ) निदेशकों ने गोइंग कंसर्न के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है, और

(ई) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

मैसर्स ज्ञानेंद्र एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट, नई दिल्ली को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए आपकी कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी की नौ इकाइयों के खातों की लेखापरीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नौ शाखा लेखा परीक्षकों को नियुक्त/पुनर्नियुक्त किया गया। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों (एकल और समेकित) का लेखापरीक्षण किया है और उनकी रिपोर्ट संबंधित वार्षिक खातों में संलग्न है। सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों में दी गई टिप्पणियों/अर्हताओं के संबंध में प्रबंधन के उत्तर ***अनुबंध–III*** में दिए गए हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत कंपनी के उपरोक्त वार्षिक खातों का पुनः लेखा परीक्षण किया और 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन के साथ–साथ समेकित वार्षिक खातों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां/टिप्पणियां क्रमशः ***अनुलग्नक– IV*** और ***V*** में दी गई हैं।

लागत लेखा परीक्षा

जैसा कि कंपनी (लागत रिकार्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के अंतर्गत निहित है, लागत लेखांकन रिकार्डों का संरक्षण कम्पनी की इकाइयों द्वारा किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) के प्रावधानों के अनुसरण में, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने मैसर्स शिखा नागा मल्लेश्वर राव एंड कंपनी, कॉस्ट अकाउंटेंट, बेंगलुरु को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया था। इसका उद्देश्य लागत लेखा परीक्षा की परिधि के तहत उपरोक्त नियमों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक आदेशों/स्पष्टीकरण के अनुसार एवं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा समय–समय पर जारी किए गए लागत लेखाकार मानकों के आधार पर लागत लेखा परीक्षा के दायरे में आपकी कंपनी के उत्पाद (उत्पादों) की लागत लेखा परीक्षा करना था।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9(1) के अनुसरण में, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी का सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए मैसर्स सौरभ अग्रवाल एंड कंपनी, कंपनी सचिव, दिल्ली को नियुक्त किया था। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट, जो सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित है और उनकी टिप्पणियों का उत्तर इस रिपोर्ट के ***अनुबंध–VI*** में संलग्न है।

आचार संहिता

आपकी कंपनी के बोर्ड ने निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए एसपीएमसीआईएल कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट एंड एथिक्स–2010 की घोषणा की है, जिसे सभी संबंधितों को परिचालित किया गया है और कंपनी की वेबसाइट पर भी पोस्ट किया गया है। निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वर्ष 2023–24 के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के

अनुरूप व्यवसाय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रणाली–आधारित दृष्टिकोण बनाये रखती है। बोर्ड ने जोखिम प्रबंधन नीति को मंजूरी दी है, जिसमें निगम कार्यालय और विनिर्माण इकाइयों में सभी कार्यों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है। इस नीति का उद्देश्य व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, रिपोर्टिंग और प्रबंधन में एक सक्रिय दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए, स्थिरता के साथ स्थायी व्यावसायिक प्रगति सुनिश्चित करना है। जोखिम प्रबंधन को मुख्य परिचालन प्रक्रिया में एकीकृत करके, एसपीएमसीआईएल संभावित खतरों को कम करने और अवसरों से लाभ उठाने के लिए समर्पित है, जिससे एक लचीले और सुरक्षित कारोबारी परिवेश को बढ़ावा मिलता है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जाता है। एसपीएमसीआईएल ने पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए हैं, जिनमें प्रलेखित नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो वित्तीय और अन्य परिचालन कार्यों की समीक्षात्मक और महत्वपूर्ण दोनों गतिविधियों को कवर करती हैं।

ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या विन्यास की रोकथाम या समय पर पता लगाना सुनिश्चित करते हैं, जिसका स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता है। सांविधिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के तहत कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना भी आवश्यक है। यह रिपोर्ट वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न है।

एसपीएमसीआईएल अपनी सभी प्रक्रियाओं और नियंत्रणों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने की दिशा में प्रयास जारी रखती है, जिससे वित्तीय प्रामाणिकता और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित किया जा सके।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश 2012

भारत सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए एक सार्वजनिक खरीद नीति अधिसूचित की है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व में एमएसई से 4% के उप–लक्ष्य के साथ एमएसई से 25% वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करनी है। इस नीति के अनुरूप एसपीएमसीआईएल ने एमएसई से खरीद के लिए सार्वजनिक खरीद नीति को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, एसपीएमसीआईएल एमएसई से निर्दिष्ट मदों की खरीद के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। सभी निविदाओं में एमएसई के भाग लेने की पात्रता बताने के प्रावधान शामिल किए गए हैं। यह सुनिश्चित करता है कि एमएसई के पास कंपनी की खरीद प्रक्रियाओं में योगदान देने और लाभ उठाने, उद्यमों की वृद्धि और विकास का समर्थन करने और समावेशी आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के पर्याप्त अवसर हैं।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित निगम अभिशासन पर दिशानिर्देशों में निर्धारित निगम अभिशासन की आवश्यकताओं के अनुसार, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, निदेशक की रिपोर्ट का हिस्सा होती है। प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के ***अनुलग्नक–VII*** के रूप में संलग्न है।

निगम अभिशासन

आपकी कंपनी ने निगम अभिशासन की दिशा में संरचित पहल की है, और इसकी प्रथाओं को विभिन्न हितधारकों द्वारा अत्यधिक महत्व दिया जाता है। एसपीएमसीआईएल लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित निगम अभिशासन पर दिशानिर्देशों में निर्धारित निगम अभिशासन की आवश्यकताओं का नियमित रूप से अनुपालन करती है।

इस रिपोर्ट के ***अनुबंध–VIII*** के रूप में संलग्न निगम अभिशासन रिपोर्ट में इन प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत

जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने निगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में वर्तमान कंपनी सचिव से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, जो निगम अभिशासन रिपोर्ट से संबंधित है।

आपकी कंपनी ने स्थापना के बाद से डीपीई द्वारा जारी निगम अभिशासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन पर 'उत्कृष्ट' ग्रेडिंग हासिल की है, जो निगम अभिशासन और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करती है।

सचिवीय मानकों का अनुपालन

आपकी कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान परिषद द्वारा जारी और केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।

समझौता ज्ञापन अनुपालन मानदंड

एसपीएमसीआईएल समझौता ज्ञापन 2023–24 के लिए पुष्टि करता है: (ए) सीएसआर व्यय पर डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन; (बी) बोर्ड संरचना, समितियों, बैठकों, संबंधित पार्टी लेनदेन और प्रकटीकरण और पारदर्शिता सहित कॉर्पोरेट प्रशासन पर कंपनी अधिनियम, 2013 का पालन; (सी) एमएसई खरीदः कुल खरीद का 18.23%; (डी) एससी/एसटी एमएसई खरीदः कुल खरीद का 0.08%; (ई) महिला एमएसई खरीदः कुल खरीद का 0.62% (एफ) प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप स्वास्थ्य और सुरक्षा सुधार के लिए पहल।

सांविधिक प्रकटीकरण

आपके निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों के तहत आवश्यक प्रकटीकरण किए हैं:

(1) वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ।

(2) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है।

(3) नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किए गए थे, जो भविष्य में कंपनी की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करते हों।

(4) कंपनी उपयुक्त निगरानी प्रक्रियाओं सहित आंतरिक नियंत्रणों की एक पर्याप्त प्रणाली बनाए रखती है, जो विभिन्न लेनदेन की सटीक और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग, संचालन की दक्षता और वैधानिक नियमों और कंपनी नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करती है।

(5) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अनुसार कोई ऋण, गारंटी नहीं दी है या कोई प्रतिभूति प्रदान नहीं की है।

(6) चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित नियम सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए कोई प्रकटीकरण करना आवश्यक नहीं है।

(7) सरकारी कंपनी होने के नाते, एसपीएमसीआईएल को निदेशकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन और निदेशक मंडल की रिपोर्ट में मूल्यांकन तंत्र के संबंध में प्रकटन से संबंधित सांविधिक प्रावधानों से छूट प्राप्त है।

(8) कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं, जो वित्तीय वर्ष के अंत यानी 31.03.2024 और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच हुए हैं। और

(9) कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी लागू दिशानिर्देशों के अधीन हैं।

(10) वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कोई आवेदन नहीं किया है और न ही कोई कार्यवाही लंबित है।

(11) ऐसे कोई उदाहरण नहीं थे जहां कंपनी को बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय एकमुश्त निपटान के लिए मूल्य निर्धारण की आवश्यकता हुई हो।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था का विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी अनुबंध या व्यवस्थाएं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार थीं। तदनुसार, कंपनी द्वारा अपने संबंधित पक्षों के साथ किए गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं के विवरण फॉर्म एओसी–2 में प्रकट किए गए हैं, जो इस रिपोर्ट के ***अनुलग्नक–IX*** में संलग्न हैं।

आभारोक्ति

निदेशक मंडल भारत सरकार से प्राप्त अमूल्य समर्थन और सहयोग के लिए अपना गहरा आभार व्यक्त करता है। बोर्ड, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, लोक उद्यम विभाग, गृह मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, पेंशन और परिवार कल्याण विभाग और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ–साथ कई बैंकों द्वारा प्रदान की गई सहायता की विशेष रूप से सराहना करता है।

इसके अलावा, बोर्ड, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षक, सचिवीय लेखा परीक्षक और लागत लेखा परीक्षक द्वारा दिए गए व्यावहारिक और रचनात्मक सुझावों के लिए आभारी है। इन योगदानों ने एसपीएमसीआईएल की परिचालन दक्षता और अभिशासन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अंत में, निदेशक मंडल कंपनी के सभी कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित अटूट समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा व्यक्त करता है। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण हमारी सफलता और विकास की आधारशिला है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह०/–
(विजय रंजन सिंह)
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06386038

दिनांकः 28/09/2024
स्थानः नई दिल्ली

अनुलग्न–I

31 मार्च 2024 तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व और वर्ष 2023–24 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

सार्वजनिक उद्यम का नामः भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

समूह	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व (31.03.2024 की स्थिति के अनुसार)					वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या												
						सीधी भर्ती द्वारा					पदोन्नति द्वारा			अन्य तरीके (आंतरिक भर्ती)				
	कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित सूचित सूचित	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित सूचित सूचित	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
समूह 'क'	373	50	22	88	3	29	2	2	7	3	123	14	4	0	0	0	0	0
समूह 'ख'	913	138	88	210	9	32	1	2	11	3	80	13	14	0	0	0	0	0
समूह 'ग'	4466	857	374	993	50	361	68	19	194	27	635	87	44	0	0	0	0	0
कुल	**5752**	**1045**	**484**	**1291**	**62**	**422**	**71**	**23**	**212**	**33**	**838**	**114**	**62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट
31 मार्च 2024 तक पीडब्ल्यूडी का प्रतिनिधित्व

समूह	31.03.2024 को कुल प्रतिनिधित्व						सीधी भर्ती					पदोन्नति					प्रतिनियुक्ति				
	कुल कर्मचारी	पी	क्यू	आर	एस	टी	पी	क्यू	आर	एस	टी	पी	क्यू	आर	एस	टी	पी	क्यू	आर	एस	टी
ग्रुप क	373	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग्रुप ख	913	1	0	10	0	3	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
ग्रुप ग	4466	15	38	50	0	25	1	2	5	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**5752**	**16**	**38**	**60**	**0**	**28**	**1**	**2**	**7**	**0**	**0**	**0**	**2**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

नोटः

(i) पी– अंधता और कम दृष्टि

(ii) क्यू – बहरापन और सुनने में कठिनाई

(iii) आर–सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग से मुक्ति, बौनापन, तेजाब हमला पीड़ित, एवं मांसपिशी दुर्विकास सहित चलन निःशक्तता

(iv) एस– ऑटिज्म, बौद्धिक निःशक्तता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटी एवं मानसिक रोग

(v) टी –ए से डी तक बहु–विकलांगता जिसमें बहरा–अंधापन शामिल है।

अनुलग्नक–II

कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत अधिसूचित नियमों के प्रावधानों के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुसंधान एवं विकास और विदेशी मुद्रा आय और व्यय पर रिपोर्ट।

(क) ऊर्जा का संरक्षण

ऊर्जा संरक्षण की दिशा में निरंतर प्रयासों के रूप में, वर्ष 2023– 24 के दौरान कई ऊर्जा संरक्षण परियोजनाएं लागू की गई हैं:

- सभी इकाइयों ने बैटरी संचालित सौर लाइटें स्थापित की हैं और पुरानी लाइटों को नई ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटों से बदल दिया है जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा की बचत हुई है।
- एसपीएम, नर्मदापुरम में तेल से चलने वाले बॉयलर को एलपीजी बॉयलर से बदला गया है, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा की बचत के साथ–साथ पर्यावरण की रक्षा हुई है।

(ख) प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार

1. प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार की दिशा में किए गए प्रयासः

उत्पाद पैटर्न और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के साथ–साथ पर्यावरण उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए, आपकी कंपनी दुनिया भर में नवीनतम विकास के अनुरूप अधिकांश आधुनिक तकनीकों को अपनाने के उपाय कर रही है।

2. उपरोक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ जैसे उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन आदि।

प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार के परिणामस्वरूप स्वदेशीकरण, क्षमता वृद्धि और परिचालन दक्षता में वृद्धि आदि होगी।

3. आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष के आरंभ से पिछले 5 वर्षों के दौरान आयातित) निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत की जा सकती है:

(क) प्रौद्योगिकी का आयात	:	– लागू नहीं
(ख) आयात का वर्ष	:	– लागू नहीं
(ग) क्या प्रौद्योगिकी को पूर्ण रूप से अवशोषित किया गया है	:	– लागू नहीं

(ग) अनुसंधान और विकास (आर एंड डी)

1. विशिष्ट क्षेत्र जिनमें कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास किया जाता है

– स्याही कारखाना बीएनपी, देवास ने कलर शिफ्ट इंटैग्लियो (सीएसआई) स्याही विकसित की है। थोक उत्पादन शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

– निगम अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, नासिक ने पासपोर्ट विशिष्ट स्याही टग्गैंट के विकास के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी), मुंबई के साथ सहयोग किया है और इस पर कार्रवाई की जा रही है।

– निगम अनुसंधान एवं विकास केंद्र, नासिक ने रिसर्च एलायंस एंड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट (आरएएफए) के तहत वार्निश विनिर्देशों के लिए आरबीआई की आवश्यकताओं के अनुसार बैंक नोटों के लिए एंटी–सॉइलिंग ओवर प्रिंट वार्निश को बनाने और अनुकूलन के लिए एनसीएल, पुणे के साथ एक परियोजना विशिष्ट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

2. उपरोक्त आर–डी के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ

कंपनी महत्वपूर्ण कच्चे माल का स्वदेशी रूप से उत्पादन करने में सक्षम होगी और इस प्रकार अपने परिचालन में अधिक स्वदेशीकरण लाएगी, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की बचत होगी और कच्चे माल के घरेलू निर्माण में वृद्धि होगी।

3. भविष्य की कार्ययोजना

स्वदेशीकरण को बढ़ावा, परिचालनिक दक्षताओं में वृद्धि, उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग, प्रक्रिया की पुनर्रचना आदि

4. अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर ₹ 2102.95 लाख व्यय किया है। व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:–

राजस्व व्यय : ₹ 691.66 लाख

पूंजीगत व्यय : ₹ 1,411.31 लाख

कुल : ₹ 2,102.97 लाख

(घ) विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

क्र.सं.	विदेशी मुद्रा आय/व्यय	2023–24 (₹ करोड़ में)	2022–23 (₹ करोड़ में)
1.	विदेशी मुद्रा आय	0.10	0.06
2.	विदेशी मुद्रा व्यय	286.93	189.53

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह०/–
(विजय रंजन सिंह)
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06386038

दिनांकः 28/09/2024
स्थानः नई दिल्ली

अनुलग्नक III – 10 जुलाई 2024 की एकल और समेकित वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में टिप्पणियों/योग्यताओं का स्पष्टीकरण

क्र.सं.	लेखा परीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाब
1.	**प्रतिभूति कागज़ कारख़ाना, नर्मदापुरम मामले का महत्व** वित्तीय विवरण में नोट 25 (बी) जिसमें कहा गया है कि, एसपीएम नर्मदापुरम के मामले में, माइक्रो एंड स्मॉल फैसिलिटेशन काउंसिल ने एमएसएमईडी अधिनियम 2000 के अनुसार आपूर्तिकर्ता द्वारा दायर दो मामलों में ₹ 126.28 लाख और ₹ 231.28 लाख की मूल राशि और ब्याज का भुगतान करने का निर्देश पारित किया है। कंपनी ने इन आदेशों के खिलाफ अपील दायर की है और ₹ 263.99 लाख रुपये की अपील उच्च न्यायालय में लंबित है। ₹ 126.28 लाख प्लस ₹ 137.71 लाख और जिला अदालत में ₹ 93.57 लाख और इसे आकस्मिक देनदारी के रूप में दिखाया गया है।	रंगारेड्डी जिला न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के अंतर्गत माननीय तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई है। इन मुकदमों में सुनवाई की अगली तारीख 16.06.2025 है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत एमएसईएफसी, हैदराबाद के आदेश के खिलाफ मलकाज गिरी जिला न्यायालय, हैदराबाद के समक्ष याचिका दायर की गई है, मामले में सुनवाई की तारीख 21.09.2024 है. चूकि दोनों मामले संबंधित अदालतों में लंबित हैं और यह संभव नहीं है कि उक्त दायित्वों को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, इसलिए, इसे इस प्रकार आकस्मिक दायित्व दिखाया गया है।
2.	**भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक मामले का महत्व** वित्तीय विवरण में नोट 36 जिसमें कहा गया है कि व्यापार प्राप्य, अन्य परिसंपत्तियों, व्यापार और अन्य देय का शेष संबंधित पक्षों के साथ पुष्टि/समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन है।	सभी ग्राहकों को 31.03.2024 को उनकी शेष राशि की पुष्टि करने के लिए पुष्टिकरण पत्र भेजे गए थे। इसी तरह, 31.03.2024 तक 1 लाख और उससे अधिक की बकाया राशि वाले सभी विक्रेताओं को पत्र भेजे गए थे। तथापि, कुछ से शेष पुष्टिकरण की प्रतीक्षा की जा रही है
3.	**चलार्थ पत्र मुद्रणालय, नासिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण** 31–03–2022 को समाप्त वर्ष के लिए इकाई की ऑडिट रिपोर्ट के अनुलग्नक–I के खंड (ii) (ए) के संदर्भ में, 500 मूल्य वर्ग का एक बंडल (1000 नोट) गायब था और जांच एजेंसियों की मदद से उसी की	लापता बंडल से संबंधित कानूनी कार्यवाही का निपटान माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, नासिक रोड कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 24–08–2022 के माध्यम से कर दिया है। आदेश के अनुसार, यह आपराधिक

क्र.सं.	लेखा परीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाब
	जांच चल रही थी। बंडल की लागत यानी ₹ 0.03 लाख को डब्ल्यूआईपी इन्वेंटरी से हटा दिया गया था और अन्य प्राप्य के रूप में रिपोर्ट किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट मंडल–I न्यायालय, नासिक रोड, नासिक के आदेश दिनांक 24–08– 2022 के अनुसार, जांच के बाद सहायक पुलिस आयुक्त, नासिक की सिफारिश के आधार पर, मामला 'सी' सारांश टिप्पणी के साथ बंद कर दिया गया है।	अपराध का मामला नहीं है। इकाई के सांविधिक लेखा परीक्षकों की सिफारिश, के अनुसार इस लेनदेन के प्रभाव का उचित समायोजन वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान खातों की पुस्तकों में किया जाएगा।
4.	**भारत सरकार टकसाल, मुंबई सीएआरओ** परेल संपत्ति में अतिक्रमण हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है: 1. भवन संख्या 09, परेलमिंट कॉलोनी के पीछे, साईराम आदर्श सेवामंडल के तहत लगभग 500 वर्ग मीटर में अतिक्रमण है। 2. मिंट कॉलोनी का उत्तरी कोना, लगभग 1000 वर्गमीटर, महंत गोदावरीगिरि जी के आश्रम और उनके अनुयायियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है।	कानूनी परामर्श के बाद, कंपनी इस मुद्दे को हल करने के लिए ग्रेटर मुंबई नगर निगम और पुलिस आयुक्त को प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है। यदि नियत समय के भीतर, आवश्यक सहायता प्राप्त नहीं होती है, तो कंपनी महाराष्ट्र के माननीय उच्च न्यायालय से संपर्क करेगी।

हस्ता/–
(विजय रंजन सिंह)
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक
डीआईएन:06386038

दिनांकः 28/09/2024
स्थानः नई दिल्ली

परिशिष्ट–IV

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) के एकल वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) के एकल वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उनके द्वारा दिनांक 10.07.2024 की अपनी ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एसपीएमसीआईएल के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य पत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या पूरक हो।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
के लिए और की ओर से

ह०/–
(पुरुषोत्तम तिवारी)
लेखापरीक्षा महानिदेशक
(वित्त और संचार)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27/09/2024

परिशिष्ठ–V

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरण पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उनके द्वारा दिनांक 10.07.2024 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) के समेकित वित्तीय विवरणों के अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ए) के तहत एक पूरक लेखा परीक्षा की है। हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) (कंपनी) और बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (संयुक्त उद्यम) के वित्तीय विवरणों का पूरक ऑडिट किया। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य पत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या पूरक हो।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
के लिए और की ओर से

ह०/–
(पुरुषोत्तम तिवारी)
लेखापरीक्षा महानिदेशक
(वित्त और संचार)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27/09/2024

फॉर्म संख्या एमआर 3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार)

सेवा में,
सदस्यगण,
भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
सीआईएनः यू22213डीएल2006जीओआई144763
16वां तल, जवाहर व्यापार भवन,
नई दिल्ली 110001

हमने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और निगम प्रथाओं के पालन हेतु **भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड** (जिसे आगे "कंपनी" कहा गया है) का सचिवीय लेखा परीक्षण किया है। सचिवीय ऑडिट इस तरीके से किया गया, जिससे हमें निगम आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान हुआ।

भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की पंजियों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और दाखिल किए गए रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड और सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, हमें प्रदान किए गए विवरण और स्पष्टीकरण, प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन के हमारे सत्यापन के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली ऑडिट अवधि के दौरान सामान्य तौर पर यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं अनुपालन–तंत्र इसके पश्चात, रिपोर्टिंग की सीमा, प्रक्रिया और उसके अधीन, उचित रूप से मौजूद हैं।

हमने 31 दिसंबर को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखे गए बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फॉर्मों और दाखिल किए गए रिटर्न और अन्य रिकॉर्डों की जांच की है। 31 मार्च, 2024 के प्रावधानों के अनुसारः

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और समय–समय पर संशोधित इसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियम और उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक इसके तहत बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देशः –

क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011; ***(ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं).***

ख. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015; **(ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)।**

ग. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2009; ***(ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं).***

घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014; ***(ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)***

ड. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण), विनियम, 2008; **(लागू नहीं).**

च. कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ लेनदेन के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993; ***(लागू नहीं है क्योंकि कंपनी समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान जारी करने और शेयर हस्तांतरण एजेंट के रूप में रजिस्ट्रार के रूप में पंजीकृत नहीं है).***

छ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2009; ***(लागू नहीं है क्योंकि कंपनी ने अपने इक्विटी शेयरों को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं किया है)।*** और

ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी खरीद) विनियम, 1998; ***(लागू नहीं है क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी किसी भी प्रतिभूति को वापस नहीं खरीदा है/खरीदने का प्रस्ताव नहीं किया है)।***

(vi) कंपनी द्वारा दिए गए वचन के अनुसार कंपनी ने उद्योग पर लागू अन्य कानूनों का अनुपालन किया हैः

1. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934;
2. कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952;
3. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972;

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की हैः

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन उपरोक्त उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया हैः –

कंपनी पर विशेष रूप से लागू अन्य कानूनों के संबंध में, हमने ऑडिट के दौरान कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी/डेटा पर भरोसा किया है और रिपोर्टिंग उसी सीमा तक सीमित है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल का गठन स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

1. श्री आशीष वच्छानी (डीआईएन– 08189848) को 04/03/2024 से सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
2. श्री अनिल सुब्रमण्यम (डीआईएन–10344845) को 06/10/2023 से सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
3. श्री विजय रंजन सिंह (डीआईएन– 06386038) को 27/09/2023 से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई है, एजेंडा और कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स निर्धारित समय सीमा के भीतर भेजे गए थे, और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने और सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

निदेशक मंडल एवं समिति की बैठक के सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिये गये।

हमारे अनुसार लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं।

हम आगे इसकी रिपोर्ट करते हैं ऑडिट अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं घटी जिसका कंपनी के कानूनों, नियमों, विनियमों और मानकों आदि के अनुसरण में कोई बड़ा असर पड़ा हो।

सौरभ अग्रवाल एंड कंपनी के लिए
कंपनी सचिव

ह०/–
सौरभ अग्रवाल
साझेदार
एफसीएस नंबर: 5430
सी.पी. क्रमांक: 4868
यूडीआईएन: एफ005430एफ000747622

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16/07/2024

इस रिपोर्ट को हमारे सम दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो 'अनुलग्नक ए' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

'अनुलग्नक ए'

सेवा में,
सदस्यगण,
भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
सीआईएनः U22213DL2006GOI144763
16वां तल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ
नई दिल्ली 110001

इस पत्र के साथ वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2024 के लिए हमारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट पढ़ना चाहिए।

➢ ***प्रबंधन की जिम्मेदारी***

1. सचिवीय रिकॉर्ड बनाए रखना, सभी लागू कानूनों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार करना और यह सुनिश्चित करना कि सिस्टम पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से संचालित हों, यह कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है;

➢ ***लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी***

2. हमारी जिम्मेदारी सचिवीय अनुपालन के संबंध में कंपनी द्वारा अपनाए गए इन सचिवीय रिकॉर्ड, मानकों और प्रक्रियाओं पर एक राय व्यक्त करना है;
3. हमारा मानना है कि कंपनी के प्रबंधन से प्राप्त ऑडिट साक्ष्य और जानकारी हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है;
4. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं;
5. जहां भी आवश्यक हुआ हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के घटित होने के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है;

➢ ***अस्वीकरण***

6. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है;
7. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की पुस्तकों की शुद्धता और विनियोजन का सत्यापन नहीं किया है।

सौरभ अग्रवाल एंड कंपनी के लिए
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 16/07/2024

ह०/–
सौरभ अग्रवाल
साझेदार
एफसीएस नंबरः 5430
सी.पी. क्रमांकः 4868
यूडीआईएनः एफ005430एफ000747622

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) प्रबंधन ने कंपनी के प्रदर्शन और दृष्टिकोण को शामिल करते हुए अपनी विश्लेषण रिपोर्ट इस प्रकार प्रस्तुत की है:

क. उद्योग संरचना और विकास

1.1. विश्व आर्थिक परिदृश्य

2022–23 की वैश्विक अवस्फीति के माध्यम से आर्थिक गतिविधि आश्चर्यजनक रूप से लचीली थी। जैसे–जैसे वैश्विक मुद्रास्फीति 2022 के मध्य में अपने चरम से नीचे आई, मुद्रास्फीतिजनित मंदी और वैश्विक मंदी की चेतावनियों के विपरीत आर्थिक गतिविधियां लगातार बढ़ीं। रोजगार और आय में वृद्धि स्थिर रही, जो सहायक मांग के विकास (सपोरटिव डिमांड डेवलपमेंट) को दर्शाती है – जिसमें प्रत्याशा से अधिक सरकारी खर्च और घरेलू खपत शामिल है – और विशेष रूप से, श्रम बल की भागीदारी में अप्रत्याशित वृद्धि के बीच आपूर्ति पक्ष का विस्तार शामिल है। मूल्य स्थिरता बहाल करने के उद्देश्य से केंद्रीय बैंक की ब्याज दरों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी के बावजूद अप्रत्याशित आर्थिक लचीलापन, प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में महामारी के दौरान परिवारों की जमा हुई पर्याप्त बचत को आकर्षित करने की क्षमता को भी दर्शाता है।

2023 में, 3.2 प्रतिशत की वैश्विक वृद्धि अनुमानित थी, 2024 और 2025 में इसके इसी गति से जारी रहने का अनुमान है। अभी भी उच्च उधार लेने की लागत और निकासी जैसे निकट अवधि के कारकों के कारण, विस्तार की गति ऐतिहासिक मानकों से कम है। राजकोषीय सहायता, और कोविड–19 महामारी और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से दीर्घकालिक प्रभाव; उत्पादकता में धीमी वृद्धि; और भू–आर्थिक विखंडन बढ़ रहा है। वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति 2023 में वार्षिक औसत 6.8 प्रतिशत से गिरकर 2024 में 5.9 प्रतिशत और 2025 में 4.5 प्रतिशत होने की उम्मीद है, उन्नत अर्थव्यवस्थाएं उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में जल्द ही अपने मुद्रास्फीति लक्ष्य पर लौट आएंगी। अब से पांच साल बाद, वैश्विक वृद्धि का नवीनतम पूर्वानुमान–3.1 प्रतिशत––दशकों में सबसे कम– है। मध्यम और निम्न–आय वाले देशों के लिए उच्च जीवन स्तर की दिशा में बढ़ने की गति धीमी हो गई है, जिसका अर्थ है कि वैश्विक आर्थिक असमानताएं बनी हुई हैं।

वैश्विक दृष्टिकोण के जोखिम अब मोटे तौर पर संतुलित हैं। नकारात्मक पक्ष में, यूक्रेन में युद्ध और गाजा और इज़राइल में संघर्ष सहित अन्य भू–राजनीतिक तनाव से उत्पन्न होने वाली कीमतों में नई वृद्धि के साथ ही, कोर मुद्रास्फीति, जहां श्रम बाजार अभी भी तंग हैं, के कारण ब्याज दरों की उम्मीद बढ़ सकती हैं और परिसंपत्ति की कीमतें कम हो सकती हैं। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच अवस्फीति की गति में अंतर के कारण भी मुद्रा में उतार–चढ़ाव हो सकता है, जिससे वित्तीय क्षेत्र दबाव में आ सकते हैं। उच्च ब्याज दरों का अनुमान से कहीं अधिक शीतलन प्रभाव हो सकता है क्योंकि निश्चित दर बंधक रीसेट हो जाते हैं और परिवार उच्च ऋण से जूझते हैं, जिससे वित्तीय तनाव पैदा होता है।

जैसे–जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था नरम स्थिति में आ रही है, केंद्रीय बैंकों के लिए प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि मुद्रास्फीति सुचारू रूप से नीचे आए, न तो समय से पहले नीतियों को आसान बनाना और न ही बहुत अधिक देरी करना और लक्ष्य को कम करना। साथ ही, चूंकि केंद्रीय बैंक कम प्रतिबंधात्मक रुख अपनाते हैं, इसलिए बजटीय पैंतरेबाज़ी और प्राथमिकता वाले निवेशों के लिए जगह बनाने और ऋण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मध्यम अवधि के राजकोषीय समेकन को लागू करने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। अंतर–देशीय मतभेदों के लिए अनुरूप नीतिगत प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता होती है। आपूर्ति–बढ़ाने वाले सुधारों को तेज करने से मुद्रास्फीति और ऋण में कमी की सुविधा मिलेगी,

1. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2024/04/16/world-economic-outlook-april-2024

अर्थव्यवस्थाओं को उच्च पूर्व–महामारी युग के औसत की ओर विकास बढ़ाने की अनुमति मिलेगी, और उच्च आय स्तरों की ओर बढ़ने में तेजी आएगी। भू–आर्थिक विखंडन और जलवायु परिवर्तन की लागत और जोखिमों को सीमित करने, हरित ऊर्जा में परिवर्तन को गति देने और ऋण पुनर्गठन की सुविधा के लिए बहुपक्षीय सहयोग की आवश्यकता है।



***स्रोतः** अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)*

1.2. भारतीय आर्थिक परिदृश्य2

भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य उज्ज्वल बना हुआ है, जो व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों, मजबूत वित्तीय और कॉर्पोरेट क्षेत्रों और एक लचीले बाहरी क्षेत्र की निरंतर मजबूती पर आधारित है। राजकोषीय समेकन को आगे बढ़ाते हुए पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर जोर, और उपभोक्ता और व्यापार आशावाद निवेश और उपभोग मांग के लिए अच्छा संकेत है।

भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2023–24 के दौरान कमजोर बाहरी मांग, दीर्घकालिक भू–राजनीतिक तनाव और अस्थिर वैश्विक वित्तीय बाजारों से लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद लचीलेपन का प्रदर्शन किया। 2023–24 में लगातार तीसरे वर्ष वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7 प्रतिशत और उससे अधिक बनी रही, जो पूंजीगत व्यय पर सरकार के फोकस के कारण निश्चित निवेश में मजबूत वृद्धि द्वारा समर्थित थी। आपूर्ति पक्ष पर, इनपुट कीमतों में सुधार और सेवा गतिविधि में निरंतर गति से विनिर्माण क्षेत्र की लाभप्रदता में वृद्धि से आर्थिक गतिविधि में सुधार हुआ, भले ही कृषि क्षेत्र की गतिविधि में मंदी देखी गई।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के दूसरे अग्रिम अनुमान (एसएई) के अनुसार, 2022–23 में 7.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2023–24 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2023–24 में मांग पक्ष से जीडीपी प्रदर्शन (उपभोग, निवेश और निवल निर्यात)

i. निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) वित्त वर्ष 2023–24 में सकल घरेलू उत्पाद के 55.6% हिस्से पर 3.0% की दर से बढ़ने का अनुमान है।

ii. वित्त वर्ष 2023–24 में सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) सकल घरेलू उत्पाद के 9.6% हिस्से पर 3.0% की दर से बढ़ने का अनुमान है।

iii. सकल स्थिर पूंजी निर्माण, देश भर में निवेश का एक संकेतक, वित्त वर्ष 2023–24 में 10.2% की वृद्धि देखने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 2023–24 में सकल घरेलू उत्पाद का 34.1% हिस्सा होगा।

वृद्धि आउटलुक

भारतीय अर्थव्यवस्था प्रतिकूल वैश्विक व्यापक आर्थिक और वित्तीय माहौल का सामना कर रही है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि ठोस निवेश मांग के कारण मजबूत है जो बैंकों और निगमों की स्वस्थ बैलेंस शीट, पूंजीगत व्यय पर सरकार के फोकस और विवेकपूर्ण मौद्रिक, नियामक और राजकोषीय नीतियों द्वारा समर्थित है।

जैसे–जैसे हेडलाइन मुद्रास्फीति लक्ष्य की ओर बढ़ेगी, यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग मांग को बढ़ाएगी। विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में बाहरी क्षेत्र की ताकत और बफर घरेलू आर्थिक गतिविधि को वैश्विक प्रभाव से बचाएंगे। भू–राजनीतिक तनाव, भू–आर्थिक विखंडन, वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता, अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी मूल्य में उतार–चढ़ाव और अनियमित मौसम विकास विकास के दृष्टिकोण के लिए नकारात्मक जोखिम और मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण के लिए उल्टा जोखिम पैदा करते हैं। भारतीय

2 https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/AnnualReport/PDFs/0ANNUALREPORT202324_FULLDF549205FA214F62A2441C5320D64A29.PDF

अर्थव्यवस्था को एआई/एमएल प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने और बार–बार आने वाले जलवायु झटकों से उत्पन्न मध्यम अवधि की चुनौतियों से भी निपटना होगा। फिर भी, यह व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के माहौल में अगले दशक में अपने विकास पथ को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है ताकि अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त करके और अपने प्रतिस्पर्धी लाभों का फायदा उठाकर अपनी विकासात्मक आकांक्षाओं को प्राप्त किया जा सके, जिसने इसे दुनिया की बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे रखा है। .

1.3. प्रमुख उद्योग रुझान[3]

भारत में डिजिटल भुगतान में पिछले दशक में अद्वितीय वृद्धि देखी गई है। आज, भारत में किए जाने वाले सभी भुगतानों में से 40% से अधिक डिजिटल हैं, जिनमें यूपीआई की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जिसका उपयोग 30 करोड़ से अधिक व्यक्ति और 5 करोड़ से अधिक व्यापारी करते हैं। आज, 2022 के आंकड़ों के अनुसार, दुनिया के सभी देशों में, भारत सबसे अधिक डिजिटल लेनदेन वाला देश है, जिसकी हिस्सेदारी लगभग 46% है। भारत के बाद ब्राजील, चीन, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया हैं। 2016 में केवल दस लाख लेनदेन से, यूपीआई ने अब तक 10 बिलियन (1,000 करोड़) लेनदेन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। यूपीआई ने जो सबसे बड़ा बदलाव लाया है वह भारतीयों के लेन–देन की प्रवृत्ति में है। ग्लोबल डेटा रिसर्च के अनुसार, 2017 में नकद लेनदेन कुल मात्रा के 90 प्रतिशत से घटकर 60 प्रतिशत से भी कम हो गया है। 2016 में ₹ 500 और ₹1000 के नोट बंद होने के छह महीने के भीतर, यूपीआई पर कुल लेनदेन की मात्रा 2.9 मिलियन से बढ़कर 72 मिलियन हो गई। 2017 के अंत तक, यूपीआई लेनदेन पिछले वर्ष की तुलना में 900 प्रतिशत बढ़ गया था, और तब से इसने अपना विकास पथ जारी रखा है।

इसके अतिरिक्त, सिक्कों, बैंक नोटों और सुरक्षा मुद्रण के संबंध में निम्नलिखित कुछ प्रमुख रुझानों की पहचान की गई है :–

i) सिक्के

नकदी की मांग में निरंतर वृद्धि के साथ–साथ खुदरा डिजिटल भुगतान में वृद्धि के उभरते परिदृश्य में, सिक्कों के उपयोग और प्राथमिकता तथा मांग को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 2023 में एक सर्वेक्षण किया गया था, जो नकदी और सिक्कों की कमी/अधिशेषता का आकलन करता है। । सर्वेक्षण में कुल 22,725 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया, जिसमें 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 11,474 उपभोक्ता और 11,251 व्यापारी (जैसे छोटे निर्माता, खुदरा व्यापारी और सेवा प्रदाता) शामिल थे। कुल उत्तरदाताओं में से लगभग 63 प्रतिशत ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों से थे, 19 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों से और 18 प्रतिशत महानगरीय केंद्रों से थे।

सर्वेक्षण के अनुसार, 56.7% उपभोक्ता उत्तरदाताओं को खरीदारी, यात्रा और दान करते समय मुख्य रूप से बदलाव के लिए सिक्कों की आवश्यकता होती है। ₹5 के सिक्कों की आवश्यकता सबसे अधिक थी, उसके बाद ₹2 और ₹10 की आवश्यकता थी। अधिकांश उत्तरदाताओं ने बताया कि पिछले एक वर्ष में उन्हें सिक्कों की कोई कमी नहीं हुई है।

लगभग दो–तिहाई व्यापारी उत्तरदाताओं ने व्यापारिक लेनदेन, यात्रा और दान के लिए सिक्कों का उपयोग किया, इसका उपयोग सेवा प्रदाताओं के बाद खुदरा व्यापारियों के बीच अधिक है। ₹5 के सिक्कों की आवश्यकता सबसे अधिक थी, उसके बाद ₹2 के सिक्कों और ₹10 के सिक्कों की आवश्यकता थी। लगभग 25% उत्तरदाताओं ने पिछले एक वर्ष में सिक्कों की कमी का हवाला दिया, जबकि 41% ने इसे मौसमी कारक माना।

ii) **बैंकनोट्सः**

आरबीआई द्वारा किए गए उपर्युक्त सर्वेक्षण के अनुसार, 80% से अधिक उपभोक्ता उत्तरदाताओं को खरीदारी, यात्रा, उपयोगिता/शुल्क भुगतान और आपात स्थिति

3 https://pib.gov.inPressReleaseIframePage.aspx?PRID=1973082& ref=indiatech.com

4 https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/AnnualReport/PDFs0ANNUALREPORT202324_FULLDF549205FA214F62A2441C5320D64A29.PDF

के लिए बैंक नोटों की आवश्यकता होती है। 70% से अधिक उत्तरदाताओं ने ₹50 और उससे नीचे के बैंकनोटों की तुलना में ₹100 और उससे अधिक के बैंकनोटों की बेहतर उपलब्धता का हवाला दिया। लगभग 80% उत्तरदाताओं को पिछले एक वर्ष में बैंक नोटों की कमी का सामना नहीं करना पड़ा।

लेन–देन के टिकट आकार में वृद्धि के साथ, उपभोक्ता उत्तरदाताओं के बीच प्राथमिकता डिजिटल भुगतान की ओर स्थानांतरित हो गई है। अखिल भारतीय औसत की तुलना में, सुरक्षा चिंताओं के अलावा, डिजिटल भुगतान मोड के साथ कम परिचियता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान के उपयोग की पहुंच कम थी। यह असमानता 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों में अधिक स्पष्ट थी।

इसके अलावा, लगभग 90% व्यापारी उत्तरदाताओं ने व्यापारिक लेनदेन, यात्रा और अत्यावश्यकताओं के लिए बैंक नोटों का उपयोग किया। उत्तरदाताओं ने विशेष रूप से ₹100 और उससे अधिक के बैंक नोटों की आसान उपलब्धता पर ध्यान दिया। 80% से अधिक उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्हें पिछले एक साल में बैंक नोटों की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। लेनदेन मूल्य में वृद्धि के साथ डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता दी गई। हालाँकि, डिजिटल भुगतान के तरीकों से परिचित न होने और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान विकल्पों के उपयोग में बाधा के रूप में रिपोर्ट किया गया था। संक्षेप में, सर्वेक्षण ने संकेत दिया कि, जबकि नकदी प्रचलित रही, भुगतान के डिजिटल तरीके जनता के बीच आकर्षण प्राप्त कर रहे थे।

iii. प्रतिभूति मुद्रणः

बढ़ती सीमा सुरक्षा चिंताओं और अंतरराष्ट्रीय यात्रा में प्रमाणीकरण की आवश्यकता के कारण पासपोर्ट और वीज़ा टिकट जैसे पहचान उत्पादों की वैश्विक मांग वास्तव में बढ़ रही है। कई देश, घरेलू स्तर पर इन सुरक्षा उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता होने के बावजूद, वैश्विक बाजार से घटकों को आउटसोर्स करना या खरीदना चुनते हैं, जिससे दुनिया भर में प्रतिभूति मुद्रण सेवाओं की मजबूत मांग पैदा होती है।

हालाँकि, ई–स्टैम्पिंग, ई–आईडी और डिजिटल स्टैम्प जैसी डिजिटल तकनीकों का उदय पारंपरिक प्रतिभूति मुद्रण उद्योग के लिए चुनौतियाँ पैदा कर रहा है। भौतिक से डिजिटल समाधानों की ओर बदलाव अधिक प्रमुख होता जा रहा है, विशेष रूप से भारत में, जहां इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षित बैंक ट्रेजरी रसीद (ई–एसबीटीआर) जैसे उपकरणों को अपनाया जा रहा है। यह प्रवृत्ति संभावित रूप से पारंपरिक गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर मुद्रण व्यवसाय को बाधित कर सकती है, जो प्रतिभूति मुद्रण उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।

इसके अलावा, भारतीय प्रतिभूति मुद्रण बाजार में प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। निजी प्रतिभूति प्रिंटर स्मार्ट कार्ड और अन्य नवीन उत्पादों जैसे उभरते क्षेत्रों में हिस्सेदारी के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी तकनीकी क्षमताओं को तेजी से उन्नत कर रहे हैं। यह बढ़ती प्रतिस्पर्धा, डिजिटल समाधानों की ओर बदलाव के साथ मिलकर, पारंपरिक सुरक्षा मुद्रण व्यवसायों के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है।

सुरक्षा मुद्रण क्षेत्र की कंपनियों के लिए, ये विकास उभरते बाजार परिदृश्य में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए डिजिटल समाधानों में नवाचार करने और संभवतः विविधता लाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।

बी. एसपीएमसीआईएल का एसडब्ल्यूओटी (SWOT) विश्लेषण

(i) ताकतः

1. मुख्य क्षेत्रों में एकाधिकारः

एसपीएमसीआईएल भारत में सिक्के ढालने, पासपोर्ट प्रिंट करने, गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर और डाक स्टेशनरी के लिए अधिकृत एकमात्र संगठन है, जो इसे बाजार में एक अद्वितीय स्थान देता है।

2. **लंबे समय से चली आ रही विशेषज्ञता:**

मुद्रा मुद्रण में 75 से अधिक वर्षों के अनुभव और दो शताब्दियों से अधिक के मिंटिंग अनुभव के साथ, एसपीएमसीआईएल ने गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए एक मजबूत प्रतिष्ठा स्थापित की है।

3. **आईएसओ प्रमाणपत्र:**

एसपीएमसीआईएल की इकाइयां आईएसओ 9001:2000, आईएसओ 14001:2004 प्रमाणित हैं, जो गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखने में इसकी विश्वसनीयता को बढ़ाती है।

4. **उन्नत गुणवत्ता आश्वासन:**

कंपनी के गुणवत्ता आश्वासन विभाग उत्पाद उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए उन्नत परख प्रयोगशालाओं और विशेष विश्लेषण तकनीकों से लैस हैं।

5. **अंतरराष्ट्रीय अनुभव:**

एसपीएमसीआईएल के पास नेपाल और थाईलैंड जैसे विदेशी देशों के लिए टकसाल और बैंकनोट मुद्रण में पूर्व अंतरराष्ट्रीय अनुभव है, जो वैश्विक मानकों को पूरा करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करता है।

6. **विविध उत्पाद पोर्टफोलियो:**

मंदिरों और आध्यात्मिक स्थानों को दान की गई कीमती धातुओं के लिए प्रतिभूति मुद्रण उत्पादों, स्मारक सिक्कों और शोधन सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला इसकी विविध पेशकशों को बढ़ाती है।

7. **मजबूत ग्राहक आधार:**

एसपीएमसीआईएल अपने उत्पादों की स्थिर मांग सुनिश्चित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, बैंकों, मंदिर ट्रस्टों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सहित ग्राहकों के एक बड़े पोर्टफोलियो को सेवा प्रदान करता है।

8. **मुंबई टकसाल में विशिष्ट क्षमताएं:**

मुंबई टकसाल द्रव्यमान, लंबाई और आयतन के संदर्भ, माध्यमिक और कार्य मानकों के निर्माण और आपूर्ति के लिए अधिकृत एजेंसी है, जो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल), भारत द्वारा प्रमाणित मानकों के अनुसार ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करती है।

9. **विशेष मुद्रण सुविधाएं:**

एसपीएमसीआईएल के पास स्मारक डाक टिकट बनाने के लिए विशेष मुद्रण सुविधाएं हैं, जिससे इसके उत्पाद की पेशकश में विविधता आती है।

10. **उन्नत सुरक्षा प्रौद्योगिकी:**

कंपनी अत्यधिक सुरक्षित संचालन प्रक्रियाओं और विनिर्माण प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा उत्पादों का उत्पादन करने के लिए उन्नत तकनीक और कई मुद्रण प्रक्रियाओं का उपयोग करती है।

(ii) कमजोरियाँ :

1. **सरकारी अनुबंधों पर निर्भरता:**

एसपीएमसीआईएल के राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सरकारी अनुबंधों पर निर्भर है, जो नीति परिवर्तन, बजट बाधाओं या सरकारी प्राथमिकताओं में बदलाव से प्रभावित हो सकता है।

2. **सीमित विविधीकरण:**

जबकि एसपीएमसीआईएल के पास प्रतिभूति मुद्रण और सिक्का ढलाई के क्षेत्र में एक विविध उत्पाद पोर्टफोलियो है, लेकिन इन मुख्य क्षेत्रों से परे इसका विविधीकरण सीमित है, जो इसकी विकास क्षमता को सीमित कर सकता है।

3. **उम्र बढ़ने का बुनियादी ढांचा:**

प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने और दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए एसपीएमसीआईएल की कुछ सुविधाओं के आधुनिकीकरण की आवश्यकता हो सकती है।

4. **भारी विनियमनः**

एक सरकारी स्वामित्व वाली इकाई होने के नाते, एसपीएमसीआईएल सख्त नियमों और अनुपालन आवश्यकताओं के तहत काम करती है, जो निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को धीमा कर सकती है और लचीलेपन को सीमित कर सकती है।

(iii) अवसरः

1. **वैश्विक विस्तारः**

अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए, एसपीएमसीआईएल वैश्विक बाजार में अधिक अवसर तलाश सकता है, खासकर विकासशील देशों में जिन्हें प्रतिभूति मुद्रण और सिक्का ढलाई सेवाओं की आवश्यकता है।

2. **प्रौद्योगिकी उन्नयनः**

अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार में निवेश करने से एसपीएमसीआईएल को दक्षता बढ़ाने, लागत कम करने और उभरते बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए नए उत्पादों या सेवाओं की पेशकश करने में मदद मिल सकती है।

3. **डिजिटल परिवर्तनः**

जैसे–जैसे दुनिया डिजिटल समाधानों की ओर बढ़ रही है, एसपीएमसीआईएल डिजिटल सुरक्षा उत्पादों, जैसे डिजिटल मुद्रा समाधान और अन्य तकनीक–संचालित सुरक्षित दस्तावेज़ों में अवसर तलाश सकता है।

4. **सतत अभ्यासः**

पर्यावरणीय स्थिरता पर बढ़ते जोर के साथ, एसपीएमसीआईएल अपने परिचालन में हरित प्रथाओं को अपनाने में उदाहरण पेश कर सकता है, जो पर्यावरण–अनुकूल उत्पादों के लिए नए रास्ते भी खोल सकता है।

(iv) जोखिमः

1. **आर्थिक उतार–चढ़ावः**

आर्थिक मंदी, मुद्रास्फीति, या राजकोषीय नीतियों में बदलाव एसपीएमसीआईएल के उत्पादों की मांग को प्रभावित कर सकते हैं।

2. **तकनीकी व्यवधानः**

प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति, विशेष रूप से डिजिटल वित्त (जैसे, डिजिटल भुगतान) में, भौतिक मुद्रा और पारंपरिक सुरक्षा उत्पादों की मांग को कम कर सकती है।

3. **वैश्विक प्रतियोगिताः**

चूंकि एसपीएमसीआईएल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना चाहता है, इसलिए इसे टकसाल और सुरक्षा मुद्रण उद्योग में स्थापित वैश्विक खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जो इसकी बाज़ारी हिस्सेदारी को चुनौती दे सकता है।

4. **साइबर सुरक्षा जोखिमः**

डिजिटल प्रक्रियाओं पर बढ़ती निर्भरता के साथ, एसपीएमसीआईएल साइबर खतरों के प्रति संवेदनशील हो सकता है, जिसके संचालन और संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होगी।

ग. जोखिम और चिंताएँ

एसपीएमसीआईएल ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशानिर्देशों के अनुरूप, अपने बोर्ड की एक समर्पित उप–समिति की स्थापना की है, जिसे जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) के रूप में जाना जाता है। इस समिति को एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट (ईआरएम) ढांचे की प्रभावी स्थापना और कार्यान्वयन की देखरेख की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। आरएमसी का प्राथमिक ध्यान उन प्रमुख जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन पर है जो संभावित रूप से एसपीएमसीआईएल की नीतियों, लक्ष्यों और रणनीतिक उद्देश्यों की उपलब्धि को प्रभावित कर सकते हैं। समिति अल्पकालिक और दीर्घकालिक जोखिम शमन रणनीतियों और कार्य योजनाओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

वित्तीय वर्ष 2023–2024 में, एसपीएमसीआईएल ने अपनी जोखिम प्राथमिकताओं के रूप में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों की

पहचान की और संबंधित शमन रणनीतियाँ विकसित कीं:

1. **रणनीतिक जोखिम:** रणनीतिक जोखिम इस संभावना को संदर्भित करते हैं कि कंपनी की योजनाएँ और रणनीतियाँ प्रत्याशित रूप से सामने नहीं आ सकती हैं। आज के तेजी से विकसित हो रहे कारोबारी माहौल में, एसपीएमसीआईएल के लिए ऐसे रणनीतिक निर्णय लेना जरूरी है जो पारंपरिक बिजनेस मॉडल से परे हों। प्रमुख रणनीतिक निर्णय – जैसे क्षमता निर्माण, नए निवेश, संसाधन आवंटन, नए वितरण मॉडल की शुरूआत और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में व्यापार विस्तार – अंतर्निहित जोखिम होते हैं जो कंपनी के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। इन्हें संबोधित करने के लिए, एसपीएमसीआईएल रणनीतिक जोखिमों का व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र सलाहकारों को नियुक्त कर रहा है। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि एसपीएमसीआईएल की दीर्घकालिक स्थिति और व्यावसायिक प्रदर्शन को प्रभावित करने की क्षमता वाले किसी भी महत्वपूर्ण जोखिम की पहचान की जाए और उसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाए।

2. **वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता:** एसपीएमसीआईएल को राष्ट्रों के बीच व्यापार युद्ध, बढ़े हुए कराधान और श्रमिक हड़तालों जैसी सामयिक घटनाओं के साथ–साथ अस्थिर अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक माहौल से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का भी सामना करना पड़ता है। ये जोखिम हमें वैश्विक परिदृश्य को समझने में मदद करते हैं और हमारे रणनीतिक निर्णयों के लिए इनपुट के रूप में काम करते हैं। एसपीएमसीआईएल अपनी व्यापार विस्तार रणनीतियों पर वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के दीर्घकालिक प्रभाव का सक्रिय रूप से आकलन कर रहा है।

3. **अनुपालन जोखिम:** एसपीएमसीआईएल के व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, कानूनों और विनियमों का अनुपालन महत्वपूर्ण है। कानूनी आवश्यकताओं का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी और जुर्माना हो सकता है। नए नियमों की शुरूआत के साथ–साथ कानूनी और नियामक व्यवस्थाओं में बार–बार होने वाले बदलाव, अनुपालन प्रक्रिया में जटिलता जोड़ते हैं। हालाँकि, एसओपीएस ने नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार समय पर निवेश किया है और एक मजबूत अनुपालन रिकॉर्ड बनाए रखा है। कंपनी हितधारकों के हितों के अनुरूप एक नियामक ढांचा विकसित करने के लिए सरकार और नियामकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ती है। इसके अलावा, एसपीएमसीआईएल यह सुनिश्चित करके संगठन के भीतर व्यक्तिगत जिम्मेदारी और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक कर्मचारी अपनी भूमिकाओं से संबंधित नियमों और कानूनों के बारे में जानता है और उनका अनुपालन करता है। अनुपालन के प्रति यह प्रतिबद्धता कंपनी की समग्र संस्कृति में गहराई से अंतर्निहित है।

4. **प्रमुख परिचालन विफलता जोखिम:** परिचालन जोखिम अपर्याप्त या विफल प्रक्रियाओं, लोगों और सूचना प्रणालियों के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान की संभावना से उत्पन्न होते हैं, जो व्यवसाय संचालन की दक्षता और प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे–जैसे प्रौद्योगिकी, वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा व्यवसायों को आगे बढ़ाती है, परिचालन संबंधी जोखिमों का प्रबंधन करना अधिक जटिल हो जाता है। इन जोखिमों को कम करने के लिए, एसपीएमसीआईएल ने विभिन्न प्रक्रियाओं और प्रणालियों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) विकसित और कार्यान्वित की हैं।

5. **प्रौद्योगिकी तत्परता:** तेजी से डिजिटलीकरण, स्वचालन और उन्नत प्रौद्योगिकी की बढ़ती मांग के युग में, भविष्य के लिए तैयार रहने के महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता है। डिजिटल सुरक्षा सुविधाओं और प्रक्रिया स्वचालन को तेजी से अपनाने के कारण एसपीएमसीआईएल के व्यापार कार्यक्षेत्र और उत्पाद पोर्टफोलियो को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे संबोधित करने के लिए, कंपनी ने अपनी डिजिटल और आर एंड डी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए सक्रिय कदम

उठाए हैं, और डिजिटल उत्पाद क्षेत्र में साख विकसित करने के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है।

6. **शारीरिक सुरक्षा जोखिमः** एसपीएमसीआईएल के व्यवसाय की सुरक्षा–संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए, सुरक्षा उल्लंघनों का जोखिम हमेशा मौजूद रहता है। उच्च स्तर की सुरक्षा बनाए रखने के लिए, कंपनी ने अपनी इकाइयों में अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियाँ स्थापित की हैं। इसके अतिरिक्त, एसपीएमसीआईएल ने अपनी सुविधाओं की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और राज्य अर्धसैनिक बलों को तैनात किया है। सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी भी सुरक्षा प्रेस और सुरक्षा पेपर मिल में तैनात हैं।

7. **साइबर सुरक्षा जोखिमः** जैसे–जैसे एसपीएमसीआईएल का परिचालन सूचना प्रबंधन के लिए आईटी सिस्टम पर निर्भर होता जा रहा है, कंपनी के इंट्रानेट और बाहरी नेटवर्क के साथ डिजिटल इंटरैक्शन का स्तर बढ़ गया है। यह बदलाव आईटी सिस्टम, बुनियादी ढांचे और महत्वपूर्ण जानकारी को सुरक्षित करने पर अधिक जोर देता है। अनधिकृत पहुंच से लेकर संवेदनशील डेटा के दुरुपयोग और महत्वपूर्ण एप्लिकेशन प्रक्रियाओं में रुकावट तक साइबर हमलों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इन जोखिमों को कम करने के लिए, एसपीएमसीआईएल ने तत्काल प्रतिक्रिया क्षमताओं के साथ फ़ायरवॉल और खतरा निगरानी प्रणाली स्थापित की है। कंपनी की सूचना सुरक्षा टीम संगठन की साइबर सुरक्षा स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार निगरानी करती है और काम करती है।

एसपीएमसीआईएल का प्रबंधन शेयरधारक मूल्य की सुरक्षा और वृद्धि के उद्देश्य से अपनी जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठोस प्रयासों, शीर्ष प्रबंधन द्वारा करीबी निगरानी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ, पहचाने गए जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाता है और कंपनी की जोखिम क्षमता के भीतर बने रहते हैं।

घ. आउटलुक

कंपनी की बुनियाद मजबूत है और इसने पिछले कुछ वर्षों में व्यापक आर्थिक स्थितियों में बदलाव के अनुसार बदलाव और अनुकूलन किया है। हालाँकि, उपभोक्ता मांग में बदलाव और दो सबसे महत्वपूर्ण उत्पादों सिक्कों और बैंक नोटों के उपयोग के रुझान के कारण एसपीएमसीआईएल को निकट भविष्य में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालाँकि, एक बार जब स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाएँ पूरी तरह से ठीक हो जाएँगी, तो यह अनुमान लगाया गया है कि यह प्रभाव स्थिर हो जाएगा। परिणामस्वरूप, एसपीएमसीआईएल आगामी वर्षों में संकल्प, लचीलेपन और आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त, एसपीएमसीआईएल की निर्यात संवर्धन नीति दुनिया भर के निर्यात बाजारों को देखते हुए व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने पर जोर देती है।

एसपीएमसीआईएल लगातार नए ग्राहक प्राप्त करके, मौजूदा ग्राहकों को आकर्षित करके और नई उत्पाद श्रृंखलाएं लॉन्च करके अपने मुख्य उत्पाद क्षेत्रों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यह रणनीति घरेलू और वैश्विक बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए नए अवसरों की खोज करके कंपनी को विकसित करने के लिए कंपनी की मौजूदा संपत्तियों और विशेषज्ञता का अधिकतम उपयोग करने पर केंद्रित है।

एसपीएमसीआईएल बैंकनोट, सिक्के और सुरक्षा उत्पाद क्षेत्रों में अपनी प्रतिस्पर्धी स्थिति को मजबूत करने और बनाए रखने के लिए कई रणनीतिक पहल करेगा। बाजार के रुझान और नवीनतम तकनीकों के साथ बने रहने के तरीके के रूप में, अनुसंधान एवं विकास, मशीनरी के आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। विस्तार और विविधीकरण योजनाओं को बढ़ावा देने की दृष्टि से, विभिन्न टकसालों और प्रेसों में बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, समग्र उत्पादकता बढ़ाने पर भी अधिक जोर दिया जाएगा।

एसपीएमसीआईएल एक आशाजनक भविष्य की कल्पना करता है और अपने उत्पाद पोर्टफोलियो में नवाचार और मूल्यवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। सभी हितधारकों के लिए निरंतर सफलता, उपलब्धि और दीर्घकालिक विकास

सुनिश्चित करने के लिए, एसपीएमसीआईएल नई और नवीन रणनीतियों को आगे बढ़ाना जारी रखेगा जो संगठन की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की क्षमता को मजबूत करेगी।

ड. वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा

वर्ष 2023–24 के लिए आपकी कंपनी के एकल वित्तीय विवरण के साथ वर्ष 2022–23 के तुलनात्मक वित्तीय विवरण, भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं। 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी (एकल) की कुल आय ₹5078.88 करोड़ है जबकि वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान यह ₹5225.92 करोड़ थी। कुल आय में से, वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान संचालन से प्राप्त राजस्व ₹4714.80 करोड़ है, जबकि वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान संचालन से ₹4918.22 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हुई।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में 3695.04 करोड़ रुपये का कुल व्यय हुआ जबकि वित्तीय वर्ष 2022–23 में रुपये 3430.33 का कुल व्यय हुआ था। वर्ष 2023–24 के लिए निरंतर संचालन से प्राप्त, कर पूर्व लाभ (पीबीटी) ₹1383.84 करोड़ है जबकि वर्ष 2022–23 के लिए यह ₹2341.21 करोड़ था। वर्ष 2022–23 में कर पूर्व लाभ (पीबीटी) अधिक होने का मुख्य कारण आईएसपी, नासिक में महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर (एमवीएटी) और केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) के लंबित मामलों के निपटान के कारण रुपये 545.62 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान को लाभ खाते में पुनरांकित किया गया था। इसके साथ ही, परिचालन सिक्कों के लिए अनंतिम मूल्य अंतर के परिणामस्वरूप रुपये 385.87 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी।

कंपनी ने वर्ष 2023–24 में ₹1006.55 करोड़ की कुल व्यापक आय (टीसीआई) प्राप्त की जबकि वर्ष 2022–23 के दौरान ₹1709.54 करोड़ की आय थी। वर्ष 2023–24 में, संयुक्त उद्यम कंपनी, बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीएनपीएमआईपीएल) की 50% हिस्सेदारी को ध्यान में रखते हुए, समेकित टीसीआई ₹1067.79 करोड़ है, जबकि वर्ष 2022–23 में यह ₹1772.62 करोड़ थी।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए एकल आधार पर कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश 2022–23 की तुलना में नीचे दिया गया है:

परिणाम (एकल)

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
संचालन से राजस्व	4714.80	4918.22
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	1383.84	2341.21
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	911.04	1779.25
कुल व्यापक आय	1006.55	1709.54

परिचालन से राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(ए) उत्पादों की बिक्री		
बैंक नोटों की बिक्री	2356.78	2260.46
परिचालित सिक्कों की बिक्री	475.67	841.81
पदकों और स्मारक सिक्कों की बिक्री	137.76	180.22
चांदी की वस्तुओं की बिक्री	5.00	5.22
सोने की वस्तुओं की बिक्री	117.01	221.02
पासपोर्ट और संबद्ध की बिक्री	521.58	442.69
डाक वस्तुओं की बिक्री	22.04	51.75
गैर–डाक वस्तुओं की बिक्री	250.37	210.23
गैर–न्यायिक स्टाम्प पत्रों की बिक्री	450.74	514.54
बिक्री – अन्य	313.66	132.25
(बी) सेवाओं से राजस्व		
जॉब	22.76	24.82
अन्य सेवा	4.56	1.50
(सी) अन्य परिचालन राजस्व		
स्क्रैप की बिक्री	29.76	25.26
अन्य परिचालन गतिविधियाँ	7.11	6.45
कुल	**4714.80**	**4918.22**

पूरे वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने प्रभावी निधि प्रबंधन पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। प्रक्रिया में सुधार और अनुसंधान एवं विकास पहलों के माध्यम से उत्पादकता वृद्धि के साथ–साथ लागत में कमी पर जोर दिया गया। संचालन के सभी क्षेत्रों में लागत नियंत्रण के महत्व के बारे में सभी स्तरों पर जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए गए। इसके अतिरिक्त, एसपीएमसीआईएल में उत्पाद विकास एक निरंतर प्राथमिकता बनी हुई है, जिसका उद्देश्य हमारे ग्राहकों की विशिष्ट एप्लिकेशन आवश्यकताओं को पूरा करना है।

च . आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता

एसपीएमसीआईएल के पास एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, जो अच्छी तरह से प्रलेखित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा समर्थित है जो वित्तीय और परिचालन कार्यों में महत्वपूर्ण और आवश्यक दोनों गतिविधियों को शामिल करती है। कंपनी के आंतरिक नियंत्रण निम्नलिखित व्यावसायिक उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं:

- परिचालन दक्षता
- संसाधनों की सुरक्षा
- वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता और पूर्णता
- स्थापित नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन
- विभिन्न कानूनों और विनियमों का पालन

"एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सिर्फ एक आवश्यकता नहीं है; यह कंपनी की अखंडता और परिचालन सफलता की रीढ़ है।"

आपकी कंपनी ने संपत्तियों को अनधिकृत उपयोग से बचाने और वित्तीय लेनदेन के उचित प्राधिकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली लागू की है। यह प्रणाली, सभी वित्तीय और परिचालन कार्यों को शामिल करते हुए, परिचालन प्रभावशीलता और दक्षता, वित्तीय नियंत्रण विश्वसनीयता और संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन के संबंध में उच्च स्तर का आश्वासन प्रदान करने के लिए संरचित की गई है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने इष्टतम संसाधन उपयोग, सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए उपाय स्थापित किए हैं।

कंपनी का प्रबंधन वैधानिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों और निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार करता है और उन पर कार्य करता है। कंपनी अपनी प्रक्रियाओं और नियंत्रणों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, कंपनी ने एक नया खरीद मैनुअल अपनाया है और एसएपी/ईआरपी सिस्टम को उन्नत किया है, जो संचालन में अधिक पारदर्शिता, दक्षता और लागत–प्रभावशीलता में योगदान देता है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

- प्रमुख गतिविधियों के लिए वार्षिक बजट की तैयारी और निगरानी।
- आंतरिक लेखा परीक्षकों की एक सुस्थापित टीम जो समय पर सुधारात्मक उपाय और निरंतर सुधार सुनिश्चित करते हुए प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति को समीक्षा और रिपोर्ट करती है।
- वित्तीय विवरण और लेखांकन रिकॉर्ड की अखंडता सुनिश्चित करना।
- विनियामक अनुपालन उद्देश्यों की सुविधा।

छ. मानव संसाधन प्रबंधन समीक्षा

आपकी कंपनी का मानना है कि उसके लोग असाधारण प्रदर्शन और उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के पीछे प्रेरक शक्ति हैं। एक गतिशील और विकासोन्मुख संगठन को बनाए रखने के लिए मानव संसाधन विकसित करना महत्वपूर्ण है। तकनीकी क्षमताओं को उन्नत करके और ज्ञान और कौशल को बढ़ाकर, कंपनी का लक्ष्य उत्पादन प्रौद्योगिकियों को आधुनिक बनाना और अपनी उत्पादक क्षमता को बढ़ाना है। मानव संसाधन विकास (एचआरडी) प्रणाली को एक गतिशील और विकास–उन्मुख वातावरण को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो संगठन को तेजी से बदलाव के साथ तालमेल रखने और अपने कर्मचारियों और हितधारकों के लिए जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम बनाता है।

"मानव संसाधन प्रबंधन केवल लोगों को प्रबंधित करने के बारे में नहीं है; यह उनकी क्षमता को अधिकतम करने और इसे संगठन के रणनीतिक लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के बारे में है।"

आपकी कंपनी सीखने के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देती है, सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है और अपने कर्मचारियों के बीच रचनात्मकता और नवीनता को बढ़ावा देती है। एसपीएमसीआईएल में मानव संसाधन पहल टीम भावना विकसित करने, कर्मचारियों को सशक्त बनाने और उन्हें विभिन्न सुधार गतिविधियों में शामिल करने पर केंद्रित है। व्यावसायिक प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के साथ एचआरएम के रणनीतिक संरेखण ने आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार परियोजनाओं में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए एक सुचारु परिवर्तन की सुविधा प्रदान की है।

संक्रमण के समय में मानव संसाधन एक अमूल्य संपत्ति है, क्योंकि जहां एक मशीन पचास सामान्य पुरुषों के काम की जगह ले सकती है, वहीं कोई भी मशीन एक असाधारण व्यक्ति के मूल्य की जगह नहीं ले सकती है। यह मानते हुए कि कर्मचारी डिस्पोजेबल वस्तुएं नहीं हैं, कंपनी समाजीकरण कार्यक्रमों, सामुदायिक गतिविधियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेल सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

31 मार्च, 2024 तक, कर्मचारियों की संख्या पिछले वर्ष (2022–23) में 5,987 से घटकर 5,752 हो गई है, जिसका मुख्य कारण सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप प्राकृतिक नौकरी छूटना है।

ज. पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण

आपकी कंपनी की पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण रणनीतियों का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करके और एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करके सभी इकाइयों में सबसे हरित और सबसे सुरक्षित संचालन प्राप्त करना है। हमारा ध्यान एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने पर है जो पर्यावरणीय स्थिरता और सुरक्षा दोनों को प्राथमिकता देती है। कंपनी कई नवीन और दूरदर्शी पहलों के माध्यम से सक्रिय रूप से जलवायु परिवर्तन शमन को संबोधित कर रही है, जिसमें शामिल हैं:

- दक्षता बढ़ाने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए औद्योगिक संयंत्र लेआउट और संरचनाओं का पुनर्निर्देशन और संशोधन।
- फैक्ट्री स्थलों पर वृक्षारोपण की पहल और अनावश्यक वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए सख्त उपाय।
- आग के खतरे की रोकथाम, जिसमें अग्नि आपदा तैयारियों का आकलन और सुधार करने के लिए उन्नत अग्नि निवारण प्रणालियों को अपनाना और नियमित मॉक ड्रिल शामिल हैं।
- संभावित जोखिमों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए फैक्ट्री–विशिष्ट आपातकालीन तैयारी योजनाएँ तैयार की गईं।
- कर्मचारियों और पर्यावरण की भलाई सुनिश्चित करने के लिए पूरे कारखाने परिसर में व्यापक सुरक्षा उपायों की स्थापना।
- कर्मचारियों और निवासियों के लिए धूल मुक्त वातावरण बनाने के लिए फैक्ट्री क्षेत्रों और आवासीय कॉलोनियों में सड़कों और मार्गों का रखरखाव।

ये प्रयास पर्यावरणीय प्रबंधन और कर्मचारी कल्याण के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप, एक स्थायी और सुरक्षित परिचालन वातावरण के प्रति आपकी कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

> **"हम दुनिया के जंगलों के साथ जो कर रहे हैं वह इस बात का दर्पण प्रतिबिंब है कि हम अपने और एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं।"**

आपकी कंपनी की इकाइयाँ पर्यावरणीय मापदंडों का त्रैमासिक परीक्षण करती हैं, जिसमें स्टैक उत्सर्जन, परिवेशी वायु गुणवत्ता, अपशिष्ट प्रसंस्करण के बाद जल उपचार, कारखाने के अंदर और बाहर शोर का स्तर और मिट्टी को मजबूत करना शामिल है। इन परीक्षणों के निष्कर्षों के आधार पर तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी की सभी नौ इकाइयों ने अंतर्राष्ट्रीय मानक (आईएसओ 14001:14004) के अनुपालन में एक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे सभी परिचालनों में मजबूत पर्यावरण प्रबंधन प्रथाओं को सुनिश्चित किया जा सके।

I. निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर रिपोर्ट

महत्वपूर्ण और स्थिर सामाजिक मूल्य बनाने के लिए आपकी कंपनी की अटूट प्रतिबद्धता इसकी निगम सामाजिक उत्तदायित्व (सीएसआर) पहल के माध्यम से स्पष्ट है। प्राथमिक उद्देश्य व्यवसाय को इस तरह से संचालित करना है जिससे समाज के सबसे वंचित वर्गों को सशक्त बनाया जा सके, स्थिरता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव लाने

के लक्ष्य वाले दर्शन से प्रेरित होकर, आपकी कंपनी अपनी स्थापना के बाद से ही सीएसआर पहलों को परिश्रमपूर्वक संरचित और कार्यान्वित कर रही है। ये पहल हमेशा कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 और सीएसआर और स्थिरता पर डीपीई दिशानिर्देशों के पूर्ण अनुपालन में की जाती है। एसपीएमसीआईएल कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार अपनी इकाइयों की परिधि में और उसके आसपास अपनी सीएसआर परियोजनाओं का संचालन करती है।

> **"निगम सामाजिक उत्तरदायित्व केवल सही काम करने के बारे में नहीं है; यह उस तरह की दुनिया के निर्माण के बारे में है जिसमें हम रहना चाहते हैं।"**

निर्धारित प्रारूप में सीएसआर पर रिपोर्ट के साथ कंपनी द्वारा की गई विभिन्न सीएसआर पहलों का विवरण यहां दिया गया है। **अनुबंध–क,** जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। कंपनी की सीएसआर नीति कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है www.spmsil.com

झ. सचेत विवरण

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में कुछ कथन, जो कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों और अनुमानों का वर्णन करते हैं, लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ में दूरदर्शी और प्रगतिशील हैं। आर्थिक स्थितियों, सरकारी नीतियों और अन्य अप्रत्याशित कारकों के कारण वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं।

वर्ष 2023–24 के दौरान सीएसआर गतिविधियों की झलकियाँ











अनुबंध–क

वित्तीय वर्ष – 2023-24 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखाः

एसपीएमसीआईएल की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और निरंतरता नीति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के साथ–साथ सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार संरचित है। यह नीति, अधिनियम के सभी संगत प्रावधानों और लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करती है। एसपीएमसीआईएल के सीएसआर संबंधी प्रयास स्वास्थ्य, सुरक्षित पेयजल, शिक्षा, कौशल विकास और अंगीकृत गांवों के समग्र विकास के लिए संरचना के विकास पर केंद्रित है। वर्ष 2023–24 के लिए, डीपीई ने सीपीएसई के लिए सीएसआर गतिविधियों के लिए "स्वास्थ्य और पोषण" को सामान्य विषय के रूप में चुना है।

एसपीएमसीआईएल की इकाई स्तरीय सीएसआर समितियां जिला प्रशासन और ग्राम सभा जैसे स्थानीय प्राधिकरणों के परामर्श से नियमित रूप से अपने परिचालन क्षेत्रों के आस–पास के समुदायों की जरूरतों का आकलन करती हैं। ये समितियाँ इन समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से परियोजनाएं प्रस्तावित करती हैं। प्रस्तावित परियोजनाओं की जांच निगम कार्यालय में सीएसआर समिति (स्तर 1) द्वारा की जाती है, जो कंपनी (सीएसआर नीति) नियमों के साथ इनका संरेखण सुनिश्चित करती है। इसके बाद, बोर्ड की सीएसआर समिति समीक्षा करती है और अंतिम अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल को परियोजनाओं की सिफारिश करती है।

अपनी सीएसआर परियोजनाओं की प्रभाविता सुनिश्चित करने के लिए, एसपीएमसीआईएल तृतीय पक्ष एजेंसियों को शामिल करती है। प्रभाव मूल्यांकन के लिए आईआईटी, आईआईएम, आईआईएफटी, आईआईसीए, टीईआरआई, आदि जैसी सूचीबद्ध एजेंसियों को सीमित निविदा प्रक्रियाओं के माध्यम से शामिल किया जाता है। इन आकलनों से प्राप्त फीडबैक और सुझावों पर भावी सीएसआर परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन पर विचार किया जाता है।

2. सीएसआर समिति की संरचना

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/ निदेशन की प्रकृति	वर्ष 2023–24 के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष 2023–24 के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या में भाग लिया
*1	श्री राम कुमार चिलुकुरी (डीआईएन : 00321060)	अध्यक्ष	3	3
2	श्री एस.के.सिन्हा (डीआईएन : 07585095)	सदस्य	3	3
3	सुश्री मनीषा सिन्हा (04.03.2024 तक) (दीनः 05145516)	सदस्य	2	0
4	श्री संजीव प्रकाश (12.03.2024 से) (डीआईएन : 09528516)	सदस्य	1	1

* श्री राम कुमार चिलुकुरी को सुश्री मनीषा सिन्हा के स्थान पर 12.03.2024 से सीएसआर समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।

3. कंपनी की वेबसाइट जहां, सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटीकरण किया जाता है, उसका वेब–लिंक यहाँ प्रदान करें।

https://www.spmcil.com/en/information/#csr

4. यदि लागू हो, नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में, किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन के वेब लिंक के साथ कार्यकारी सारांश प्रदान करें।

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए एसपीएमसीआईएल की सीएसआर गतिविधियों का तृतीय पक्ष प्रभाव आकलन भारतीय निगम मामलों के संस्थान (आईआईसीए), गुड़गांव द्वारा क्रय आदेश संख्या 4590010035 दिनांक 27.12.2023 के अनुसार किया गया था। इस मूल्यांकन में कुल ₹7,37,09,192/– के व्यय वाली बीस (20) परियोजनाएं शामिल थीं। आईआईसीए ने स्वतंत्र रूप से इन परियोजनाओं का मूल्यांकन किया और मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। सभी बीस (20) परियोजनाओं के मूल्यांकन निष्कर्ष संतोषजनक पाए गए।

https://www.spmcil.com/en/information/#csr

5 (क)	के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ	₹ 133702 लाख
(ख)	के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	₹ 2674.05 लाख
(ग)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष।	0
(घ)	वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित करने के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो	₹ 276.55 लाख
(ई)	वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (5 (क) + 5 (ख) – 5 (ग)	₹ 2397.50 लाख
6 (क)	सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (वर्तमान परियोजनाओं और इनके अलावा, दोनों)	₹ 2,66,86,382.96
(ख)	प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि	₹ 12,54,236.00
(ग)	प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो।	₹ 5,69,000.00
(घ)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि ((क)+(ख)+(ग))	₹ 2,85,09,618.96
(ई)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या खर्च न की गई सीएसआर राशि	–

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (₹)	(ख) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		(ख) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत विनिदष्ट किसी निधि को अंतरित राशि।		
	कुल धनराशि (₹)	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि (₹)	स्थानांतरण की तिथि
2,85,09,618.96	26,83,75,281	30.04.2024	––	––	––

च) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो।

क्र.सं.	विवरण	कुल धनराशि(₹)
(i)	(ख) के अनुसार कंपनी के औसत लाभ का दो प्रतिशत	23,97,49,764
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	28,60,29,330
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि (ii) – (i)	4,62,79,566
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या पिछले वित्तीय वर्ष की गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो।	0
(अ)	उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (iii) – (iv)	4,62,79,566

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित निगम सामाजिक दायित्व राशि का विवरणः

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	(ख) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि। (₹)	(ख) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (₹)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹)	धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार, अनुसूची VII के अधीन यथा विनिर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो।			शेष राशि जो अगले वर्षों में खर्च की जानी है (₹)	कमी, यदि कोई हो
					फंड का नाम	कुल धनराशि	स्थानांतरण की तिथि		
1	2019-20	1,50,00,179.89	1,26,36,098	20,31,658	पीएम केयर्स	18,01,025	24.04.2024	88,03,415	-
2	2020-21	7,49,97,249.00	3,36,68,863.66	77,35,910	पीएम केयर्स	2,20,61,115.66	24.04.2024	38,71,838	-
3	2021-22	19,67,11,190.00	14,21,96,941.76	1,23,43,615	पीएम केयर्स	5,250	24.04.2024	12,98,48,076.76	-
4	2022-23	12,93,44,708.00	12,84,63,090.90	5,27,01,649.40	-	-	-	7,57,61,441.50	-
	कुल	**41,60,53,326.89**	**31,69,64,994.32**	**7,48,12,832.40**		**2,38,67,390.66**		**21,82,84,771.26**	**-**

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई निगम सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई या अर्जित की गई हैः हाँ

यदि हाँ, तो सृजित/अर्जित पूंजीगत आस्तियों की संख्या प्रविष्ट कीजिएः 14

क्र. सं.	संपत्ति या संपत्ति (ओं) का संक्षिप्त विवरण (संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)	संपत्ति या संपत्ति का पिनकोड	निर्माण की तिथि	खर्च की गई सीएसआर राशि (₹)	पंजीकृत मालिक की इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण। नहीं, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
1	जाकिर हुसैन अस्पताल, नासिक नगर निगम में 15 नवजात शिशु देखभाल इकाइयां (एसएनसीयू)	422001	12.03.2024	47,23,369.00	–	जाकिर हुसैन अस्पताल, नासिक	जाकिर हुसैन अस्पताल, नासिक नगर निगम

2	गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (जीआईएमएस) ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, यूपी 201310	201310	12.05.2023	1,16,41,613.14	–	राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जीआईएमएस) ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जीआईएमएस) ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश
3	राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देवास में बालक–बालिकाओं के लिए दो अतिरिक्त कक्षा–कक्ष एवं शौचालयों का निर्माण	455111	22.11.2023	9,20,028.00	–	मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बालगढ़ विकासखंड – देवास (म.प्र.)	मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बालगढ़ विकासखंड – देवास (म.प्र.)
4	कामा अल्बलेस अस्पताल, मुंबई को चिकित्सा उपकरण और एक एम्बुलेंस प्रदान करना।	400001	14.02.2024	22,50,087.00	–	कामा अल्बलेस अस्पताल, मुम्बई।	कामा अल्बलेस अस्पताल, मुंबई (एमएच) 400001
5	कलकत्ता ब्लाइंड स्कूल को फर्नीचर फिक्स्चर और शैक्षिक उपकरण प्रदान करना	700034	31.08.2023	9,30,723.50	–	ब्लाइंड स्कूल, 643, डीएच रोड, पीओ– बेहाला, कोलकाता–700034	ब्लाइंड स्कूल, 643, डीएच रोड, पीओ– बेहाला, कोलकाता–700034
6	सामाजिक विकास के लिए ग्राम का एकीकृत विकास – टेरी द्वारा आदर्श ग्राम सिरोल्या तहसील देवास (म.प्र.)	455001	23.10.2023	1,61,28,680.00	–	सिरोल्या तहसील देवास (म.प्र.)	
7	संयुक्त जिला अस्पताल, जनपद महाराजगंज को चिकित्सा उपकरण प्रदान करना	273303	27.07.2023	51,66,000.00	–	सीएमओ जिला संयुक्त अस्पताल, जनपद महाराजगंज	सी.एम.एस. कार्यालय जिला संयुक्त अस्पताल, महाराज गंज, गोरखपुर उ.प्र. पिन 273303
8	श्री साई सतायु अनुसंधान केंद्र, गाजियाबाद	201014	16.10.2023	22,70,000.00	–	श्री साई सतायु अनुसंधान केंद्र, गाजियाबाद	श्री साई सतायु निरोग संस्था, प्लॉट नं 54, शक्ति खंड 3, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उ. प्र.
9	बी.वाई.एल.नायर चैरिटेबल अस्पताल, मुंबई	400008	30.03.2024	60,13,733.00	–	बी.वाई.एल. नायर चैरिटेबल अस्पताल, मुंबई	डॉ आनंदराव नायर मार्ग, आरटीओ कॉलोनी, मुंबई सेंट्रल, मुंबई, महाराष्ट्र 400008

10	ग्रोथ डिटेक्शन वैन मैमोग्राफी वैन से नामको अस्पताल–नासिक	422004	06.01.2024	90,83,240.00	–	एनएएमसीओ अस्पताल– नासिक	आरटीओ कार्यालय के सामने, सरदार वल्लभभाई पटेल मार्ग, पेठ रोड, पंचवटी, नासिक, महाराष्ट्र 422004
11	एम्स, नई दिल्ली को डीईईपी टीएमएस ब्रेन स्टिमुलेशन मैग्नेटिक स्टिमुलेटर मशीन प्रदान की	110029	07.03.2024	1,68,00,000.00	–	एम्स, नई दिल्ली	श्री अरबिंदो मार्ग, अंसारी नगर पूर्व, नई दिल्ली –110029
12	ग्राम पंचायत, ग्रामीण क्षेत्र नासिक में कचरा संग्रहण वाहन प्रदान किए		30.01.2024	86,62,232.96	–	ग्राम पंचायत, ग्रामीण क्षेत्र नासिक	ग्राम पंचायत विभाग, जिला परिषद, नासिक– 422001
13	नासिक सेंट्रल जेल, नासिक के लिए एम्बुलेंस और चिकित्सा उपकरण		28.02.2024	2,23,075.00	–	नासिक सेंट्रल प्रिशन, नासिक	महाराष्ट्र जेल और सुधार सेवाएं, अधीक्षक, नासिक रोड केंद्रीय कारागार, जेल रोड, नासिक– 422101
14	देवास जिले में 100 स्मार्ट क्लासरूम में शैक्षिक उपकरण		23.03.2024	16,77,750.00	–	देवास जिले (म.प्र.) में 100 सरकारी स्कूल	जिलाधिकारी कार्यालय, जनपद देवास, मध्य प्रदेश
		कुल		**8,64,90,531.60**			

9. यदि कंपनी धारा 135 (5) के अनुसार औसत लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, कारण निर्दिष्ट करें:

उक्त वित्तीय वर्ष 23–24 के दौरान ₹ 28.60 करोड़ रुपये की कुल 22 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। अनुमोदित राशि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के दायित्व से अधिक है। ₹ 28.60 करोड़ रुपये में से ₹ 2.85 करोड़ वित्त वर्ष 23–24 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं पर खर्च किए गए थे। चल रही परियोजनाओं (बहुवर्षीय) से संबंधित ₹ 26.84 करोड़ रुपये की अव्ययित सीएसआर राशि, जहां परियोजनाओं के पूरा होने तक मील का पत्थर हासिल करने पर किस्तों में भुगतान किया जाता है, को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (6) की आवश्यकताओं के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में जमा किया गया है।

ह०/–
निदेशक (मानव संसाधन)

ह०/–
(सीएसआर समिति के अध्यक्ष)

निगम अभिशासन पर रिपोर्ट

निगम अभिशासन का तात्पर्य किसी संगठन की व्यावसायिक गतिविधियों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही से है, जब कानून का सही अर्थों में अनुपालन करते हुए सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं को लागू किया जाता है। अच्छी तरह से संचालित संगठन प्रभावी प्रबंधन के लिए नैतिक मानकों का पालन करते हैं और सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य बनाते हैं। स्थिरता और सामाजिक जिम्मेदारी भी अच्छे शासन के साथ–साथ चलती है। प्रबंधन के सभी क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली इस ईमानदारी के कारण, अच्छी तरह से संचालित संगठन समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं और व्यावसायिक उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं।

एसपीएमसीआईएल जो एक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन अनुसूची 'ए' मिनीरत्न श्रेणी–I कंपनी है ने, वर्ष 2006 से अपने विविध हितधारकों की सेवा में कार्य कर रही है। अपने निगमित होने के 19 वर्षों में एसपीएमसीआईएल निवेशकों, शेयरधारकों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों, समुदायों, कर्मचारियों और भारत सरकार सहित अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। कंपनी अपने दैनिक कार्यों में निगम अभिशासन में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाती है और उनका पालन करती है। इसी के अनुसरण में, हम अपने प्रदर्शन के साथ–साथ कंपनी में प्रशासन के बारे में समय पर और सटीक जानकारी का खुलासा करना अपनी अंतर्निहित जिम्मेदारी मानते हैं।

सरकार के वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी सीपीएसई के लिए निगम अभिशासन पर दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है। एसपीएमसीआईएल ने अपनी स्थापना के बाद से लगातार डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई के लिए निगम अभिशासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए उत्कृष्ट ग्रेडिंग हासिल की है।



निगम अभिशासन पर कंपनी का दर्शन

एसपीएमसीआईएल में निगम अभिशासन में मौजूदा विनियामक ढांचे के भीतर हितधारकों के लिए स्थायी मूल्य बनाने के लिए नैतिक और जिम्मेदारी से व्यवसाय का प्रबंधन करना शामिल है। कंपनी दुनिया भर में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम निगम अभिशासन प्रथाओं को अपनाने में विश्वास करती है।

एसपीएमसीआईएल के पास निष्पक्ष, पारदर्शी और नैतिक शासन प्रथाओं की एक मजबूत विरासत है। स्वतंत्रता, जवाबदेही, जिम्मेदारी, पारदर्शिता, विश्वसनीयता, स्थिरता और निष्पक्ष और समय पर प्रकटीकरण के प्रमुख सिद्धांत कंपनी के निगम अभिशासन के दर्शन को अक्षरशः और भावना से लागू करने के लिए आधार के रूप में काम करते हैं। गतिशील कारोबारी माहौल की चुनौतियों का सामना करने के लिए, एसपीएमसीआईएल की प्रणालियों, नीतियों और रूपरेखाओं की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उन्हें उन्नत किया जाता है।

"एसपीएमसीआईएल के निगम अभिशासन का आधार पारदर्शिता, नैतिक निगमित नागरिकता, नियंत्रण, सशक्तिकरण, निष्पक्षता, जिम्मेदारी और जवाबदेही है"

कंपनी विश्वास रखती है कि अच्छा निगम अभिशासन एक सतत प्रक्रिया है और अपने हितधारकों के समग्र हित में निगम अभिशासन के उच्चतम मानकों को अपनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। इस दर्शन के अनुरूप, एसपीएमसीआईएल का निगम अभिशासन निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांतों और प्रथाओं पर आधारित है:

- **बोर्ड की स्वतंत्रता और बहुमुखी प्रतिभा:** यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन को बिना किसी अनुचित प्रतिबंध के उद्यम को आगे बढ़ाने की कार्यकारी स्वतंत्रता हो।
- **कानूनों और सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन:** सभी हितधारकों के सतत विकास के लिए सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए कानूनों, नियमों और विनियमों का अनुपालन।
- **सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण:** अल्पकालिक और दीर्घकालिक व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं की प्रणालियों को क्रियान्वित करना।
- **मूल्यों और नैतिकता के प्रति प्रतिबद्धता:** नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं, उच्च स्तर के प्रकटीकरण और पारदर्शिता को कायम रखना।
- **जोखिम एवं अपव्यय न्यूनीकरण:** अपव्यय एवं जोखिम को कम करना, तथा भ्रष्टाचार एवं कदाचार का उन्मूलन करना।
- **समय पर प्रकटीकरण:** शेयरधारकों को सभी महत्वपूर्ण जानकारी का समय पर और संतुलित प्रकटीकरण सुनिश्चित करना।

एसपीएमसीआईएल शासन संरचना

एसपीएमसीआईएल में निगम अभिशासन का अभ्यास विभिन्न स्तरों के माध्यम से होता है

- निदेशक मंडल
- निदेशक मंडल की समितियाँ
  - लेखा परीक्षा समिति
  - मुआवजा समिति
  - निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
  - जोखिम प्रबंधन समिति
- आम सभा की बैठकें
- प्रकटीकरण
- सामान्य शेयरधारक जानकारी

प्रमुख संस्थाओं की मुख्य भूमिकाएँ इसी संरचना से निकलती हैं जो बदले में प्रत्येक संस्था की मुख्य जिम्मेदारियों को निर्धारित करती हैं। ऐसी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रत्येक संस्था को औपचारिक रूप से अपेक्षित शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

विभिन्न संस्थाओं की भूमिका

1. निदेशक मंडल

एसपीएमसीआईएल में निदेशक मंडल कंपनी के समग्र कामकाज की देखरेख करने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप

में कार्य करता है। यह हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य बनाने के लिए प्रदर्शन की निगरानी करते हुए कंपनी के प्रबंधन को रणनीतिक दिशा, नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार, एसपीएमसीआईएल एक सरकारी कंपनी है, जिसकी पूरी चुकता शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से भारत सरकार के पास है। निदेशक मंडल में कार्यात्मक निदेशकों का एक उचित मिश्रण है, जिसमें अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, सरकारी नामांकित व्यक्ति और अंतिम उपयोगकर्ता प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले गैर–कार्यकारी निदेशक और स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। यह मिश्रण प्रबंधन और नियंत्रण के बोर्ड के कार्यों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है।

(i) निदेशक मंडल की संरचना इस प्रकार है:

विवरण	बोर्ड संरचना	31 मार्च, 2024 तक वास्तविक क्षमता
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक (कार्यात्मक)	1	1
पूर्णकालिक कार्यकारी (कार्यात्मक) निदेशक	3	2
अंशकालिक आधिकारिक (सरकार द्वारा नामित) निदेशक (वित्त मंत्रालय द्वारा दो और गृह मंत्रालय द्वारा एक का प्रतिनिधित्व)	3	3
अंशकालिक अधिकारी (अंतिम उपयोगकर्ता प्रतिनिधि) निदेशक (विदेश मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और डाक विभाग से एक–एक)	3	2
अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	2	2
कुल	**12**	**10**

31 मार्च 2024 तक, एसपीएमसीआईएल के बोर्ड में दो रिक्तियां थीं: एक पूर्णकालिक निदेशक, अर्थात निदेशक (तकनीकी) के लिए, और एक अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (डाक विभाग से अंतिम उपयोगकर्ता प्रतिनिधि) के लिए।

(ii) वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान नियुक्त/पुनः नियुक्त नए निदेशक :

- **श्री विजय रंजन सिंह डीआईएनः 06386038 – (27.09.2023 से):**

  वर्ष 1996 बैच के भारतीय वन्य सेवा के प्रतिष्ठित अधिकारी श्री विजय रंजन सिंह के पास 28 वर्षों से अधिक का विविध सरकारी अनुभव है। इस लंबे कार्यकाल में कर्नाटक वन विभाग, जिला पंचायत, कर्नाटक के चिड़ियाघर प्राधिकरण और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ शामिल हैं। उर्वरक विभाग में निदेशक (नीति) के रूप में उन्होंने यूरिया क्षेत्र में नई निवेश नीति–2013, नई यूरिया नीति–2015 और यूरिया की 100% नीम कोटिंग और यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता में योगदान देने वाली एफसीआईएल और एचएफसीएल की बंद इकाइयों को पुनर्जीवित करने जैसी महत्वपूर्ण नीतियों को तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई। श्री सिंह ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक और संसदीय कार्य मंत्री के निजी सचिव के रूप में भी कार्य किया तथा शासन, नीति निर्माण और अंतर–सरकारी जुड़ाव की उनकी गहरी समझ मजबूत संगठनात्मक और संचार कौशल से पूरित है। अपनी समस्या–समाधान और विश्लेषणात्मक क्षमताओं के लिए पहचाने जाने वाले श्री सिंह वन्यजीव फोटोग्राफी के भी शौकीन हैं और एक उत्साही यात्री हैं, जो हमेशा नई भाषाएँ सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। उन्हे 27 सितंबर 2023 को भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में नियुक्त किया गया। वे बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीएनपीएमआईपीएल) के बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं, जो एसपीएमसीआईएल और बीआरबीएनएमपीएल के

बीच एक संयुक्त उद्यम है।

- **श्री अनिल सुब्रमण्यम डीआईएनः 10344845– (06.10.2023 से):**

  श्री अनिल सुब्रमण्यम सीएसएस कैडर, 1998 बैच के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। श्री अनिल सुब्रमण्यम वर्तमान में गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात हैं, तथा आंतरिक सुरक्षा–1 प्रभाग में कार्यरत हैं। उन्हें 06.10.2023 से एसपीएमसीआईएल के बोर्ड में गृह मंत्रालय की ओर से भारत सरकार द्वारा नामित अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

- **श्री आशीष वच्छानी [डीआईएन : 08189848 – (04.03.2024 से):**

  1997 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी श्री आशीष वच्छानी वर्तमान में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अपर सचिव (बजट) के रूप में कार्यरत हैं। वह केंद्रीय बजट के निर्माण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। अपने पूरे करियर के दौरान, श्री वच्छानी ने सार्वजनिक वित्त में विशेषज्ञता हासिल की है। उनकी भूमिकाओं में तमिलनाडु सरकार में उप सचिव/संयुक्त सचिव (बजट), वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में निदेशक (बुनियादी ढांचा) और एशियाई विकास बैंक में कार्यकारी निदेशक के सलाहकार शामिल हैं। उन्होंने 2008 से 2012 तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में संकाय सदस्य के रूप में भी काम किया। श्री वच्छानी ने अपना करियर शिवकाशी में सब–कलेक्टर के रूप में शुरू किया और तमिलनाडु के धर्मपुरी और तिरुचिरापल्ली जिलों के कलेक्टर के रूप में पद संभाले

(iii) 2023–24 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों और अंतिम एजीएम में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति

निदेशक का नाम	बोर्ड बैठकों की संख्या		क्या पिछली वार्षिक आम बैठक (30 सितम्बर 2023 को आयोजित) में भाग लिया था?
	आयोजित	में भाग लिया	
(क) कार्यात्मक निदेशक			
श्री विजय रंजन सिंह, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक (27.09.2023 से) (डीआईएन : 06386038)	3	3	हाँ
श्री एस.के. सिन्हा, निदेशक (मानव संसाधन) (डीआईएन : 07585095)	4	4	हाँ
श्री अजय अग्रवाल, निदेशक (वित्त) (डीआईएनः 06778079)	4	4	हाँ
(ख) अंशकालिक आधिकारिक (सरकारी नामित) निदेशक			
सुश्री मनीषा सिन्हा, तत्कालीन अपर सचिव (सी एंड सी), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय (04.03.2024 तक) (डीआईएनः 05145516)	3	2	हाँ

निदेशक का नाम	बोर्ड बैठकों की संख्या		क्या पिछली वार्षिक आम बैठक (30 सितम्बर 2023 को आयोजित) में भाग लिया था?
	आयोजित	में भाग लिया	
श्री मनोज सहाय, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वित्त मंत्रालय (डीआईएन : 08711612)	4	4	हाँ
श्री आशीष वच्छानी, अपर सचिव (बजट), आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय (04.03.2024 से) (डीआईएनः 08189848)	1	1	'
श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, तत्कालीन अपर सचिव (पी–II), गृह मंत्रालय (29.09.2023 तक) (डीआईएन : 03426753)	1	0	'
श्री अनिल सुब्रमण्यम, संयुक्त सचिव (आईएस–I), गृह मंत्रालय (06.10.2023 से) (डीआईएनः 10344845)	2	0	'
(ग) अंशकालिक अधिकारी (अंतिम उपयोगकर्ता प्रतिनिधि) निदेशक			
श्री टी. आर्मस्ट्रांग चांगसन, तत्कालीन संयुक्त सचिव (पीएसपी) एवं मुख्य पासपोर्ट अधिकारी, विदेश मंत्रालय (डीआईएन : 09473570)	4	1	नहीं
श्री संजीव प्रकाश, मुख्य महाप्रबंधक, मुद्रा प्रबंधन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक (डीआईएन : 09528516)	4	4	हाँ
श्री सुनील शर्मा, तत्कालीन उप महानिदेशक (फिलैटली एवं विपणन), डाक विभाग (12.03.2024 तक) (डीआईएन : 09738523)	4	1	नहीं
(घ) अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक			
श्री राम कुमार चिलुकुरी (डीआईएन : 00321060)	4	4	हाँ
श्री अजय कुमार जशवंतलाल चोकसी (डीआईएन : 09451875)	4	4	हाँ

*संबंधित व्यक्ति पिछली वार्षिक सामान्य बैठक को एसपीएमसीआईएल में निदेशक के रूप में कार्यरत नहीं थे।

वर्ष 2023–24 के दौरान, श्री विजय रंजन सिंह ने 27.09.2023 से कंपनी के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में पदभार ग्रहण किया। सुश्री तृप्ति पी. घोष का 30.04.2023 से कंपनी की अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यभार पूर्ण हो गया था। श्री अनिल सुब्रमण्यम, संयुक्त सचिव (आईएस–I), गृह मंत्रालय को 06.10.2023 से कंपनी के बोर्ड में भारत सरकार के अंशकालिक नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, तत्कालीन अतिरिक्त सचिव (पी–II), गृह मंत्रालय के स्थान पर नियुक्त किए गए। श्री आशीष वच्छानी, अपर सचिव (बजट), डीईए, वित्त मंत्रालय को 04.03.2024 से कंपनी के बोर्ड में भारत सरकार के अंशकालिक नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया

(iv) 31 मार्च 2024 तक अन्य कंपनियों में निदेशक पद, समिति सदस्यता और समिति अध्यक्ष पद का ब्यौरा

निदेशक का नाम	अन्य कम्पनियों में निदेशक पदों का विवरण	अन्य कम्पनियों में समिति सदस्यता और समिति अध्यक्षत्व का विवरण'
श्री विजय रंजन सिंह, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक (डीआईएन:06386038)	बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीएनपीएमआईपीएल)	–शून्य–
श्री एस.के. सिन्हा, निदेशक (मानव संसाधन) (डीआईएनः 07585095)	बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीएनपीएमआईपीएल)	बीएनपीएमआईपीएल बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और सीएसआर समिति के सदस्य
श्री अजय अग्रवाल, निदेशक (वित्त) (डीआईएनः 06778079)	बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीएनपीएमआईपीएल)	बीएनपीएमआईपीएल बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और सीएसआर समिति के सदस्य
श्री मनोज सहाय, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वित्त मंत्रालय (डीआईएन : 08711612)	1. वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क 2. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	–शून्य–
श्री आशीष वच्छानी, अपर सचिव (बजट), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय (डीआईएनः 08189848)	–शून्य–	–शून्य–
श्री अनिल सुब्रमण्यम, संयुक्त सचिव (आईएस–आई), गृह मंत्रालय (डीआईएन : 10344845)	–शून्य–	–शून्य–
श्री टी. आर्मस्ट्रांग चांगसन, संयुक्त सचिव (पीएसपी) एवं मुख्य पासपोर्ट अधिकारी, विदेश मंत्रालय (डीआईएन : 09473570)	–शून्य–	–शून्य–

निदेशक का नाम	अन्य कम्पनियों में निदेशक पदों का विवरण	अन्य कम्पनियों में समिति सदस्यता और समिति अध्यक्षत्व का विवरण'
श्री संजीव प्रकाश, मुख्य महाप्रबंधक, मुद्रा प्रबंधन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक (डीआईएन : 09528516)	–शून्य–	–शून्य–
श्री राम कुमार चिलुकुरी, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन : 00321060)	अनेवा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	–शून्य–
श्री अजय कुमार जशवंतलाल चोकसी, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन : 09451875)	–शून्य–	–शून्य–

*केवल लेखा परीक्षा समिति, सीएसआर समिति और पारिश्रमिक समिति की अध्यक्षता/सदस्यता पर विचार किया गया है।

कंपनी का कोई भी निदेशक बीस (20) से अधिक कंपनियों में निदेशक के रूप में एक ही समय में पद धारण नहीं करता है। कंपनी का कोई भी निदेशक दस (10) से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है या उन सभी कंपनियों में पाँच (5) से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है जिनमें वह निदेशक है। निदेशकों के बीच आपसी संबंधों का खुलासाः शून्य।

(अ) वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों का विवरणः

कंपनी निदेशक मंडल और उसकी समितियों की बैठकें आयोजित करने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानक–1 का पालन करती है। बैठकें उचित सूचना और बोर्ड या समिति के अध्यक्ष की मंजूरी के साथ बुलाई जाती हैं। इन बैठकों को एक संरचित एजेंडा द्वारा नियंत्रित किया जाता है और आपातकालीन स्थितियों में, प्रस्ताव को संचलन द्वारा पारित किया जा सकता है।

आम तौर पर, बोर्ड की बैठकें नई दिल्ली में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के नजदीकी स्थान पर आयोजित की जाती हैं और उन्हें पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है। कंपनी सचिव, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के परामर्श से, सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठक की लिखित सूचना भेजता है। बोर्ड के सदस्यों के पास सभी प्रासंगिक जानकारी तक पहुँच होती है और वे अतिरिक्त एजेंडा आइटम सुझा सकते हैं। वरिष्ठ प्रबंधन को अक्सर विशिष्ट मदों पर आगे की जानकारी या प्रस्तुतियाँ देने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

तिमाही नतीजों और अन्य एजेंडा मदों की समीक्षा के लिए बोर्ड हर तिमाही में कम से कम एक बार मिलता है, और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निम्नलिखित तिथियों पर चार बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं:

(i) 28 जून 2023

(ii) 30 सितंबर 2023

(iii) 27 दिसंबर 2023

(iv) 12 मार्च 2024

(vi) बोर्ड की जिम्मेदारियां

बोर्ड का कार्य कंपनी की रणनीतिक दिशा की देखरेख करना, कॉर्पोरेट प्रदर्शन की समीक्षा और निगरानी करना, नियामक अनुपालन सुनिश्चित करना और शेयरधारकों के हितों की रक्षा करना है।

(vii) स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका

स्वतंत्र निदेशक बोर्ड और समिति की बैठकों में विचार–विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(viii) निदेशक मंडल के समक्ष रखी गई जानकारी

बोर्ड के समक्ष रखे गए एजेंडे में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:–

- वार्षिक परिचालन योजनाएं और बजट तथा कोई भी अद्यतन।
- कंपनी के तिमाही परिणाम.
- वित्तीय विवरण और बोर्ड की रिपोर्ट (अनुलग्नकों सहित)।
- लेखापरीक्षा समिति, बोर्ड बैठकों और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
- महत्वपूर्ण श्रम समस्याएं और उनके प्रस्तावित समाधान, मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण विकास जैसे वेतन समझौते पर हस्ताक्षर आदि।
- बोर्ड द्वारा वांछित मामलों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।
- निदेशकों द्वारा अन्य कम्पनियों में उनके द्वारा धारित निदेशक पदों और समिति पदों के बारे में रुचि का प्रकटीकरण।
- स्वतंत्र निदेशकों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा।
- प्रमुख कानूनी विवादों से संबंधित जानकारी।
- कोई भी अनुबंध जिसमें निदेशक को रुचि रखने वाला माना जाता है।
- कंपनी के क्रय मैनुअल के अनुसार क्रय प्रस्तावों के लिए बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक है।
- महत्वपूर्ण पूंजी निवेश प्रस्ताव.
- सुरक्षा एवं कानूनी अनुपालन की स्थिति।
- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं प्रथाओं में परिवर्तन और उसके कारण।
- डीपीई दिशा–निर्देशों और एसएस–1 आदि के अंतर्गत अपेक्षित कोई अन्य जानकारी, सूचना या अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

(ix) नये निदेशकों का चयन

एसपीएमसीआईएल के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के माध्यम से, एसपीएमसीआईएल के बोर्ड में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति करते हैं और एसपीएमसीआईएल के बोर्ड में अंशकालिक गैर–कार्यकारी (सरकारी नामित, अंतिम उपयोगकर्ता प्रतिनिधि और स्वतंत्र) निदेशकों की भी नियुक्ति करते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों का चयन आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा लोक उद्यम विभाग की खोज समिति के परामर्श से किया जाता है, जो प्रबंधन, वित्त, इंजीनियरिंग, प्रशासन और उद्योग आदि के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक पैनल रखती है।

(x) आचार संहिता

अपने कर्मचारियों के लिए आचरण के उच्च मानक स्थापित करने के एसपीएमसीआईएल के सतत प्रयास के हिस्से के रूप में, सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए 'व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता' निर्धारित की गई थी। इस संहिता में निम्नलिखित शामिल हैं:

- सामान्य नैतिक अनिवार्यताएँ,
- विशिष्ट व्यावसायिक जिम्मेदारियाँ, और
- बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान।

उक्त संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट 'www-spmcil-com' पर डाल दी गई है।

2. निदेशक मंडल की समितियां

निदेशक मंडल या तो पूर्ण बोर्ड के रूप में कार्य करता है, या व्यवसाय संचालन और निगम अभिशासन के विशिष्ट क्षेत्रों की देखरेख के लिए गठित विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है। प्रत्येक समिति अपने संदर्भ की शर्तों द्वारा निर्देशित होती है, जो इसकी संरचना, कार्यक्षेत्र और शक्तियों को परिभाषित करती है। समितियाँ नियमित रूप से मिलती हैं और उन्हें सौंपे गए अधिकार के भीतर

सूचित निर्णय लेने के लिए अपने निर्धारित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

31 मार्च, 2024 तक बोर्ड में निम्नलिखित समितियाँ थीं: –

1. लेखा परीक्षा समिति
2. पारिश्रमिक समिति
3. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
4. जोखिम प्रबंधन समिति

2.1 लेखा परीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति की संरचना, कोरम, कार्यक्षेत्र आदि कंपनी अधिनियम, 2013 और निगम अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

(i) संदर्भ की शर्तें

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और निगम अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार एक ऑडिट समिति का गठन किया है। ऑडिट समिति अपने संदर्भ की शर्तों के अनुसार भूमिका निभाती है और लागू वैधानिक प्रावधानों के तहत निर्धारित जानकारी की समीक्षा करती है।



लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

1. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और लेखापरीक्षा के दायरे के बारे में लेखापरीक्षकों के साथ समय–समय पर चर्चा, जिसमें लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां भी शामिल होंगी।
2. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।
3. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
4. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और उसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण सही, पूर्ण और विश्वसनीय हैं।
5. बाहरी लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और हटाने पर ध्यान देना। बाहरी लेखा परीक्षकों के लेखा परीक्षा शुल्क के निर्धारण की सिफारिश करना और किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान की मंजूरी देना।
6. बोर्ड को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना, विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में:
   - क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा होने के नाते निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले मामले।
   - ख. लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसके कारण।
   - ग. प्रबंधन द्वारा निर्णय के प्रयोग के आधार पर अनुमानों से संबंधित प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ।
   - घ. लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।
   - ई. वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन।
   - च. किसी भी संबंधित पक्ष लेनदेन का प्रकटीकरण।
7. प्रबंधन के साथ वैधानिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना और उसमें सुधार के लिए सुझाव देना।

8. आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति की समीक्षा करना।

9. ऐसे मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना, जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विफलता हो और मामले की रिपोर्ट बोर्ड को देना।

10. लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले वैधानिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा की प्रकृति और दायरे के बारे में चर्चा की जाती है, साथ ही लेखापरीक्षा के बाद चर्चा की जाती है ताकि चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाया जा सके।

11. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

12. ऊपर विनिर्दिष्ट या बोर्ड द्वारा संदर्भित मदों से संबंधित किसी मामले की जांच।

13. संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

14. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों और निदेशक मंडल के बीच संचार का एक खुला मार्ग प्रदान करना।

15. लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में उल्लिखित कोई अन्य कार्य करना।

(ii) समिति की संरचना :

सदस्य निदेशकों में वाणिज्य, वित्त, प्रशासन और शासन क्षेत्र में पृष्ठभूमि वाले प्रतिष्ठित पेशेवर शामिल हैं।

31 मार्च 2024 तक लेखापरीक्षा समिति की संरचना और वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार थाः

निदेशकों का नाम	पद	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री राम कुमार चिलुकुरी (डीआईएनः 00321060)	अध्यक्ष	4	4
श्री अजय कुमार जशवंतलाल चोकसी (डीआईएनः 09451875)	सदस्य	4	4
सुश्री मनीषा सिन्हा (04.03.2024 तक) (डीआईएनः 05145516)	सदस्य	3	0

निदेशक (वित्त) स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

(iii) बैठकें और उपस्थिति

लेखापरीक्षा समिति की बैठक 27 जून 2023, 29 सितंबर 2023, 26 दिसंबर 2023 और 11 मार्च 2024 को चार (4) बार हुई। उपस्थिति सदस्यों का विवरण उपरोक्त तालिका में दिया गया है।

2.2. पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और सीपीएसई के लिए निगम अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है।



(i) पारिश्रमिक नीति

एसपीएमसीआईएल एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, इसलिए सीएमडी/कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। अंशकालिक गैर–कार्यकारी निदेशकों को बोर्ड या उसकी

समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को मिलने वाली बैठने की फीस के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

(ii) संदर्भ की शर्तें

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की अपेक्षाओं के अनुरूप, पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:

(i) स्वतंत्र निदेशकों सहित गैर–कार्यकारी निदेशकों को भुगतान की जाने वाली फीस/मुआवजे, यदि कोई हो, के संबंध में निदेशक मंडल को सिफारिश।

(ii) बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल तथा अधिकारियों एवं गैर–संघीकृत पर्यवेक्षकों के बीच इसके वितरण के लिए नीति तय करना।

(ii) समिति के विचारार्थ विषयों से संबंधित कोई अन्य कार्य करना।

5 जून 2015 की अधिसूचना के तहत प्रावधान किया है कि निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (2) सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होगी।

(iii) समिति की संरचना :

समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

निदेशकों का नाम	पद	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री अजय कुमार जशवंतलाल चोकसी (डीआईएन : 09451875)	अध्यक्ष	2	2
श्री राम कुमार चिलुकुरी, (डीआईएन : 00321060)	सदस्य	2	2
सुश्री मनीषा सिन्हा (04.03.2024 तक) (डीआईएनः 05145516)	सदस्य	2	0

कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है

(iv) बैठकें और उपस्थिति

पारिश्रमिक समिति की बैठक 27 जून 2023 और 11 मार्च 2024 को दो (2) बार हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उपरोक्त तालिका में दिया गया है।

(v) वर्ष 2023–24 के दौरान कार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:–

निदेशक का नाम	कुल पारिश्रमिक (₹ लाख में)
श्री विजय रंजन सिंह, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक (27.09.2023 से) (डीआईएन : 06386038)	23.45
सुश्री तृप्ति पी. घोष, पूर्व अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक (30.04.2023 तक) (डीआईएन : 08123112)	3.95
श्री एस.के. सिन्हा, निदेशक (मानव संसाधन) (डीआईएन : 07585095)	95.16
श्री अजय अग्रवाल, निदेशक (वित्त) (डीआईएन : 06778079)	74.45

(vi) वर्ष 2023–24 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठने की फीस का विवरण नीचे दिया गया है:–

स्वतंत्र निदेशकों का नाम	बैठने की फीस		कुल (₹)
	बोर्ड की बैठकें	समिति की बैठकें	
श्री अजय कुमार जशवंतलाल चोकसी (डीआईएन : 09451875)	4	10	2,10,000
श्री राम कुमार चिलुकुरी (डीआईएन : 00321060)	4	9	1,95,000

2.3. निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

इस समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है। समिति को समय–समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार करने और बोर्ड को इसकी सिफारिश करने का काम सौंपा गया है। यह सीएसआर नीति में निर्दिष्ट गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करती है, कंपनी की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की निगरानी करती है और बोर्ड द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य मामले को संबोधित करती है।



(i) संदर्भ की शर्तें

सीएसआर समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

(क) एक निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार करना और बोर्ड को सिफारिश करना, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को इंगित करती हैय

(ख) समय–समय पर कंपनी की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की निगरानी करना,

(ग) खंड (क) में निर्दिष्ट गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना,

(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के दायरे में आने वाली सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/प्रस्तावों की सिफारिश/समीक्षा करना,

(ई) कंपनी द्वारा किए गए सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करना,

(च) कंपनी की सीएसआर पहलों पर रणनीति तैयार करने के लिए निदेशक मंडल की सहायता करना,

(छ) समय–समय पर संशोधित निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन करना।

(ज) ऐसे अन्य कार्य, कर्म, बातें और मामले करना जो अधिनियम की धारा 135 और कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों।

(ii) समिति की संरचनाः

सीएसआर समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

निदेशक का नाम	पद	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री राम कुमार चिलुकुरी (डीआईएन : 00321060)	अध्यक्ष*	3	3
श्री एस.के. सिन्हा (डीआईएन : 07585095)	सदस्य	3	3
सुश्री मनीषा सिन्हा (04.03.2024 तक) (डीआईएनः 05145516)	अध्यक्ष	2	0
श्री संजीव प्रकाश (12.03.2024 से) (डीआईएनः 09528516)	सदस्य	1	1

*श्री राम कुमार चिलुकुरी को 12.03.2024 से सुश्री मनीषा सिन्हा के स्थान पर सीएसआर समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

(iii) बैठकें और उपस्थिति

समिति की बैठक वर्ष के दौरान तीन (3) बार 27 जून 2023, 29 सितम्बर 2023 और 26 मार्च 2024 को होगी। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उपर्युक्त तालिका में दिया गया है।

2.4. जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी किए गए निगम अभिशासन पर वैधानिक प्रावधानों और दिशानिर्देशों के अनुपालन में, अपने सामने आने वाले विभिन्न जोखिमों को संबोधित करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। यह नीति व्यापक होने के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें संभावित जोखिमों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, और इसमें गतिशील व्यावसायिक



वातावरण के साथ तालमेल रखने के लिए तेजी से जोखिम अपडेट के लिए तंत्र शामिल हैं।

जोखिम प्रबंधन समिति जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की देखरेख करती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी का जोखिम प्रबंधन ढांचा उसके परिचालनों में प्रभावी रूप से एकीकृत हो तथा उसके रणनीतिक उद्देश्यों के साथ संरेखित हो।

(i) संदर्भ की शर्तें

जोखिम प्रबंधन समिति उद्यम–व्यापी जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करने और इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए संगठन के रणनीतिक उद्देश्यों को प्रमुख जोखिमों के साथ संरेखित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ इस प्रकार हैं:

- **जोखिम प्रबंधन प्रणालियाँ** : यह सुनिश्चित करना कि पहचाने गए जोखिमों के प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्रणालियाँ मौजूद हों, संगठन की परिसंपत्तियों और प्रतिष्ठा की सुरक्षा हो।
- **उत्तरदायित्व और संसाधन** : यह सुनिश्चित करना कि उत्तरदायित्व और प्राधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित हों, तथा जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित किए गए हों।

- **समीक्षा और अनुमोदन** : निगम जोखिम समिति (सीआरसी) द्वारा सूचित प्रमुख जोखिमों की समीक्षा करना और प्रमुख जोखिमों के लिए सीआरसी द्वारा तय किए गए उपचारात्मक शमन उपायों को अनुमोदित करना।

यह व्यापक दृष्टिकोण संगठन को मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को बनाए रखने, अपने हितों की रक्षा करने और अपने रणनीतिक लक्ष्यों का समर्थन करने में मदद करता है।

(ii) समिति की संरचनाः

जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

निदेशक का नाम	पद	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री अजय अग्रवाल (डीआईएनः 06778079)	अध्यक्ष	4	4
श्री अजय कुमार जशवंतलाल चोकसी (डीआईएन : 09451875)	सदस्य	4	4
श्री एस.के. सिन्हा (डीआईएन : 07585095)	सदस्य	4	4

(iii) बैठकें और उपस्थिति

समिति द्वारा वर्ष के दौरान चार (4) बार 20 मई 2023, 29 सितंबर 2023, 26 दिसंबर 2023 और 11 मार्च 2024 को बैठकों का आयोजन किया गया। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उपर्युक्त तालिका में दिया गया है।

3. आम सभा की बैठकें

(i) पिछली तीन आम सभाओं का स्थान और समय

वित्तीय वर्ष	जगह	तारीख	समय
वित्तीय वर्ष 2020–21 (16 वीं वार्षिक आम बैठक)	16 वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली	9 नवंबर 2021	दोपहर 1:30 बजे
वित्तीय वर्ष 2021–22 (17 वीं वार्षिक आम बैठक)	द इंपीरियल (एसपीएमसीआईएल निगम कार्यालय के पास) जनपथ, नई दिल्ली	29 सितंबर 2022	दोपहर 1:30 बजे
वित्त वर्ष 2022–23 (18 वीं वार्षिक आम बैठक)	अशोक, डिप्लोमैटिक एन्क्लेव, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली	30 सितंबर 2023	दोपहर 1.30 बजे

(iii) पिछली तीन आम बैठकों में पारित विशेष प्रस्तावों का विवरणः

- पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन के नए सेट को अपनाने के लिए 30.12.2022 को आयोजित ईजीएम में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।

4. प्रकटीकरणः

(i) भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन के बारे में प्रकटीकरण, जो समग्र रूप से कंपनी के हितों के साथ टकराव की संभावना रखते हों।

कंपनी और निदेशकों, प्रबंधन, सहायक कंपनियों या रिश्तेदारों के बीच कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन, वित्तीय लेनदेन या संबंध नहीं रहा है, सिवाय 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में बताए गए और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत आवश्यकता के संदर्भ में बोर्ड की रिपोर्ट में बताए गए।

संबंधित पक्ष के साथ लेन–देन सामान्य कारोबारी क्रम में किया गया है, तथा इसका खुलासा कंपनी अधिनियम, 2013 (अर्थात् फॉर्म एओसी–2) और प्रासंगिक लेखा मानक (कंपनी के वित्तीय विवरणों के नोट्स में) की अपेक्षा के अनुसार किया गया है।

(ii) पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी पर लगाए गए गैर–अनुपालन/दंड और प्रतिबंध

किसी भी वैधानिक विनियमन या सरकारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन न करने का कोई मामला सामने नहीं आया है, न ही कंपनी पर पूंजी बाजार और सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के संबंध में कोई जुर्माना या प्रतिबंध लगाया गया है।

(iii) आचार संहिताः

कंपनी ने कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता स्थापित की है। इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए एसपीएमसीआईएल की ''व्यावसायिक आचार संहिता और नैतिकता'' के अनुपालन की पुष्टि की है।

(iv) व्हिसल ब्लोअर नीति

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगम अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसरण में, कंपनी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की व्हिसल ब्लोअर नीति को दोहराया है। नीति के तहत प्राप्त शिकायतों पर इस संबंध में दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है और किसी भी व्यक्ति को ऑडिट समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

(v) निगम अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुपालन का विवरण

सीपीएसई के लिए निगम अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों की सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन किया गया है। खातों की पुस्तकों में कोई भी ऐसा व्यय नहीं दर्शाया गया है जो व्यवसाय के उद्देश्य से नहीं है, और कोई भी ऐसा व्यय नहीं किया गया है या उसका लेखा–जोखा नहीं रखा गया है जो व्यक्तिगत प्रकृति का हो या निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए हो।

(v) राष्ट्रपति के निर्देश

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2021–22, 2022–23 और 2023–24 के दौरान कोई राष्ट्रपति निर्देश प्राप्त नहीं हुआ।

(vi) जोखिम प्रबंधन

सीपीएसई के लिए निगम अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में, कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है जो यह सुनिश्चित करता है कि जोखिमों की उचित पहचान की जाए और उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाए। इस रिपोर्ट में अन्यत्र दिए गए विवरण के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल की एक जोखिम प्रबंधन समिति भी गठित की गई है।

(vii) निगम अभिशासन संबंधी प्रमाण पत्र

सीपीएसई के लिए निगम अभिशासन पर दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुपालन के संबंध में कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

5. सामान्य शेयरधारक जानकारी

(मैं)	वार्षिक सामान्य बैठक		
	तिथि	**समय**	**कार्यक्रम का स्थान**
	28 सितंबर 2024	प्रातः 11:15	16वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली
(ii)	वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक	

(iii) लाभांश इतिहास

एसपीएमसीआईएल द्वारा भुगतान किये गये लाभांश का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	कुल भुगतान किया गया लाभांश (₹ करोड़ में)	वह तिथि जिस दिन लाभांश घोषित किया गया
2011–12 (अंतिम)	116.49	30 जुलाई 2012
2012–13 (अंतिम)	84.70	13 नवंबर 2013
2013–14 (अंतिम)	42.93	11 नवंबर 2014
2015–16 (अंतिम)	60.92	30 सितंबर 2016
2016–17 (अंतिम)	227.64	27 सितंबर 2017
2017–18 (अंतिम)	204.87	31 जुलाई 2018
2018–19 (अंतिम)	218.48	6 सितंबर 2019
2019–20 (अंतिम)	215.48	16 दिसंबर 2020
2020–21 (अंतिम)	240.41	9 नवंबर 2021
2021–22 (अंतरिम और अंतिम)	259.62	22 मार्च 2022 और 29 सितंबर 2022
2022–23 (अंतिम)	533.78	27 अक्टूबर 2023

(iv) संचार के साधन

कंपनी के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी वार्षिक रिपोर्ट में विस्तृत रूप से दी गई है, जो कंपनी की वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। वार्षिक रिपोर्ट कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, शासन प्रथाओं और रणनीतिक पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करती है, पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और हितधारकों को सूचित करती है।

कंपनी से संबंधित निरंतर अपडेट, घोषणाओं और नवीनतम घटनाक्रमों के लिए, हितधारक एसपीएमसीआईएल की वेबसाइट www.spmcil.com पर जा सकते हैं। वेबसाइट कंपनी के संचार और सूचना के लिए एक केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करती है।

(v) संयंत्र स्थान

एसपीएमसीआईएल की इकाइयाँ	देवास (म.प्र.)	बैंक नोट मुद्रणालय
	नर्मदापुरम (मध्य प्रदेश)	प्रतिभूति कागज कारखाना
	हैदराबाद (तेलंगाना राज्य)	प्रतिभूति मुद्रणालय
		भारत सरकार टकसाल
	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	भारत सरकार टकसाल
	मुंबई (महाराष्ट्र)	भारत सरकार टकसाल
	नोएडा (उत्तर प्रदेश)	भारत सरकार टकसाल
	नासिक (महाराष्ट्र)	चलार्थ पत्र मुद्रणालय
		भारत प्रतिभूति मुद्रणालय

(vi) शेयरों का अमूर्तिकरण

10 सितंबर 2018 की अधिसूचना के अनुसार, कंपनी के इक्विटी शेयरों को अमूर्त कर दिया गया है। रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम और पता अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, 3ई/7, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055 है। एनएसडीएल द्वारा एसपीएमसीआईएल के इक्विटी शेयरों को आईएसआईएन **नंबर INE02FS01016** से जारी किया गया है।

निदेशक मंडल की ओर से

ह०/–
(विजय रंजन सिंह)
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06386038

दिनांकः 28/09/2024
स्थानः नई दिल्ली

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

सेवा में

सभी सदस्य

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

16वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन जनपथ, नई दिल्ली 110001

हमने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए **भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड** द्वारा निगम अभिशासन की अनुपालन की जांच की है, जैसा कि "केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निगम अभिशासन पर दिशा–निर्देश, 2010" के तहत अधिसूचना संख्या 18(8)/2005 –ळड में निर्दिष्ट किया गया है, जिसे 22.06.2007 को जारी किया गया था और 14 मई, 2010 को वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से संशोधित दिशा–निर्देशों में प्रस्तुत किया गया है।

निगम अभिशासन का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच केवल उन प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी, जिन्हें कंपनी ने उपरोक्त दिशानिर्देशों में निर्धारित निगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह न तो एक लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय का एक प्रमाण है।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें प्रदान की गई व्याख्या के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उपरोक्त दिशा–निर्देशों में निर्दिष्ट निगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

सौरभ अग्रवाल – कंपनी के लिए

कंपनी सचिव

ह०/–
सौरभ अग्रवाल
हिस्सेदार
एफसीएस नं .: 5430
सीपी नंबरः 4868
यूडीआईएनः एफ005430एफ000758369

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः17/07/2024

अनुलग्नक – IX

फॉर्म संख्या एओसी 2

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें तीसरे प्रावधान के तहत पक्षों द्वारा कुछ स्वतंत्र और समान रूप से किए नए लेनदेन (आर्मस लेंथ लेनदेन) भी शामिल हैं।

(अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार)

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन का विवरण जो आर्म्स लेंथ के आधार पर नहीं किए गए
   - (क) संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृतिः **लागू नहीं**
   - (ख) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृतिः **लागू नहीं**
   - (ग) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधिः **लागू नहीं**
   - (घ) अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य भी शामिल हो,, यदि कोई होः **लागू नहीं**
   - (ड) ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्यः **लागू नहीं**
   - (च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथिः **लागू नहीं**
   - (छ) अग्रिम रूप से भुगतान की गई राशि, यदि कोई होः **लागू नहीं**
   - (ज) धारा 188 के पहले प्रावधान की आवश्यकतानुसार वह तिथि, जिस दिन सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित किया गया थाः **लागू नहीं**
2. आर्म्स लेंथ के आधार पर भौतिक अनुबंधों या व्यवस्था या लेन–देन का विवरणः
   - (क) संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृतिः **बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीएनपीएमआईपीएल), संयुक्त उद्यम कंपनी।**
   - (ख) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृतिः **सीडब्ल्यूबीएन प्रतिभूति कागज़ की खरीद**
   - (ग) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधिः 01.04.2023 से 31.03.2024 तक
   - (घ) अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई होः वर्ष 2023–24 में 210.85 करोड़ की राशि के लिए **संयुक्त उद्यम सह शेयरधारक समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार सीडब्ल्यूबीएन प्रतिभूति कागज़ की खरीद।**
   - (ड) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख, यदि कोई होः **लागू नहीं**
   - (च) अग्रिम के रूप से भुगतान की गई राशि, यदि कोई होः **लागू नहीं**

ह०/–
(विजय रंजन सिंह)
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06386038

दिनांकः 28/09/2024
स्थानः नई दिल्ली

एकल वित्तीय विवरण

2023-24



स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण
भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर एकल लेखापरीक्षा रिपोर्ट

अभिमत,

हमने **भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड** ("कंपनी") की संलग्न एकल भारतीय लेखा (भारतीय लेखांकन मानक) वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक की तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), उस तारीख को समाप्त वर्ष का इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, नकदी प्रवाह का विवरण, और भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ शामिल हैं, इसके साथ ही, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए सामग्री लेखांकन नीति जानकारी और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है, जिसमें हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 1 इकाई और संबंधित इकाई लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 8 इकाइयों के लिए उस तारीख को समाप्त वर्ष के विवरणों को शामिल किया गया है।

हमारी राय में और प्राप्त जानकारी के अनुसार तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट की योग्य अभिमत के आधार पर वर्णित विषयों के अलावा, उपरोक्त एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा), में स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धान्त के अनुरूप 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति, उसका लाभ, कुल व्यापक आय, इक्विटी में बदलाव और उसके नकदी प्रवाह का, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित, ('इंड एएस') और भारत में आम तौर पर स्वीकार्य किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुरूप वास्तविक और निष्पक्ष आलोकन प्रस्तुत करता है।

सुविज्ञ राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा के मानकों ('एएस') के अनुसार एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के तहत हमारे दायित्वों को हमारी रिपोर्ट के एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षा की जिम्मेदारियों में पुनः वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताएं जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा नीचे **'अन्य मामल'** पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्टों के संदर्भ में प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले की महत्वता

हम आपका ध्यान आकर्षित करते हैं:–

क) वित्तीय विवरणों के नोट 24(ख) में कहा गया है कि एसपीएम नर्मदापुरम के मामले में सूक्ष्म और लघु सुविधा परिषद ने एमएसएमईडी अधिनियम 2000 के अनुसार आपूर्तिकर्ता द्वारा दायर किये गए दो मामलों में मूल राशि ब्याज सहित ₹ 126.28 लाख और ₹ 231.28 लाख का भुगतान करने का निर्देश पारित किया है। कंपनी ने इन आदेशों के खिलाफ अपील दायर की है और ₹ 263.99 लाख यानी ₹ 126.28 लाख ₹137.71 लाख के लिए उच्च न्यायालय में और ₹ 93.57 लाख के लिए जिला न्यायालय में अपील लंबित है और इसे आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है।

ख) वित्तीय विवरणों के नोट 35 में कहा गया है कि व्यापार प्राप्य, अन्य परिसंपत्तियां, व्यापार और अन्य देयताओं के शेष संबंधित पक्षों के साथ पुष्टि/समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय नहीं बदली है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले, वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में उस पर हमारी राय मांगा गया था और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं।

एसए 701 के अनुसार प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि यह एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, और हमने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को संप्रेषित करने का निर्णय नहीं लिया है।

एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षा की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है, और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस अन्य सूचना में कोई भौतिक गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है।

एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के लिए जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में है, जो कंपनी की वित्तीय

स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन सहित अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जो भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक और उसके तहत जारी प्रासंगिक नियम शामिल हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल हैय उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदनय उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगानाय और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयान से मुक्त हैं।

एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

इस संबंध में हमारा उद्देश्य अधिकाधिक भरोसा हासिल करना है कि एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण भौतिक गड़बडियों जैसे – जालसाजी या गलतियों से मुक्त हो और एक लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय समाहित हो। सबल भरोसा एक अत्याधिक मजबूत विश्वास होता है न कि बात की गारंटी कि लेखांनकन मानकों के अनुरूप की गई लेखा परीक्षा हमेशा गड़बडियों का पता लगाये। धोखाधड़ी या त्रुटि से ही गलत बयानी उत्पन्न होती है और उन्हें तब ही महत्वपूर्ण माना जाता है जब व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उनसे इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओँ के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जाए।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। इसके साथ ही हम यह भी करते हैं:–

- एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करना और निष्पादित करना, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक गलत विवरण का पता न लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करना ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन कीप्रभावशीलता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के लिए वर्तमान व्यवसाय के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी, चालू व्यवसाय को बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरणों सहित एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय–वस्तु का मूल्यांकन करना, तथा यह देखना कि क्या एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

भौतिकता भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह मात्रा है जो, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभावना बनाती है कि एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम निम्नलिखित में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं:

(i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाना और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करनाय तथा

(ii) एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

हम अन्य मामलों के साथ–साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में, जिनमें लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है, को अनुपालन के लिए उत्तरदायी लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम अनुपालन के लिए उत्तरदायी लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

अन्य मामले

1. हमने कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल 8 शाखाओं/इकाइयों के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखा परीक्षा नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2024 तक ₹ 3,38,428.98 लाख की कुल संपत्ति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 4,44,119.20 लाख का कुल राजस्व दर्शाती है, जैसा कि एकल आईएनडी एएस वित्तीय विवरणों में माना जाता है। इन इकाइयों के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का उन इकाई लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा किया गया है जिनकी रिपोर्ट हमें दी गई है, और जहां तक यह इकाइयों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे इकाइयों लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

2. **हम भा.सा.ट. हैदराबाद इकाई के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का संदर्भ देते हैं, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में योग्य राय दी थी।**

अ) 31.03.2024 तक इकाई –आईजीएम हैदराबाद के वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना/वित्तीय परिणामों का लेखा–परीक्षण इकाई लेखा परीक्षक, मेसर्स शरद एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा किया गया, जिन्होंने अपनी लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय सूचना/वित्तीय परिणामों पर एक योग्य राय व्यक्त की है। हमने अपनी लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में इकाई लेखा परीक्षक द्वारा उठाई गई रिपोर्ट और योग्यताओं को ध्यान में रखा है।

इन विषयों पर हमारी राय नहीं बदली है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') द्वारा जैसा अपेक्षित है, हम आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलो पर लागू होने की सीमा तक एक बयान **'अनुलग्नक I'** में देते है।

2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं किः

   क) हमने वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

   ख) हमारी राय में, कंपनी ने कानून के अनुसार उचित लेखा पुस्तकें रखी हैं, जैसा कि हमारी उन पुस्तकों की जांच से पता चलता है, सिवाय 2(जी)(vi) में बताए गए "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट"।

   हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए उचित दस्तावेज उन इकाइयों से प्राप्त हुए हैं, जिनका हमने लेखा परीक्षा नहीं किया है।

   ग) इकाई लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित कंपनी के इकाई कार्यालयों/इकाइयों के लेखा रिपोर्ट हमें भेजी गई है और हमने लेखापरीक्षा करते समय उनकी रिपोर्ट की प्रकृति, समय और सीमा को लागू किया है।

   घ) इस रिपोर्ट में प्रस्तुत बैलेंस शीट, लाभ–हानि विवरण, इक्विटी में बदलाव का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण, लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

   ङ) हमारी राय में, उपर्युक्त एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

   च) कंपनी के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया **'अनुलग्नक II'** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें, जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक सुविज्ञ राय व्यक्त करती है।

   छ) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसाररू

      i. भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में शामिल किये गये मामलो के अतिरिक्त कंपनी के पास कोई भी ऐसा मुकदमा लंबित नहीं है जो उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।

ii. कंपनी को व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ है।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष को स्थानांतरित करने के लिए कोई अपेक्षित राशि नहीं थी।

iv.

क) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा विवरण में दर्शाई गई टिप्पणियों के अतिरिक्त, कंपनी द्वारा या देशी संस्थाओं ('मध्यस्थ') सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्थाओं को कोई भी धनराशि (अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं की गई है) यह स्पष्ट है कि किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ('अंतिम लाभार्थी') को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

ख) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा विवरण में दर्शाई गई टिप्पणियों के अतिरिक्त, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (''वित्त पोषण पक्ष'') सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ('अंतिम लाभाथी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगीय तथा

ग) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रावधान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत विवरण निहित है।

v. कंपनी ने अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में वर्ष के दौरान ₹ 53,377.59 लाख रुपये का लाभांश घोषित किया और भुगतान किया है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर SAP ECC 6.0 का उपयोग किया है, जिसमें लेखा परीक्षा ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने SAP ECC 6.0 से SAP HANA में डेटा माइग्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है। इसके अलावा, हमारे लेखा परीक्षा के दौरान हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के संबंध में लेखा परीक्षा ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला। वित्तीय विवरणों के लिए नोट 61 देखें।

इसके अलावा, चूंकि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल 2023 से लागू है, इसलिए रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार लेखा परीक्षा ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

ज) भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) कंपनी पर लागू नहीं होती है।

3. अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार संशोधित किया गया है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है।

4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत लेखापरीक्षा, वित्त एवं संचार के प्रधान निदेशक के कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों/उप–निर्देशों के संबंध में, संदर्भ रिपोर्ट के साथ संलग्न **अनुलग्नक III** में रखा गया है।

कृते ज्ञानेन्द्र एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म का पंजीकरण संख्या 004661एन)

ह०/–
जीके अग्रवाल
हिस्सेदार
(एम नं. 081603)
यूडीआईएनः 24081603बीकेएआईबीई7733

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक– 10 जुलाई 2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक 'I'

हमारी समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के शीर्षक 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नकः –

हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा कंपनी द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और लेखापरीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जांची गई खाता–बही और अभिलेखों के अनुसार, हम सूचित करते हैं किः

i. कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, उपयोग अधिकार परिसंपत्तियों और अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध मेंः

क) क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

ख) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

ख) कंपनी के पास अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जिसके तहत प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध आवधिक तरीके से सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का सत्यापन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का नियमित अंतराल पर सत्यापन किया गया और ऐसे सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गईं।

हमारी राय में, भौतिक सत्यापन की यह आवधिकता कंपनी के आकार और उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित है।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की **हमारी जांच के आधार पर, नीचे दिए गए विवरण को छोड़कर,** कंपनी के पास अपने नाम पर सभी अचल संपत्तियों के मूल स्वामित्व विलेख हैं, उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार हैः

(₹ लाख में)

कंपनी के नाम पर न रखी गई अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख						
तुलन पत्र की पंक्तिबद्ध मदें	संपत्ति विवरण	कुल वहनीय मूल्य (₹ लाख में)	नामे कृत स्वत्व विलेख	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रचारक/ निर्देशक या प्रचारक निदेशक का कोई संबंधी अथवा प्रचारक / निदेशक का कर्मचारी है।	संपत्ति संधारण की तिथि	कंपनी के नाम पर न होने का कारण (यदि विवाद है, तो उल्लेख करें)
पीपीई प्र.का.का., नर्मदापुरम	भूमि	3.57	पीपीई प्र.का.का., नर्मदापुरम	नहीं	2006 से	109.40 एकड़ भूमि के लिए म्यूटेशन प्रक्रियाधीन है।

पीपीई भा.स.ट., कोलकाता	इमारत	1,100.87	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	नहीं	2006 से	सुपुर्द कार्यों के औपचारिक विलेख का पंजीकरण प्रक्रियाधीन है।
	भूमि एवं भवन	1.47			26.10.2020	कोलकाता के स्ट्रैंड रोड स्थित पुरानी टकसाल कॉम्प्लेक्स पंजीकरण हेतु लंबित है।
पीपीई भा.स.ट., मुंबई	भूमि	4.44	भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार	नहीं	14.11.1958	हस्तांतरण के लिए दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। परेल की संपत्ति में किये गये अतिक्रमण का जानकारी निम्नवत है: क) परेल मिंट कॉलोनी, बिल्डिंग नंबर 09 के पीछे, साईंराम आदर्श सेवा मंडल के तहत लगभग 500 वर्ग मीटर में अतिक्रमण किया गया है। ख) मिंट कॉलोनी के उत्तरी कोने में, लगभग 1000 वर्ग मीटर, महंत गोदावरी गिरिजी के आश्रम और उनके अनुयायियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है।
पीपीई च.प.मु., नासिक	भूमि	59.56	वित्त मंत्रलाय, भारत सरकार	नहीं	2006 से	निगमीकरण के उपरान्त वित्त मंत्रलाय द्वारा दिनांक 10.02.2006 को भूमि और भवन का बड़ा हिस्सा एसपीएमसीआईएल को हस्तांतरित कर दिया गया। सभी 7/12 दस्तावेज एसपीएमसीआईएल के नाम पर हैं। अन्य में नाम बदलने की प्रक्रिया चल रही है।
	गैर–फैक्ट्री भवन	642.35				
	कारखाने की इमारत	1860.88				
पीपीई भा.प्र.मु., नासिक	भूमि	25.52	वित्त मंत्रलाय, भारत सरकार	नहीं	10.02.2006	निगमीकरण के उपरान्त वित्त मंत्रलाय द्वारा दिनांक 10.02.2006 को भूमि और
	गैर–फैक्ट्री भवन	1484.06				

	कारखाने की इमारत	699.83				भवन का बड़ा हिस्सा एसपीएमसीआईएल हस्तांतरित कर दिया गया। सभी 7/12 दस्तावेज एसपीएमसीआईएल के नाम पर हैं। अन्य में नाम बदलने की प्रक्रिया चल रही है।
पीपीई भा.स.ट, हैदराबाद	भूमि	23.83	मिंट मास्टर कार्यालय, भारत सरकार	नहीं	15.06.2007	सर्वे फील्ड न. 5 और 9, फ्लोर संख्या 6–1–42/4, सैफाबाद, हैदराबाद हैदराबाद के टाउन सर्वे रजिस्टर में म्यूटेशन नहीं किया गया है

घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित) या अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। इसलिए, पैरा 3(i)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

ड) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (जैसा कि 2016 में संशोधित किया गया है) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित है। इसलिए, पैरा 3(i)(म) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

ii. क) वर्ष के दौरान नियमित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा सूची का भौतिक सत्यापन किया गया है और हमारी राय में, ऐसे सत्यापन की प्रक्रिया उचित है और ऐसे भौतिक सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं।

ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर नहीं की गई है। इसलिए, पैरा 3(ii) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

iii. कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ऋण या अग्रिम, सुरक्षित या असुरक्षित, प्रदान नहीं किया है। इसलिए, पैरा 3(iii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

iv. कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूतियों के संबंध में कोई लेनदेन नहीं किया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अनुपालन को आकर्षित करता है। इसलिए, आदेश का पैराग्राफ 3 (iv) लागू नहीं होता है।

v. कंपनी ने ऐसी जमाराशि या राशि स्वीकार नहीं की है जिसे जमाराशि माना जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और धारा 73 से 76 के प्रावधानों या कंपनी अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों का पालन किया जाता है। इसलिए, पैरा 3(अ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

vi. हमारी राय में और कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लागत खाते और रिकॉर्ड बनाए रखने

की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि इकाई प्रतिभूति पेपर मिल, नर्मदापुरम द्वारा लागत रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है। इकाई प्रतिभूति पेपर मिल, नर्मदापुरम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार एसएपी में लागत रिकॉर्ड बनाए रख रही है।

हालाँकि, हमने लागत अभिलेखों की विस्तृत जांच नहीं की है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि वे सटीक या पूर्ण हैं या नहीं।

हमने आदेश के पैरा 3(vi) के तहत रिपोर्टिंग के संबंध में इकाई लेखा परीक्षक, मेसर्स सौरभ श्रीवास्तव एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रिपोर्ट की विश्वसनियता के आधार पर किया गया है।

vii. वैधानिक बकाया के संबंध में:

क) कंपनी माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और किसी भी अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया को उचित अधिकारियों को जमा करने में नियमित रही है। 31 मार्च, 2024 तक, नीचे उल्लिखित मामलों को छोड़कर, देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक अवधि के लिए कोई भी निर्विवाद वैधानिक बकाया देय नहीं है: –

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक:–

विधि का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	सकल राशि	जमा राशि	बकाया राशि
भूमि राजस्व अधिनियम	गैर–कृषि कर	31.03.2024 तक	₹ 405.82 लाख	–	₹ 405.82 लाख

ख) नीचे उल्लिखित मामलों को छोड़कर कोई भी वैधानिक बकाया नहीं है जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया हो:–

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक:–

विधि का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	सकल राशि	वह फोरम जहां विवाद लंबित है
संपत्ति कर अधिनियम	संपत्ति कर	31.03.2024 तक	144.37 लाख रुपये	उच्च न्यायालय
वस्तु एवं सेवा कर	जीएसटी (ब्याज और जुर्माना)	अगस्त 2017– फरवरी 2018	464.46 लाख रुपये	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

बैंक नोट प्रेस, देवास :–

क्र. सं.	विधि का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	मांगों की कुल राशि (₹ लाख में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	वह फोरम जहां विवाद लंबित है
1.	मप्र वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994, केंद्रीय बिक्री अधिनियम 1956, प्रवेश कर अधिनियम 1976	एमपीसीएसटी, सीएसटी, ईटी	128.58 548.62 64.62	2005–06	सर्वोच्च न्यायालय

2.	मध्य प्रदेश वैट अधिनियम 2005, केंद्रीय बिक्री अधिनियम 1956, प्रवेश कर अधिनियम 1976	वैट, सीएसटी, ईटी	2.77 4.26 231.71	2006–07	सर्वोच्च न्यायालय
3.	मध्य प्रदेश वैट अधिनियम 2005, केंद्रीय बिक्री अधिनियम 1956, प्रवेश कर अधिनियम 1976	वैट, सीएसटी, ईटी	2.33 5.08 211.08	2007–08	सर्वोच्च न्यायालय
4.	केंद्रीय बिक्री अधिनियम 1956, प्रवेश कर अधिनियम 1976	सीएसटी, ईटी	2.55 345.23	2008–09	सर्वोच्च न्यायालय
5.	मध्य प्रदेश वैट अधिनियम 2005, केंद्रीय बिक्री अधिनियम 1956, प्रवेश कर अधिनियम 1976	वैट, सीएसटी, ईटी	0.57 13.08 449.26	2009–10	सर्वोच्च न्यायालय
6.	मध्य प्रदेश वैट अधिनियम 2005, केंद्रीय बिक्री अधिनियम 1956, प्रवेश कर अधिनियम 1976	वैट, सीएसटी, ईटी	0.14 21.59 364.07	2010–11	सर्वोच्च न्यायालय
7.	मध्य प्रदेश वैट अधिनियम 2005, केंद्रीय बिक्री अधिनियम 1956, प्रवेश कर अधिनियम 1976	वैट, सीएसटी, ईटी	1.07 2.23 379.60	2011–12	सर्वोच्च न्यायालय
8.	मध्य प्रदेश वैट अधिनियम 2005, केंद्रीय बिक्री अधिनियम 1956, प्रवेश कर अधिनियम 1976	वैट, सीएसटी, ईटी	0.39 36.47 444.36	2012–13	सर्वोच्च न्यायालय
9.	मध्य प्रदेश वैट अधिनियम 2005, केंद्रीय बिक्री अधिनियम 1956, प्रवेश कर अधिनियम 1976	वैट, सीएसटी, ईटी	1.51 0.93 551.35	2013–14	सर्वोच्च न्यायालय
10.	मध्य प्रदेश वैट अधिनियम 2005, केंद्रीय बिक्री अधिनियम 1956, प्रवेश कर अधिनियम 1976	वैट, सीएसटी, ईटी	0.16 0.31 693.09	2014–15	सर्वोच्च न्यायालय
11.	मध्य प्रदेश वैट अधिनियम 2005, प्रवेश कर अधिनियम 1976	वैट, ईटी	6.41 773.88	2015–16	सर्वोच्च न्यायालय
12.	मध्य प्रदेश वैट अधिनियम 2005, प्रवेश कर अधिनियम 1976	वैट, ईटी	2.13 1,666.58	2016–17	सर्वोच्च न्यायालय
13.	प्रवेश कर अधिनियम 1976	ईटी	627.08	2017–18	सर्वोच्च न्यायालय

भारत सरकार टकसाल, कोलकाता:–

क्र. सं.	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	अवधि	वह फोरम जहां अपील लंबित है
1.	उत्पाद शुल्क	8.14	अप्रैल 2013–दिसंबर 2013	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
2.	उत्पाद शुल्क	17.94	जनवरी 2014–सितम्बर 2014	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
3.	वैट	1,673.40	2007–08	पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर, अपीलीय और पुनरीक्षण बोर्ड
4.	सीएसटी	58.85	2007–08	पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर, अपीलीय और पुनरीक्षण बोर्ड

प्रतिभूति कागज कारखाना, नर्मदापुरम :–

क्र.	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (₹ लाखों में)	वह मंच जहां विवाद लंबित है	वर्ष
1	वैट, सीएसटी और प्रवेश कर	4750.16	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, भोपाल म.प्र. वाणिज्यिक कर अपीलीय अधिकरण, भोपाल	2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17 और 2017–18
2	प्रवेश कर	892.88	माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर	2010–11, 2011–12 और 2012–13

viii. पूर्व में अलिखित आय से संबंधित कोई लेन–देन नहीं था जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

ix. उधार के संबंध में:

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, सरकार, बैंक या किसी ऋणदाता से न तो कोई ऋण लिया है और न ही उधार लिया है और न ही कोई डिबेंचर जारी किया है। इसलिए पैरा 3(ix)(क) से 3(ix)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

x. क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश/अतिरिक्त सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है।

ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्णतः, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आबंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

इसलिए, पैरा 3(x)(क)/(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xi. क) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, जिस पर हमने भरोसा किया है, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी की ओर से कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

बी) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के अंतर्गत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र एडीटी–4 में केंद्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।

ग) जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें बताया गया है, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii. कंपनी निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, पैरा 3(xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xiii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन 'अधिनियम' की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां भी लागू हो और संबंधित पक्ष के लेन–देन का विवरण एकल वित्तीय विवरण में प्रकट किया गया है, जैसा कि लागू भारतीय लेखांकन मानकों द्वारा आवश्यक है।

xiv. क) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए लेखापरीक्षा अवधि के लिए कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

xv. कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvi.

क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3(xvi) (ए) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

ख) कंपनी ने कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3(xvi) (बी) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

ग) और घ.

कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है। इसलिए, पैरा 3(xvi) (ग) और (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xvii. कंपनी को न तो हमारे लेखापरीक्षा में शामिल वित्तीय वर्ष के दौरान और न ही तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि हुई है।

xviii. वर्ष के दौरान किसी भी सांविधिक लेखा परीक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया है और तदनुसार पैरा 3(xviii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xix. वित्तीय अनुपातों, आयु और वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति तथा वित्तीय दायित्वों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य सूचनाओं के आधार पर, ताकि देनदारियों को समय पर पूरा किया जा सके तथा मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को कोई ऐसी अनिश्चितता विद्यमान है कि कंपनी, तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर तुलन पत्र की तिथि पर विद्यमान अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा समय पर चुका दिया जाएगा।

xx. क. कंपनी चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य किसी भी परियोजना पर खर्च न की गई राशि में से कोई राशि खर्च नहीं कर रही है। इसलिए, पैरा 3(xx)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

ख. चालू परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिनों की अवधि के भीतर ₹ 2683.75 लाख रुपये की अप्रयुक्त राशि को एक विशेष खाते में स्थानांतरित कर दिया है।

xxi. चूंकि यह रिपोर्ट कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों पर दी गई है, इसलिए आदेश का खंड 3 (xxi) लागू नहीं होता है।

कृते ज्ञानेंद्र एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म का पंजीकरण संख्या 004661एन)

ह०/–
जीके अग्रवाल
हिस्सेदार
(एम नं. 081603)
यूडीआईएनः 24081603बीकेएआईबीई7733

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक– 10 जुलाई 2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–II

(हमारी समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के सदस्यों के लिए

हमने 31 मार्च 2024 तक **भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड** ('कंपनी') के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षा किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के साथ संयोजित किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी द्वारा स्थापित एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करता है ('मार्गदर्शन नोट')। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखा परीक्षा के आधार पर एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए ऑडिटिंग मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षा किया और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक निर्धारित माना गया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इण्ड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हुए थे, इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और प्रदर्शन करें।

हमारे लेखा परीक्षा में भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनके परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखा परीक्षा में भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी महत्वपूर्ण कमजोरी के जोखिम का आकलन करना और निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षा के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी योग्य लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करते हैं, (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं, और (3) कंपनी की संपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम करने के लिए।

एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन अधिरोहण की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के भविष्य की अवधियों के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में गिरावट आने के कारण अपर्याप्त हो सकते है।

सुविज्ञ राय का आधार

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हमारी राय में, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की प्राप्ति पर नीचे वर्णित भौतिक कमजोरी के संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी के पास सभी भौतिक पहलुओं में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे , जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

31 मार्च 2024 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता में निम्नलिखित भौतिक कमजोरियों की पहचान की गई थी :–

1. चलार्थ पत्र मुद्रणालय, नासिकः –

i. 31–03–2022 को समाप्त वर्ष के लिए इकाई की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक ए के खंड (ii) (ए) के संदर्भ में, 500 रुपये के मूल्यवर्ग का एक बंडल (1000 नोट) गायब था और जांच एजेंसियों की मदद

से इसकी जांच की जा रही थी। निष्पक्ष दृष्टिकोण के लिए बंडल की लागत यानी 0.03 लाख रुपये को डब्ल्यू आई पी इन्वेंटरी से हटा दिया गया और अन्य प्राप्य के रूप में रिपोर्ट किया गया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट डिवीजन–I कोर्ट, नासिक रोड, नासिक के दिनांक 24–08–2022 के आदेश के अनुसार, जांच के बाद सहायक पुलिस आयुक्त, नासिक की सिफारिश के आधार पर, मामले को टिप्पणी 'सी' सारांश के साथ बंद किया जाता है।

न्यायालय के निर्णय और कंपनी के एसओपी के आधार पर, इकाई प्रबंधन को उच्च प्रबंधन के परामर्श से लेखा पुस्तकों में उचित समायोजन करना चाहिए।

सुविज्ञ राय

हमारी राय में, **ऊपर दिए गए ''सुविज्ञ राय'' पैराग्राफ में वर्णित भौतिक कमजोरियों के संभावित प्रभावों को छोड़कर,** कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और रिपोर्ट की गई भौतिक कमजोरियों पर विचार किया है, और इन भौतिक कमजोरियों ने कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं किया है और हमने एकल वित्तीय विवरणों पर अपरिवर्तित राय जारी की है।

अन्य मामले

हमने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर एकल आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में शामिल 8 शाखाओं/इकाइयों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षा नहीं किया।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा उन शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, तथा जहां तक इकाइयों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों का संबंध है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे इकाई लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय प्रभावी नहीं है।

कृते ज्ञानेन्द्र एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म का पंजीकरण संख्या 004661एन)

ह०/–
जीके अग्रवाल
(पार्टनर)
(एम नं. 081603)
यूडीआईएनः 24081603बीकेएआईबीई7733

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक– 10 जुलाई 2024

अनुलग्नक III

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा 5 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप–निर्देशों पर विवरण, 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के वार्षिक खातों की लेखा परीक्षा के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जांच की गई।

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशकों/उप–निदेशकों के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के खातों का लेखा परीक्षा किया है और प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उप–निर्देशों का अनुपालन किया है। कंपनी के वार्षिक खातों के लेखा परीक्षा के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा जांचे जाने वाले क्षेत्रों को इंगित करने वाले निर्देश **अनुलग्नक III (ए)** के अनुसार हैं।

हमने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों/सूचनाओं में शामिल 8 शाखाओं/इकाइयों के खातों का लेखा परीक्षा नहीं किया है और संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर भरोसा किया है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है।

कृते ज्ञानेन्द्र एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म का पंजीकरण संख्या 004661एन)

ह०/–
जीके अग्रवाल
(पार्टनर)
(एम नं. 081603)
यूडीआईएनः 24081603बीकेएआईबीई7733

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक– 10 जुलाई 2024

अनुलग्नक III (ए)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा 5 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप–निर्देशों पर विवरण, जिनकी 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जांच की गई।

क्रम सं.	विवरण	लेखा परीक्षक की टिप्पणी
1.	क्या कंपनी के पास आईटी के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ–साथ वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है।
2.	क्या कंपनी के मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने का मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए।	कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है। इसलिए, मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामलों का वित्तीय प्रभाव लागू नहीं होता है।
3.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से उपयोग/प्राप्त किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं	कंपनी के पास केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त या प्राप्त होने वाली कोई धनराशि नहीं है।

कृते ज्ञानेन्द्र एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म का पंजीकरण संख्या 004661एन)

ह०/–
जीके अग्रवाल
हिस्सेदार
(एम नं. 081603)
यूडीआईएनः 24081603बीकेएआईबीई7733

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक– 10 जुलाई 2024

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2024 तक का एकल तुलनपत्र

(₹ लाख में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2024 तक राशि	31 मार्च, 2023 तक राशि
I. परिसंपत्तियां			
(1) गैर–चालू परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	1,81,182.56	1,76,607.88
(ख) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	3	21,290.77	5,460.05
(ग) अन्य अचल परिसंपत्ति	4	247.62	184.38
(घ) विकासाधीन अचल परिसंपत्ति	3	960.44	–
(ड.) वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) निवेश	5 (i)	40,000.00	40,000.00
(ii) व्यापार प्राप्य	5 (ii)	–	37.75
(iii) ऋण			
(क) सुविचारित प्राप्य ऋण – सुरक्षित	5 (iii)	35.38	39.11
(ख) सुविचारित प्राप्य ऋण – असुरक्षित	5 (iii)	17.71	31.24
(iv) अन्य	5 (iv)	2,723.44	2,725.14
(च) आस्थगित कर (निवल)	6	23,754.21	36,533.97
(छ) अन्य गैर– चालू परिसंपत्तियां	7	15,966.20	8,141.25
उप कुल (1)		**2,86,178.33**	**2,69,760.77**
(2) चालू परिसंपत्तियां			
(क) मालसूची	8	1,46,078.27	1,34,557.00
(ख) वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) व्यापार प्राप्य	5(ii)	1,01,869.06	1,01,617.48
(ii) नकद और समकक्ष	5(v) (क)	86,865.64	10,096.18
(iii) उपरोक्त (ii) के अतिरिक्त अन्य बैंक शेष	5(v) (ख)	2,94,949.15	3,80,107.52
(iv) ऋण			
(क) सुविचारित प्राप्य ऋण – सुरक्षित	5 (iii)	–	–
(ख) सुविचारित प्राप्य ऋण – असुरक्षित	5 (iii)	64.97	112.85
(ग) उच्च ऋण जोखिम वाले प्राप्य ऋण			
(घ) उधार ह्रासित प्राप्य ऋण			
(v) अन्य	5 (iv)	13,862.26	12,460.00
(ग) चालू कर परिसंपत्ति (निवल)	9 (क)	25,153.66	24,326.87
(घ) अन्य चालू परिसंपत्ति	10	6,473.25	9,059.61
बिक्री हेतु रखी परिसंपत्ति	10 I	2,195.68	2,560.68
उप कुल (2)		**6,77,511.94**	**6,74,898.19**
कुल परिसपत्ति (1+2)		**9,63,690.27**	**9,44,658.96**
II. इक्विटी और देयताएं			
(1) इक्विटी			
(क) पूंजीगत इक्विटी शेयर	11	98,750.07	98,750.07
(ख) अन्य इक्विटी	12	6,29,465.18	5,76,684.25
उप कुल (1)		**7,28,215.25**	**6,75,434.32**
(2) देयताएं			
गैर–चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) व्यापार संदेय			
(क) एमएसएमई की कुल बकाया राशि		–	–
(ख) एमएसएमई के अतिरिक्त लेनदारों की कुल बकाया राशि	13 (i)	–	13.03
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	13(ii)	13.33	13.77
(iii) पट्टा देयताएं	13 (iii)	793.24	2,002.97
(ख) प्रावधान	14 (i)	1,38,464.07	1,80,472.62
(ग) अन्य गैर–चालू देयताएं	15	16,143.43	15,854.05
उप कुल (2)		**1,55,414.07**	**1,98,356.44**
चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) व्यापार संदेय			
(क) एमएसएमई की कुल बकाया राशि	13 (i)	516.05	800.30
(ख) एमएसएमई के अतिरिक्त लेनदारों की कुल बकाया राशि	13 (i)	13,731.14	7,768.51
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	13(ii)	12,442.92	6,378.44
(iii) पट्टा देयताएं	13 (iii)	727.28	12.74
(ख) अन्य गैर–चालू देयताएं	16	12,962.06	13,122.05
(ग) प्रावधान	14 (ii)	39,681.50	42,786.16
उप कुल (3)		**80,060.95**	**70,868.20**
कुल इक्विटी और देयताएं (1+2+3)		**9,63,690.27**	**9,44,658.96**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना (टिप्पणी 2) और उपर्युक्त टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के एक अटूट भाग का निर्माण करती हैं और इन्हें इसके साथ पढ़ा जाना चाहिए।
हमारी संलग्न समसंख्याक रिपोर्टानुसार

हेतु और कृते
मैसर्स झार्नेन्द्र एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 04661एन

ह०/–
(जी.के. अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्याः 081603

दिनांकः 10 जुलाई 2024
स्थानः नई दिल्ली

कृते भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

ह०/–
(सचिन अग्रवाल)
(कंपनी सचिव)
(PANADRPA9630Q)

ह०/–
(अजय अग्रवाल)
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
(DIN: 06778079)

ह०/–
(विजय रंजन सिंह)
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक
(DIN:06386038)

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ और हानि विवरण

(₹ लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
I	संचालन से राजस्व	17	4,71,479.73	4,91,821.69
II	अन्य आय	18	36,408.26	30,770.35
III	**कुल आय (I+II)**		**5,07,887.99**	**5,22,592.04**
IV	**व्यय**			
	प्रयुक्त सामग्री लागत	19	1,46,787.01	1,18,164.71
	विक्रेय माल की क्रय			
	तैयार माल, विक्रय माल और चालू कार्य की सूची में परिवर्तन	20	4,485.25	7,946.61
	कर्मचारी लाभ व्यय	21	1,17,622.73	1,06,295.38
	वित्तीय लागत	22	142.74	204.41
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	3–4	16,633.09	16,088.69
	अन्य व्यय	23	83,833.04	94,332.74
	कुल व्यय (IV)		**3,69,503.86**	**3,43,032.54**
V	असाधारण वस्तुएँ और कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)		1,38,384.13	1,79,559.50
VI	असाधारण वस्तुएँ (लाभ नोट 46 देखें)		–	54,561.80
VII	**कर पूर्व लाभ/(हानि) और (V+VI)**		**1,38,384.13**	**2,34,121.30**
VIII	**कर व्ययः**			
	(1) चालू कर		34,500.53	37,687.17
	(2) अस्थगित कर		12,779.76	18,508.83
IX	**सतत परिचालन से वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**91,103.84**	**1,77,925.30**
X	जेवी निवल कर से लाभ/(हानि)		–	–
XI	संचालन समापन से लाभ/(हानि)		–	–
XII	संचालन समापन से कर व्यय		–	–
XIII	**संचालन समापन से लाभ/(हानि) (करोपरांत) (X-XI)**		**91,103.84**	**1,77,925.30**
XIV	**वर्ष (IX+XII) के लिए लाभ/(हानि)**			
	क (i) लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाने वाली वस्तुएं		12,763.26	(9,315.50)
	(ii) लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाने वाली उन वस्तुओं से संबंधित आयकर		(3,212.26)	2,344.53
	ख जेवी निवल से अन्य व्यापक आय		**9,551.00**	**(6,970.97)**
	ख (i) लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाने वाली मदें			
	(ii) लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाने वाली उन वस्तुओं से संबंधित आयकर		1,00,654.84	1,70,954.33
XV	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII+XIV) (वर्ष के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल)		1,00,654.84	1,70,954.33
XVI	**प्रति शेयर आय**			
	(i) 10/– रुपये प्रति शेयर का मूल अर्जन		9.23	18.02
	(ii) 10/– रुपये प्रति शेयर का मूल अर्जन		9.23	18.02

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना (टिप्पणी 2) और उपर्युक्त टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के एक अटूट भाग का निर्माण करती हैं और इन्हें इसके साथ पढ़ा जाना चाहिए। हमारी संलग्न समसंख्याक रिपोर्टानुसार

हेतु और कृते
मैसर्स ज्ञानेन्द्र एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 04661एन

ह०/–
(जी.के. अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्याः 081603

दिनांकः 10 जुलाई 2024
स्थानः नई दिल्ली

कृते भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

ह०/–
(सचिन अग्रवाल)
(कंपनी सचिव)
(PAN ADRPA9630Q)

ह०/–
(अजय अग्रवाल)
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
(DIN: 06778079)

ह०/–
(विजय रंजन सिंह)
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक
(DIN:06386038)

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2024 तक राशि	31 मार्च, 2023 तक राशि
क संचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह			
कर पूर्व लाभ	**क**	**1,38,384.13**	**2,34,121.30**
निवल नकद प्रवाह के लिए कर पूर्व लाभ के मिलान हेतु समायोजन			
परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास और परिशोधन और पट्टा परिसंपत्तियों का परिशोधन		16,633.09	16,088.69
ब्याज व्यय		142.74	–
परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर हानि/(लाभ)		46.92	(16.33)
आयकर वापसी पर ब्याज आय		(407.00)	(1,460.01)
ब्याज आय		(28,355.25)	(13,132.89)
बट्टे खाते में डाले गए हेतु तैयार निवल प्रावधान		14,732.54	15,436.93
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव		(401.30)	(293.01)
लाभांश		(5,180.80)	(4,910.39)
विगत वर्षों के लिए कर			
अन्य समायोजन		12,763.26	(9,315.50)
कुल	**ख**	**9,974.20**	**2,397.49**
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	**ग=क+ख**	**1,48,358.33**	**2,36,518.79**
हेतु समायोजन			
व्यापार प्राप्य में कमी/(वृद्धि)		(213.83)	11,328.33
इन्वेंट्री में कमी/(वृद्धि)		(11,521.26)	16,699.58
ऋण एवं अग्रिम में कमी/(वृद्धि)		65.13	1.31
अन्य परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		99,556.75	(1,39,142.53)
देय व्यापार में वृद्धि/(कमी)		6,066.64	(1,479.79)
अन्य चालू देनदारियों में वृद्धि/(कमी)		6,083.21	(11,899.90)
प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)		(59,845.74)	(75,382.94)
कर्मचारी लाभ दायित्वों में वृद्धि/(कमी)		289.38	282.26
गैर चालू देनदारियों में वृद्धि/(कमी)		(7,824.95)	(8,064.79)
परित्यक्त परि संपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		365.00	117.76
कुल	**ड**	**33,020.34**	**(2,07,540.71)**
संचालन से नकदी	**च=ग+ड**	**1,81,378.67**	**28,978.08**
घटाः– कर भुगतान (निवल वापसी)	छ	(33,035.89)	(12,719.49)
संचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	**ज=च–छ**	**1,48,342.77**	**16,258.59**
ख निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
ब्याज आय		15,549.73	2,222.72
लाभांश आय		5,180.80	4,910.38
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री		12.80	701.70
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद और समायोजन (सीडब्ल्यूआईपी सहित)		(38,085.39)	(16,646.31)
आरटीयू की खरीद		(36.47)	(227.07)
निवेश में कमी/(वृद्धि)			
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	**झ**	**(17,378.56)**	**(9,038.58)**

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2024 तक राशि	31 मार्च, 2023 तक राशि
ग वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान		(53,377.59)	(1,962.13)
देय ब्याज		(142.74)	–
पट्टे का भुगतान		(674.42)	(738.00)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	**i**	**(54,194.75)**	**(2,700.13)**
शुरूआती वर्ष नकद और उसके समकक्ष	j	10,096.18	–
नकद या उसके समकक्ष में वृद्धि / (कमी)	k=g+h+i	76,769.49	4,519.88
नकद या उसके समकक्ष में निवल वृद्धि / (कमी)		86,865.65	10,096.18
		76,769.49	4,519.88
वर्ष के अंत में नकद एवं उसके समकक्ष		**86,865.64**	**10,096.18**
नकद और उसके समानांतर में शामिल :			

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
बैंक शेष	86,858.98	10,091.15
हाथ में चैक और ड्राफ्ट	1.14	–
नकदी	2.85	3.02
पोस्टेज	2.67	2.01
नकद और उसके समकक्ष (नोट 5 (अ) (क)	**86,865.64**	**10,096.18**
नकद प्रवाह के अनुसार नकद और उसके समानांतर	**86,865.64**	**10,096.18**

हेतु और कृते
मैसर्स ज्ञानेन्द्र एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 04661एन

ह०/–
(जी.के. अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्याः 081603

कृते भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

ह०/–
(सचिन अग्रवाल)
(कंपनी सचिव)
(PAN ADRPA9630Q)

ह०/–
(अजय अग्रवाल)
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
(DIN: 06778079)

ह०/–
(विजय रंजन सिंह)
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक
(DIN:06386038)

दिनांकः 10 जुलाई 2024
स्थानः नई दिल्ली

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(1) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

विगत रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआती शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	विगत रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआती पुनर्कथित शेष राशि	वर्तमान वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
98,750.07	–	98,750.07	–	98,750.07

(2) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

विगत रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआती शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	विगत रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआती पुनर्कथित शेष राशि	वर्तमान वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
98,750.07	–	98,750.07	–	98,750.07

ख. अन्य इक्विटी

(1) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष				कुल
	आरक्षित पूंजी	प्रतिधारित आय	आरक्षित पूंजी मोचन	अन्य व्यापक आय	
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआती शेष राशि	**33,819.95**	**5,31,473.99**	**19,498.93**	**(8,108.62)**	**5,76,684.25**
लेखांकन नीतियों में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटि	–	–	–	–	–
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआती पुनर्कथित शेष राशि	33,819.95	5,31,473.99	19,498.93	(8,108.62)	5,76,684.25
वर्तमान वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	–	91,103.84	–	9,551.00	1,00,654.84
वर्ष के दौरान देय लाभांश	–	(53,377.59)	–	–	(53,377.59)
जमाः–स्ट्रैंड रोड टकसाल का बही मूल्य	–	5,503.68	–	–	5,503.68
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि	**33,819.95**	**5,74,703.91**	**19,498.93**	**1,442.38**	**6,29,465.18**

(2) 31 मार्च, 2023 को सामप्ष्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष				कुल
	आरक्षित पूंजी	प्रतिधारित आय	आरक्षित पूंजी मोचन	अन्य व्यापक आय	
31.03.2022 की वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआती शेष राशि	**33,819.95**	**3,67,749.32**	**19,498.93**	**(575.60)**	**4,20,492.60**
लेखांकन नीतियों में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटि	–	(12,239.97)	–	(562.05)	(12,802.01)
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआती पुनर्कथित शेष राशि	**33,819.95**	**3,55,509.35**	**19,498.93**	**(1,137.65)**	**4,07,690.59**
वर्तमान वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		1,77,925.30		(6,970.97)	1,70,954.33
वर्ष के दौरान देय लाभांश		(1,962.13)			(1,962.13)
आयकर समायोजन पूर्व वर्ष		1.47			1.47
विगत रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि	**33,819.95**	**5,31,473.99**	**19,498.93**	**(8,108.62)**	**5,76,684.25**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना (टिप्पणी 2) और उपर्युक्त टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के एक अटूट भाग का निर्माण करती हैं और इन्हें इसके साथ पढ़ा जाना चाहिए।

हमारी संलग्न समसंख्याक रिपोर्टानुसार

हेतु और कृते
मैसर्स ज्ञानेंद्रर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 04661एन

ह०/–
(जी.के. अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्याः 081603

दिनांकः 10 जुलाई 2024
स्थानः नई दिल्ली

कृते भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

ह०/–
(सचिन अग्रवाल)
(कंपनी सचिव)
(PAN ADRPA9630Q)

ह०/–
(अजय अग्रवाल)
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
(DIN: 06778079)

ह०/–
(विजय रंजन सिंह)
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक
(DIN:06386038)

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
वित्तीय विवरणों के लिए नोट

1) कंपनी का अवलोकन

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (कंपनी) 13 जनवरी, 2006 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित की गयी थी जिसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है। कंपनी के पास नौ इकाईयां हैं जिसमें चार टकसालें, चार मुद्रणालय और एक कागज कारखाना है, जो पहले वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते थे।

कंपनी प्रतिभूति कागज का निर्माण, सिक्कों की ढलाई, करेंसी नोट, गैर न्यामिक स्टैंप पेपर, डाक टिकट, यात्रा दस्तावेजों इत्यादि का मुद्रण करती है। कंपनी भारत सरकार के पूर्ण – स्वामित्त्वाधीन अनुसूची ''ए'' कंपनी है। कंपनी की निम्नलिखित इकाइयां/शाखाएं हैं:

1) भारत सरकार टकसाल, नोएडा
2) भारत सरकार टकसाल, मुंबई
3) भारत सरकार टकसाल, कोलकाता
4) भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद
5) प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद
6) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक
7) बैंक नोट मुद्रणालय, देवास
8) चलार्थ पत्र मुद्रणालय, नासिक
9) प्रतिभूति कागज कारखाना, नर्मदापुरम

2) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

2.1 वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति का आधार

ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') (जहाँ तक अधिसूचित है) के प्रावधानों के अनुसार उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत रीति के तहत, कुछ वित्तीय प्रपत्रों को छोड़कर जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है, इण्ड एएस (भारतीय लेखांकन मानक) के अनुसार तैयार किया गया है। भारतीय लेखांकन मानकों को अधिनियम की धारा 133, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के नियम 3 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 के साथ पठित, के तहत निर्धारित किए गए हैं।

लेखांकन नीतियों को समान रूप से लागू किया गया है, सिवाय जहाँ एक नई जारी की गई नीति, जो पहली बार अपनाई जाती है या मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन किए जाने के कारण फिलहाल उपयोग की जा रही लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता है।

31 मार्च, 2016 तक कंपनी ने अपना वित्तीय विवरण, भारतीय सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (जीएएपी) के अनुसार तैयार किया है, जिसमें कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 के तहत अधिसूचित मानक, जिसे पूर्व "जीएएपी" माना जाता है, शामिल है।

2.2 अनुमानों का उपयोग

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करते समय प्रबंधन को अनुमान, निर्णय और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है। ये अनुमान, निर्णय और धारणाएं, लेखांकन अवधि के दौरान नीतियों को लागू करने, वित्तीय विवरण की तारीख पर परिसंपत्तियों और देनदारियों की बताई गई राशि, आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का विवरण और राजस्व और व्यय की बताई गई राशि को प्रभावित करते हैं। इस वित्तीय विवरण में ऐसी लेखांकन नीतियाँ, जिन्हें लागू करने के लिए जटिल और व्यक्तिपरक निर्णय लेने और धारणाओं का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, उपयुक्त स्थानों पर बताई गई हैं।

लेखांकन अनुमान अवधि दर अवधि बदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों में उपयुक्त बदलाव किए जाते हैं क्योंकि प्रबंधन को अनुमानों को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में हुए बदलाव पता चल जाते हैं। अनुमानों में किए गए परिवर्तन वित्तीय विवरण में उस अवधि में दर्शाए जाते हैं, जिसमें परिवर्तन किए जाते हैं और यदि ये महत्वपूर्ण हैं, उनके प्रभाव का वर्णन वित्तीय विवरण के नोटों में दिया जाता है।

2.3 वर्तमान बनाम गैर–वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी वर्तमान/गैर–वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलन–पत्र में परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ प्रस्तुत करती है। एक परिसंपत्ति को वर्तमान तब माना जाता है जबः–

- सामान्य परिचालन चक्र में इसकी वसूली या बिक्री होने या खपत किया जाना अपेक्षित है.
- इसे मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से रखा गया है.
- रिपोटिंग अवधि के बाद बारह महीनों के अंदर इसकी वसूली किए जाने की उम्मीद है, या
- नकद या नकद समतुल्य, यदि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए इसका उपयोग अदला–बदली के लिए या देनदारी के निपटान के लिए प्रतिबंधित न हो।

सभी अन्य परिसंपत्तियों को गैर–वर्तमान माना गया है।

व्यापारिक प्राप्तियाँ जिनकी रिपोर्टिग तारीख से 12 महीने के अंदर वसूली अपेक्षित हैं, उनका वर्गीकरण वर्तमान में किया जायेगा। 12 महीने से अधिक बकाया राशियों का वर्गीकरण केवल गैर–वर्तमान किया जाएगा सिवाय इसके कि इसकी वसूली के लिए किए गए प्रयासों के फलस्वरूप रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने के अंदर वसूली किए जाने की संभावना है।

एक देनदारी वर्तमान है जबः–

- सामान्य परिचालन चक्र में इसका निपटान अपेक्षित है
- इसे मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से रखा गया है,
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के अंदर इसका निपटान किया जाना है या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देनदारी का निपटान स्थगित करने का कोई शर्तरहित अधिकार नहीं है,

एक देय को व्यापार देय के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा यदि यह सामान्य व्यापार के दौरान खरीदे गए माल या प्राप्त सेवाओं से संबंधित देय राशि है।

व्यापार देय जिसका रिपोर्टिंग तारीख से 12 महीनों के अंदर निपटान किया जाना अपेक्षित है, उसे वर्तमान के रुप में दर्शाया जाता है।

कंपनी अन्य सभी देनदारियों को गैर–वर्तमान में वर्गीकृत करती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.4 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

2.4.1 राजस्व मान्यता

कंपनी भारत सरकार के लिए मुख्यतः करेंसी नोटों, गैर–न्यायिक स्टैम्प पेपर, डाक टिकट, यात्रा दस्तावेजों के लिए मुद्रण एवं परिचालन सिक्कों की ढलाई से राजस्व अर्जित करती है।

सामान की बिक्री से प्राप्त राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब सामान के स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिम और लाभ खरीदार को पारित कर दिए जाते है आम तौर पर सामान की आपूर्ति के समय। राजस्व का आकलन प्राप्त अथवा प्राप्य उचित मूल्य के आधार पर किया जाता है। दशाई गई राजस्व की राशि में जीएसटी का निवल शामिल है।

सिक्कों के मामले में, राजस्व वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक आधार पर अनुमोदित दरों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

बैंक नोटों के लिए राजस्व का निर्धारण आरबीआई के पत्र संख्या डीसीएम (आरएमएमटी) 4690/110714/20011–12 दिनांक 13.04.2012 द्वारा सूचित प्राप्त दरों के अनुसार किया जाता है।

यदि प्राप्त दरों में भविष्य में कोई संशोधन होता है जो पारस्पारिक रूप से स्वीकार्य है तो उस वित्त वर्ष में लागू किया जाएगा जिस वर्ष में इसे संप्रेषित किया गया है।

डाक स्टेशनरी से राजस्व

डाक स्टेशनरी के लिए अद्यतन उपलब्ध दरों पर इन्वायस तैयार किया जाता है जैसा कि वर्ष दर वर्ष के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

यदि बिल की दरों और वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित दरों के बीच कोई अन्तर हो तो उस वित्त वर्ष में वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष दर वर्ष के आधार पर अनुमोदित दरों का लेखांकन किया जाता है।

अन्य उत्पाद से राजस्व

कंपनी द्वारा तैयार किए गए बिक्री बिलों के आधार पर पासपोर्ट तथा गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर से प्राप्त राजस्व का लेखांकन किया जाता है।

सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब राजस्व राशि विश्वसनीयता से मापी जा सकती है और कंपनी को लेन–देन से जुड़े आर्थिक हितलाभ प्राप्त होने की संभावना होती है। जॉब कार्य से प्राप्त राजस्व उसी अवधि में गिना जाता है जिसमें कार्य किया गया था।

लाभांश आय को तब मान्य किया जाता है जब हितधारक के भुगतान प्राप्त करने के अधिकार निश्चित हो जाते है जो सामान्यतः हितधारकों के अनुमोदन के बाद होता है।

अनुबंध पूरा होने के बाद विक्रेताओं से प्राप्त परिसमापन नुकसानी आय में डाली जाती है।

2.4.2 कर्मचारी हितलाभ

क) लघु–अवधि दायित्व

गैर–आर्थिक हितलाभ सहित पारिश्रमिक और वेतन की देनदारियों, जिनका कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान

किए जाने की अवधि के बाद 12 महीने के अंदर पूर्ण रूप से निपटान करना अपेक्षित होता है, को मान्यता कर्मचारी की सेवाओं की रिपोर्टिंग अवधि समाप्त होने तक दी जाती है तथा इसे देनदारियों के निपटान के लिए भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है। तुलन–पत्र में ये देनदारियाँ वर्तमान कर्मचारी हितलाभ दायित्व के रूप में दर्शाई जाती हैं।

ख) अन्य दीर्घ–अवधि हितलाभ दायित्व

अर्जित अवकाशों और चिकित्सा अवकाशों के लिए देनदारियों का कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवा दिए जाने की अवधि समाप्त होने के बाद 12 महीने के अंदर पूर्ण रूप से निपटान करना अपेक्षित नहीं है। इसलिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में इन्हें प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके अपेक्षित भविष्य के भुगतान का वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। हितलाभ राशियों को रिपोर्टिंग अवधियों जो संबंधित दायित्व की अवधियों के सन्निकट हैं, के अंत पर बाजार आय का उपयोग करते हुए बट्टागत (डिस्काउन्टेड) किया जाता है। बीमांकिक धारणाओं में अनुभवी सुधारों और परिवर्तनों के फलस्वरूप किए गए पुनःमापनों को लाभ एवं हानि में दर्शाया जाता है।

तुलन–पत्र में इन दायित्वों को वर्तमान दयित्व के रूप में दर्शाया जाता है यदि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देनदारी का निपटान स्थगित करने का शर्तरहित अधिकार नहीं है, भले ही वास्तविक निपटान की अपेक्षित तारीख कोई भी हो।

ग) रोजगार पश्चात दायित्व

कंपनी निम्नलिखित रोजगार पश्चात योजनाएं चलाती है –

क) परिभाषित हितलाभ योजनाएं जैसे उपदान, पेंशन,रोजगार पश्चात् चिकित्सा योजनाएं तथा

ख) परिभाषित अंशदान योजनाएं जैसे भविष्य निधि।

(i) परिभाषित हितलाभ योजना

कंपनी की उपदान योजना एक परिभाषित हितलाभ योजना है। एक परिभाषित हितलाभ योजना, रोजगार पश्चात योजना होती है। परिभाषित हितलाभ योजना के संबंध में कंपनी के निवल दायित्व की गणना कर्मचारी द्वारा वर्तमान और पूर्व अवधि में दी गई सेवाओं पर अर्जित भावी हितलाभ की अनुमानित राशि पर की जाती है। भारत सरकार के आदेशानुसार कंपनी को इकाइयों की परिसंपत्तियों और देनदारियों का स्थानांतरण करते समय इकाइयों के अधिकांश कर्मचारियों का मानित प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण, स्थानांतरण की तारीख अर्थात 10/02/2006 से दो वर्ष के लिए किया गया था जिसे बाद में 12 महीने के लिए फिर बढ़ाया गया। भारत सरकार द्वारा कर्मचारियों के कंपनी में विलयन के संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई। विकल्पों का प्रयोग किया गया तथा भारत सरकार ने कर्मचारियों के विलयन को 29 मई 2009 में स्वीकार किया लेकिन इसे 01/11/2008 से प्रभावी किया गया।

जिन कर्मचारियों ने भारत सरकार में बने रहने का फैसला लिया. वे कंपनी में तब तक काम करना जारी रखेंगे, जब तक कि वे भारत सरकार द्वारा फिर से तैनात नहीं किए जाते। कंपनी उनके वेतन और पारिश्रमिक का भुगतान करेगी। इन कर्मचारियों और पूर्व–संवर्ग या संवर्ग–में पद धारण किए हुए कर्मचारियों का पेंशन प्रभार (जिसमें उपदान शामिल है) और अवकाश वेतन अंशदान का प्रावधान सरकारी नियमानुसार किया गया है।

जिन कर्मचारियों ने कंपनी में शामिल होने का फैसला किया उनके लिए दो विकल्प थे या तो संयुक्त पेंशन या प्रोराटा पेंशन का विकल्प दें। संयुक्त पेंशन विकल्पी कंपनी से अपने सेवानिवृत्ति के समय भारत सरकार द्वारा गठित एसपीएमसीआईएल पेंशन फण्ड ट्रस्ट से अपनी पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं। भारत सरकार पिछली सेवाओं के लिए

योगदान देगी और कंपनी उस अवधि के लिए योगदान देगी जिसके दौरान वे कंपनी की सेवा करेंगे। केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के नियम 37–ए के तहत अंशदान की राशि एवं तरीके को शासित किया जाएगा। हालांकि कंपनी भारतीय लेखा मानकों के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार इन कर्मचारियों के पेंशन शुल्क के लिए प्रावधान कर रही है। बाद के वर्षों में सरकार द्वारा कंपनी में दिए गए अंशदान का प्राप्ति के वर्ष में हिसाब होगा।

(क) उपदान

उपदान एक रोजगार पश्चात परिभाषित हितलाभ योजना है। उपदान के संबंध में तुलन–पत्र में मान्य देनदारी तुलन–पत्र की तारीख पर परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है। कंपनी की देनदारी वर्ष के अंत में बीमांकिक आधार पर निर्धारित की जाती है। पुनर्मूल्यांकन के माध्यम से प्राप्त बीमांकिक लाभ/हानि को अन्य व्यापक आय में दर्शाया जाता है।

(ख) पेंशन एवं उपदान दायित्व

परिभाषित पेंशन हितलाभ और उपदान योजनाओं के संबंध में तुलन–पत्र में मान्य देनदारी या परिसंपत्ति, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में से योजना संपत्तियों के उचित मूल्य को कम कर के प्राप्त होती है। परिभाषित हितलाभ दायित्व की गणना प्रति वर्ष बीमांकिक आधार पर प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके की जाती है।

परिभाषित हितलाभ दायित्व का भारतीय रूपए में वर्तमान मूल्य निर्धारण, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में सरकारी बॉन्डों, जिनकी अवधि संबंधित दायित्व की अवधि के सन्निकट है पर मार्केट ईल्ड का संदर्भ देते हुए भविष्य नकदी बहिर्प्रवाह को बट्टागत (डिस्काउंटेड) करके किया जाता है। हितलाभ जो भारतीय रूपए के अलावा अन्य मुद्राओं में मूल्यवर्गित हैं, उनके लिए वर्तमान मूल्य निर्धारण, नकदी बहिर्प्रवाह को उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्डों जो हितलाभ दिए जाने वाली मुद्रा में मूल्यवर्गित और जिनकी अवधि संबंधित दायित्व की अवधि के सन्निकट है, की बाजार आय का उपयोग करते हुए बट्टागत (डिस्काउंटेड) करके किया जाता है।

शुध्द ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व के शुद्ध शेष और योजना संपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट–दर लागू करके की जाती है। यह लागत लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रुप में दर्शाई जाती है।

बीमांकिक धारणाओं में अनुभवी सुधारों और परिवर्तनों के फलस्वरूप पुनर्मूल्यांकन से प्राप्त लाभों और हानियों को सीधे अन्य व्यापक आय, उस अवधि में जिसमें वे होते हैं, में दर्शाया जाता है।

इन्हें इक्विटी में परिवर्तन विवरण और तुलन–पत्र में प्रतिधारित आय में शामिल किया जाता है। योजना में किए गए संशोधनों या कटौतियों के परिणाम स्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में हुए परिवर्तन को तुरंत लाभ एवं हानि विवरण में पूर्व–सेवा लागत के रूप में दर्शाया जाता है।

(ग) रोजगार पश्चात चिकित्सा दायित्व

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ, एक परिभाषित लाभ योजना के संबंध में देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार प्रदान की जा रही है। वर्ष के अंत में देनदारी शेष और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अर्जित देनदारी के बीच के अंतर को अन्य व्यापक आय पर प्रभारित किया जाता है।

(घ) बोनस योजनाएं

कंपनी एक प्रावधान को मान्य करती है जहाँ एक संविदात्मक दायित्व है या जहाँ एक पूर्व प्रथा के फलस्वरूप एक रचनात्मक दायित्व निर्मित है।

(ii) परिभाषित अंशदान योजनाएं

कंपनी की भविष्य निधि योजना एक परिभाषित अंशदान योजना है। एक परिभाषित अंशदान योजना रोजगार पश्चात हितलाभ योजना होती है जिसके अंतर्गत कंपनी एक निर्धारित अंशदान का भुगतान करती है और आगे की राशियों का भुगतान करने का कोई दायित्व उस पर नहीं होगा।

परिभाषित योगदान योजनाओं में अंशदान के दायित्व जब देय होते हैं, उन्हें लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी हितलाभ व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

2.4.3 कर

क) वर्तमान कर

लागू आयकर दरों के आधार पर, एक अवधि की कर–योग्य आय पर निर्धारित की गई देय कर की राशि को वर्तमान कर व्यय माना जाता है।

अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्य मदों से संबंधित वर्तमान कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्य किया जाता है।

ख) आस्थगित कर

वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्यों के लिए, रिपोर्टिंग तारीख पर आस्थगित कर की गणना परिसंपत्तियों और देनदारियों के कराधारी और उनकी वहन राशि के बीच अस्थायी अंतर पर देनदारी पद्धति का उपयोग करते हुए की जाती है।

आस्थगित कर देनदारियों को सभी कर योग्य अस्थाई अंतरों के लिए मान्य किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ, सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए और, अप्रयुक्त कर क्रेडिटों और अप्रयुक्त कर नुकसानों को आगे ले जाने के लिए मान्य की जाती हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक मान्य किया जाता है किए यह संभव हो कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके लिए कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, आगे ले जाये गए अप्रयुक्त कर क्रेडिटों और अप्रयुक्त कर नुकसानों का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का मापन रिपोर्टिंग तारीख पर लागू कर दरों (और कर कानून) के आधार पर, परिसंपत्ति की वसूली या देनदारी के निपटान किए जाने वाले वर्ष में अपेक्षित लागू कर दरों पर किया जाता है।

अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्य मदों से संबंधित आस्थगित कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्य किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आस्थगित कर देनदारियों को तब समायोजित किया जाता है, जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों के लिए वर्तमान कर देनदारियों को समायोजित करने के लिए एक कानूनन प्रवर्तनीय अधिकार मौजूद है।

2.4.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

फ्रीहोल्ड भूमि ऐतिहासिक लागत पर ली गई है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अन्य सभी वस्तुओं को ऐतिहासिक लागत में से मूल्यहास और हानि, यदि कोई है, को कम करके दर्शाया जाता है। ऐतिहासिक लागत में वस्तु के उपयोगी हो जाने से पहले उस पर सीधे तौर से किए गए व्यय भी शामिल हैं। आगे की लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है या अलग परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है, उपयुक्तता के अनुसार, केवल जब कंपनी को वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है तथा वस्तु की लागत विश्वसनीयता से मापी जा सकती है। किसी भी पुर्जे की वहन राशि, जिसे एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्य

किया गया है, उसे बदले जाने पर अमान्य कर दिया जाता है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव की राशि, जिसे रिपोर्टिंग अवधि में खर्च किया गया है, उसके लाभ या हानि विवरण में दर्शाई जाती है। परिसंपत्ति को बेचे या हटाए जाने पर उसकी लागत और संबंधित संचित मूल्यहास को वित्तीय विवरण से निकाल दिया जाता है और इसके परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

कंपनी की नीति के अनुसार कर्मचारियों द्वारा खरीदे गए मोबाइल फोन उपकरण, जिनकी प्रतिपूर्ति कंपनी ने की है, उन्हें पूँजीकृत नहीं किया गया है परन्तु राजस्व में दर्शाया गया है।

2.4.5 मूल्यहास विधियाँ/अनुमानित उपयोगी अवधि और अवशेष मूल्य

क) अचल परिसंपत्तियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में निर्धारित परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी अवधि पर प्रोराटा आधार पर सीधी रेखा विधि से मूल्यह्रास की गणना की गई है, उन परिसंपत्तियों को छोड़ कर जिनका उपयोगी जीवन प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार अलग है। परिसंपत्तियों की अनुमानित उपयोगी अवधि निम्नानुसार है:

परिसंपत्तियाँ	उपयोगी जीवन
पट्टे पर भूमि	लीज की अवधि पर
इमारत	60 वर्ष
कारखाना इमारत	30 वर्ष
संयंत्र एवं मशीनरी	15 वर्ष (एकल पारी) 10 वर्ष (दो पारी)
फर्नीचर एवं फिक्स्चर	10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
वाहन	8 से 10 वर्ष
कंप्यूटर	3 वर्ष
अन्य	10 वर्ष
₹ 5000/– से कम कीमत की परिसंपत्तियां	क्रय वर्ष

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रबंधन द्वारा परिसंपत्तियों की शेष कीमत और उपयोगी अवधि स्थिति की समीक्षा की जाती है। यदि परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक है तो उसे इसकी वहन राशि को वसूली योग्य राशि पर लिखा जाता है।

ख) अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत में से संचित ऋण परिशोधन और हानि घटाकर बताया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों को उनके व्यक्तिगत अनुमानित उपयोग अवधि पर, उस तारीख से जब ये उपयोग के लिए उपलब्ध हुई हैं, सीधी रेखा आधार पर ऋण परिशोधन किया जाता है।

परिसंपत्तियों की लागत, शुद्ध अवशेष मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यह्रास की गणना उनके अनुमानित जीवन

पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्धारित तरीके से सीधी रेखा विधि का उपयोग करके की जाती है, निम्न परिसंपत्तियों को छोड़ कर, जिनका उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की उल्लिखित उपयोगी जीवन से भिन्न है।

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसकी कीमत ₹ 1 लाख से कम हो	खरीद के वर्ष में 100 प्रतिशत
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसकी कीमत ₹ 1 लाख से अधिक है (जहाँ उपयोगी अवधि एक वर्ष या उससे कम है)	खरीद के वर्ष में 100 प्रतिशत
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसकी कीमत ₹ 1 लाख से अधिक है (अन्य मामलों में)	एसएलएम पर 33.33 प्रतिशत
परिसंपत्तियाँ जिनकी कीमत ₹ 5000/– से कम हो	खरीद के वर्ष में 100 प्रतिशत

2.4.6 मालसूचियाँ

मालसूची सामग्रियों का मूल्य निर्धारण लागत या शुद्ध प्राप्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। प्रत्येक उत्पाद को अपने वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में किए गए खर्च की गणना निम्न प्रकार से की जाती है:

क) कच्चा माल, जारी कार्य और उपभोज्य सामग्रियों का मूल्य उनकी लागत मानी जाती है (भारित औसत लागत आधार)।

ख) तैयार माल लागत या शुद्ध प्राप्य मूल्य, जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है।

ग) रद्दी माल शुद्ध प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

घ) कम खपत वाली/अप्रचलित सामग्रियों को लागत या शुद्ध प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

2.4.7 प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्तियाँ

एक प्रावधान को तभी मान्य किया जाता है, जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का एक वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है जो उचित रूप से अनुमानित है, और यह संभव है कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभों का बहिर्प्रवाह आवश्यक होगा।

आकस्मिक देनदारियों का खुलासा संभावित दायित्वों के संबंध में किया जाता है, जो पूर्व घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं, जो कंपनी के पूर्ण रूप से नियंत्रण में नहीं हैं, के घटने या न घटने द्वारा होगी, या ये वर्तमान दायित्व हैं जो पूर्व घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं लेकिन इन्हें मान्य नहीं किया गया है क्योंकि या तो दायित्वों के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता नहीं है, या दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

एक आकस्मिक संपत्ति को आम तौर पर न तो माना जाता है, न ही इसका प्रकटीकरण किया जाता है।

2.4.8 विदेशी मुद्रा लेनदेन

लेनदेन जो विदेशी मुद्रा में किए जाते हैं, उन्हें लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में किए गए लेनदेन से प्राप्त लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है।

विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ जिनका तुलन–पत्र की तारीख पर निपटान नहीं हुआ है उन्हें तुलन पत्र की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है। ऐसे परिवर्तन से प्राप्त लाभ एवं हानि को लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

2.4.9 वित्तीय प्रपत्र

क) वित्तीय प्रपत्रों के घटक

(i) वित्तीय परिसंपत्तियों में विशेष रूप से, नकद या नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्तियाँ, अन्य वर्तमान प्राप्तियाँ और प्रतिदेय प्रतिभूति जमा शामिल है।

(ii) वित्तीय देनदारियों में विशेष रूप से, उधार, व्यापार देय और अन्य वर्तमान देय शामिल हैं।

ख) आरंभिक मान्यता एवं अमान्य करना:

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को तब मान्य करती है जब ये वित्तीय प्रपत्रों के संविदात्मक प्रावधानों की एक पार्टी होती हैं। सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है जो लेनदेन की तारीख पर लेनदेन लागत दर्शाती हैं।

ग) आगामी मान्यता और हानिकरण:

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की आगामी मान्यता उचित मूल्य पर की जाती है, यदि वहन राशि उचित मूल्य के सन्निकट है तो उसे उसी मूल्य पर रहने दिया जाता है। मूल्य में किसी भी घटत/ हानिकरण को लाभ और हानि विवरण में हानिकरण लाभ/हानि के रूप में माना जाता है।

घ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ और वित्तीय देनदारियाँ अमान्य करना:

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार, कंपनी लाभ एवं हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों के अलावा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि का मूल्यांकन करने के लिए ''अपेक्षित क्रेडिट लॉस'' (ईसीएल) मॉडल का उपयोग करती है। कंपनी तुलनपत्र की प्रत्येक तिथि पर आकलन करती है कि क्या वित्तीय संपत्ति या वित्तीय परिसंपत्तियों का समूह बिगड़ा हुआ है। भारतीय लेखांकन मानक 109 को अपेक्षित क्रेडिट हानि को हानि भत्ते के माध्यम से मापने की आवश्यकता होती है। कंपनी सभी व्यापार प्राप्तियों के लिए आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानियों को पहचानती है। कंपनी ने प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ते की गणना करके एक व्यावहारिक समीचीन का उपयोग किया है। प्रावधान मैट्रिक्स ऐतिहासिक क्रेडिट हानि अनुभव को ध्यान में रखता है और भविष्योन्मुखी जानकारी के लिए समायोजित किया जाता है। अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ता देय प्राप्य की उम्र बढ़ने और प्रावधान मैट्रिक्स में उपयोग की जाने वाली भत्ता दरों पर आधारित है। प्रावधान मैट्रिक्स (लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के कारण वर्ष के दौरान अद्यतित किए गए) के आधार पर लागू होने वाला अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रतिशत इस प्रकार है:

व्यापारिक प्राप्तियों की अवधि	ईसीएल प्रबंधित मैट्रिक्स
0–1 वर्ष	0%
1–2 वर्ष	4.22%
2–3 वर्ष	18.16%
3–4 वर्ष	25.05%
4–5 वर्ष	46.39%
05 वर्ष और उससे ऊपर	100%

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रावधान मैट्रिक्स को उन व्यापार प्राप्तियों पर लागू होने की आवश्यकता नहीं है जो किसी भी संपार्श्विक सुरक्षा (या) प्राप्य राशि की सीमा तक गारंटी द्वारा समर्थित हैं।

ड.) वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियों की मान्यता रद् करनाः–

एक वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार का एहसास हो जाता है या उसे जब्त कर लिया जाता है। वित्तीय दायित्व तब अमान्य हो जाता है जब दायित्व से संबंधित अंतर्निहित दायित्व पूरा हो जाता है, समाप्त हो जाता है या समाप्त हो जाता है।

2.4.10 निवेश

क) संयुक्त उद्यम में

एक संयुक्त उद्यम एक प्रकार की संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत जिन पार्टियों के पास व्यवस्था का संयुक्त नियंत्रण है उनके पास संयुक्त उद्यम की शुद्ध परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है। संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था का संविदात्मक सहमति से नियंत्रण साझा करना है, जो केवल तभी होता है जब प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए नियंत्रण साझा करने वाली पार्टियों की एकमत सहमति की आवश्यकता होती है।

संयुक्त उद्यम में निवेश को लागत पर मान्य किया जाता है।

ख) अन्य निवेश

म्यूचुअल फंड में निवेश लाभ और हानि खाते के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया गया है।

2.4.11 उधार लागत

उधार लागत जो सीधे किसी परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से संबंधित है और जिसके इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार किए जाने में अनिवार्यतः काफी समय लगता है, उसे परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि के व्यय में डाला जाता है जिसमें वे होते हैं। उधार लागत में ब्याज और अन्य लागत शामिल है जो एक इकाई उधार राशि के संबंध में खर्च करती है।

2.4.12 नकद और नकद तुल्य

तुलन–पत्र में नकद और नकद–तुल्य में बैंक में नकद, हाथ में नकद और ऐसे लघु–अवधि जमा शामिल हैं, जिनकी परिपक्वता अवधि तीन महीने या उससे कम है और कीमत में परिवर्तन होना जोखिम नगण्य है।

नकद प्रवाह विवरण के उद्देश्य के लिए, नकद और नकद–तुल्य में नकद एवं लघु–अवधि जमा, जैसा ऊपर परिभाषित है, बकाया बैंक ओवर–ड्राफ्टों का निवल शामिल है, क्योंकि उन्हें कंपनी के नकद प्रबधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

2.4.13 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह विवरण को भारतीय लेखा मानक 07, नकद प्रवाह विवरण के अनुसार परोक्ष विधि का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है।

2.4.14 इक्विटी धारकों को नकद लाभांश

कंपनी अपने इक्विटी धारकों को नकद वितरण करने का दायित्व मानती है जब वितरण अधिकृत किया जाता है तथा वितरण कंपनी के विवेकाधिकार पर नहीं है। भारत में कॉर्पोरेट कानूनों के अनुसार एक वितरण तब अधिकृत होता है जब इसे शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया हो। इसकी संगत राशि सीधे इक्विटी में रखी जाती है।

2.4.15 प्रति शेयर आय

वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के आधार पर वर्ष के लिए लाभ को विभाजित करके मूल ईपीएस मात्रा की गणना इक्विटी धारकों के लिए की जाती है।

वर्ष की अवधि के दौरान इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के साथ मूल इक्विटी धारकों के लिए देय लाभ (परिवर्तनीय पूर्वाधिकार शेयरों पर ब्याज के लिए समायोजित करने के बाद) को विभाजित करके मन्दित ईपीएस मात्रा की गणना की जाती है और साथ ही इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो सभी कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों के इक्विटी शेयरों में रूपांतरण पर जारी की जाएगी।

2.4.16 पट्टे

पट्टे की पहचान

एक अनुबंध के आरंभ में कंपनी यह आकलन करती है कि यह अनुबंध है या इसमें लीज समावेशित है। एक अनुबंध, अनुबंध होता है या इसमें लीज समावेशित होती है यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले अज्ञात परिसंपत्ति के उपयोग को एक अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

एक पट्टेदार के रूप में कंपनी

एक अनुबंध के आरंभ में कंपनी यह आकलन करती है कि यह अनुबंध है या इसमें लीज समावेशित है। एक अनुबंध, अनुबंध होता है या इसमें लीज समावेशित होती है यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले अज्ञात परिसंपत्ति के उपयोग को एक अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार देता है। कंपनी ने उपरोक्त आवश्यकताओं को लघु अवधि के लीज पर लागू नहीं करने के लिए चुना है, (जिनकी शुरुआत की तारीख में 12 महीने या उससे कम की लीज अवधि है) और ऐसे लीज जिनके लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है जैसा कि इण्ड एएस 116 के पैराग्राफ बी 3–बी 9 में वर्णित है।

संपत्ति के उपयोग का अधिकार शुरू में लागत पर मापा जाता है और बाद में लागत मोड को लागू करता है यानी किसी भी संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित हानि, हानि को कम करता है और लीज की देयता के किसी भी पुनर्माप के लिए समायोजित किया जाता है। इण्ड एएस 16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उपयोग संपत्ति के अधिकार के मूल्यह्रास में किया जाता है।

एक लीज देयता शुरू में लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापी जाती है जो उस तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है। लीज में निहित ब्याज दर का उपयोग करके लीज के भुगतान में छूट दी जाती है। यदि उस दर को आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद, लीज देयता पर ब्याज को दर्शाने के लिए लीज देयता की वहन राशि बढ़ा दी गई है, लीज भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए कम और किसी भी पुनर्मूल्यांकन या लीज अधिसूचनाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए या संशोधित सार में निश्चित लीज भुगतानों को प्रतिबिंबित करने के लिए पुनर्माप किया गया।

मार्च 2019 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम 2019 जारी किया, जिसमें इण्ड एएस 116, लीज और वापस लेने के लिए इण्ड एएस 17, लीज इण्ड एएस 116 को अधिसूचित किया गया, जो 1 अप्रैल 2019 से शुरू होने वाली लेखा अवधि से प्रभावी है।

भारतीय लेखांकन मानक 116 के रूप में लेजी के लिए एकल, ऑन–बैलेंस शीट लीज अकाउंटिंग मॉडल पेश करता है। पट्टेदार संपत्ति के उपयोग के अधिकार को मान्यता देता है जो अंतर्निहित परिसंपत्ति का उपयोग करने

के अपने अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है और लीज भुगतान करने के लिए अपने दायित्व का प्रतिनिधित्व करने वाला लीज दायित्व है। अल्पावधि लीज और कम मूल्य की वस्तुओं के पट्टेदार के लिए मान्यता छूट हैं। पट्टेदार लेखांकन पूर्ववर्ती मानक के समान रहता है– यानी पट्टेदार पट्टों को वित्त या परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत करना जारी रखते हैं। कंपनी ने 116 के रूप में इंडिक्स में परिशिष्ट सी में उल्लिखित संक्रमण प्रावधानों को लागू किया है। इण्ड एएस–116 को अपनाने पर कंपनी पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

एक अनुबंध के आरंभ में कंपनी यह आकलन करती है कि यह अनुबंध है या इसमें लीज समावेशित है। एक अनुबंध, अनुबंध होता है या इसमें लीज समावेशित होती है यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले अज्ञात परिसंपत्ति के उपयोग को एक अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

2.4.17 बिक्री हेतु गैर–वर्तमान परिसंपत्तियाँ

गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों को बिक्री हेतु वर्गीकृत किया जाता है यदि उनकी वर्तमान लागत उसे इस्तेमाल करते रहने के बजाए मुख्यतः बिक्री लेनदेन से वसूल किया जायेगा और बिक्री की अत्यधिक संभावना मानी जाती है। इसकी गणना वहन राशि या उचित मूल्य जो भी कम है, में से बिक्री पर किए गए व्यय को घटाकर की जाती है।

गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों को बिक्री हेतु वर्गीकत किया जाता है और तुलन–पत्र में उनसे संबंधित देनदारियां, यदि हैं, अलग से दी जाती है। गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु वर्गीकृत किए जाने पर उनका मूल्यह्रास या परिशोधन नहीं किया जाता है।

2.4.18 परिसंपत्तियों का हानिकरण

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर आकलन करती है कि क्या किसी परिसंपत्ति में हानिकरण का कोई संकेत है। यदि कोई संकेत मौजूद होता है या जब किसी परिसंपत्ति का वार्षिक हानिकरण परीक्षण अपेक्षित होता है कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि, नकद उत्पन्न इकाई (सीसीयू) के उचित मूल्य में से निपटान पर किया गया व्यय घटाकर प्राप्त राशि और उपयोग में इसका मूल्य दोनों में जो भी अधिक है, होती है। वसूली योग्य राशि का निर्धारण एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए किया जाता है, जब तक परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य संपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से काफी हद तक स्वतंत्र है। जब परिसंपत्ति या नकद–उत्पन्न इकाई की वहन राशि उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक होती है, तो परिसंपत्ति का हानिकरण माना जाता है और वहन राशि में वसूली योग्य राशि लिखी जाती है।

2.4.19 आय/व्यय का महत्व

एक या एक से अधिक पूर्व अवधि की आय या व्यय की वस्तु को तभी भौतिक/महत्वपूर्ण माना जाता है, जब यह पिछले वर्षो के वित्तीय विवरण के अनुसार प्रत्येक मामले में कम्पनी के कुल राजस्व का 0.5 प्रतिशत से अधिक हो।

टिप्पण सं. 3 संपत्ति संयंत्र उपकरण

(₹ in Lakhs)

टिप्पणी 3	सकल खंड					मूल्यह्रास					हानि				कुल निवल लागत राशि	
विवरण	01.04.2023 तक शेष	वृद्धि	निपटान	समायोजन	31.03.2024 तक शेष	01.04.2023 तक शेष	वर्ष हेतु मूल्यह्रास	समायोजन	निपटान	31.03.2024 तक शेष	01.04.2023 तक शेष	वर्ष हेतु हानि	निपटान	31.03.2024 तक शेष	31.03.2024 तक शेष	31.03.2023 तक शेष
संपत्ति संयंत्र और उपकरण																
फ्री होल्ड भूमि	688.17	–	–	–	688.17	–	–	–		–	–	–	–	–	688.17	688.17
लीज होल्ड भूमि	1,865.12	–	–	–	1,865.12	68.68	24.40	–	–	93.08	–	–	–	–	1,772.04	1,796.43
भवन	10,732.74	1,045.47	–	–	11,778.21	2,346.48	214.42	–	–	2,560.90	–	–	–	–	9,217.30	8,386.25
कारखाना भवन	17,312.60	895.80	–	–	18,208.41	4,505.67	612.32	–	–	5,117.99	–	–	–	–	13,090.41	12,806.92
संयंत्र और उपकरण	2,28,766.54	16,528.22	181.22	(763.35)	2,44,350.19	82,639.61	13,783.59	51.08	160.64	96,211.47	–	97.94	–	97.94	1,48,040.78	1,46,126.94
फर्नीचर और फिक्स्चर	1,252.03	185.54	1.26	(2.48)	1,433.83	696.02	98.03	–	1.12	792.93	–	–	–	–	640.89	556.01
वाहन	481.23	133.07	46.11	–	568.19	248.74	43.41	–	45.71	246.44	–	–	–	–	321.76	232.49
कार्यालय उपकरण	1,663.73	338.17	23.91	9.88	1,987.87	934.25	205.31	(6.97)	19.67	1,126.85	–	–	–	–	861.01	729.48
अन्य उपकरण					–						–	–	–	–		
–कप्यूटर और प्रिंटर	2,277.55	547.35	48.66	(7.17)	2,769.07	1,642.31	278.56	9.51	44.56	1,866.80	–	–	–	–	902.27	635.24
–रेलवे साइडिंग	409.14	–	–	–	409.14	139.46	25.91	–	–	165.37	–	–	–	–	243.77	269.68
–विद्युत स्थापना	6,296.32	668.26	–	–	6,964.58	3,842.16	528.95	–	0.14	4,370.97	–	–	–	–	2,593.61	2,454.16
–एस एंड डी संपत्तियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–आर एंड डी संपत्तियां	346.54	783.71	–	762.65	1,892.90	207.68	58.90	(50.64)	–	317.22	–	–	–	–	1,575.69	138.86
–उपकरण	2.48	–	–	–	2.48	1.16	0.16	–	–	1.32	–	–	–	–	1.15	1.31
निम्नतम परिसम्पति मुल्य	**11.19**	**9.14**	–	–	**20.33**	**11.20**	**9.14**	–	–	**20.33**	–	–	–	–	**(0.00)**	**(0.01)**
–प्रयोगशाला उपकरण	**107.21**	**0.77**	–	–	**107.98**	**57.23**	**7.60**	–	**(0.01)**	**64.84**	–	–	–	–	**43.14**	**49.98**
कुल (क)	**2,72,212.59**	**21,135.50**	**301.16**	**(0.47)**	**2,93,046.46**	**97,340.65**	**15,890.69**	**2.98**	**271.83**	**1,12,956.51**	–	**97.94**	–	**97.94**	**1,79,991.99**	**1,74,871.93**
पिछला वर्ष मार्च 2023	2,56,548.96	16,608.38	1,004.13	(59.38)	2,72,212.58	82,632.09	15,329.57	0.36	620.65	97,340.00	–	–	–	–	1,74,871.93	1,71,916.87
उपयोग का अधिकार संपत्तियां																
भूमि	**155.72**	–	–	–	**155.72**	**21.61**	**5.40**	–	–	**27.01**					**128.71**	**134.11**
भवन	**4,283.07**	**36.47**	–	–	**4,319.54**	**2,681.24**	**576.44**	–	–	**3,257.68**					**1,061.86**	**1,601.83**
कुल (ख)	**4,438.79**	**36.47**	–	–	**4,475.26**	**2,702.85**	**581.84**	–	–	**3,284.69**	–	–	–	–	**1,190.57**	**1,735.95**
पिछला वर्ष मार्च 2023	4,211.72	227.07	–	–	4,438.79	1,994.98	707.87	–	–	2,702.85	–	–	–	–	1,735.95	2,216.74
पूंजीगत कार्य प्रगति पर																
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	5,460.05	22,451.42	30.39	(6,590.31)	21,290.77	–	–	–	–	–					21,290.77	5,460.05
कुल (ग)	**5,460.05**	**22,451.42**	**30.39**	**(6,590.31)**	**21,290.77**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**21,290.77**	**5,460.05**
विगत वर्ष मार्च, 2023	5,820.92	5,008.51	301.89	(4,944.21)	5,460.05	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,460.05	5,820.92
विकासाधीन परिसंपत्ति																
विकासाधीन परिसंपत्ति	–	960.44	–	–	960.44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	960.44	–
कुल	–	960.44	–	–	960.44	–	–		–	–	–	–	–	–	960.44	–
विगत वर्ष मार्च, 2023	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					–	–

*वर्ष 2024–25 में पूंजीकृत एसएपी एस4 लाइसेंस शुल्क
सीडबल्यूआईपी पीपीई की अवधि और विकासाधीन अचल परिसंपत्ति हेतु टिप्पणी 63 का संदर्भ ग्रहण करें

टिप्पण सं. 4 अचल परिसंपत्ति

टिप्पणी 3	सकल खंड					मूल्यह्रास					हानि				कुल निवल लागत राशि	
विवरण	01.04.2023 तक शेष	वृद्धि	निपटान	समायोजन	31.03.2024 तक शेष	01.04.2023 तक शेष	वर्ष हेतु मूल्यह्रास	समायोजन	निपटान	31.03.2024 तक शेष	01.04.2023 तक शेष	वर्ष हेतु हानि	निपटान	31.03.2024 तक शेष	31.03.2024 तक शेष	31.03.2023 तक शेष
कम्प्यूटर सोफ्टवेयर	921.50	125.16	-	(0.70)	1,047.37	737.12	62.62	-	-	799.74					247.62	184.38
कूल	**921.50**	**125.16**	**-**	**(0.70)**	**1,047.37**	**737.12**	**62.62**	**-**	**-**	**799.74**					**247.62**	**184.38**
विगत वर्ष मार्च 2023	884.32	37.18	-	-	921.50	685.88	51.24	-	-	737.12					184.38	198.45

टिप्पणी सं. 5 (i)

गैर चालू निवेश

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
संयुक्त उद्यम में लागत पर इक्विटी प्रपत्रों में निवेश (बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अनुद्धृत इक्विटी शेयर {भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड तथा भारतीय रेजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम (10 की दर से 40,00,00,000 शेयर)})	40,000.00	40,000.00
कुल निवेश	**40,000.00**	**40,000.00**

टिप्पणी सं. 5 (ii)

व्यापार प्राप्य – गैर चालू

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
(i) व्यापार प्राप्य		
(क) सुरक्षित, सुविचारित	–	–
(ख) असुरक्षित, सुविचारित	–	37.75
(ग) अत्यधिक उधार जोखिम वाले व्यापार प्राप्य	1,650.12	1,665.69
कुल (क)	**1,650.12**	**1,703.44**
(ii) अशोध्य भत्ता	1,650.12	1,665.69
कुल (ख)	**1,650.12**	**1,665.69**
कुल व्यापार प्राप्य (क– ख)	–	**37.75**

व्यापार प्राप्य – चालू

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य		
(क) सुरक्षित, सुविचारित	–	1,224.15
(ख) असुरक्षित, सुविचारित	1,01,869.06	1,00,393.33
(ग) अत्यधिक उधार जोखिम वाले व्यापार प्राप्य	15,708.33	15,112.43
कुल (क)	**1,17,577.39**	**1,16,729.91**
(ii) अशोध्य भत्ता	15,708.33	15,112.43
कुल (ख)	**15,708.33**	**15,112.43**
कुल व्यापार प्राप्य	**1,01,869.06**	**1,01,617.48**

व्यापार प्राप्य और अशोध्य भत्ते की अवधि हेतु टिप्पणी सं. 64 व 49 का संदर्भ ग्रहण करें.

टिप्पणी सं. 5 (iii)

(क) ऋण – गैर चालू

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) सुरक्षित, सुविचारित	–	–
– कर्मचारियों से बकाया ऋण	35.38	39.11
(ख) असुरक्षित , सुविचारित	–	–
– कर्मचारियों से बकाया ऋण	17.71	31.24
कुल	**53.09**	**70.35**

ख) ऋण – चालू

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) सुविचारित प्राप्य ऋण – सुरक्षित	–	–
(ख) सुविचारित प्राप्य ऋण – असुरक्षित	–	–
– कर्मचारियों को ऋण	64.97	112.85
कुल ऋण	**64.97**	**112.85**

टिप्पणी सं. 5 (iv)

वित्तीय परिसंपत्ति अन्य – गैर चालू

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) प्रतिपूर्ति जमा		
– सीआईएसएफ़ के पास जमा	591.91	591.91
– विद्युत बोर्ड के पास जमा	1,278.95	1,280.63
– कर प्राधिकरणों के पास जमा/अन्य	554.21	559.97
– अन्य प्रतिपूर्ति जमा	298.37	291.67
(ख) अन्य अग्रिम	–	0.96
कुल	**2,723.44**	**2,725.14**

(ख) अन्य – चालू

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
अन्य अग्रिम	649.73	89.82
एफ़डीआर पर प्राप्य ब्याज	13,212.53	12,370.18
कुल	**13,862.26**	**12,460.00**

टिप्पणी सं. 5(v) (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
बैंको के साथ शेष राशि	86,858.98	10,091.15
हाथ में चेक, ड्राफ्ट	1.14	–
हाथ में नक़दी	2.85	3.02
हाथ में पोस्टेज	2.67	2.01
कुल नकद और नकद समकक्ष (क)	**86,865.64**	**10,096.18**
उपरोक्त के अलावा अन्य बैंक बैलेंस –एफ़डीआर (3 महीने से अधिक और 12 महीने तक की परिपक्वता अवधि)	2,92,000.11	3,77,906.94
बैंक के पास नियत शेष (अव्ययित सीएसआर)	2,949.04	2,200.58
कुल बैंक शेष (ख)	**2,94,949.15**	**3,80,107.52**

टिप्पणी सं 6

अस्थगित कर परिसंपत्ति एवं देयताएं

अस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण अस्थाई भिन्नताओं के प्रभाव इस प्रकार हैं:– (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
अस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयताएं)		
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(14,515.68)	(13,942.90)
चालू देयताएं, व्यापार प्राप्य और प्रावधान	38,269.89	50,476.87
निवल अस्थगित कर परिसंपत्ति	**23,754.21**	**36,533.97**

टिप्पणी सं 7

अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
अन्य प्राप्य	0.00	–
अन्य को अग्रिम	110.79	110.79
– कर प्राधिकारणों के पास जमा/अन्य	3,920.32	3,920.20
पूंजीगत अग्रिम असुरक्षित, सुविचारित	11,935.09	4,110.26
अन्य गैर चालू परिसंपत्ति	–	–
कुल	**15,966.20**	**8,141.25**

टिप्पणी सं 8

माल सूची (न्यूनतम लागत की निम्नतर दर या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर) (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) कच्चा माल		
– कच्चा माल	71,093.62	55,972.24
– पारगमन में कच्चा माल	18.60	39.12
(ख) प्रगतिशील कार्य	38,397.41	41,367.78
(ग) तैयार माल	18,802.15	19,813.86
(घ) पारगमन में सामान	16,074.92	15,208.24
(ड़) अन्य		
–स्क्रैप	1,057.81	1,560.88
–अन्य मालसूची	633.76	594.88
कुल मालसूची	**1,46,078.27**	**1,34,557.00**

"टिप्पणी सं. 42 आरबीआई के पास स्वर्ण" का संदर्भ ग्रहण करें

टिप्पणी सं 9 (क)

चालू कर परिसंपत्ति (निवल) (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
आय कर प्राधिकरण के पास शेष		
टीडीएस सहित अग्रिम कर	77,061.55	54,847.67
घटाः– आय कर हेतु प्रावधान	51,907.89	30,520.80
चालू कर परिसंपत्ति – निवल	**25,153.66**	**24,326.87**

टिप्पणी सं 10

अन्य चालू परिसंपत्ति (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
पूर्वदत्त व्यय	1,021.96	1,410.64
बिक्री कर/जीएसटी प्राधिकरणों के पास शेष	3,052.41	4,478.67
आय कर प्राधिकरणों के पास शेष	176.77	6.72
अन्य प्राप्य	98.24	21.11
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	2,123.87	3,142.47
कुल	**6,473.25**	**9,059.61**

टिप्पणी सं .10क

बिक्री हेतु परिसंपत्ति (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
बिक्री हेतु परिसंपत्ति	2,195.68	2,560.68
कुल	**2,195.68**	**2,560.68**

टिप्पणी सं. 11

निर्गत पूंजीगत शेयर (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
प्राधिकृत पूंजी		
प्रत्येक 10/–रु. के 2,50,00,00,000 इक्विटि शेयर	**2,50,000.00**	**2,50,000.00**
निर्गत और अभिदत्त पूंजी		
प्रत्येक 10/–रु. के 118,24,90,000 इक्विटि शेयर	1,18,249.00	1,18,249.00
	1,18,249.00	**1,18,249.00**
प्रदत्त पूंजी		
प्रत्येक 10/–रु. के 98,75,00,740 इक्विटि शेयर (विगत वर्ष 10/–रु. के 98,75,00,740 इक्विटि शेयर) ,पूर्णतः प्रदत्त	98,750.07	98,750.07
कुल	**98,750.07**	**98,750.07**

टिप्पणी सं. 11क

वर्ष के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटि शेयरों का मिलन (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्ष के प्रारम्भ में इक्विटि शेयर	9,875.01	9,875.01
जमाः वर्ष के दौरान जारी शेयर	–	–
घटाः वर्ष के दौरान शेयरों की पुनर्खरीद	–	–
वर्ष के अंत में अर्थात 31 मार्च, 2024 को बकाया इक्विटि शेयर	**9,875.01**	**9,875.01**

टिप्पणी सं 11ख

धारित कंपनी, उनके अनुषंगी तथा सहयोगी द्वारा धारित शेयरों का विवरण – शून्य

टिप्पणी सं 11ग

शेयरधारक ओ कंपनी इक्विटि शेयर पूंजी में 5% का अधिक धारिता रखते हैं: –

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
क) भारत के राष्ट्रपति	9,875.01	9,875.01
ख) शेयरों की संख्या का प्रतिशत	99.99	99.99

टिप्पणी सं. 11घ
कंपनी के इक्विटि शेयर में संलग्न की गई शर्तें एवं अधिकार : शून्य

टिप्पणी सं. 12
आरक्षित और अधिशेष

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) आरक्षित पूंजी	33,819.95	33,819.95
(ख) प्रतिधारित अर्जन (अधिशेष)	5,76,146.30	5,23,365.37
(ग) पूंजी शोधन आरक्षित	19,498.93	19,498.93
कुल आरक्षित और अधिशेष	**6,29,465.18**	**5,76,684.25**

(क) आरक्षित पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
वित्तीय स्थिति के अंतिम विवरण के अनुसार	33,819.95	33,819.95
जमाः वर्तमान वर्ष का अंतरण	–	–
घटाः वर्तमान वर्ष में अपलिखित	–	–
कुल आरक्षित पूंजी	**33,819.95**	**33,819.95**

(ख) प्रतिधारित अर्जन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
वित्तीय स्थिति के अंतिम विवरण के अनुसार	5,23,365.37	5,54,371.70
जम/(घटा):–त्रुटि अवधि पूर्व लेखांकन नीति में परिवर्तन	–	–
जमाः वर्तमान वर्ष में निवल लाभ/(हानि)	91,103.84	1,77,925.30
जमाः प्रतिधारित अर्जन में माने गए अन्य व्यापक आय की मदें	9,551.00	(6,970.97)
घटाः देय लाभांश	(53,377.59)	(1,962.13)
जमा – पुरानी परिसंपत्तियों का एडबेक (स्ट्रांड रोड परिसंपत्ति)	–	1.47
जमाः विगत वर्ष हेतु आयकर समायोजन	5,503.68	–
कुल प्रतिधारित अर्जन	**5,76,146.30**	**5,23,365.37**

(ग) आरक्षित पूंजी उन्मोचन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
वित्तीय स्थिति के अंतिम विवरण के अनुसार	19,498.93	19,498.93
जमाःवर्तमान वर्ष का अंतरण	–	–
घटाः वर्तमान वर्ष में अपलिखित	–	–
कुल आरक्षित पूंजी उन्मोचन	**19,498.93**	**19,498.93**

टिप्पणी सं. 13 (i)

व्यापार देय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) गैर चालू		
(क) कुल सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया और	–	–
(ख) कुल सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया	–	13.03
कुल गैर चालू व्यापार देय	–	**13.03**
(ख) चालू		
(क) कुल सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया और	516.05	800.30
(ख) कुल सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया	13,731.14	7,768.51
कुल चालू	**14,247.19**	**8,568.81**
कुल व्यापार देय	**14,247.19**	**8,581.84**

व्यापार देय की अवधि हेतु टिप्पणी संख्या 62 का संदर्भ ग्रहण करें

नोट सं. 13(ii)

अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
गैर–चालू		
आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं की प्रतिभूति जमा	13.33	13.77
कुल (क)	**13.33**	**13.77**
चालू		
बयाना जमा राशि (ईएमडी)	296.51	179.07
कर्मचारियों का दावा	–	–
आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं की प्रतिभूति जमा	614.79	446.15
वेतन, मजदूरी और कर्मचारियों को देय हितलाभ	2,404.07	2,821.86
संबन्धित प्राधिकरण को देय वेतन से वसूली	622.33	464.99
देय व्यय	7,223.03	2,430.24
भाप्रमुमुनिनिलि पेंशन न्यास को देय अंशदान	–	–
देय पेंशनर प्रभार	3.53	3.90
बैंक ओवर ड्राफ्ट	1,278.66	32.23
कुल (ख)	**12,442.92**	**6,378.44**

टिप्पणी सं. 13 (iii)

देय पट्टा

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
गैर– चालू		
देय पट्टा	793.24	2,002.97
कुल (क)	**793.24**	**2,002.97**
चालू		
देय पट्टा	727.28	12.74
कुल (ख)	**727.28**	**12.74**

टिप्पणी सं. 14

प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
(i) गैर वर्तमान प्रावधान		
(क) कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान		
– उपदान हेतु प्रावधान	18,818.70	18,696.88
– छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	22,204.09	21,864.92
– पेंशन के अंशदान प्रभार हेतु प्रावधान	16.97	16.97
– छुट्टी वेतन अंशदान हेतु प्रावधान	8.51	8.51
– अनुग्रही राशि के लिए प्रावधान	44.27	58.98
– सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान	35,925.22	32,257.51
– पेंशन न्यास देयता हेतु प्रावधान	59,338.74	1,05,434.02
कुल गैर वर्तमान कर्मचारी हितलाभ दायित्व	**1,36,356.50**	**1,78,337.79**
(ख) अन्य गैर वर्तमान प्रावधान		
– विवादित दावों के लिए प्रावधान	2,107.57	2,134.83
कुल गैर वर्तमान प्रावधान (क+ख)	**1,38,464.07**	**1,80,472.62**
(ii) वर्तमान प्रावधान		
(क) कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान		
– छुट्टी वेतन और पेंशन के अंशदान प्रभार हेतु प्रावधान	23.49	24.51
– उपदान हेतु प्रावधान	3,100.60	3,647.87
– अनुग्रही राशि/बोनस के लिए प्रावधान	320.69	287.13
– छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	3,372.56	3,889.21
– अनुकंपा नियुक्ति के एवज में क्षतिपूर्ति हेतु प्रावधान	419.73	439.83

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
– पेंशन न्यास देयता हेतु प्रावधान	3,256.80	6,055.63
– सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान	2,173.30	2,005.38
– देय पीआरपी	827.30	455.20
– अन्य अल्पावधिक कर्मचारी हितलाभ	407.10	350.83
कुल वर्तमान कर्मचारी हितलाभ दायित्व (क)	**13,901.57**	**17,155.59**
(ख) अन्य चालू प्रावधान		
– अन्य अल्पावधिक प्रावधान	572.46	582.82
– विवादित दावों के लिए प्रावधान	20,356.60	20,344.36
– सीएसआर के लिए प्रावधान	4,850.87	4,703.39
कुल अन्य गैर वर्तमान कर्मचारी (ख)	**25,779.93**	**25,630.57**
कुल चालू प्रावधान (क+ख)	**39,681.50**	**42,786.16**

टिप्पणी सं. 15

अन्य गैर चालू देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
अन्य गैर चालू देयताएं	289.38	–
भारत सरकार से निधि – समायोज्य	15,854.05	15,854.05
कुल गैर चालू देयताएं	**16,143.43**	**15,854.05**

टिप्पणी सं. 16

अन्य चालू देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
कर्मचारियों का दावा	11.05	525.32
ग्राहकों को अग्रिम	2,998.90	2,556.99
पीएओ को देय	0.77	0.77
देय सांविधिक बकाया	9,763.73	9,508.05
भाप्रमुमुनिनिलि पेंशन न्यास को देय अंशदान	30.64	28.84
देय पेंशनर प्रभार	13.17	56.09
अन्य चालू देयताएं	143.80	445.97
दावों में भिन्नता	–	0.02
कुल अन्य चालू देयताएं	**12,962.06**	**13,122.05**

टिप्पणी सं. 17 (₹ लाख में)

राजस्व

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) उत्पादों की बिक्री		
– नोटों की बिक्री	2,35,678.35	2,26,045.79
– सिक्कों की बिक्री	47,567.29	84,180.65
– पदकों और स्मारक सिक्कों की बिक्री	13,776.31	18,022.36
– चांदी की वस्तुओं की बिक्री	499.71	522.17
– सोने की वस्तुओं की बिक्री	11,700.99	22,101.75
– पासपोर्ट एवं संबद्ध वस्तुओं की बिक्री	52,158.05	44,268.76
– डाक वस्तुओं की बिक्री	2,204.10	5,174.97
– गैर डाक वस्तुओं की बिक्री	25,037.24	21,023.28
– एनजेएसपी की बिक्री	45,073.83	51,454.22
– बिक्री –अन्य	31,365.72	13,224.75
कुल (क)	**4,65,061.59**	**4,86,018.70**
(ख) सेवाओं की बिक्री		
– ठेके का काम	2,275.55	2,482.17
– अन्य सेवा	455.33	149.50
कुल (ख)	**2,730.88**	**2,631.67**
(सी) अन्य परिचालन राजस्व एस		
– स्क्रैप की बिक्री	2,976.14	2,525.83
– अन्य परिचालन गतिविधियाँ	711.12	645.49
कुल (ग)	**3,687.26**	**3,171.3**
सतत संचालन से कुल राजस्व (क + ख + ग)	**4,71,479.73**	**4,91,821.69**

टिप्पणी सं. 18

अन्य आय (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
– ब्याज आय	28,355.25	13,132.89
– लाभांश आय	5,180.80	4,910.39
अन्य आय		
– विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव से लाभ/(हानि)	577.64	298.47
– अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ –	–	42.11
अन्य गैर परिचालन आय (ऐसी आय से सीधे संबंधित व्यय को घटाकर)	1,552.38	3,105.66
– अन्य आय	630.48	479.56
– प्रावधान/देयताएं वापस लिखी गईं	111.71	8,801.27
कुल अन्य आय	**36,408.26**	**30,770.35**

टिप्पणी सं. 19

उपभोग की गई सामग्री की लागत (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
कच्चा माल		
स्वदेशी:		
प्रारंभिक स्टॉक	49,447.19	59,476.56
जोड़ें: खरीदारी		
आरएम– पेपर	62,606.02	42,202.32
आरएम–इंक	14,767.25	11,385.23
आरएम– अन्य कच्चा माल	71,721.96	36,172.38
आरएम– पैकिंग सामग्री	244.79	–
घटाएँ: इन्वेंट्री का समापन मूल्य	63,342.96	49,447.19
कुल स्वदेशी सामग्री का उपभोग	**1,35,444.25**	**99,789.30**
आयातित:		
प्रारंभिक स्टॉक	5,953.01	5,413.23
जोड़ें: वर्ष के दौरान खरीदारी	4,704.98	5,343.05
आरएम– पेपर	3,535.63	9,903.31
आरएम– अन्य कच्चा माल	4,058.72	3,668.83
घटाएँ: इन्वेंट्री का समापन मूल्य	6,909.58	5,953.01
कुल आयातित सामग्री खपत	**11,342.76**	**18,375.41**
उपभोग की गई सामग्री की लागत	**1,46,787.01**	**1,18,164.71**

टिप्पणी सं. 20

तैयार माल, व्यापार में स्टॉक और प्रगति पर कार्य की सूची में परिवर्तन (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रारंभिक जमा		
कार्य प्रगति पर	41,367.78	40,606.84
तैयार माल	19,813.86	28,518.52
कतरन	1,542.56	1,545.45
कुल प्रारंभिक शेष (क)	**62,724.20**	**70,670.81**
जमा शेष		
कार्य प्रगति पर	38,397.41	41,367.78
तैयार माल	18,802.15	19,813.86
कतरन	1,039.39	1,542.56
कुल समापन शेष (ख)	**58,238.95**	**62,724.20**
तैयार माल, व्यापार में स्टॉक और प्रगति में कार्य (एबी) की सूची में कुल परिवर्तन	**4,485.25**	**7,946.61**

टिप्पणी सं. 21

कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन, मजदूरी और भत्ते	58,030.66	58,483.43
अधिक समय तक	11,069.33	10,647.72
प्रोत्साह	11,331.30	9,726.86
एलटीसी	133.56	225.44
चिकित्सा	2,425.59	2,814.06
ईपीएफ में नियोक्ता का योगदान	3,602.51	3,596.41
अवकाश वेतन और पेंशन प्रभार अंशदान	190.55	214.09
एसपीएमसीआईएल पेंशन ट्रस्ट में योगदान	1,537.03	1,605.87
छुट्टी नकदीकरण	8,161.02	7,654.31
ग्रेच्युटी	4,198.81	4,327.02
कर्मचारी कल्याण व्यय	145.15	70.54
अन्य कर्मचारी लाभ	1,738.91	1,857.42
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	15,058.31	5,072.21
कुल कर्मचारी लाभ व्यय	**1,17,622.73**	**1,06,295.38**

टिप्पणी सं. 22

वित्तीय लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज लागत	–	–
पट्टा देयता पर ब्याज की समाप्ति	142.74	204.41
कुल	**142.74**	**204.41**

टिप्पणी सं. 3 एवं 4

मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
संपत्ति संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास	15,890.69	15,357.10
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	62.62	21.78
आरओयू का परिशोधन	581.84	709.81
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की क्षति	97.94	–
कुल	**16,633.09**	**16,088.69**

टिप्पणी सं. 23

अन्य खर्च

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
संपत्ति संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास	**15,890.69**	**15,357.10**
(क) अन्य विनिर्माण व्यय		
–भंडार, स्पेयर और घटकों की खपत	10,285.52	17,334.29
–बिजली, ईंधन और पानी	8,549.38	7,916.43
–मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव	819.18	750.91
–फैक्ट्री भवन की मरम्मत एवं रखरखाव	620.44	723.27
–पैकिंग खर्च	2,500.26	2,109.30
–अन्य विनिर्माण लागत	1,796.07	2,432.33
कुल (क)	**24,570.85**	**31,266.53**
(ख) प्रशासनिक व्यय		
–विज्ञापन	108.22	105.72
–कमीशन (नीलामी एवं अन्य)	190.63	119.52
–ऑडिट फीस	56.53	58.48
–बैंक शुल्क	2,263.12	28.03
–कैंटीन खर्च	162.38	210.06
–औषधालय व्यय	164.94	61.60
–पर्यावरण शुल्क	80.42	63.07
–फीस एवं मानदेय	5.89	24.43
–बाहरी माल भाड़ा	1,635.92	1,533.86
–विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव से नुकसान	176.33	5.47
–सहायता व्यय में अनुदान	1.02	1.15
–परिसंपत्तियों की बिक्री/त्याग पर हानि	46.92	25.78
–गेस्ट हाउस का खर्च	123.01	57.07
–कर्मचारियों की भर्ती	5,272.48	4,224.13
–बागवानी व्यय	169.65	88.28
–आतिथ्य एवं मनोरंजन व्यय	63.42	58.26
–कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	708.97	829.53
–बैठक व्यय	22.11	30.53
– विविध व्यय	320.63	374.26

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
–कार्यालय का व्यय	455.77	487.02
–डाक एवं कूरियर व्यय	89.52	61.16
– मुद्रण एवं स्टेशनरी व्यय	54.75	58.56
–अनुसंधान एवं विकास व्यय	691.66	193.34
–मरम्मत एवं रखरखाव– भवन	1,648.91	1,673.87
–मरम्मत और रखरखाव– कंप्यूटर	104.59	156.13
–मरम्मत एवं रखरखाव– अन्य	846.14	859.28
–किराया	263.75	162.19
–बीमा	1,423.53	1,274.50
– दरें एवं कर	390.42	193.19
–सुरक्षा शुल्क	20,869.40	20,605.77
–सेमिनार और प्रशिक्षण व्यय	120.56	95.58
–सदस्यता, समाचार पत्र, पुस्तकें और पत्रिकाएँ	14.06	14.57
–टेलीफोन और इंटरनेट शुल्क	190.19	188.11
–यात्रा एवं परिवहन व्यय	744.93	711.82
–यात्रा व्यय– विदेश	285.40	146.27
– यूनिफ़ॉर्म और लिवरीज़	8.51	16.03
– निगम सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (सीएसआर)	1,715.10	2,122.19
–वाहन किराये/रखरखाव शुल्क	543.88	472.18
–पानी और बिजली शुल्क	457.96	393.66
–अन्य व्यय	1,926.32	1,033.15
–ब्याज और जुर्माना	–	10.21
कुल (ख)	**44,417.94**	**38,828.01**
(ग) वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान		–
–व्यापार प्राप्य के लिए प्रावधान	595.90	–
–पेंशन ट्रस्ट देयता के लिए प्रावधान	14,206.89	13,033.25
– विवादित दावों के लिए प्रावधान	41.46	11,204.95
कुल (ग)	**14,844.25**	**24,238.20**
कुल अन्य व्यय (क+ख+ग)	**83,833.04**	**94,332.74**

सीएसआर व्यय के विवरण हेतु टिप्पणी सं. 38 देखें।

टिप्पणी सं. 23(क)

लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) सांविधिक लेखा परीक्षक		
(क) वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क	4.25	4.25
(ख) कर लेखा परीक्षा शुल्क	2.66	2.66
उप– कुल (क)	**6.91**	**6.91**
(ख) शाखा लेखा परीक्षक		
(क) वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क	24.75	24.75
(ख) कर लेखा परीक्षा शुल्क	15.47	15.47
कुल	**40.22**	**40.22**
अन्य सेवाएँ	9.40	11.35
उप– कुल (ख)	**9.40**	**11.35**
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (क+ख) (जीएसटी रहित)	56.53	58.48

नोट नं. 24

प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं –
भारतीय लेखांकन मानक–37 के आधार पर आकस्मिक देयताएं:

(राशि ₹ लाख)

आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं (अप्रावधानिक सीमा तक)	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
(I) आकस्मिक देनदारियाँ		
(i) कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया (कानूनी मामलों को छोड़कर जहां राशि अनिश्चित है)	10725.87	12006.31
(क) (i) कर्मचारियों/श्रमिकों द्वारा दायर मामले	3211.11	3293.01
(ii) आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दायर मामले	490.64	457.86
(ख) वैट/सीएसटी	1732.24	2999.21
(ग) सेवा कर/जीएसटी	–	–
(घ) वाणिज्यिक कर	–	–
(ड़) आयकर टीडीएस	3.36	0.06
(च) जल कर	3465.92	3465.92
(छ) अन्य	1822.6	1790.25
(ii) बैंकों द्वारा जारी बैंक गारंटी और ऋण पत्र	53543.40	60668.71
कुल (i)	**64269.27**	**72675.02**
(II) प्रतिबद्धताएँ		
(i) पूंजीगत खाते पर लगाई जाने वाली शेष अनुबंधों की अनुमानित और अप्रावधानित राशि	40164.06	31003.60
कुल (ii)	**40164.06**	**31003.60**
कुल योग (i+ii)	**104433.33**	**103678.62**

(क) कर्मचारियों/कामगारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दायर मुदकमों का विरोध किया जा रहा है और तदनुसार, किसी भी प्रावधान को आवश्यक नहीं माना गया है। विभिन्न अपीलीय मंचों के समक्ष करों से संबंधित मुकदमें भी लड़े जा रहे हैं और तदनुसार, कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

(ख) सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद ने आपूर्तिकर्ता द्वारा दायर एक मामले में, सूक्ष्मा, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम, 2000 के अनुसार ₹ 126.28 लाख पर ब्याज सहित ₹ 231.28 लाख की मूल राशि भुगतान करने का निर्देश दिया है। कंपनी ने इन आदेशों के विरुद्ध अपील दायर की है और उच्च न्यायालय में ₹ 263.99 लाख की अपील लंबित है अर्थात ₹ 126.28 लाख जमा ₹ 137.71 लाख और जिला न्यायालय में ₹ 93.57 लाख की अपील लंबित है और इसे आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है।

नोट नं. 25

सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों से संबंधित विवरण

प्रबंधन ने कंपनी को माल और सेवाएं प्रदान करने वाले ऐसे उपक्रमों को पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम 2006 में परिभाषित मानदंडों को पूरा करते हैं। तदनुसार ऐसे उपक्रमों को 31 मार्च, 2024 को देय राशि का विवरण कंपनी में उपलब्ध और उससे प्राप्त जानकारी के आधार पर इस वित्तीय विवरण में दिया गया है।

(राशि ₹ लाख)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
1.	वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ताओं को शेष बकाया राशि	516.05	813.33
2.	वर्ष के दौरान अर्जित की गई ब्याज की राशि और वर्ष के अंत में बकाया	शून्य	शून्य
3.	वर्ष के दौरान धारा 16 के संदर्भ में भुगतान की गई ब्याज राशि के साथ) नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान	शून्य	शून्य
4.	भुगतान में देरी की अवधि के कारण लंबित ब्याज राशि (जिसका भुगतान हो गया हैं परंतु वर्ष के दौरान निुक्त किए गए दिन के पश्चात) लेकिन अधिनियम के अनुसार ब्याज को न जोड़ते हुए।	शून्य	शून्य

नोट नं. 26

स्थायी परिसंपत्तियाँ

(क) भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, 10.02.2006 को नौ इकाइयों की सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को पुस्तक मूल्य पर कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया है। तदनुसार, भारत सरकार की इकाइयों की लेखा–जोखा पुस्तकों के अनुसार 09.02.2006 को प्रचलित सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर कंपनी की पुस्तकों में 10.2.2006 को ले लिया गया था।

(ख) कंपनी अधिनियम 2013 के अधिनियमन के अनुसार, कंपनी ने मूल्यह्रास और परिशोधन पर लेखांकन नीति में खुलासा किए गए कुछ परिसंपत्तियों के संबंध में छोड़कर अनुसूची II में निर्दिष्ट अनुमानित उपयोगी जीवन लागू किया है। तदनुसार, शेष उपयोगी जीवन पर वर्तमान मूल्य का अवमूल्यन/परिशोधन किया जा रहा है।

नोट नं. 27

टकसालों में बहुमूल्य धातुएं

मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद स्थित टकसालों में सोने, चांदी और अन्य धातुओं का विपुल भंडार है जो 10 वर्ष से अधिक पुराना है और जिसका उपयोग बहुत कम मात्रा में पदकों के निर्माण के लिए किया जाता है। धातुओं का रिकॉर्ड बनाए रखने और उनकी भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली है। इकाइयों में धातुओं के प्रत्येक श्रेणी का अलग–अलग विस्तृत विवरण शुद्धता के साथ उपलब्ध है। इन धातुओं का मूल्य पुस्तक मूल्य के अनुसार लिया गया है जो इसके बाजार मूल्य से कम है। चूंकि वर्तमान उत्पादन में इन धातुओं की खपत बहुत कम है इसलिए कंपनी ने इकाइयों में पड़ी इन धातुओं के निपटान के लिए प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं।

नोट नं. 28

वापस लिए गए सिक्के

वापस लिए गए सिक्के/गैर–वर्तमान सिक्के वित्त मंत्रालय की ओर से टकसालों द्वारा रखे जाते हैं। इन सिक्कों को सेल

द्वारा पिघलाया जाता है और बराबर वजन के कोरे सिक्के सेल द्वारा टकसालों को दिए जाते हैं। टकसालें वापस लिए गए सिक्कों की लागत की कटौती के बाद इन सिक्कों का भुगतान सेल को करती हैं। इन कोरे सिक्कों से बने सिक्कों की बिक्री की राशि एसपीएमसीआईएल के पिघलने और सेवा शुल्क में शामिल सभी व्यय की कटौती और समायोजन के बाद भारत सरकार को भेजी जाती है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी को वित्त मंत्रालय से कोई गैर–वर्तमान सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं।

नोट नं. 29

कर्मचारी हितलाभ–भारतीय लेखांकन मानक–19

कंपनी के अधिकांश कर्मचारी भारत सरकार से मानित प्रतिनियुक्ति पर थे। दिनांक 15.09.2008 को भारत सरकार, कंपनी और विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कर्मचारियों, जो मानित प्रतिनियुक्ति पर थे, को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 37–ए के अनुसार भारत सरकार या कंपनी चयन का विकल्प दिया गया। सरकार द्वारा आदेश क्र. 10/1/2009.एसपीएमसी, दिनांक 29.05.2009 के तहत स्थायी विलयन, 01.11.2008 से प्रभावी, की अधिसूचना जारी की गई है। 14256 कर्मचारियों ने कंपनी में शामिल होने का विकल्प चुना।

परिभाषित अंशदान योजनाएं

(क) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ): ईपीएफ के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दिसंबर, 2009 में छूट दी गई। इस ट्रस्ट ने अप्रैल, 2010 से कार्य प्रारंभ किया और अब कर्मचारियों के भविष्य निधि से संबंधित सभी मामले देख रहा है। कंपनी पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि के लिए निश्चित योगदान इस ट्रस्ट को देती है, जो श्रम मंत्रालय द्वारा निर्धारित निवेश पैटर्न के अनुसार अनुमत प्रतिभूतियों में भविष्य निधि अंशदान का निवेश करता है। परिवार पेंशन योजना का अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को दिया जाता है। अंशदान को व्यय माना गया है तथा लाभ हानि लेखा में शामिल किया गया है।

(ख) सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ): जीपीएफ के लिए एक ट्रस्ट मार्च, 2011 को बनाया गया। इस ट्रस्ट ने अप्रैल, 2011 कार्य प्रारंभ किया। 1 अप्रैल 2011 से कर्मचारियों का अंशदान इस ट्रस्ट में जमा किया जाता है। इस निधि में केवल कर्मचारी अंशदान है। अतः लाभ हानि लेखा में कोई राशि नहीं दर्शाई गई है।

परिभाषित हितलाभ योजनाएं

(क) पेंशनः संयुक्त पेंशन विकल्पियों को पेंशन का भुगतान भारत सरकार द्वारा गठित कंपनी कर्मचारी पेंशन निधि ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा। संयुक्त विकल्पियों के संबंध में, ट्रस्ट में पेंशन अंशदान के लिए प्रावधान केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार किया गया है।

(ख) छुट्टी यात्रा रियायतः छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) हितलाभ कंपनी द्वारा अपनाए गए भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार दिया गया है।

(ग) उपदान (ग्रेच्युटी): उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार कंपनी की एक परिभाषित उपदान हितलाभ योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच साल या उससे अधिक की नियमित सेवा प्रदान की है, वह अधिवर्षता, त्याग–पत्र, बर्खास्तगी, विकलांगता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन की दर से (15/26 x आहरित अंतिम मूल वेतन + महंगाई भत्ता) उपदान प्राप्त करने का हकदार है जिसकी अधिकतम सीमा 20 लाख है। इसकी देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की गई है।

(घ) अर्जित एवं अर्ध वेतन छुट्टीः कंपनी अपने कर्मचरियों को अर्जित छुट्टी और अर्ध वेतन छुट्टी हितलाभ प्रदान करती है जिनके लिए प्रत्येक अर्ध–वर्ष के अंत में क्रमशः 15 दिन और 10 दिन जोड़े जाते हैं। कंपनी से अलग होने पर अधिकतम 300 दिन की अर्जित छुट्टी का नकदीकरण किया जाता है। अर्ध–वेतन छुट्टी का नकदीकरण केवल अलग होने पर किया जाता है और यह अर्जित छुट्टी और अर्ध–वेतन छुट्टी दोनों मिलाकर अधिकतम 300 दिन के अधीन है। कंपनी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार अधिकतम 40 शेष जमा अर्जित छुट्टी के नकदीकरण की अनुमति देती है बशर्ते नकदीकरण के बाद शेष जमा छुट्टी 30 दिन से कम नहीं होनी चाहिए और यह अधिकतम 300 दिन के संचय के अधीन है। इसकी देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की गई है।

(ङ) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभः कंपनी की सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना है जिसके अंतर्गत पात्र पूर्व–कर्मचारियों को उनके पूर्ण विवेक पर एक मुश्त निर्धारित अंशदान का भुगतान किए जाने पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है। इसकी देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की गई है।

(च) भारतीय लेखांकन मानक– 19 "कर्मचारी लाभ" के अनुसार, परिभाषित प्रकटीकरण निम्नवत हैं:

(राशि ₹ लाख में)

क्र सं.	विवरण	उपदान		छुट्टी		सेवानिवृत्तोपरांत चिकित्सा लाभ	
		31.03.24	31.03.23	31.03.24	31.03.23	31.03.24	31.03.23
परिभाषित अंशदान योजना,							
परिभाषित हितलाभ योजना,							
क	**परिभाषित हितलाभ दायित्व के प्रारंभिक और अंत शेष का मिलान**						
	वर्ष के प्रारंभ में परिभाषित हितलाभ दायित्व	22,344.74	21,436.08	25,754.31	23,406.38	34,262.91	21,671.15
	वर्तमान सेवा लागत	1770.90	1,809.57	3,826.57	3,609.03	882.82	870.02
	ब्याज लागत	1,635.64	1,466.23	1,885.22	1,601.00	2,508.04	1,482.31
	बीमांकिक (लाभ/हानि)	(57.33)	792.24	(726.59)	2,433.88	2918.00	11,671.22
	हितलाभ भुगतान	(3,774.67)	(3,159.38)	(5,162.86)	(5,295.98)	(2,473.24)	(1,431.79)
	वर्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्व	21,919.29	22,344.74	25,576.64	25,754.31	38,098.54	34,262.91
ख	**योजना परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य के प्रारंभिक एवं अंत शेष का मिलान**						
	अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–	–	–	–	–
	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक आय	–	–	–	–	–	–
	नियोक्ता अंशदान	–	–	–	–	–	–
	भुगतान किए गए हितलाभ	–	–	–	–	–	–
	अवधि के अंत मे योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–	–	–	–	–

क्र सं.	विवरण	उपदान		छुट्टी		सेवानिवृत्तोपरांत चिकित्सा लाभ	
		31.03.24	31.03.23	31.03.24	31.03.23	31.03.24	31.03.23
ग	**बीमांकिक अनुमान**						
	रियायत दर (प्रति वर्ष)	7.21	7.32	7.21	7.32	7.21	7.32
	योजना परिसंपत्तियों पर आय की अपेक्षित दर (प्रति वर्ष)	–	–	–	–	–	–
	भावी वेतन/लागत वृद्धि (प्रति वर्ष)	9.00	9.00	9.00	9.00	7.50	7.50
घ	**संवेदनशीलता विश्लेषण**	**31.03.2024**		**31.03.2024**		**31.03.2024**	
	(क) रियायत दर में परिवर्तन का प्रभाव						
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	21,919.29		25,576.64		38,098.54	
	0–50% वृद्धि के कारण प्रभाव	(843.78)		(998.84)		(1,626.76)	
	0–50% कमी के कारण प्रभाव	904.61		1,076.33		1,711.55	
	(ख) परिवर्तन का वेतन पर प्रभाव/चिकित्सा लागत दर						
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	21,919.29		25,576.64		38,098.54	
	0–50% वृद्धि के कारण प्रभाव	478.57		1,052.80		1,954.21	
	0–50% कमी के कारण प्रभाव	(531.52)		(987.48)		(1,767.66)	

नोट नं. 30

पेंशन फंड ट्रस्ट देयता

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए पेंशन और मृत्यु सह–सेवानिवृत्ति उपदान के प्रति देयता का विवरण नीचे दिया गया है:

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, 31.03.2024 को पेंशन और मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान के प्रति देयता की कुल राशि ₹ 213363.40 लाख है। 31.03.2024 को ₹ 150767.86 लाख की योजना परिसंपत्तियों पर विचार करने के बाद कटौती ₹ 62595.54 लाख है। 31.03.2023 तक बही खातों में प्रदान की गई देयता की कुल राशि ₹ 1,11,489.45 लाख थी। इसलिए 31.03.2024 को बही खातों में देयता की कोई कमी नहीं है, कंपनी ने 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान पेंशन ट्रस्ट को ₹ 63101.00 लाख का भुगतान किया है।

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
1	पेंशन एवं मृत्यु सह सेवानिवृत्ति दायित्व	2,13,363.40	2,01,626.38
2	उपदान	1,50,767.86	90,136.93
3	घटाः पेंशन निधि की योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	62,595.54	1,11,489.45
4	घटा ((1)–(2))	1,11,489.45	1,08,691.40
5	विगत वर्ष में किए गए प्रावधान संबंधी देयता (कुल भुगतान)	–	–

दिनांक 31.10.2008 को अर्थात एसपीएमसीआईएल को सरकार के देय राशि का कर्मचारियों के आम्मेलन की तिथि सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 37–ए के अनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा भुगतान किया गया था और दायित्व का मूल्यांकन बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर नहीं किया गया था। इसलिए, पेंशन और मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान के लिए देयता की राशि के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दिनांक 31.10.2008 को पुनर्गणना की गयी थी। दिनांक 31.10. 2008 को देय राशि ₹ 37,330.85 लाख निकला। जैसा कि वित्त मंत्रालय ने इस देयता के लिए ₹ 18,174 लाख की राशि का भुगतान किया था, वित्त मंत्रालय के साथ ₹ 19,157 लाख (अर्थात ₹ 37,330 लाख – ₹ 18,174 लाख) की राशि प्राप्त करने के लिए मामला उठाया गया है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान वित्त मंत्रालय से प्राप्य के रूप में इस राशि का हिसाब नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय से प्राप्ति के वर्ष में राशि का हिसाब किया जाएगा।

नोट नं. 31

भारतीय लेखांकन मानक 108 के अनुसार परिचालन खंड

प्रबंधन की राय में, कंपनी के पास आईएनडी एएस–108 में परिकल्पित कोई परिचालन/रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं है क्योंकि उत्पाद श्रेणियों से जुड़े जोखिम और रिटर्न अलग नहीं हैं। वर्ष के दौरान उत्पादों की बिक्री का लगभग 90 प्रतिशत भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को पूंजीगत नियोजित आधार पर लागत के साथ–साथ उचित लाभ के आधार पर आपूर्ति की गई है। इसके अलावा कंपनी प्रतिभूति उत्पादों के निर्माण के संप्रभु कार्य में लगी हुई है।

नोट नं. 32

पार्टी संबंधी उद्घोषणा – भारतीय लेखांकन मानक– 24

भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक 24 'संबंधित पार्टी प्रकटीकरण' के अनुसार पार्टी संबंधी सूची और अंतरण निम्नलिखित हैः

पार्टी का नाम	संबंध
क. बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम (जेवी)
ख. भारतीय रिजर्व बैंक	संयुक्त उद्यम का संगठन
ग. सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ ट्रस्टः	
i) एसपीएमसीआईएल ईपीएफ ट्रस्ट	सेवानिवृत्ति लाभ विश्वास
ii) एसपीएमसीआईएल पेंशन ट्रस्ट	सेवानिवृत्ति लाभ विश्वास
iii) एसपीएमसीआईएल पीएफ ट्रस्ट	सेवानिवृत्ति लाभ विश्वास
घ. भारत के राष्ट्रपति	शेयरधारक

(क) संयुक्त उद्यम से लेनदेन :

कंपनी ने 13.10.2010 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक कंपनी बनाकर प्रत्येक संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा इक्विटी में 50% की भागीदारी के साथ मैसूर में एक प्रतिभूति पेपर मिल स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) के साथ एक संयुक्त उद्यम के लिए समझौता किया है। कंपनी ने 50 प्रतिशत पूंजीगत अंशदान की दिशा में ₹ 40,000 लाख का योगदान दिया है। कंपनी को 31 मार्च, 2024 तक ₹ 10 प्रति शेयर की दर से 400000000 इक्विटी शेयर आवंटित किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत ₹ 40000 लाख है।

i. वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए संयुक्त उद्यम में स्वामित्व का अनुपात 50% है।

(राशि ₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
इक्विटी में अंशदान	40,000	40,000

ii. बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से किया गया लेनदेन

(राशि ₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
सीडब्ल्यूबीएन पेपर की खरीद	21,085.18	15,573.41
प्राप्त लाभांश	5,180.80	4,910.39

iii. बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास शेष राशि

(राशि ₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
व्यापार प्राप्य / (व्यापार देय)	30.37	(4.50)

(ख) आरबीआई के साथ लेन–देन और शेषः–

(i) आरबीआई के साथ लेन–देनः

(राशि ₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
बैंक नोटों की बिक्री	2,35,678.35	2,26,045.75
वर्ष के दौरान प्राप्त भुगतान	2,35,678.35	2,26,045.75

(ii) आरबीआई के पास शेष राशिः कंपनी खातों में, 31 मार्च, 2024 तक आरबीआई की ओर से कोई शेष बकाया राशि नहीं है (शून्य, 31/03/2023)।

(ग) महतवपूर्ण प्रबंधन कार्मिकः

- सुश्री तृप्ति पी. घोष, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक (सीएमडी) (01.05.2018 से 30.04.2023 तक)
- श्री विजय रंजन सिंह, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक (सीएमडी) (27.09.2023 से)
- श्री सुनील कुमार सिन्हा, निदेशक (मानव संसाधन) (01.09.2016 से)
- श्री अजय अग्रवाल, निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) (23.11.2017 से)
- श्री सचिन अग्रवाल, कंपनी सचिव (कंपनी सचिव) (23.09.2009 से)

वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के साथ सिवाय नीचे दिए गए कोई लेनदेन नहीं किया गया है। कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के लिए सकल पारिश्रमिक निम्नानुसार हैः

(राशि ₹ लाख में)

नाम	पदनाम	2023–24	2022–23
सुश्री तृप्ति पात्रा घोष	अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक (30.04.2023 तक)	3.95	41.61
श्री विजय रंजन सिंह	अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक	23.45	–
श्री एस.के.सिन्हा	निदेशक (मानव संसाधन)	95.16	90.48
श्री अजय अग्रवाल	निदेशक (वित्त) और सीएफओ	74.45	79.94
श्री सचिन अग्रवाल	कंपनी सचिव	24.99	22.69
कुल		**221.98**	**234.72**

केएमपी का 31.03.2024 तक कोई बकाया नहीं है।

(घ) सेवानिवृत्ति लाभ न्याकस के साथ लेनदेन :

(राशि ₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
क. एसपीएमसीआईएल ईपीएफ ट्रस्ट के साथ लेनदेन		
1. वर्ष के दौरान किए गए/मान्यता प्राप्त व्यय		
क. मासिक योगदान	310.76	259.44
ख. मेसर्स दाराशॉ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को किया गया भुगतान	–	6.68
ग. लेखापरीक्षा शुल्क	0.24	0.47
घ. विविध व्यय	1.54	1.19
ड़. व्यावसायिक शुल्क	10.66	16.13
कुल (1)	**323.20**	**283.91**
2. वर्ष के दौरान ईपीएफ न्यास को किया गया भुगतान	3,348.20	1,182.74
3. वर्ष के दौरान ईपीएफ न्यास से प्राप्त भुगतान	(3,025.00)	
ख. एसपीएमसीआईएल पेंशन न्यास के साथ लेनदेन		
क. मासिक अंशदान	7.10	5.09
ख. वित्तीय वर्ष के लिए पेंशन भुगतान का प्रावधान	14,206.89	13,033.25
ग. वित्त वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि	63,101.00	10,235.00
ग. एसपीएमसीआईएल पीएफ न्यास के साथ लेनदेन		
1. वर्ष के दौरान किए गए/मान्य व्यय		
क. वित्तीय वर्ष के लिए मासिक योगदान	7.42	5.09
ख. मार्च, 2024 के लिए अदत्तन अंशदान (विगत वर्ष में मार्च, 2023)	0.58	0.82
कुल (1)	**8.00**	**5.91**

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
2. प्रदत्त ऋण	604.00	82.00
घ. वर्ष के दौरान ईपीएफ का किया गया भुगतान (प्रदत्तद ऋण के अतिरिक्त)	–	**780.22**
ड. ट्रस्ट का अंतिम शेष (वसूलीयोग्य/देय)		
क. ईपीएफ ट्रस्ट	(253.88)	(253.88)
ख. पीएफ ट्रस्ट	639.67	34.85
ग. पेंशन ट्रस्ट	–	–

(ड) प्रमुख शेयरधारक के साथ लेन–देनः (राशि ₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
प्रदत्त लाभांश		
• अन्तरिम लाभांश	–	–
• अंतिम लाभांश	53,377.59	1,962.13

भारतीय लेखांकन मानक 24 में यथावर्णित संबंधित पार्टियों के साथ कोई अन्य लेनदेन नहीं हुई है।

नोट नं. 33

भारतीय लेखांकन मानक–33 – प्रति शेयर आय (राशि ₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
कर पश्चात लाभ (लाख में)	91,103.84	1,77,925.30
विभाजक के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	98,75,00,740	98,75,00,740
मूल/मिश्रित आय प्रति शेयर (लाख में)	9.23	18.02

नोट नं. 34

आयकर भारतीय लेखांकन मानक–12

आस्थगित कर खाते से संबंधित क्रियाकलाप इस प्रकार हैः

विवरण	(राशि ₹ लाख में)
आस्थगित कर परिसंपत्तियों का प्रारंभिक शेष (पुनर्स्थापित)	36,533.97
घटाः वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्तियों (शुद्ध) में हुई कमी	(12,779.76)
आस्थगित कर परिसंपत्तियों का अंतिम शेष	23,754.21

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान अस्थायी अंतर के कारण आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों के महत्वपूर्ण घटक और वर्गीकरण इस प्रकार हैं:

विवरण	(राशि ₹ लाख में)
आस्थगित कर संपत्ति/(देनदारियाँ) के संबंध में:	
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	(14,515.68)
वर्तमान देनदारियां, व्यापार प्राप्य और प्रावधान	38,269.89
आस्थगित कर परिसंपत्तियों का अंतिम शेष	23,754.21

आस्थगित कर आस्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और इसे केवल उस सीमा तक मान्यता दी गई है कि एक उचित निश्चितता है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके खिलाफ ऐसी आस्थगित कर संपत्ति की वसूली की जा सकती है।

नोट नं. 35

कुछ व्यापार प्राप्तियों, अन्य परिसंपत्तियों, व्यापार और अन्य देयों का शेष पुष्टि/सुलह और परिणामी समायोजन के अधीन है, यदि कोई हो। जारी कार्यों के आधार पर मिलान किया जाता है जहां भी आवश्यक समझा गया है, वहां प्रावधान किए गए हैं। तथापि, प्रबंधन को ऐसी लंबित पुष्टि/सुलह का कोई प्रमुख वित्तीय प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

नोट नं. 36

प्रतिभूति जमा प्रदत्त

बिजली कनेक्शन और आपूर्ति प्राप्त करने के लिए इकाइयों द्वारा विभिन्न विद्युत विभागों/बोर्डों और कंपनियों के साथ प्रत्याभुत जमा की गई है। इनमें से अधिकांश जमा निगमीकरण से पहले किए गए हैं।

नोट नं. 37

अनुसंधान एवं विकास व्यय

कंपनी ने राजस्व स्वरूप अनुसंधान एवं विकास व्यय पर ₹ 691.66 लाख खर्च किए हैं और आर एंड डी परिसंपत्तियों में ₹ 783.71 लाख मूल्य की पीपीई वस्तुओं को जोड़ा है, उक्त राशि में से ₹ 22.40 लाख वर्ष के दौरान सीडब्ल्यूआईपी पूंजीकरण से संबन्धित हैं और वर्ष के दौरान सीडब्ल्यूआईपी में ₹ 650 लाख की राशि आर एंड डी परिसंपत्तियों से संबंधित है। वर्ष के दौरान किया गया कुल अतिरिक्त अनुसंधान एवं विकास व्यय निम्नानुसार है:

क) राजस्व स्वरूप – ₹ 691.66 लाख
ख) पूंजी स्वरूप – ₹ 1411.31 लाख

नोट नं. 38

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास संबंधी व्यय

कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के साथ पठित धारा 135 के अनुसार खर्च की जाने वाली सीएसआर राशि ₹ 2674.05 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1797.77 लाख) है। वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा सीएसआर पर ₹ 453.10 लाख (पिछले वर्ष ₹ 828.75 लाख) व्यय किए गए। कंपनी ने रुपये ₹ 1114.53 लाख की राशि समायोजित की है। वर्ष के दौरान अव्ययित सीएसआर के प्रावधान के विरूद्ध उन परियोजनाओं का विवरण जिनके विरुद्ध राशि को अव्ययित सीएसआर (पिछले वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के साथ) के प्रावधान में समायोजित किया गया है, तालिका 39क में प्रदान किया गया है और वर्ष के दौरान खर्च किए गए सीएसआर व्यय का विवरण तालिका 39ख में प्रदान किया गया है:

तालिका 38क (पिछले वित्तीय वर्षों में अनुमोदित सीएसआर व्यय अव्ययित सीएसआर प्रावधान के लिए समायोजित)

(राशि ₹ लाख में)

क्र.सं.	सीएसआर परियोजना	2023–24	2022–23
1.	सीएसआईआर के माध्यम से अटल इनक्यूबेशन में योगदान	11.05	97.98
2.	अस्पताल में एम्बुलेंस, वेनिलेटर और फॉगिंग मशीन प्रदान करना	–	13.44
3.	सामाजिक विकास के लिए ग्राम के एकीकृत विकास हेतु सीएसआर प्रस्ताव आदर्श ग्राम सिरोल्या तहसील देवास (म.प्र.) टीईआरआई	161.29	–
4.	जीआईएमएस ग्रेटर नोएडा को चिकित्सा उपकरण प्रदान करना	36.49	78.50
5.	सीएसआर शासकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देवास में बालक–बालिकाओं के लिए दो अतिरिक्त कक्षा कक्ष एवं शौचालयों के निर्माण हेतु प्रस्ताव	6.05	3.15
6.	महिला सशक्तिकरण के लिए एएमएच एसएससी कौशल विकास (300 महिलाएं)	78.93	22.52
7.	कोविड–19 महामारी के कारण मृतकों के 266 बच्चों (स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के लिए) को सहायता प्रदान करना @ ₹ 2000/– प्रति बच्चा/प्रति माह एक वर्ष की अवधि के लिए (महिला बाल विकास)	15.96	47.88
8.	जिला मुख्यालय अस्पताल, मेडचल–मलकाजगिरी, तेलंगाना को आवश्यक चिकित्सा उपकरण प्रदान करने के लिए सीएसआर प्रस्ताव	10.46	68.02
9.	कलकत्ता ब्लाइंड स्कूल को फर्नीचर फिक्स्चर और शैक्षिक उपकरण प्रदान करने के लिए सीएसआर प्रस्ताव	0.49	8.82
10.	आकांक्षी जिला बड़वानी के लिए बड़वानी जिला "मिशन बाल शक्ति–2.0" में पोषण के लिए सीएसआर प्रस्ताव	79.80	39.90
11.	स्वच्छ गंगा कोष और स्वच्छ भारत कोष में योगदान	–	70.66
12.	एसडीएमसी को–एड प्राइमरी स्कूल को बुनियादी ढांचा प्रदान करना	–	3.06
13.	कुपोषित बच्चों को पोषण प्रदान करना और भोजन के पैकेट का वितरण	–	23.97
14.	एम. जी. अस्पताल का नवीनीकरण	–	95.78
15.	सिविल अस्पताल सेक्टर 30 नोएडा के लिए चिकित्सा उपकरण प्रदान करने के लिए सीएसआर प्रस्ताव	–	5.58
16.	कचरा संग्रहण वाहन उपलब्ध कराने के लिए सीएसआर प्रस्ताव	–	42.09
17.	मिशनरीज ऑफ चैरिटी, नासिक को एम्बुलेंस प्रदान करने के लिए सीएसआर प्रस्ताव	–	23.64
18.	कोकाटा, हुगली और 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल में 5 बाल देखभाल संस्थान और 6 खाली घरों को उपकरण प्रदान करना	–	36.68
19.	इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, लाजापत नगर, नई दिल्ली के लिए छात्रावास भवन में स्कूल वैन और फर्नीचर प्रदान करना	–	9.88
20.	आशाग्राम अस्पताल, बड़वानी (म.प्र.) को सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध कराने का सीएसआर प्रस्ताव	–	16.99

क्र.सं.	सीएसआर परियोजना	2023–24	2022–23
21.	ओवेरियन कैंसर एवं विटामिन डी के जोखिम कारकों के संबंध में समुदाय आधारित मास स्क्रीनिंग कार्यक्रम के लिए सीएसआर प्रस्ताव और सर्वाइकल कैंसर सहभागिता इंटरनेशनल फाउंडेशन के बारे में जागरूकता।	–	48.41
22.	मैसर्स सेवा भारती, हैदराबाद के माध्यम से जनरल ड्यूटी असिस्टेंट/नर्सिंग सहायक प्रशिक्षण के लिए 80 महिला उम्मीदवारों (प्रत्येक 80 उम्मीदवारों के चार बैच) के कौशल विकास के लिए सीएसआर प्रस्ताव	–	50.83
23.	निगम कार्यालय सहित इकाइयों द्वारा स्थानीय निकायों/स्कूलों/समितियों आदि के माध्यम से आम जनता को वितरण के लिए ₹ 22,00,000/– (करों सहित) की अनुमानित लागत पर 44,000 राष्ट्रीय ध्वजों की खरीद / ₹ 50/– प्रति ध्वज प्रदान करने के लिए सीएसआर प्रस्ताव	–	14.34
24.	नासिक, देवास, होशंगाबाद (नर्मदापुरम) और हैदराबाद में एएलआईएमसीओ के माध्यम से दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान करना	20.32	–
25.	कामा अल्बलेस अस्पताल, मुंबई को चिकित्सा उपकरण और एक एम्बुलेंस प्रदान करना।	22.50	–
26.	संयुक्त जिला अस्पताल, जनपद महाराजगंज (सीएमओ जिला संयुक्त अस्पताल, जनपद महाराजगंज) को चिकित्सा उपकरण प्रदान करना	51.66	–
27.	काकीनाडा जिले में कुपोषित बच्चों के लिए अतिरिक्त पोषण प्रदान करना। (जिला महिला एवं बाल कल्याण एवं अधिकारिता अधिकारी, काकीनाडा जिला)	16.01	–
28.	सामान्य ड्यूटी सहायक पर कौशल विकास कार्यक्रम (150 ईडब्ल्यूएस लड़कियों/लड़कों के लिए 1000 घंटे का प्रशिक्षण @ ₹ 42/–प्रति घंटा (सीआरसीसीटी)	44.10	–
29.	बी.वाई.एल. नायर चैरिटेबल अस्पताल मुंबई को चिकित्सा उपकरण	60.14	–
30.	नवजात देखभाल इकाइयों की स्थापना	29.83	–
31.	नामको अस्पताल–नासिक को कैंसर डिटेक्शन वैन मैमोग्राफी वैन प्रदान करने का सीएसआर प्रस्ताव	90.83	–
32.	एमएनजे अस्पताल–हैदराबाद को कैथीटेराइजेशन प्रयोगशाला की स्थापना के लिए चिकित्सा उपकरण प्रदान करना	223.54	–
33.	श्री सतयु अनुसंधान केन्द्र, गाजियाबाद को एम्बुलेंस प्रदान करना	22.70	–
34.	बचत के खाते में अव्ययित राशि पीएम केयर फंड में जमा	132.41	–
35.	अन्य प्रशासनिक खर्च		6.66
	वर्ष के दौरान अव्ययित सीएसआर के प्रावधान के विरुद्ध किया गया सीएसआर व्यय (पिछले वर्ष के सीएसआर व्यय का संबंधित आंकड़ा पी एंड एल में डेबिट किया गया)	**1,114.53**	**828.74**

तालिका 38 ख वर्ष 2023–24 के दौरान पी एंड एल पर सीएसआर व्यय (राशि ₹ लाख में)

क्र.सं.	सीएसआर परियोजना	2023–24
1.	न्यूरोमॉड्यूलेशन सुविधा को बढ़ाने के लिए डीईईपी टीएमएस ब्रेन स्टिमुलेशन मैग्नेटिक स्टिमुलेटर की खरीद के लिए – एम्स– नई दिल्लील	168.00
2.	नासिक के ग्रामीण क्षेत्र में 12 कचरा संग्रहण वाहन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव।	86.62
3.	सेवा भारती, हैदराबाद के माध्यम से 90 महिलाओं, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के कौशल विकास का प्रस्ताव,	35.31
4.	नासिक सेंट्रल प्रिजन, नासिक में एम्बुलेंस और चिकित्सा उपकरण प्रदान करने का प्रस्ताव	2.23
5.	देवास जिले की पहल पर 'मेरा स्कूल स्मार्ट स्कूल' के तहत देवास जिले के 100 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने का प्रस्ताव	16.78
6.	पशु चिकित्सकों, विधवाओं और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए सेना झंडा दिवस कोष (एएफ़एफ़डीएफ़)	100.00
7.	दिल्ली/एनसीआर के 200 बेरोजगार उम्मीदवारों को मजबूत करने के लिए सीएसआर गतिविधियों के तहत रमेश चंद चैरिटेबल ट्रस्ट (सीआरसीसीटी) द्वारा कौशल प्रशिक्षण (ड्रेसर–मेडिकल) कार्यक्रम का प्रस्ताव	25.92
8.	थर्ड पार्टी आकलन वित्त वर्ष 2021–22	5.69
9.	अन्य प्रशासनिक खर्च	12.54
	कुल	**453.10**

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय (राशि ₹ लाख में)

व्यय का विवरण	31 मार्च,2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च,2023 को समाप्त वर्ष
कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान व्योयित आवश्यक राशि	2674.05	1797.77
बोर्ड द्वारा वर्ष के दौरान अनुमोदित राशि	2860.29	1630.67
व्ययित राशि	453.10	828.74
चालू परियोजनाओं के लिए अलग खाते में जमा की गई राशि	2683.75	1293.44
वर्ष के अंत में कमी	शून्य	शून्य
विगत वर्षों की कुल कमी	शून्य	शून्य
सीएसआर गतिविधियों का स्वरूप	स्कूलों के लिए छात्रावास का निर्माण, अस्पताल को चिकित्सा उपकरण प्रदान करना, पुस्तकालय का निर्माण आदि।	
प्रासंगिक लेखांकन मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संदर्भ में संबंधित पार्टीगत लेन–देन का विवरण	शून्य	शून्य

चूंकि चालू परियोजनाओं की राशि बैंक खाते में जमा कर दी गई है, इसलिए कोई कमी नहीं हुई है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान चालू परियोजनाओं के संबंध में ₹ 1262.00 लाख के लिए प्रावधान किया गया है जो 31.03.2024 तक अधूरी है

31/03/2024 तक, इस संबंध में निर्धारित बैंक खातों में अव्ययित सीएसआर राशि की शेष राशि इस प्रकार है:–

(राशि ₹ लाख में)

वर्ष	अव्ययित राशि
2022–23	1185.36
2021–22	1320.95
पूर्व वर्षों में	442.73
कुल	**2949.04**

नोट 39

भारतीय लेखांकन मानक 32 और 109 वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों की पहचान

क) परिशोधन लागत पर वित्तीय संपत्ति

तदोपरांत इन वित्तीय परिसंपत्तियों में एक व्यापार मॉडल है, तो, वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है, ताकि संविदागत नकदी प्रवाह को संचित करने के लिए इन परिसंपत्तियों को प्रतिरक्षित किया जा सके और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें नकदी प्रवाह की विनिर्दिष्ट तिथियों को बढ़ाती है, जो महज मूलधन का भुगतान और बकाया मूल राशि पर ब्याज है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को वित्त आय में शामिल किया जाता है, जो प्रभावी ब्याज दर ('ईआईआर') विधि का उपयोग करके अर्जित की जाती है। इन परिसंपत्तियों से होने वाले लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति

वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि इन वित्तीय परिसंपत्तियों को एक ऐसे व्यवसाय के भीतर आयोजित किया जाता है जिसका उद्देश्य दोनों संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तों को नकद प्रवाह के लिए निर्दिष्ट तिथियों पर वृद्धि देते हैं जो केवल मूलधन का भुगतान करते हैं और बकाया मूल राशि पर ब्याज। हानि लाभ या हानि, ब्याज राजस्व और विदेशी मुद्रा लाभ और हानि जो लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त कर रहे हैं, की मान्यता के अलावा, ओसीआई के माध्यम से ले जाने वाली राशि में लेनदेन किए जाते हैं। इक्विटी निवेश (सहायक कंपनियों और सहयोगियों निवेश के अलावा) जो व्यापार के लिए आयोजित नहीं किए जाते हैं, कंपनी ने ओसीआई में ऐसे उपकरणों के उचित मूल्य में बाद में परिवर्तन प्रस्तुत करने के लिए एक अटल चयन किया है। इस तरह का चयन कंपनी द्वारा मौजूदा इक्विटी साधनों/नए इक्विटी साधनों के लिए प्रारंभिक मान्यता के लिए संक्रमण के समय साधन आधार पर किया जाता है।

ग) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है जब तक कि इसे परिशोधित लागत पर या प्रारंभिक मान्यता पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है। लाभ या हानि

के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण लेनदेन लागत तुरंत लाभ और हानि के विवरण में पहचानी जाती है।

इक्विटी उपकरण और वित्तीय देनदारियां

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय देनदारियों और इक्विटी उपकरणों को अनुबंध में दर्ज की गई संविदात्मक व्यवस्थाओं के सार और वित्तीय देयता और इक्विटी साधन की परिभाषाओं के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

i. इक्विटी उपकरण

एक अनुबंध है जो अपनी सभी देनदारियों को काटने के बाद कंपनी की परिसंपत्तियों में अवशिष्ट ब्याज का सबूत देता है। इक्विटी उपकरण जो नकदी के लिए जारी किए जाते हैं, प्राप्त आय, प्रत्यक्ष निर्गम लागत के शुद्ध पर दर्ज किए जाते हैं। इक्विटी उपकरण जो नकदी के अलावा अन्य विचार के लिए जारी किए जाते हैं, इक्विटी उपकरण के उचित मूल्य पर दर्ज किए जाते हैं।

ii. वित्तीय देनदारियाँ

प्रारंभिक मान्यता और आगामी उपाय

वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर और उधार लेने और देय के मामले में, सीधे देय लागत के शुद्ध रूप से निर्धारण किया जाता है।

वित्तीय देनदारियों को बाद में प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है, सिवाय एक व्यावसायिक संयोजन में मान्यता प्राप्त आकस्मिक विचार के लिए जिसे बाद में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है। तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाले व्यापार और अन्य देय लोगों के लिए, इन उपकरणों की कम परिपक्वता के कारण ले जाने वाले अनुमानित उचित मूल्य हैं।

वित्तीय देनदारियों को अमान्य करना

जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन, रद्द या समाप्त हो जाता है तो वित्तीय देनदारियों को अमान्य कर दिया जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से किसी अन्य द्वारा काफी अलग–अलग शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, तो इस तरह के विनिमय को मूल देयता और एक नई देयता को अमान्य माना जाता है। संबंधित रखाव लागत राशियों में अंतर लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया गया है।

वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण परंतु इसे सीमित नहीं किया गया है :–

i) श्रेणीवार वित्तीय साधन द्वारा वर्ग (III श्रेणी): (राशि ₹ लाख में)

	31 मार्च, 2024		31 मार्च, 2023	
वित्तीय संपत्तिः	वहन राशि	परिशोधित लागत	वहन राशि	परिशोधित लागत
निवेश	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
ऋण	118.06	118.06	183.19	183.19
जमा एवं प्राप्य	2,723.43	2,723.43	2,724.18	2,724.18
व्यापार प्राप्तियां	101,869.06	101,869.06	101,655.22	101,655.22
नकद और उसके समानांतर	86,865.64	86,865.64	10,096.18	10,096.18

वित्तीय संपत्तिः	31 मार्च, 2024		31 मार्च, 2023	
	वहन राशि	परिशोधित लागत	वहन राशि	परिशोधित लागत
अन्य बैंक शेष	294,949.15	294,949.15	380,107.52	380,107.52
प्राप्तियां	–	–	0.96	0.96
अन्य	13,862.26	13,862.26	12,460.00	12,460.00
वित्तीय देनदारियांः				
व्यापारिक देनदारियां	14,247.19	14,247.19	8,581.85	8,581.85
प्रतिभूति जमा और बयाना राशि	924.63	924.63	638.99	638.99
कर्मचारी लाभ	3,029.93	3,029.93	3,290.74	3,290.74
व्यय एवं अन्य देय	10,022.20	10,022.20	4,478.19	4,478.19

ii. उचित मूल्य उपाय पदानुक्रमः

चूंकि "लाभ और हानि खाते के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)" या "अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई)" पर कोई वित्तीय प्रपत्र मूल्य नहीं हैं और सभी वित्तीय प्रपत्रों को परिशोधित मूल्य पर मूल्यवान माना गया है केवल ऊपर एक माप पदानुक्रम है और इस प्रकार कोई अलग प्रकटीकरण नहीं है।

iii. परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्य :

नीचे दी गई तालिका में वित्तीय प्रपत्रों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने में किए गए निर्णय और अनुमान दिखाए गए हैं, जिन्हें परिशोधित लागत पर आंकलित किया जाता है और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है।

(राशि ₹ लाख में)

वित्तीय संपत्तिः	31 मार्च, 2024		31 मार्च, 2023	
	वहन राशि	परिशोधित लागत	वहन राशि	परिशोधित लागत
वित्तीय पूंजी				
ऋण	118.06	118.06	183.19	183.19
जमा एवं प्राप्य	2,723.43	2,723.43	2,724.18	2,724.18
वित्तीय देनदारियां				
उधारी	–	–	–	–

व्यापार प्राप्तियों, व्यापार देय, अंतर इकाई शेष, अल्पकालिक जमा, नकद और नकद समकक्ष, कर्मचारी लाभ और अन्य देय की मात्रा को उनके अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

कंपनी मानती है कि प्रत्याभुत जमा में एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है। प्रतिभूति जमा कंपनी के प्रदर्शन के साथ मेल खाता है और अनुबंध के लिए वित्त के प्रावधान के अलावा अन्य कारणों के लिए बनाए रखने के लिए राशि की आवश्यकता है। प्रत्येक मील का पत्थर भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत की रोक का उद्देश्य अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफल रहने वाले ठेकेदार से कंपनी के हितों की रक्षा करना है। तदनुसार,

प्रत्याभुत जमा की लेनदेन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है और बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

iv. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुसार और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने एसपीएमसीआईएल जोखिम प्रबंधन नीति–2018 का गठन किया है। एसपीएमसीआईएल जोखिम प्रबंधन नीति के गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अनुसार, जोखिम मालिकों द्वारा समर्थित एक कॉर्पोरेट जोखिम समिति (सीआरसी) का गठन किया गया है। सीआरसी जोखिम मालिकों द्वारा रिपोर्ट किए गए सभी जोखिमों की समीक्षा करेगा, प्रमुख जोखिमों की पहचान करेगा और उन्हें कंपनी के निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) को रिपोर्ट करेगा। जोखिम प्रबंधन समिति यह सुनिश्चित करेगी कि जोखिम प्रबंधन गतिविधियां नीति के अनुसार शुरू की जाएं और संगठन के सामने आने वाले प्रमुख जोखिमों और एचओई स्तर पर किए गए शमन उपायों पर बोर्ड का मूल्यांकन करें।

नोट नं. 40

भारतीय लेखांकन मानक 116 के अनुसार पट्टे के लिए लेखांकन

कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2019 और कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) द्वितीय संशोधन नियमों के माध्यम से कारपोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') ने भारतीय लेखांकन मानक 116 पट्टों को अधिसूचित किया है जो मौजूदा लीज मानक, भारतीय लेखांकन मानक 17 पट्टों और अन्य व्याख्याओं की जगह 116 पट्टे हैं। भारतीय लेखांकन मानक 116 दोनों पट्टेदारों और पट्टेदारों के लिए पट्टों की मान्यता, माप, प्रस्तुति और प्रकटीकरण के लिए सिद्धांतों को निर्धारित करता है। यह पट्टेदारों के लिए एक एकल, तुलन पत्र पर लीज लेखांकन मॉडल का परिचय देता है।

01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी, कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 116 – पट्टों को अपनाया है और संशोधित पूर्वव्यापी विधि का उपयोग करके 01 अप्रैल, 2020 को मौजूदा पट्टा अनुबंध के लिए मानक लागू किया है। नतीजतन, कंपनी ने प्रारंभिक आवेदन की तारीख में शेष पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पट्टे की देयता दर्ज की, जो वृद्धिशील उधारी दर पर छूट दी गई है और प्रारंभिक आवेदन की तारीख में पट्टा देयता के बराबर राशि पर उपयोग परिसंपत्ति का अधिकार है। तदनुसार, कंपनी ने तुलनात्मक जानकारी को फिर से नहीं दर्शाया है।

कंपनी ने संपत्ति उपयोगाधिकार की और ₹ 1605.87 लाख के पट्टा देयता को परिवर्तन की तिथि से मान्यता दी है। प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त लीज देनदारियों के लिए 8% की वृद्धिशील उधार दर लागू की गई है।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹ 674.42 (पिछले वर्ष ₹ 738.00 लाख) पट्टों पर व्यय किया। वित्त लागत ₹ 142.74 लाख (पिछले वर्ष ₹ 222.01 लाख) है और उपयोग के अधिकार की संपत्ति पर मूल्यह्रास ₹ 581.84 लाख है।

भारत सरकार टकसाल, नोएडा के मामले में, पट्टे पर दी गई संपत्ति के लिए भविष्य में कोई पट्टा देयता नहीं है, क्योंकि पट्टे के किराए की पूरी राशि का एकमुश्त भुगतान कर दिया गया था। इसलिए, कोई पट्टा देयता नहीं बनाई गई है।

निगम कार्यालय के मामले में एक पट्टा समझौता 10 अक्टूबर, 2022 को समाप्त हो गया है। वह कार्रवाई हेतु विचाराधीन है और तब तक परिसर के उपयोग के लिए भुगतान किराए के रूप में बुक किया गया है और इसे पट्टे के रूप में नहीं माना गया है।

कंपनी के लिए 31.03.2024 तक उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है:–

(राशि ₹ लाख में)

संपत्ति उपयोग का अधिकार	31.03.2024 को समाप्त वर्ष में वृद्धि राशि	31.03.2024 को कुल वहन राशि
भूमि	–	128.71
भवन	36.47	1,061.86
कुल	**36.47**	**1,190.57**

नोट नं. 41

निष्क्रिय चल/अचल मालसूची

कंपनी के पास धीमी, उपयोगी और अचल वस्तुओं का भंडार है। मूल्यांकन लागत के न्यूनतम पर अथवा शुद्ध वसूली मूल्य, पर किया गया है। स्टोर, वित्त और तकनीकी समिति के सदस्यों वाली स्थायी समिति/निस्ता रण समिति बनाकर इकाइयों में एनआरवी का पता लगाया गया है।

नोट नं. 42

आरबीआई के पास रखा सोना

भारतीय रिजर्व बैंक के पास 85,555 ग्राम सोना रखा है। उपरोक्त में से, वर्ष 2006–07 में भारतीय रिजर्व बैंक के स्वर्ण शीर्ष के तहत 10,336 ग्राम (₹ 1,43,670/– का मूल्य) के सोना का पहले ही लेखा परीक्षण किया जा चुका है जिसका कब्जा भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। भारत सरकार टकसाल, मुंबई उसी को कब्जे में लेने की व्यवस्था करेगी। 75,219 ग्राम शेष के संबंध में, भारत सरकार टकसाल, मुंबई को भारतीय रिजर्व बैंक दिनांक 06.06.2008 संदर्भः सं. बीवाई. सीवाई. सं. 5047/01. 11.044/2007–08 से एक पत्र मिला है कि उनके पास सार्वजनिक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई की ओर से सोना रखा गया है। इसलिए सोना इकाई से संबंधित नहीं है, और इसलिए इसे अपने खाते में नहीं दर्शाया गया है।

नोट नं. 43

परित्यक्त संपत्ति

भारत सरकार टकसाल, कोलकाता में 31.03.2023 तक ₹ 2531.88 लाख की बकाया संपत्ति परित्यक्त है। भारत सरकार टकसाल, कोलकाता में बिक्री के लिए रखी परित्यक्त संपत्तियों का मूल्य 31.03.2024 तक ₹ 2166.39 लाख है। ₹ 309.40 लाख की अंतर राशि को 'बिक्री से विरक्त संपत्ति' के निपटान की लागत के रूप में दर्शाया गया है और इसे लाभ और हानि विवरण के नोट संख्या 20 और परित्यक्त संपत्ति की बिक्री के रूप में प्रदर्शित किया गया है तथा ₹ 415.62 लाख की परित्यक्त संपत्ति को स्क्रैप बिक्री में शामिल किया गया है एवं नोट संख्या 18 में दिखाया गया है। परित्यक्त संपत्ति में अचल संपत्ति और कच्चा माल दोनों ही सम्मिलित हैं। पीपीई परित्यक्त वस्तुओं की बिक्री पर हानि की राशि ₹ 31.64 लाख को अन्य खर्चों के तहत दर्शाया गया है।

31.03.2024 तक बिक्री के लिए रखी गई कुल परित्यक्त संपत्ति ₹ 2195.68 लाख है।

नोट नं. 44

पूर्व अवधि मदों से संबंधित प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्व अवधि से संबंधित प्रमुख मदों का समायोजन नहीं किया गया है।

नोट 45

लाभांशः

वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरधारकों को वर्ष 2022–23 के लिए ₹ 53,377.59 लाख का अंतिम लाभांश भुगतान किया है। वर्ष 2023–24 के दौरान कोई अंतरिम लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

नोट 46

भारत सरकार से निधि (समायोज्य–)

'भारत सरकार से निधि (समायोज्य)' खाते में 31.03.2014 तक शेष राशि ₹ 287864 लाख थी। पत्र संख्या 3/2/2008–सीवाई–।।। पीएमसी दिनांक 09.02.2015 के अनुसार, एसपीएमसीआईएल की पूंजी संरचना को 01.04.2015 से अंतिम रूप दिया गया था (पत्र संख्या 3/2/2008–सीवाई–।।। एसपीएमसी दिनांक 24.07.2015) और (पत्र संख्या 13/2/2016–एसपीएमसी दिनांक 04.03.2020)। अंतिम पूंजी संरचना के अनुसार ₹ 118244 लाख इक्विटी में अंतरित किए गए थे। ₹ 18245 लाख देय ऋण में अंतरित किए गए थे और ₹ 33400 लाख पूँजीगत रिजर्व में अंतरित किए गए। ₹ 17975.76 लाख की शेष राशि 'भारत सरकार से निधि (समायोज्य)' खाते में थी।

कंपनी के पास सरकार से देय राशियों के खाते में शेष राशि है। पीएओ के साथ संयुक्त विकल्पधारक कर्मचारियों की संचित शेष राशि के लिए ₹ 369.50 लाख, ₹ 901.97 लाख प्रारंभिक शेष राशि के लिए और ब्याज राशि जो पीएओ से निगमीकरण के समय आनुपातिक विकल्पधारक कर्मचारियों के लिए वसूली योग्य है और ₹ 850.24 लाख एमओएफ के साथ असमाधान शेष के कारण शेष है। वर्ष 2019–20 में, कुल राशि ₹ 2121.71 लाख को देय राशि से समायोजित किया गया है और अब भारत सरकार से समायोज्य शेष राशि ₹ 15854.05 लाख है जिसे वित्त मंत्रालय के साथ निपटान किया जाना बाकी है। जीएल में शेष राशि के संबंध में निर्देशों के लिए वित्त मंत्रालय को दिनांक 22.05.2024 को पत्र अग्रेषित किया गया है, कंपनी वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार आवश्यक लेखांकन करेगी।

नोट 47

प्रशुल्क आयोग का संदर्भ

सीएसी द्वारा निर्धारित और एमओएफ द्वारा अनुमोदित बैंक नोटों के मूल्य निर्धारण के आधार पर कंपनी ने दरों में अंतर के लिए आरबीआई पर दावा किया था। हालांकि आरबीआई ने दावे पर विचार नहीं किया है और बीआरबीएनएमपीएल की तुलना में एसपीएमसीआईएल को देय दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए कहा है। तदनुसार रणनीतिक योजना समूह की बैठकों में विभिन्न चर्चाओं के अनुसार योजना समूह, वास्तविक लागत/मूल्य निर्धारण के लिए मामला टैरिफ आयोग को भेजा गया है।

हालांकि, प्रशुल्क आयोग बंद होने की स्थिति में, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के दिनांक 17.02.2022 के ईओएम संख्या 7/7/2020 के माध्यम से एसपीएमसीआईएल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को वर्ष 2011–12 से वर्ष 2019–20 तक आपूर्ति किए गए बैंक नोटों के उचित मूल्य निर्धारण पर विचार आमंत्रित किए गए थे। इस ईओएम के जवाब में, एसपीएमसीआईएल ने दिनांक 09.03.2022 के पत्र के माध्यम से वित्त मंत्रालय को सूचित किया कि इस अध्ययन को करने की कोई आवश्यकता/औचित्य नहीं है और प्रशुल्क आयोग के बंद होने से एसपीएमसीआईएल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नोट नं. 48

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान सीएनपी नासिक में ₹ 500 का एक बंडल गायब हो गया था। इकाई द्वारा जांच एजेंसियों की मदद से उसी की जांच की जा रही थी। उसी के अंतिम परिणाम में, न्यायिक मजिस्ट्रेट डिवीजन–1 कोर्ट, नासिक–रोड, नासिक ने 24/08/2022 के अपने आदेश में टिप्पणी 'सी' सार के साथ मामले को बंद कर दिया है।

सही और निष्पक्ष अवलोकन बनाए रखने के लिए बंडल की लागत अर्थात ₹ 3170.07 को मालसूची से ही हटाकर अन्य प्राप्य के रूप में दर्ज किया गया था।

नोट नं. 49

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार व्यापार प्राप्तियों की हानी के लिए ईसीएल नीति अपनाई है, पूर्व में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सिफारिश पर, कंपनी तुलन पत्र तिथि के रूप में तीन वर्ष से अधिक पुराने बकाया व्यापार रसीदों के लिए 100% प्रावधान कर रही थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष (2023–24) के दौरान, ईसीएल मैट्रिक्स को लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में अद्यतन किया गया है; संशोधित मैट्रिक्स लेखांकन नीति नोट 2.4.9 में साझा किया गया है। अद्यतन किए गए ईसीएल मैट्रिक्स के अनुसार कार्य निम्नलिखित हैः

(राशि ₹ लाख में)

व्यापारिक प्राप्तियां	31/03/2023 को ईसीएल	वित्त वर्ष 2023–24 दौरान उपलब्धव अतिरिक्त ईसीएल	वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान प्रतिलेखित ईसीएल	31/03/2024 को कुल ईसीएल
1 वर्ष–2 वर्ष	157.50	122.04	11.10	268.44
2 वर्ष–3 वर्ष	467.92	574.34	187.85	854.41
3 वर्ष–4 वर्ष	1,628.89	388.73	658.61	1,359.01
4 वर्ष–5 वर्ष	2,584.00	579.13	1,817.96	1,345.17
5 वर्ष से अधिक	11,939.81	1,591.61	–	13,531.42
कुल	**16,778.12**	**3,255.85**	**1,283.58**	**17,358.45**

नोट नं. 50

वर्ष के दौरान या पिछले वर्ष में कंपनी ने किसी भी संयंत्र, संपत्ति या उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

नोट 51

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा लाभ/ अर्जित/उपगत हानि का विवरण इस प्रकार हैः (राशि ₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	2023–24	2022–23
1	विदेशी मुद्रा लाभ	577.64	298.47
2	विदेशी मुद्रा हानि	176.33	5.47

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी ने ₹ 10.46 लाख (पिछले वर्ष ₹ 6.39 लाख) की निर्यात बिक्री की है।

नोट नं. 52

कंपनी के पास कोई ऐसी अघोषित आय नहीं है, जिसे लेखा विवरणों में दर्ज नहीं किया गया हो और जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वर्ष के दौरान आयकर मूल्यांकन में समर्पित या खुलासा किया गया हो (जैसे, खोज या सर्वे या आयकर अधिनियम, 1961 की किसी अन्य प्रावधानों के तहत)।

नोट नं. 53

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्रवाई शुरू या लंबित नहीं है।

नोट नं. 54

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

नोट नं. 55

कंपनी के पास कोई शुल्क या प्रतिफल नहीं है जो अभी तक वैधानिक अवधि से परे आरओसी के साथ पंजीकृत नहीं है।

नोट नं. 56

किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा कंपनी को इरादतन बकायादार घोषित नहीं किया गया है।

नोट नं. 57

लेन–देन के समय उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, कंपनी ने किसी अन्य कंपनी के साथ कोई लेन–देन नहीं किया है जिसका नाम कंपनी के साथ लेन–देन के समय काट दिया गया हो।

नोट नं. 58

कंपनी ने व्यवस्था की किसी भी योजना को मंजूरी नहीं दी है।

नोट नं. 59

तुलन पत्र की तारीख में, कंपनी ने किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कोई धन उधार नहीं लिया है।

नोट नं. 60

वर्ष के दौरान, कंपनी ने एसपीएमसीआईएल भविष्य निधि न्यास को कार्यशील पूंजी के लिए ₹ 604 लाख का ऋण प्रदान किया था। एसपीएमसीआईएल भविष्य निधि न्यास द्वारा 11 जून, 2024 को इसके साथ ही पिछले वित्तीय वर्ष (वर्ष 2022–23) से पुराना बकाया का भुगतान किया गया। इसी वित्तीय वर्ष में, कंपनी ने एसपीएमसीआईएल भविष्य निधि न्यास को ₹ 3025.00 लाख की विभिन्न राशियों का ऋण प्रदान किया था, जिसे विशेष ध्यान देने योग्य परियोजना ने उसी वित्तीय वर्ष के अंदर भुगतान किया था। इन राशियों के अलावा, कंपनी ने इस वर्ष के दौरान प्रमोटर्स, निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (केएमपी) और संबंधित पक्षों (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित) को सिविल या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई ऋण या ऋण के समकक्ष अग्रिम नहीं प्रदान किया था।

(क) मांग पर चुकाने योग्य या

(ख) किसी भी शर्तों या चुकौती की अवधि निर्दिष्ट किए बिना

नोट नं. 61

कंपनी अपने लेखा विवरणों के रखरखाव के लिए एक लेखा सॉफ़्टवेयर उपयोग करती है, जैसे एसएपी ईसीसी 6.0, जिसमें लेखा ट्रेल (संपादन लॉग) दर्ज करने की सुविधा होती है और यह समस्त महत्वपूर्ण लेन–देन के लिए पूरे वर्ष क्रियान्वयन में रही है। इसके अतिरिक्त, लेखा सॉफ़्टवेयर के संदर्भ में संपादन लॉग सुविधा का किसी भी मामले में बदलाव किए जाने का कोई उदाहरण नहीं मिला।

नोट नं. 62 व्यापार देय की समयावधि

31.03.2024 को स्थिति

भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया (राशि ₹ लाख में)

विवरण	वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 साल	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	516.05	–	–	–	516.05
(ii) अन्य	13,362.12	327.98	40.55	0.50	13,731.14
(iii) विवादित बकाया–एमएसएमई	–	–	–	–	–
(iv) विवादित बकाया–अन्य	–	–	–	–	–
कुल	**13,878.17**	**327.98**	**40.55**	**0.50**	**14,247.19**

31.03.2023 को स्थिति

भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया (राशि ₹ लाख में)

विवरण	वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 साल	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	785.22	15.08	–	–	800.30
(ii) अन्य	5,452.03	2,337.95	(9.60)	1.16	7,781.54
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	–	–	–	–	–
(iv) विवादित बकाया – अन्य	–	–	–	–	–
कुल	**6,237.25**	**2,353.03**	**(9.60)**	**1.16**	**8,581.84**

नोट 63

सीडबल्यूआईपी (पूंजीगत कार्य–प्रगति) और विकासात्मक संपत्तियों की समयावधि

31.03.2024 को स्थिति (राशि ₹ लाख में)

सीडबल्यूआईपी	की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 साल	3 से अधिक वर्ष	कुल
चालू परियोजनाएं	18,670.62	2,513.58	106.56	–	21290.77
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	–	–	–	–	–

31.03.2024 को स्थिति (राशि ₹ लाख में)

विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	की अवधि के लिए आईएयूडी में राशि				
	वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 साल	3 से अधिक वर्ष	कुल
चालू परियोजनाएं	960.44	–	–	–	960.44
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	–	–	–	–	–

31.03.2023 को स्थिति (राशि ₹ लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 साल	3 से अधिक वर्ष	कुल
चालू परियोजनाएं	960.44	–	–	–	960.44
चालू परियोजनाएं	4,635.83	282.34	184.80	357.08	5460.05
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	–	–	–	–	–

31.03.2023 को स्थिति (राशि ₹ लाख में)

विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	की अवधि के लिए आईएयूडी में राशि				
	वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 साल	3 से अधिक वर्ष	कुल
चालू परियोजनाएं	–	–	–	–	–
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	–	–	–	–	–

सीडब्ल्यू आईपी की पूर्ण होने की अवधि

31.03.2024 को स्थिति (राशि ₹ लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी की समापन अवधि	समापन अवधि कुल				
	वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 साल	3 से अधिक वर्ष	कुल
चालू परियोजनाएं	21,290.75	–	–	–	21,290.75
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	–	–	–	–	
कुल	21,290.75	–	–	–	21,290.75

31.03.2024 को स्थिति (राशि ₹ लाख में)

समापन अवधि विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	समापन अवधि कुल				
	वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 साल	3 से अधिक वर्ष	कुल
चालू परियोजनाएं	960.44	–	–	–	960.44
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	–	–	–	–	
कुल	960.44	–	–	–	960.44

31.03.2023 को स्थिति (राशि ₹ लाख में)

समापन अवधि सीडबल्यूआईपी	समापन अवधि कुल				
	वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 साल	3 से अधिक वर्ष	कुल
चालू परियोजनाएं	3,501.30	1,958.75	–	–	5,460.05
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	–	–	–	–	–

31.03.2023 को स्थिति (राशि ₹ लाख में)

समापन अवधि विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	समापन अवधि कुल				
	वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 साल	3 से अधिक वर्ष	कुल
चालू परियोजनाएं	–	–	–	–	–
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	–	–	–	–	
कुल	–	–	–	–	–

नोट नं. 64

व्यापारिक प्राप्य की अवधि

31.03.2024 को स्थिति (राशि ₹ लाख में)

विवरण	6 महीने से कम	6 महीने –1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य– प्रमुख सामग्री	76,890.95	9,414.21	6,092.69	3,850.51	5,620.69	101,869.06
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य– संदेहास्पद मानी गई	–	–	268.44	854.41	16,235.59	17,358.45
(iii) विवादित व्यापार प्राप्तियां – प्रमुख सामग्री	–	–	–	–	–	–
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य– संदिग्धा समझी	–	–	–	–	–	–
कुल	**76,890.95**	**9,414.21**	**6,361.13**	**4,704.92**	**21,856.28**	**119,227.51**

31.03.2023 को स्थिति (राशि ₹ लाख में)

विवरण	6 महीने से कम	6 महीने –1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य– प्रमुख सामग्री	76,764.96	8,216.42	6,266.85	6,634.75	3,772.25	101,655.23
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य– संदिग्ध् समझी	–	–	157.38	467.82	16,152.92	16,778.12
(iii) विवादित व्यापार प्राप्तियां– प्रमुख सामग्री	–	–	–	–	–	–
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य– संदिग्धा समझी	–	–	–	–	–	–
कुल	**76,764.96**	**8,216.42**	**6,424.23**	**7,102.57**	**19,925.17**	**118,433.34**

नोट नं. 65

भारतीय लेखांकन मानक 7 से संबंधित प्रकटीकरण, वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देनदारियों में परिवर्तन
कंपनी के पास वित्तीय प्रकृति की कोई बाहरी उधारी नहीं है; इसलिए यह खुलासा कंपनी पर लागू नहीं होता है।

नोट नं. 66

31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए अतिरिक्त विनियामक जानकारी

अचल संपत्तियों का स्वामित्व विलेख, जो कंपनी के नाम पर नहीं है						
तुलनपत्र की प्रासंगिक मदें	संपत्तिगत मद का विवरण	सकल वहन मूल्य ₹ लाख में	नामे शीर्ष विलेख	क्या शीर्ष विलेख धारक प्रचारक, निदेशक या प्रचारक' / निदेशक का संबंधी या प्रचारक / निदेशक का कर्मी	संपत्ति धारण की तिथि	कंपनी के नाम न होने का कारण '' (''विवादास्पद भी बताएं)
पीपीई प्र.का.का., नर्मदापुरम	भूमि	3.57	प्र.का.का., नर्मदापुरम	नहीं	वर्ष 2006 से	109.40 एकड़ के लिए उत्परिवर्तन प्रक्रिया में है,
पीपीई भा.स.ट. कोलकाता	भवन	1,100.87	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	नहीं	वर्ष 2006 से	औपचारिक समनुदेशन विलेख का पंजीकरण प्रक्रियाधीन है।
	भूमि और भवन	1.47			26.10.2020	स्ट्रैंड रोड, कोलकाता में स्थित ओल्ड मिंट कॉम्प्लेक्स पंजीकरण के लिए प्रक्रियाधीन है।
पीपीई भा.स.ट. मुंबई	भूमि	4.44	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	नहीं	14/11/1958	स्थानांतरण के लिए प्रलेखन प्रक्रियाधीन है। कुल 51609.11 वर्ग मीटर भूमि में से, परेल संपत्ति में अतिक्रमण हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है: क) भवन संख्या 09, परेल मिंट कॉलोनी के पीछे, साईराम आदर्श सेवा मंडल के तहत लगभग 500 वर्ग मीटर में अतिक्रमण है।

						ख) मिंट कॉलोनी के उत्तरी कोने, लगभग 1000 वर्ग मीटर, महंत गोदावरी गिरिजी और उनके अनुयायियों के आश्रम द्वारा अतिक्रमण किया गया है।
पीपीई च.प्र.मु. नासिक	भूमि	59.56	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	नहीं	वर्ष 2006 से	निगमीकरण के बाद वित्त मंत्रालय से दिनांक 10.02.2006 को भूमि और भवन का बड़ा हिस्सा एसपीएमसीआईएल को हस्तांतरित कर दिया गया था। सभी 7/12 एक्सट्रैक्ट एसपीएमसीआईएल के नाम पर हैं। स्वत्वाधिकार विलेख में नाम बदलने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।
	गैर–कारखाना भवन	642.35				
	कारखाना भवन	1860.88				
पीपीई भा.प्र.मु. नासिक	भूमि	25.52	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	नहीं	वर्ष 2006 से	निगमीकरण के बाद वित्त मंत्रालय से दिनांक 10–02–2006 को भूमि और भवन का बड़ा हिस्सा एसपीएमसीआईएल को हस्तांतरित कर दिया गया था। सभी 7/12 एक्सट्रैक्ट एसपीएमसीआईएल के नाम पर हैं। स्वत्वाधिकार विलेख में नाम बदलने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।
	गैर–कारखाना भवन	1484.06				
	कारखाना भवन	699.83				

नोट नं. 67

अनुपात

विवरण	अंश	भाजक	अनुपात 2023–24	अनुपात 2022–23	अनुपातिक परिवर्तन
वर्तमान अनुपात	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देनदारियां	8.44	9.49	–11%
ऋण इक्विटी अनुपात	ऋण	हिस्से दारी	–	–	
कर्ज सेवा अनुपात कवरेज	शुद्ध ऑपरेटिंग आय	कुल ऋण सेवा	–	–	
इक्विटी अनुपात पर वापसी	ब्याज के बाद शुद्ध लाभ	शेयरधारक निधि	12.98%	26.34%	–51%
इंवेंटरी टर्नओवर अनुपात	बेचे गए माल की कीमत	औसत सूची	1.67	1.47	14%
व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात	उधार ब्रिकी	प्राप्यर औसत खाते	4.33	4.16	4%
व्यापार देय कारोबार अनुपात	उधार खरीद	देय औसत खाते	14.16	11.48	23%
शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	कुल ब्रिकी	नियोजित पूंजी	0.79	0.82	–3%
शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ	बिक्री	19.32%	36.18%	–47%
नियोजित पूंजी पर वापसी	ब्याज और कर पूर्व परिचालन लाभ	नियोजित कुल पूंजी	15.68%	26.82%	–42%
निवेश पर प्रतिफल	करोपरांत शुद्ध लाभ	कुल संपत्ति	9.45%	18.83%	–50%

*क्रेडिट बिक्री, मेडल और परिचालन सिक्के की बिक्री की गणना के लिए, सिक्के, छिटपुट काम और कबाड़ को नकद बिक्री माना जाता है; इसलिए क्रेडिट बिक्री की गणना के लिए इन वस्तुओं को संचालन से राजस्व की मद से कम कर दिया गया है।

आरओई, आरओआई, आरओसीई और शुद्ध लाभ अनुपात में परिवर्तन के लिए स्पष्टीकरण

पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि के कारण पिछले साल की तुलना में राजस्व में सुधार हुआ है।

- वित्त वर्ष 2022–23 में वित्त वर्ष 2018–19 और 2019–20 के लिए परिचालन सिक्कों के लिए ₹ 385 करोड़ प्राप्त होने के कारण, परिचालन सिक्कों से प्राप्त राजस्व ₹ 842 करोड़ था, जबकि वित्तीय वर्ष के दौरान यह घटकर 476 करोड़ हो गया है। (इस वर्ष % शेयर 17% से घटकर 10% हो गया)
- गैर–सिक्का व्यवसाय से राजस्व ₹ 406.46 करोड़ से घटकर ₹ 259.77 करोड़ हो गया है।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 में, पुराने वैट और बिक्री कर मामलों के निपटान के कारण, ₹ 545.62 करोड़ का प्रावधान उलट दिया गया था, इसलिए वित्त वर्ष 2022–23 का कर पश्चात लाभ असाधारण रूप से अधिक था।
- (उत्पादवार राजस्व का ब्यौरा नीचे दिया गया है:)

उत्पाद–वार राजस्व विवरण					
क्र.सं.	उत्पाद	2023–24		2022–23	
		राशि (लाख रुपये में)	%	राशि (लाख रुपये में)	%
1.	मुद्रा नोट	235,678.35	50%	226,045.79	46%
2.	प्रचलन सिक्के	47,567.29	10%	84,180.65	17%
3.	पदक और स्मारक सिक्के	13,776.31	3%	18,022.36	4%
4.	सोने के सिक्के और ईंटें	11,700.99	2%	22,101.75	4%
5.	चांदी के सिक्के	499.71	0%	522.17	0%
6.	पासपोर्ट	52,158.05	11%	44,268.76	9%
7.	डाक का	2,204.10	0%	5,174.97	1%
8.	गैर डाक	25,037.24	5%	21,023.28	4%
9.	एनजेएसपी	45,073.83	10%	51,454.22	10%
10.	अन्य	37,783.85	8%	19,027.74	4%
	कुल	**471,480**	**100%**	**491,822**	**100%**

नोट नं. 68

बेहतर विवरण के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण को प्रतिपुष्ट करने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, पुनः प्रस्तुत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है। पिछले वर्ष का प्रमुख पुनर्समूहन/पुनर्वर्गीकरण इस प्रकार हैं–

विवरण	राशि (₹लाख में)	विगत वर्गीकरण	पुनः वर्गीकरण	विचार
प्रावधान गैर वर्तमान	178337.79	ईबीओ– गैर वर्तमान	प्रावधान गैर वर्तमान	बेहतर प्रस्तुति के लिए और वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुपालन में
प्रावधान वर्तमान	17155.58	ईबीओ– वर्तमान	प्रावधान वर्तमान	बेहतर प्रस्तुति के लिए और वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुपालन में
व्यापार देय– वर्तमान	4.37	ओसीएल– ओसीएल	व्यापार देय– वर्तमान	बेहतर प्रस्तुति के लिए और वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुपालन में
अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियां	696.55	अन्य वर्तमान देनदारियां	अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियां	बेहतर प्रस्तुति के लिए और वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुपालन में

विवरण	राशि (₹लाख में)	विगत वर्गीकरण	पुनः वर्गीकरण	विचार
प्राप्य व्यापार– वर्तमान	1509.64	व्यापार प्राप्य वर्तमान सुरक्षित	व्यापार प्राप्य वर्तमान असुरक्षित	बेहतर प्रस्तुति के लिए और वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुपालन में
कर्मचारियों को ऋण गैर वर्तमान और वर्तमान– असुरक्षित	27.80	ऋण (वर्तमान और गैर वर्तमान) – सुरक्षित	ऋण (वर्तमान और गैर वर्तमान) – असुरक्षित	बेहतर प्रस्तुति के लिए और वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुपालन में
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	3843.82	अन्य गैर चालू वित्तीय आस्तियां	अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियों के साथ संयोजित वित्तीय आस्तियों और इसके विपरीत को बेहतर प्रस्तुति के लिए और वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुपालन में फिर से समूहीकृत किया गया था
अन्य वर्तमान वित्तीय संपत्ति– अन्य अग्रिम	522.37	ओसीएफ़ए–अन्य अग्रिम	ओसीए– आपूर्तिकर्ताओं और ओएनसीए–कैपिटल एडवांस को अग्रिम	बेहतर प्रस्तुति के लिए और वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुपालन में
अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्ति – कैपिटल अग्रिम	4066.01	ओसीए–कैपिटल एडवांस, सप्लायर्स को एडवांस, ओसीएफ़ए–अन्य एडवांस, ओएनसीए–दूसरों को एडवांस	अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्ति – कैपिटल अग्रिम	बेहतर प्रस्तुति के लिए और वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुपालन में

नोट नं. 69

कंपनी के लिए कार्यात्मक और प्रस्तुति भारतीय रुपये में है।

हेतु मैसर्स ज्ञानेन्द्र एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नंबर एफ़आरएन04661एन

ह०/–
(जी.के. अग्रवाल)
साझेदार
एम. नं. 081603

कृते भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

ह०/–
(सचिन अग्रवाल)
कंपनी सचिव
(पैनः ADRPA9630Q)

ह०/–
(अजय अग्रवाल)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
(डीआईएन : 06778079)

ह०/–
(विजय रंजन सिंह)
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 06386038)

दिनांकः 10 जुलाई 2024
स्थानः नई दिल्ली

समेकित वित्तीय विवरण

2023-24



स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण
भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड,

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की समेकित लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने **भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड** ("कंपनी/होल्डिंग कंपनी") के साथ दिए गए समेकित भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा किया है, जिसमें कंपनी और उसका संयुक्त उद्यम "बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड" (सामूहिक रूप से "समूह" के रूप में संदर्भित) शामिल हैं, जिसमें 31 मार्च 2024 तक समेकित तुलन पत्र, लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, उस समय समाप्त वर्ष के लिए, और समेकित भारतीय लेखा मानकों के लिए नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीति जानकारी और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (जिसे इसके बाद "समेकित भारतीय लेखा मानकों के रूप में संदर्भित" किया गया है)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और अलग–अलग वित्तीय विवरणों पर संयुक्त उद्यम के लेखा परीक्षक की रिपोर्टों के विचार के आधार पर, उपरोक्त समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी देते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, संशोधित ("भारतीय लेखा मानक") और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुरूप 31 मार्च, 2024 तक समूह के मामलों की समेकित स्थिति और उसके समेकित लाभ, कुल समेकित व्यापक आय, इक्विटी में समेकित परिवर्तन और समाप्त वर्ष के लिए इसके समेकित नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, ।

सुविज्ञ राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा की । इन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा नीचे **"अन्य मामले"** पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्टों के संदर्भ में प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले की महत्ता

हम आपका ध्यान आकर्षित करते हैं :–

क) वित्तीय विवरण के नोट 24(ख) में कहा गया है कि एसपीएम नर्मदापुरम के मामले में सूक्ष्म और लघु सुविधा परिषद ने एमएसएमईडी अधिनियम 2000 के अनुसार आपूर्तिकर्ता द्वारा दायर दो मामलों में मूल राशि और ब्याज के रूप में ₹ 126.28 लाख और ₹ 231.28 लाख का भुगतान करने का निर्देश पारित किया है। कंपनी ने इन आदेशों के खिलाफ अपील दायर की है और ₹ 263.99 लाख यानी ₹ 126.28 लाख और ₹ 137.71 लाख के लिए उच्च न्यायालय में और ₹ 93.57 लाख के लिए जिला न्यायालय में अपील लंबित है और इसे आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है।

ख) वित्तीय विवरणों के नोट 35 में कहा गया है कि व्यापार प्राप्य, अन्य परिसंपत्तियां, व्यापार और अन्य देयताओं के शेष संबंधित पक्षों के साथ पुष्टि/समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय नहीं बदली है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं।

एसए 701 के अनुसार प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि यह एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, और हमने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को संप्रेषित करने का निर्णय नहीं लिया है।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी के लिए होल्डिंग कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षा की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचनाओं को शामिल नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी के साथ भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस अन्य सूचना में कोई भौतिक गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और प्रशासन का दायित्व निभाने वाले व्यक्तियों की जिम्मेदारियां

होल्डिंग कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार इन समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो

अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (इण्ड एएस) सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी में समेकित परिवर्तन और समेकित नकदी प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण देता है, इसके साथ ही इसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों को भी पढ़ता है।

समूह में शामिल कंपनियों के निदेशक मंडल समूह की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो समेकित भारतीय लेखा विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन अभिलेख की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं, जिनका उपयोग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित भारतीय लेखा विवरण की तैयारी के उद्देश्य के लिए किया गया है, जैसा कि पूर्वोक्त है।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार हैं, जब तक कि निदेशक मंडल समूह को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखे, या ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

समूह में शामिल कंपनियों के निदेशक मंडल, समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन, आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों ("एसए") के अनुसार एक भौतिक गलतबयानी का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और यदि उन्हें भौतिक माना जाता है, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। इसके साथ ही हम यह भी करते हैं:

- समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करना और उनका पालन करना, तथा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों। अधिनियम की धारा 143(3) (i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी

और उसके संयुक्त उद्यम के पास समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन की प्रभावशीलता क्या है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखा–जोखा के लिए चालू व्यवसाय के आधार पर निदेशक मंडल द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो समूह की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय परिणामों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमें अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह, चालू व्यवसाय को बंद कर सकता है।
- समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय–वस्तु का मूल्यांकन करना, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, तथा यह भी कि क्या समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।
- समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह और उसके संयुक्त उद्यम के भीतर संस्थाओं के वित्तीय परिणामों/वित्तीय जानकारी के बारे में पर्याप्त उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनका अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखा परीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए वे जिम्मेदार हैं। हम अपनी लेखा परीक्षा राय के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार रहते हैं।

भौतिकता समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह मात्रा है जो, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभावना बनाती है कि समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम निम्नलिखित में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं:

(i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाना और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करना; तथा

(ii) समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

हम होल्डिंग कंपनी के प्रशासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों तथा समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी अन्य संस्थाओं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, के साथ, अन्य मामलों के साथ–साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है, जिसकी पहचान हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान करते हैं।

हम अनुपालन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

अन्य मामले

क) हमने संयुक्त उद्यम "बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड" के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा नहीं किया, जिनके लेखा परीक्षा किए गए वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2024 तक कुल संपत्ति ₹ 2,42,002.83 लाख, कुल आय ₹ 1,25,034.96 लाख और समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध नकदी प्रवाह (₹ 15,669.20) लाख दर्शाया गया है, जैसा कि समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में लिया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समूह के ₹ 11,342.84 लाख रुपये के शुद्ध लाभ का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि संयुक्त उद्यमों– "बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड" के संबंध में समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय परिणामों में लिया गया है, जिनके वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा लेखा परीक्षा नहीं की जाती है। ये वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी लेखा परीक्षा की गई हैं और प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई हैं और समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह संयुक्त उद्यम– "बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड" के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) के अनुसार हमारी रिपोर्ट जहां तक यह उपरोक्त संयुक्त उद्यम – "बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड" से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे लेखा परीक्षा किए गए वित्तीय विवरणों / वित्तीय जानकारी पर आधारित है।

ख) हमने कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल 8 शाखाओं/इकाइयों के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखा परीक्षा नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2024 तक ₹ 3,38,428.98 लाख की कुल संपत्ति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 4,44,119.20 लाख का कुल राजस्व दर्शाती है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में लिया गया है। इन इकाइयों के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखा–जोखा उन इकाइयों के लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहाँ तक यह इकाइयों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

ग) हम भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद इकाई के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का संदर्भ देते हैं, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में योग्य राय दी थी।

इकाई – भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद के 31.03.2024 तक वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना/वित्तीय परिणामों का लेखा–परीक्षण शाखा लेखा परीक्षक, मेसर्स शरद एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा किया गया, जिन्होंने अपनी लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय सूचना/वित्तीय परिणामों पर योग्य राय व्यक्त की है। हमने अपनी लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में इकाई के लेखा परीक्षक द्वारा उठाई गई रिपोर्ट और योग्यताओं को ध्यान में रखा है।

इन विषयों पर हमारी राय नहीं बदली है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि भारत की केंद्र सरकार द्वारा "अधिनियम" की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') द्वारा अपेक्षित है, हम **"अनुलग्नक I"** में, आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं, **जो समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर लागू होता है।**

2. जैसा कि "अधिनियम" की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपरोक्त समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;

ख) हमारी राय में, होल्डिंग कंपनी द्वारा नियम के अनुसार उचित खाता बही रखी गई है, जैसा कि हमारी उन पुस्तकों की जांच से पता चलता है, सिवाय हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" खंड के पैरा 2(जी)(अप) में बताए गए मामलों के। हमारे द्वारा ऑडिट नहीं की गई इकाइयों से हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए उचित दस्तावेज प्राप्त हुए हैं।

ग) इकाई लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित होल्डिंग कंपनी के इकाई कार्यालयों/इकाइयों के खातों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है और हमने लेखापरीक्षा करते समय उनकी रिपोर्ट की प्रकृति, समय और सीमा को लागू किया है।

घ) इस रिपोर्ट में शामिल समेकित बैलेंस शीट, लाभ और हानि का समेकित विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, संबंधित लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं ।

ङ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित "अधिनियम" की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं;

च) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया **"अनुलग्नक II "** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और **परिचालन प्रभावशीलता** पर एक योग्य राय व्यक्त करती है।

छ) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः –

i. समूह ने अपने समेकित भारतीय लेखा मानक (आई.एस.ए.) वित्तीय विवरणों में अपनी समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है।

ii. अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर कोई भी भौतिक पूर्वानुमानित घाटा नहीं हुआ ;

iii. समूह द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

iv. प्रबंधन ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार यह कहा है किः

- कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्थाओं, जिनमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, को कोई धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश (चाहे उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की धनराशि से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थियों) को ऋण देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई सुविधा प्रदान करेगा।
- कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या विदेशी संस्थाओं (''वित्तपोषण पक्ष'') सहित संस्थाओं से कोई धनराशि इस समझ के साथ प्राप्त नहीं की गई है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा

कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की सुविधा प्रदान करेगी।

- परिस्थितियों में उचित एवं समुचित मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि प्रबंधन द्वारा दिए गए उपरोक्त अभ्यावेदन में कोई भी भौतिक गलतबयानी है।

v. कंपनी ने अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में वर्ष के दौरान ₹ 53,377.59 लाख रुपये का लाभांश घोषित किया और भुगतान किया है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर SAP ECC 6.0 का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने SAP ECC 6.0 से SAP HANA में डेटा माइग्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के संबंध में ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला। वित्तीय विवरणों के लिए नोट 61 देखें।

इसके अलावा, चूंकि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल 2023 से लागू है, इसलिए रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

ज) जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) समूह पर लागू नहीं होती है;

3. भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, संशोधित "अधिनियम" की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है।

4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत लेखापरीक्षा, वित्त एवं संचार के प्रधान निदेशक के कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों/उप–निर्देशों के संबंध में, संदर्भ रिपोर्ट के साथ संलग्न **अनुलग्नक III** में प्रस्तुत है ।

कृते ज्ञानेन्द्र एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म का पंजीकरण संख्या 004661एन)

ह०/–
जी.के.अग्रवाल
(पार्टनर)
(एम नं. 081603)
यूडीआईएनः 24081603बीकेएआईबीएफ8113

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 10 जुलाई 2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण लिमिटेड की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'I'

हमारी समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के शीर्षक "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नकः –

दिये गये तथ्यों के आधार पर, जिन्हें हमने उचित समझा, तथा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं किः –

(xxi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारत में निगमित और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल संयुक्त उद्यम – "बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड" के संबंध में, इसके लेखा परीक्षक द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी, योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

कृते ज्ञानेन्द्र एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म का पंजीकरण संख्या 004661एन)

ह०/–
जी.के.अग्रवाल
(पार्टनर)
(एम नं. 081603)
यूडीआईएनः 24081603बीकेएआईबीएफ8113

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 10 जुलाई 2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–II

(हमारी सम संख्यक तिथि की रिपोर्ट में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित भारतीय लेखा मानकों के हमारे लेखा परीक्षकों के साथ, हमने उस तिथि तक **भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड** (जिसे आगे "कंपनी/होल्डिंग कंपनी" के रूप में संदर्भित किया गया है) के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षा किया है। हमने समूह में शामिल संयुक्त उद्यम कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा नहीं किया है ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

समूह के संबंधित निदेशक मंडल कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, जो कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जिसमें संबंधित कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर समूह के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने अपनी लेखापरीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना जाता है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों को भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किया गया है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी महत्वपूर्ण कमज़ोरी के जोखिम का आकलन करना और निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन

और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षा के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे और संयुक्त उद्यम के लेखा परीक्षक द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

समेकित भारतीय लेखा मानकों के संदर्भ में कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए समेकित भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। समेकित भारतीय लेखा मानकों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण में कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समेकित भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं;

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

समेकित भारतीय लेखा विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन अधिरोहण की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, समेकित भारतीय लेखा विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के भविष्य की अवधि के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि समेकित भारतीय लेखा विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में गिरावट के कारण अपर्याप्त हो सकते है।

सुविज्ञ राय का आधार

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हमारी राय में, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की प्राप्ति पर नीचे वर्णित भौतिक कमजोरी के संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी के पास सभी भौतिक पहलुओं में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

31 मार्च 2024 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता में निम्नलिखित भौतिक कमज़ोरियों की पहचान की गई थी :

1. होल्डिंग कंपनी की करेंसी नोट प्रेस, नासिकः –

i. 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए इकाई की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक ५ के खंड (पप) (ए) के संदर्भ में, ₹ 500 के मूल्यवर्ग का एक बंडल (1000 नोट) गायब था और जांच एजेंसियों की मदद से इसकी जांच की जा रही थी। निष्पक्ष दृष्टिकोण के लिए बंडल की लागत यानी 0.03 लाख रुपये को डब्ल्यूआईपी इन्वेंटरी से हटा दिया गया और अन्य प्राप्य के रूप में रिपोर्ट किया गया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट डिवीजन–I कोर्ट, नासिक रोड, नासिक के दिनांक 24.08.2022 के आदेश के अनुसार, जांच के बाद सहायक पुलिस आयुक्त, नासिक की सिफारिश के आधार पर, मामले को टिप्पणी 'सी' सारांश के साथ बंद किया जाता है।

न्यायालय के निर्णय और कंपनी के एसओपी के आधार पर, इकाई प्रबंधन को उच्च प्रबंधन के परामर्श से लेखा पुस्तकों में उचित समायोजन करना चाहिए।

'भौतिक कमजोरी' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कमी या कमियों का संयोजन है, जिससे यह उचित संभावना रहती है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जा सकेगा।

योग्य राय

हमारी राय में, **ऊपर दिए गए "योग्य राय के आधार पर" पैराग्राफ में वर्णित भौतिक कमजोरियों के संभावित प्रभावों को छोड़कर,** कंपनी के पास, सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित समेकित भारतीय लेखा मानकों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण मानदंडों पर आधारित है, जो कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी समेकित भारतीय लेखा मानकों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हैं।

हमने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और रिपोर्ट की गई भौतिक कमजोरियों पर विचार किया है, और इन भौतिक कमजोरियों ने कंपनी के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं किया है और **हमने समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर अपरिवर्तित राय जारी की है।**

अन्य मामले

1. हमने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर समेकित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में शामिल 8 शाखाओं/इकाइयों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट नहीं किया है।

   इन शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा उन इकाइयों लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहाँ तक इकाइयों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे इकाई लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। हम ऐसी रिपोर्टों पर टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है।

2. हमने समूह में सम्मिलित संयुक्त उद्यम कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण समेकन के लिए उपलब्ध थे।

इस मामले के संबंध में हमारी राय प्रभावी नहीं है।

कृते ज्ञानेन्द्र एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म का पंजीकरण संख्या 004661एन)

ह०/–
जी.के.अग्रवाल
हिस्सेदार
(एम नं. 081603)
यूडीआईएनः 24081603बीकेएआईबीएफ8113

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 10 जुलाई 2024

अनुलग्नक III

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा 5 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप–निर्देशों पर विवरण, 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निगम लिमिटेड के वार्षिक खातों की लेखा परीक्षा के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जांच की गई।

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों/उप–निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निगम लिमिटेड के खातों का लेखा परीक्षा किया है और प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उप–निर्देशों का अनुपालन किया है। कंपनी के वार्षिक खातों के लेखा परीक्षा के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा जांचे जाने वाले क्षेत्रों को इंगित करने वाले निर्देश **अनुलग्नक III (ए)** के अनुसार हैं।

हमने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण/सूचना में शामिल 8 शाखाओं/इकाइयों के खातों का लेखा पारीक्षा नहीं किया और संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर भरोसा किया जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है। हमने समूह में शामिल संयुक्त उद्यम कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा नहीं किया है, जिनके लेखा परीक्षा किए गए वित्तीय विवरण समेकन के लिए उपलब्ध थे।

कृते ज्ञानेन्द्र एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म का पंजीकरण संख्या 004661एन)

ह०/–
जी.के.अग्रवाल
हिस्सेदार
(एम नं. 081603)
यूडीआईएनः 24081603बीकेएआईबीएफ8113

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 10 जुलाई 2024

अनुलग्नक III (ए)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा 5 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों / उप–निर्देशों पर विवरण, 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निगम लिमिटेड के वार्षिक खातों की लेखा परीक्षा के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जांच की गई।

क्रम सं.	विवरण	लेखा परीक्षक की टिप्पणी
1.	क्या कंपनी के पास आईटी के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ–साथ वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है।
2.	क्या कंपनी के मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने का मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए।	कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है। इसलिए, मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामलों का वित्तीय प्रभाव लागू नहीं होता है।
3.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से उपयोग/प्राप्त किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं	कंपनी के पास केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त या प्राप्त होने वाली कोई धनराशि नहीं है।

कृते ज्ञायेन्द्र एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म का पंजीकरण संख्या 004661एन)

ह०/–
जीके अग्रवाल
हिस्सेदार
(एम नं. 081603)
यूडीआईएनः 24081603बीकेएआईबीई7733

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक– 10 जुलाई 2024

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2024 तक का समेकित तुलनपत्र

(रूपये लाख में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2024 तक राशि	31 मार्च, 2023 तक राशि
I. परिसंपत्तियां			
(1) गैर–चालू परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	1,81,182.56	1,76,607.88
(ख) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	3	21,290.77	5,460.05
(ग) अन्य अचल परिसंपत्ति	4	247.62	184.38
(घ) विकासाधीन अचल परिसंपत्ति	3	960.44	–
(ड.) वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) निवेश	5 (i)	1,09,603.26	1,03,479.07
(ii) व्यापार प्राप्य	5 (ii)	–	37.75
(iii) ऋण			
(क) सुविचारित प्राप्य ऋण–सुरक्षित	5 (iii)	35.38	39.11
(ख) सुविचारित प्राप्य ऋण–असुरक्षित	5 (iii)	17.71	31.24
(iv) अन्य	5 (iv)	2,723.44	2,725.14
(च) आस्थगित कर (निवल)	6	23,754.21	36,533.97
(छ) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	7	15,966.20	8,141.25
उप कुल (1)		**3,55,781.59**	**3,33,239.84**
(2) चालू परिसंपत्तियां			
(क) मालसूची	8	1,46,078.27	1,34,557.00
(ख) वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) व्यापार प्राप्य	5(ii)	1,01,869.06	1,01,617.48
(ii) नकद और समकक्ष	5(v) (a)	86,865.64	10,096.18
(iii) उपरोक्त (ii) के अतिरिक्त अन्य बैंक शेष	5(v) (b)	2,94,949.15	3,80,107.52
(iv) ऋण			
(क) सुविचारित प्राप्य ऋण–सुरक्षित	5 (iii)	–	–
(ख) सुविचारित प्राप्य ऋण–असुरक्षित	5 (iii)	64.97	112.85
(ग) उच्च ऋण जोखिम वाले प्राप्य ऋण			
(घ) उधार ह्रासित प्राप्य ऋण			
(v) अन्य	5 (iv)	13,862.26	12,460.00
(ग) चालू कर परिसंपत्ति(निवल)	9 (a)	25,153.66	24,326.87
(घ) अन्य चालू परिसंपत्ति	10	6,473.25	9,059.61
बिक्री हेतु रखी परिसंपत्ति	10 A	2,195.68	2,560.68
उप कुल (2)		**6,77,511.94**	**6,74,898.19**
कुल परिसपंत्ति (1+2)		**10,33,293.53**	**10,08,138.03**
II. इक्विटी और देयताएं			
(1) इक्विटी			
(क) पूंजीगत इक्विटी शेयर	11	98,750.07	98,750.07
(ख) अन्य इक्विटी	12	6,99,068.44	6,40,163.32
उप कुल (1)		**7,97,818.51**	**7,38,913.39**
(2) देयताएं			
गैर–चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) व्यापार संदेय			
(क) एमएसएमई की कुल बकाया राशि		–	–
(ख) एमएसएमई के अतिरिक्त लेनदारों की कुल बकाया राशि	13 (i)	–	13.03
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	13(ii)	13.33	13.77
(iii) पट्टा देयताएं	13 (iii)	793.24	2,002.97
(ख) प्रावधान	14 (i)	1,38,464.07	1,80,472.62
(ग) अन्य गैर–चालू देयताएं	15	16,143.43	15,854.05
उप कुल (2)		**1,55,414.07**	**1,98,356.44**
चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) व्यापार संदेय			
(क) एमएसएमई की कुल बकाया राशि	13 (i)	516.05	800.30
(ख) एमएसएमई के अतिरिक्त्त लेनदारों की कुल बकाया राशि	13 (i)	13,731.14	7,768.51
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	13(ii)	12,442.92	6,378.44
(iii) पट्टा देयताएं	13 (iii)	727.28	12.74
(ख) अन्य गैर–चालू देयताएं	16	12,962.06	13,122.05
(ग) प्रावधान	14 (ii)	39,681.50	42,786.16
उप कुल (3)		**80,060.95**	**70,868.20**
कुल इक्विटी और देयताएं (1+2+3)		**10,33,293.53**	**10,08,138.03**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना (टिप्पणी 2) और उपर्युक्त टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के एक अटूट भाग का निर्माण करती हैं और इन्हें इसके साथ पढ़ा जाना चाहिए।
हमारी संलग्न समसंख्याक रिपोर्टानुसार

हेतु और कृते
मैसर्स ज्ञानेन्द्र एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 04661एन

ह०/–
(जी.के. अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्याः 081603

दिनांकः 10 जुलाई 2024
स्थानः नई दिल्ली

कृते भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

ह०/–
(सचिन अग्रवाल)
(कंपनी सचिव)
(PAN ADRPA9630Q)

ह०/–
(अजय अग्रवाल)
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
(DIN: 06778079)

ह०/–
(विजय रंजन सिंह)
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक
(DIN:06386038)

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ और हानि विवरण

(₹ लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
I	संचालन से राजस्व	17	4,71,479.73	4,91,821.69
II	अन्य आय	18	31,227.46	25,859.96
III	**कुल आय (I+II)**		**5,02,707.19**	**5,17,681.65**
IV	**व्यय**			
	प्रयुक्त सामग्री लागत	19	1,46,787.01	1,18,164.71
	विक्रेय माल की क्रय			
	तैयार माल, विक्रय माल और चालू कार्य की सूची में परिवर्तन	20	4,485.25	7,946.61
	कर्मचारी लाभ व्यय	21	1,17,622.73	1,06,295.38
	वित्तीय लागत	22	142.74	204.41
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	3 & 4	16,633.09	16,088.69
	अन्य व्यय	23	83,833.04	94,332.74
	कुल व्यय (IV)		**3,69,503.86**	**3,43,032.54**
V	असाधारण वस्तुएँ और कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)		1,33,203.33	1,74,649.11
VI	असाधारण वस्तुएँ (लाभ नोट 46 देखें)		-	54,561.80
VII	**कर पूर्व लाभ/(हानि) और (V+VI)**		1,33,203.33	2,29,210.91
VIII	**कर व्ययः**			
	(1) चालू कर		34,500.53	37,687.17
	(2) अस्थगित कर		12,779.76	18,508.83
IX	**सतत परिचालन से वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		85,923.04	1,73,014.91
X	जेवी निवल कर से लाभ/(हानि)		11,342.84	11,228.85
XI	संचालन समापन से लाभ/(हानि)		–	–
XII	संचालन समापन से कर व्यय		–	–
XIII	**संचालन समापन से लाभ/(हानि) (करोपरांत) (X-XI)**		97,265.88	1,84,243.76
XIV	**वर्ष (IX+XII) के लिए लाभ/(हानि)**			
	क (i) लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाने वाली वस्तुएं		12,763.26	(9,315.50)
	(ii) लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाने वाली उन वस्तुओं से संबंधित आयकर		-3,212.26 -37.85	2,344.53 (10.96)
	ख जेवी निवल से अन्य व्यापक आय		9,513.15	(6,981.93)
	ख (i) लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाने वाली मदें			
	(ii) लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाने वाली उन वस्तुओं से संबंधित आयकर		1,06,779.03	1,77,261.83
XV	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII+XIV) (वर्ष के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल)		1,06,779.03	1,77,261.83
XVI	**प्रति शेयर आय**			
	(i) 10/– रुपये प्रति शेयर का मूल अर्जन		9.85	18.66
	(ii) 10/– रुपये प्रति शेयर का मूल अर्जन		9.85	18.66

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना (टिप्पणी 2) और उपर्युक्त टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के एक अटूट भाग का निर्माण करती हैं और इन्हें इसके साथ पढ़ा जाना चाहिए।
हमारी संलग्न समसंख्याक रिपोर्टानुसार

हेतु और कृते
मैसर्स ज्ञानेन्द्र एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 04661एन

ह०/–
(जी.के. अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्याः 081603

दिनांकः 10 जुलाई 2024
स्थानः नई दिल्ली

कृते भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

ह०/–
(सचिन अग्रवाल)
(कंपनी सचिव)
(PAN ADRPA9630Q)

ह०/–
(अजय अग्रवाल)
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
(DIN: 06778079)

ह०/–
(विजय रंजन सिंह)
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक
(DIN:06386038)

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2024 तक राशि	31 मार्च, 2023 तक राशि
क संचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह			
कर पूर्व लाभ	**क**	**1,44,546.17**	**2,40,439.76**
निवल नकद प्रवाह के लिए कर पूर्व लाभ के मिलान हेतु समायोजन			
परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास और परिशोधन और पट्टा परिसंपत्तियों का परिशोधन		16,633.09	16,088.69
ब्याज व्यय		142.74	–
परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर हानि/(लाभ)।		46.92	(16.33)
आयकर वापसी पर ब्याज आय		(407.00)	(1,460.01)
ब्याज आय		(28,355.25)	(13,132.89)
बट्टे खाते में डाले गए हेतु तैयार निवल प्रावधान		14,732.54	15,436.93
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव		(401.30)	(293.01)
लाभांश			–
विगत वर्षों के लिए कर			
अन्य समायोजन		12,725.41	(9,326.46)
कुल	**ख**	**15,117.15**	**7,296.92**
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	**ग=क+ख**	**1,59,663.31**	**2,47,736.68**
हेतु समायोजन			
व्यापार प्राप्य में कमी/(वृद्धि)		(213.83)	11,328.33
इन्वेंट्री में कमी/(वृद्धि)		(11,521.26)	16,699.59
ऋण एवं अग्रिम में कमी/(वृद्धि)		65.13	1.31
अन्य परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		99,556.75	(1,39,142.52)
देय व्यापार में वृद्धि/(कमी)		6,066.64	(1,479.79)
अन्य चालू देनदारियों में वृद्धि/(कमी)		6,083.22	(11,899.92)
प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)		(59,845.74)	(75,382.95)
कर्मचारी लाभ दायित्वों में वृद्धि/(कमी)		289.38	282.26
गैर चालू देनदारियों में वृद्धि/(कमी)		(7,824.95)	(8,064.79)
परित्यक्ष्त परि संपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		365.00	117.76
कुल	**घ**	**33,020.35**	**(2,07,540.72)**
संचालन से नकदी	**ड=ग+घ**	**1,92,683.66**	**40,195.96**
घटाः–कर भुगतान (निवल वापसी)	ड	(33,035.89)	(12,719.49)
संचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	**च=घ–ड**	**1,59,647.77**	**27,476.47**
ख निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
ब्याज आय		15,549.73	2,222.72
लाभांश आय		–	(0.00)
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री		12.80	701.70
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद और समायोजन (सीडब्ल्यूआईपी सहित)		(38,085.42)	(16,646.31)
आरटीयू की खरीद		(36.47)	(227.07)
निवेश में कमी/(वृद्धि)		(6,124.20)	(6,307.50)
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	**च**	**(28,683.56)**	**(20,256.46)**

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2024 तक राशि	31 मार्च, 2023 तक राशि
ग वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान		(53,377.59)	(1,962.13)
देय ब्याज		(142.74)	–
पट्टे का भुगतान		(674.42)	(738.00)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	**छ**	**(54,194.75)**	**(2,700.13)**
शुरूआती वर्ष नकद और उसके समकक्ष	**ज**	**10,096.18**	**5,576.30**
नकद या उसके समकक्ष में वृद्धि/(कमी)	**झ=ङ+च+छ**	**76,769.46**	**4,519.87**
		86,865.64	10,096.17
नकद या उसके समकक्ष में निवल वृद्धि/(कमी)		76,769.46	4,519.88
वर्ष के अंत में नकद एवं उसके समकक्ष		**86,865.64**	**10,096.18**
नकद और उसके समानांतर में शामिल :			

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
बैंक शेष	86,858.98	10,091.15
हाथ में चैक और ड्राफ्ट	1.14	–
नकदी	2.85	3.02
पोस्टेज	2.67	2.01
नकद और उसके समकक्ष (नोट 5 (अ) (क)	**86,865.64**	**10,096.18**
नकद प्रवाह के अनुसार नकद और उसके समानांतर	**86,865.64**	**10,096.18**

हेतु और कृते
मैसर्स ज्ञानेन्द्र एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 04661एन

ह०/–
(जी.के. अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्याः 081603

दिनांकः 10 जुलाई 2024
स्थानः नई दिल्ली

कृते भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

ह०/–
(सचिन अग्रवाल)
(कंपनी सचिव)
(PAN ADRPA9630Q)

ह०/–
(अजय अग्रवाल)
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
(DIN: 06778079)

ह०/–
(विजय रंजन सिंह)
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक
(DIN:06386038)

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(1) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

विगत रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआती शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	विगत रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआती पुनर्कथित शेष राशि	वर्तमान वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
98,750.07	–	98,750.07	–	98,750.07

(2) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

विगत रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआती शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	विगत रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआती पुनर्कथित शेष राशि	वर्तमान वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
98,750.07	–	98,750.07	–	98,750.07

ख. अन्य इक्विटी

(1) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष				कुल
	आरक्षित पूंजी	प्रतिधारित आय	आरक्षित पूंजी मोचन	अन्य व्यापक आय	
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआती शेष राशि	**33,819.95**	**5,94,977.11**	**19,498.93**	**(8,132.67)**	**6,40,163.32**
लेखांकन नीतियों में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटि	–	–	–	–	–
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआती पुनर्कथित शेष राशि	**33,819.95**	**5,94,977.11**	**19,498.93**	**(8,132.67)**	**6,40,163.32**
वर्तमान वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	–	97,265.88	–	9,513.15	1,06,779.03
वर्ष के दौरान देय लाभांश	–	(53,377.59)	–	–	(53,377.59)
जमा:–स्ट्रैंड रोड टकसाल का बही मूल्य	–	5,503.68	–	–	5,503.68
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि	**33,819.95**	**6,44,369.08**	**19,498.93**	**1,380.48**	**6,99,068.44**

(2) 31 मार्च, 2023 को सामप्ष्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष				कुल
	आरक्षित पूंजी	प्रतिधारित आय	आरक्षित पूंजी मोचन	अन्य व्यापक आय	
31.03.2022 की वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआती शेष राशि	**33,819.95**	**4,33,475.07**	**19,498.93**	**(575.60)**	**4,86,218.35**
लेखांकन नीतियों में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटि	–	(20,781.05)	–	(575.14)	(21,356.19)
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआती पुनर्कथित शेष राशि	**33,819.95**	**4,12,694.02**	**19,498.93**	**(1,150.74)**	**4,64,862.16**
वर्तमान वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		1,84,243.76		(6,981.93)	1,77,261.83
वर्ष के दौरान देय लाभांश		(1,962.13)			(1,962.13)
आयकर समायोजन पूर्व वर्ष		1.47			1.47
विगत रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि	**33,819.95**	**5,94,977.11**	**19,498.93**	**(8,132.67)**	**6,40,163.32**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना (टिप्पणी 2) और उपर्युक्त टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के एक अटूट भाग का निर्माण करती हैं और इन्हें इसके साथ पढ़ा जाना चाहिए।

हमारी संलग्न समसंख्याक रिपोर्टानुसार

हेतु और कृते
मैसर्स ज्ञानेन्द्र एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 04661एन

ह०/–
(जी.के. अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्याः 081603

दिनांकः 10 जुलाई 2024
स्थानः नई दिल्ली

कृते भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

ह०/–
(सचिन अग्रवाल)
(कंपनी सचिव)
(PAN ADRPA9630Q)

ह०/–
(अजय अग्रवाल)
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
(DIN: 06778079)

ह०/–
(विजय रंजन सिंह)
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक
(DIN:06386038)

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
वित्तीय विवरणों के लिए नोट

1) कंपनी का अवलोकन

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (कंपनी) 13 जनवरी, 2006 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित की गयी थी जिसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है। कंपनी के पास नौ इकाईयां हैं जिसमें चार टकसालें. चार मुद्रणालय और एक कागज कारखाना है, जो पहले वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते थे।

कंपनी प्रतिभूति कागज का निर्माण, सिक्कों की ढलाई, करेंसी नोट, गैर न्यायायिक स्टैंप पेपर, डाक टिकट, यात्रा दस्तावेजों इत्यादि का मुद्रण करती है। कंपनी भारत सरकार के पूर्ण – स्वामित्त्वाधीन अनुसूची ''ए'' कंपनी है। कंपनी की निम्नलिखित इकाइयां/शाखाएं हैं:

1) भारत सरकार टकसाल, नोएडा
2) भारत सरकार टकसाल, मुंबई
3) भारत सरकार टकसाल, कोलकाता
4) भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद
5) प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद
6) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक
7) बैंक नोट मुद्रणालय, देवास
8) चलार्थ पत्र मुद्रणालय, नासिक
9) प्रतिभूति कागज कारखाना, नर्मदापुरम

2) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

2.1 वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति का आधार

ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') (जहाँ तक अधिसूचित है) के प्रावधानों के अनुसार उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत रीति के तहत, कुछ वित्तीय प्रपत्रों को छोड़कर जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है, इण्ड एएस (भारतीय लेखांकन मानक) के अनुसार तैयार किया गया है। भारतीय लेखांकन मानकों को अधिनियम की धारा 133, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के नियम 3 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 के साथ पठित, के तहत निर्धारित किए गए हैं।

लेखांकन नीतियों को समान रूप से लागू किया गया है, सिवाय जहाँ एक नई जारी की गई नीति, जो पहली बार अपनाई जाती है या मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन किए जाने के कारण फिलहाल उपयोग की जा रही लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता है।

31 मार्च 2016 तक कंपनी ने अपना वित्तीय विवरण, भारतीय सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (जीएएपी) के अनुसार तैयार किया है, जिसमें कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 के तहत अधिसूचित मानक, जिसे पूर्व "जीएएपी" माना जाता है, शामिल है।

2.2 अनुमानों का उपयोग

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करते समय प्रबंधन को अनुमान, निर्णय और धारणाएं बनाने की

आवश्यकता होती है। ये अनुमान, निर्णय और धारणाएं, लेखांकन अवधि के दौरान नीतियों को लागू करने, वित्तीय विवरण की तारीख पर परिसंपत्तियों और देनदारियों की बताई गई राशि, आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का विवरण और राजस्व और व्यय की बताई गई राशि को प्रभावित करते हैं। इस वित्तीय विवरण में ऐसी लेखांकन नीतियाँ, जिन्हें लागू करने के लिए जटिल और व्यक्तिपरक निर्णय लेने और धारणाओं का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, उपयुक्त स्थानों पर बताई गई हैं।

लेखांकन अनुमान अवधि दर अवधि बदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों में उपयुक्त बदलाव किए जाते हैं क्योंकि प्रबंधन को अनुमानों को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में हुए बदलाव पता चल जाते हैं। अनुमानों में किए गए परिवर्तन वित्तीय विवरण में उस अवधि में दर्शाए जाते हैं, जिसमें परिवर्तन किए जाते हैं और यदि ये महत्वपूर्ण हैं, उनके प्रभाव का वर्णन वित्तीय विवरण के नोटों में दिया जाता है।

2.3 वर्तमान बनाम गैर–वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी वर्तमान/गैर–वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलन–पत्र में परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ प्रस्तुत करती है। एक परिसंपत्ति को वर्तमान तब माना जाता है जबः–

- सामान्य परिचालन चक्र में इसकी वसूली या बिक्री होने या खपत किया जाना अपेक्षित है.
- इसे मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से रखा गया है.
- रिपोटिंग अवधि के बाद बारह महीनों के अंदर इसकी वसूली किए जाने की उम्मीद है, या
- नकद या नकद समतुल्य, यदि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए इसका उपयोग अदला–बदली के लिए या देनदारी के निपटान के लिए प्रतिबंधित न हो।

सभी अन्य परिसंपत्तियों को गैर–वर्तमान माना गया है।

व्यापारिक प्राप्तियाँ जिनकी रिपोर्टिंग तारीख से 12 महीने के अंदर वसूली अपेक्षित हैं, उनका वर्गीकरण वर्तमान में किया जायेगा। 12 महीने से अधिक बकाया राशियों का वर्गीकरण केवल गैर–वर्तमान किया जाएगा सिवाय इसके कि इसकी वसूली के लिए किए गए प्रयासों के फलस्वरूप रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने के अंदर वसूली किए जाने की संभावना है।

एक देनदारी वर्तमान है जबः–

- सामान्य परिचालन चक्र में इसका निपटान अपेक्षित है
- इसे मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से रखा गया है,
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के अंदर इसका निपटान किया जाना है या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देनदारी का निपटान स्थगित करने का कोई शर्त रहित अधिकार नहीं है,

एक देय को व्यापार देय के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा यदि यह सामान्य व्यापार के दौरान खरीदे गए माल या प्राप्त सेवाओं से संबंधित देय राशि है।

व्यापार देय जिसका रिपोर्टिंग तारीख से 12 महीनों के अंदर निपटान किया जाना अपेक्षित है, उसे वर्तमान के रूप में दर्शाया जाता है।

कंपनी अन्य सभी देनदारियों को गैर–वर्तमान में वर्गीकृत करती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.4 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

2.4.1 राजस्व मान्यता

कंपनी भारत सरकार के लिए मुख्यतः करेंसी नोटों, गैर–न्यायिक स्टैम्प पेपर, डाक टिकट, यात्रा दस्तावेजों के लिए मुद्रण एवं परिचालन सिक्कों की ढलाई से राजस्व अर्जित करती है।

सामान की बिक्री से प्राप्त राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब सामान के स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिम और लाभ खरीदार को पारित कर दिए जाते हैं आम तौर पर सामान की आपूर्ति के समय। राजस्व का आकलन प्राप्त अथवा प्राप्य उचित मूल्य के आधार पर किया जाता है। दशाई गई राजस्व की राशि में जीएसटी का निवल शामिल है।

सिक्कों के मामले में, राजस्व वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक आधार पर अनुमोदित दरों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

बैंक नोटों के लिए राजस्व का निर्धारण आरबीआई के पत्र संख्या डीसीएम (आरएमएमटी)4690 / 110714 / 20011–12 दिनांक 13.04.2012 द्वारा सूचित प्राप्त दरों के अनुसार किया जाता है।

यदि प्राप्त दरों में भविष्य में कोई संशोधन होता है जो पारस्पारिक रूप से स्वीकार्य है तो उस वित्त वर्ष में लागू किया जाएगा जिस वर्ष में इसे संप्रेषित किया गया है।

डाक स्टेशनरी से राजस्व

डाक स्टेशनरी के लिए अद्यतन उपलब्ध दरों पर इन्वायस तैयार किया जाता है जैसा कि वर्ष दर वर्ष के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

यदि बिल की दरों और वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित दरों के बीच कोई अन्तर हो तो उस वित्त वर्ष में वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष दर वर्ष के आधार पर अनुमोदित दरों का लेखांकन किया जाता है।

अन्य उत्पाद से राजस्व

कंपनी द्वारा तैयार किए गए बिक्री बिलों के आधार पर पासपोर्ट तथा गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर से प्राप्त राजस्व का लेखांकन किया जाता है।

सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब राजस्व राशि विश्वसनीयता से मापी जा सकती है और कंपनी को लेन–देन से जुड़े आर्थिक हितलाभ प्राप्त होने की संभावना होती है। जॉब कार्य से प्राप्त राजस्व उसी अवधि में गिना जाता है जिसमें कार्य किया गया था।

लाभांश आय को तब मान्य किया जाता है जब हितधारक के भुगतान प्राप्त करने के अधिकार निश्चित हो जाते हैं जो सामान्यतः हितधारकों के अनुमोदन के बाद होता है।

अनुबंध पूरा होने के बाद विक्रेताओं से प्राप्त परिसमापन नुकसानी आय में डाली जाती है।

2.4.2 कर्मचारी हितलाभ

क) लघु–अवधि दायित्व

गैर–आर्थिक हितलाभ सहित पारिश्रमिक और वेतन की देनदारियों, जिनका कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान किए जाने की अवधि के बाद 12 महीने के अंदर पूर्ण रूप से निपटान करना अपेक्षित होता है, को मान्यता कर्मचारी की सेवाओं की रिपोर्टिंग अवधि समाप्त होने तक दी जाती है तथा इसे देनदारियों के निपटान के लिए भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है। तुलन–पत्र में ये देनदारियाँ वर्तमान कर्मचारी हितलाभ दायित्व के रूप में दर्शाई जाती हैं।

ख) अन्य दीर्घ–अवधि हितलाभ दायित्व

अर्जित अवकाशों और चिकित्सा अवकाशों के लिए देनदारियों का कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवा दिए जाने की अवधि समाप्त होने के बाद 12 महीने के अंदर पूर्ण रूप से निपटान करना अपेक्षित नहीं है। इसलिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में इन्हें प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके अपेक्षित भविष्य के भुगतान का वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। हितलाभ राशियों को रिपोर्टिंग अवधियों जो संबंधित दायित्व की अवधियों के सन्निकट हैं, के अंत पर मार्केट ईल्ड का उपयोग करते हुए बट्टागत (डिस्काउन्टेड) किया जाता है। बीमांकिक धारणाओं में अनुभवी सुधारों और परिवर्तनों के फलस्वरूप किए गए पुनःमापनों को लाभ एवं हानि में दर्शाया जाता है।

तुलन–पत्र में इन दायित्वों को वर्तमान दयित्व के रूप में दर्शाया जाता है यदि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देनदारी का निपटान स्थगित करने का शर्त रहित अधिकार नहीं है, भले ही वास्तविक निपटान की अपेक्षित तारीख कोई भी हो।

ग) रोजगार पश्चात दायित्व

कंपनी निम्नलिखित रोजगार पश्चात योजनाएं चलाती है –

क) परिभाषित हितलाभ योजनाएं जैसे उपदान, पेंशन, रोजगार पश्चात् चिकित्सा योजनाएं तथा

ख) परिभाषित अंशदान योजनाएं जैसे भविष्य निधि।

(i) परिभाषित हितलाभ योजना

कंपनी की उपदान योजना एक परिभाषित हितलाभ योजना है। एक परिभाषित हितलाभ योजना, रोजगार पश्चात योजना होती है। परिभाषित हितलाभ योजना के संबंध में कंपनी के निवल दायित्व की गणना कर्मचारी द्वारा वर्तमान और पूर्व अवधि में दी गई सेवाओं पर अर्जित भावी हितलाभ की अनुमानित राशि पर की जाती है। भारत सरकार के आदेशानुसार कंपनी को इकाइयों की परिसंपत्तियों और देनदारियों का स्थानांतरण करते समय इकाइयों के अधिकांश कर्मचारियों का मानित प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण, स्थानांतरण की तारीख अर्थात 10/02/2006 से दो वर्ष के लिए किया गया था जिसे बाद में 12 महीने के लिए फिर बढ़ाया गया। भारत सरकार द्वारा कर्मचारियों के कंपनी में विलयन के संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई। विकल्पों का प्रयोग किया गया तथा भारत सरकार ने कर्मचारियों के विलयन को 29 मई 2009 में स्वीकार किया लेकिन इसे 01/11/2008 से प्रभावी किया गया।

जिन कर्मचारियों ने भारत सरकार में बने रहने का फैसला लिया. वे कंपनी में तब तक काम करना जारी रखेंगे, जब तक कि वे भारत सरकार द्वारा फिर से तैनात नहीं किए जाते। कंपनी उनके वेतन और पारिश्रमिक का भुगतान करेगी। इन कर्मचारियों और पूर्व–संवर्ग या संवर्ग–में पद धारण किए हुए कर्मचारियों का पेंशन प्रभार (जिसमें उपदान शामिल है) और अवकाश वेतन अंशदान का प्रावधान सरकारी नियमानुसार किया गया है।

जिन कर्मचारियों ने कंपनी में शामिल होने का फैसला किया उनके लिए दो विकल्प थे या तो संयुक्त पेंशन या प्रोराटा पेंशन का विकल्प दें। संयुक्त पेंशन विकल्पी कंपनी से अपने सेवानिवृत्ति के समय भारत सरकार द्वारा गठित एसपीएमसीआईएल पेंशन फण्ड ट्रस्ट से अपनी पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं। भारत सरकार पिछली सेवाओं के लिए योगदान देगी और कंपनी उस अवधि के लिए योगदान देगी जिसके दौरान वे कंपनी की सेवा करेंगे। केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के नियम 37–ए के तहत अंशदान की राशि एवं तरीके को शासित किया जाएगा। हालांकि कंपनी भारतीय लेखा मानकों के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार इन कर्मचारियों के पेंशन शुल्क के लिए प्रावधान कर रही है। बाद के वर्षों में सरकार द्वारा कंपनी में दिए गए अंशदान का प्राप्ति के वर्ष में हिसाब होगा।

(क) उपदान

उपदान एक रोजगार पश्चात परिभाषित हितलाभ योजना है। उपदान के संबंध में तुलन–पत्र में मान्य देनदारी तुलन–पत्र की तारीख पर परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है। कंपनी की देनदारी वर्ष के अंत में बीमांकिक आधार पर निर्धारित की जाती है। पुनर्मूल्यांकन के माध्यम से प्राप्त बीमांकिक लाभ/हानि को अन्य व्यापक आय में दर्शाया जाता है।

(ख) पेंशन एवं उपदान दायित्व

परिभाषित पेंशन हितलाभ और उपदान योजनाओं के संबंध में तुलन–पत्र में मान्य देनदारी या परिसंपत्ति, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में से योजना संपत्तियों के उचित मूल्य को कम कर के प्राप्त होती है। परिभाषित हितलाभ दायित्व की गणना प्रति वर्ष बीमांकिक आधार पर प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके की जाती है।

परिभाषित हितलाभ दायित्व का भारतीय रूपए में वर्तमान मूल्य निर्धारण, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में सरकारी बॉन्डों, जिनकी अवधि संबंधित दायित्व की अवधि के सन्निकट है पर मार्केट ईल्ड का संदर्भ देते हुए भविष्य नकदी बहिर्प्रवाह को बट्टागत (डिस्काउंटेड) करके किया जाता है। हितलाभ जो भारतीय रूपए के अलावा अन्य मुद्राओं में मूल्यवर्गित हैं, उनके लिए वर्तमान मूल्य निर्धारण, नकदी बहिर्प्रवाह को उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्डों जो हितलाभ दिए जाने वाली मुद्रा में मूल्यवर्गित और जिनकी अवधि संबंधित दायित्व की अवधि के सन्निकट है, कि बाजार आय का उपयोग करते हुए बट्टागत (डिस्काउंटेड) करके किया जाता है।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व के शुद्ध शेष और योजना संपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट–दर लागू करके की जाती है। यह लागत लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में दर्शाई जाती है।

बीमांकिक धारणाओं में अनुभवी सुधारों और परिवर्तनों के फलस्वरूप पुनर्मूल्यांकन से प्राप्त लाभों और हानियों को सीधे अन्य व्यापक आय, उस अवधि में जिसमें वे होते हैं, में दर्शाया जाता है।

इन्हें इक्विटी में परिवर्तन विवरण और तुलन–पत्र में प्रतिधारित आय में शामिल किया जाता है। योजना में किए गए संशोधनों या कटौतियों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में हुए परिवर्तन को तुरंत लाभ एवं हानि विवरण में पूर्व–सेवा लागत के रूप में दर्शाया जाता है।

(ग) रोजगार पश्चात चिकित्सा दायित्व

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ, एक परिभाषित लाभ योजना के संबंध में देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार प्रदान की जा रही है। वर्ष के अंत में देनदारी शेष और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अर्जित देनदारी के बीच के अंतर को अन्य व्यापक आय पर प्रभारित किया जाता है।

(घ) बोनस योजनाएं

कंपनी एक प्रावधान को मान्य करती है जहाँ एक संविदात्मक दायित्व है या जहाँ एक पूर्व प्रथा के फलस्वरूप एक रचनात्मक दायित्व निर्मित है।

(ii) परिभाषित अंशदान योजनाएं

कंपनी की भविष्य निधि योजना एक परिभाषित अंशदान योजना है। एक परिभाषित अंशदान योजना रोजगार पश्चात हितलाभ योजना होती है जिसके अंतर्गत कंपनी एक निर्धारित अंशदान का भुगतान करती है और आगे की राशियों का भुगतान करने का कोई दायित्व उस पर नहीं होगा।

परिभाषित योगदान योजनाओं में अंशदान के दायित्व जब देय होते हैं, उन्हें लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी हितलाभ व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

2.4.3 कर

क) वर्तमान कर

लागू आयकर दरों के आधार पर, एक अवधि की कर–योग्य आय पर निर्धारित की गई देय कर की राशि को वर्तमान कर व्यय माना जाता है।

अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्य मदों से संबंधित वर्तमान कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्य किया जाता है।

ख) आस्थगित कर

वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्यों के लिए, रिपोर्टिंग तारीख पर आस्थगित कर की गणना परिसंपत्तियों और देनदारियों के कराधारी और उनकी वहन राशि के बीच अस्थायी अंतर पर देनदारी पद्धति का उपयोग करते हुए की जाती है।

आस्थगित कर देनदारियों को सभी कर योग्य अस्थाई अंतरों के लिए मान्य किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ, सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए और, अप्रयुक्त कर क्रेडिटों और अप्रयुक्त कर नुकसानों को आगे ले जाने के लिए मान्य की जाती हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक मान्य किया जाता है कि यह संभव हो कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके लिए कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, आगे ले जाये गए अप्रयुक्त कर क्रेडिटों और अप्रयुक्त कर नुकसानों का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का मापन रिपोर्टिंग तारीख पर लागू कर दरों (और कर कानून) के आधार पर, परिसंपत्ति की वसूली या देनदारी के निपटान किए जाने वाले वर्ष में अपेक्षित लागू कर दरों पर किया जाता है।

अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्य मदों से संबंधित आस्थगित कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्य किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आस्थगित कर देनदारियों को तब समायोजित किया जाता है, जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों के लिए वर्तमान कर देनदारियों को समायोजित करने के लिए एक कानूनन प्रवर्तनीय अधिकार मौजूद है।

2.4.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

फ्रीहोल्ड भूमि ऐतिहासिक लागत पर ली गई है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अन्य सभी वस्तुओं को ऐतिहासिक लागत में से मूल्यहास और हानि, यदि कोई है, को कम करके दर्शाया जाता है। ऐतिहासिक लागत में वस्तु के उपयोगी हो जाने से पहले उस पर सीधे तौर से किए गए व्यय भी शामिल हैं। आगे की लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है या अलग परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है, उपयुक्तता के अनुसार, केवल जब कंपनी को वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है तथा वस्तु की लागत विश्वसनीयता से मापी जा सकती है। किसी भी पुर्जे की वहन राशि, जिसे एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्य किया गया है, उसे बदले जाने पर अमान्य कर दिया जाता है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव की राशि, जिसे रिपोर्टिंग अवधि में खर्च किया गया है, उसके लाभ या हानि विवरण में दर्शाई जाती है। परिसंपत्ति को बेचे या हटाए जाने पर उसकी लागत और संबंधित संचित मूल्यहास को वित्तीय विवरण से निकाल दिया जाता है और इसके परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

कंपनी की नीति के अनुसार कर्मचारियों द्वारा खरीदे गए मोबाइल फोन उपकरण, जिनकी प्रतिपूर्ति कंपनी ने की है, उन्हें पूँजीकृत नहीं किया गया है परन्तु राजस्व में दर्शाया गया है।

2.4.5 मूल्यह्रास विधियाँ/अनुमानित उपयोगी अवधि और अवशेष मूल्य

क) अचल परिसंपत्तियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में निर्धारित परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी अवधि पर प्रोराटा आधार पर सीधी रेखा विधि से मूल्यह्रास की गणना की गई है, उन परिसंपत्तियों को छोड़ कर जिनका उपयोगी जीवन प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार अलग है। परिसंपत्तियों की अनुमानित उपयोगी अवधि निम्नानुसार है:

परिसंपत्तियाँ	उपयोगी जीवन
पट्टे पर भूमि	लीज की अवधि पर
इमारत	60 वर्ष
कारखाना इमारत	30 वर्ष
संयंत्र एवं मशीनरी	15 वर्ष (एकल पारी) 10 वर्ष (दो पारी)
फर्नीचर एवं फिक्स्चर	10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
वाहन	8 से 10 वर्ष
कंप्यूटर	3 वर्ष
अन्य	10 वर्ष
₹ 5000/– से कम कीमत की परिसंपत्तियां	क्रय वर्ष

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रबंधन द्वारा परिसंपत्तियों की शेष कीमत और उपयोगी अवधि स्थिति की समीक्षा की जाती है। यदि परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक है तो उसे इसकी वहन राशि को वसूली योग्य राशि पर लिखा जाता है।

ख) अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत में से संचित ऋण परिशोधन और हानि घटाकर बताया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों को उनके व्यक्तिगत अनुमानित उपयोग अवधि पर, उस तारीख से जब ये उपयोग के लिए उपलब्ध हुई हैं, सीधी रेखा आधार पर ऋण परिशोधन किया जाता है।

परिसंपत्तियों की लागत, शुद्ध अवशेष मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यह्रास की गणना उनके अनुमानित जीवन पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्धारित तरीके से सीधी रेखा विधि का उपयोग करके की जाती है, निम्न परिसंपत्तियों को छोड़ कर, जिनका उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की उल्लिखित उपयोगी जीवन से भिन्न है।

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसकी कीमत ₹ 1 लाख से कम हो	खरीद के वर्ष में 100 प्रतिशत
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसकी कीमत ₹ 1 लाख से अधिक है (जहाँ उपयोगी अवधि एक वर्ष या उससे कम है)	खरीद के वर्ष में 100 प्रतिशत
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसकी कीमत ₹ 1 लाख से अधिक है (अन्य मामलों में)	एसएलएम पर 33.33 प्रतिशत
परिसंपत्तियाँ जिनकी कीमत ₹ 5000/– से कम हो	खरीद के वर्ष में100 प्रतिशत

2.4.6 मालसूचियाँ

मालसूची सामग्रियों का मूल्य निर्धारण लागत या शुद्ध प्राप्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। प्रत्येक उत्पाद को अपने वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में किए गए खर्च की गणना निम्न प्रकार से की जाती है:

क) कच्चा माल, जारी कार्य और उपभोज्य सामग्रियों का मूल्य उनकी लागत मानी जाती है (भारित औसत लागत आधार)।

ख) तैयार माल लागत या शुद्ध प्राप्य मूल्य, जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है।

ग) रद्दी माल शुद्ध प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

घ) कम खपत वाली/अप्रचलित सामग्रियों को लागत या शुद्ध प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

2.4.7 प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्तियाँ

एक प्रावधान को तभी मान्य किया जाता है, जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का एक वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है जो उचित रूप से अनुमानित है, और यह संभव है कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभों का बहिर्प्रवाह आवश्यक होगा।

आकस्मिक देनदारियों का खुलासा संभावित दायित्वों के संबंध में किया जाता है, जो पूर्व घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं, जो कंपनी के पूर्ण रूप से नियंत्रण में नहीं हैं, के घटने या न घटने द्वारा होगी, या ये वर्तमान दायित्व हैं जो पूर्व घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं लेकिन इन्हें मान्य नहीं किया गया है क्योंकि या तो दायित्वों के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता नहीं है, या दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

एक आकस्मिक संपत्ति को आम तौर पर न तो माना जाता है, न ही इसका प्रकटीकरण किया जाता है।

2.4.8 विदेशी मुद्रा लेनदेन

लेनदेन जो विदेशी मुद्रा में किए जाते हैं, उन्हें लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में किए गए लेनदेन से प्राप्त लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है।

विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ जिनका तुलन–पत्र की तारीख पर निपटान नहीं हुआ है उन्हें तुलन पत्र की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है। ऐसे परिवर्तन से प्राप्त लाभ एवं हानि को लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

2.4.9 वित्तीय प्रपत्र

क) वित्तीय प्रपत्रों के घटक

(i) वित्तीय परिसंपत्तियों में विशेष रूप से, नकद या नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्तियाँ, अन्य वर्तमान प्राप्तियाँ और प्रतिदेय प्रतिभूति जमा शामिल है।

(ii) वित्तीय देनदारियों में विशेष रूप से, उधार, व्यापार देय और अन्य वर्तमान देय शामिल हैं।

ख) आरंभिक मान्यता एवं अमान्य करना:

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को तब मान्य करती है जब ये वित्तीय प्रपत्रों के संविदात्मक प्रावधानों की एक पार्टी होती हैं। सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है जो लेनदेन की तारीख पर लेनदेन लागत दर्शाती हैं।

ग) आगामी मान्यता और हानिकरण:

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की आगामी मान्यता उचित मूल्य पर की जाती है, यदि वहन राशि उचित मूल्य के सन्निकट है तो उसे उसी मूल्य पर रहने दिया जाता है। मूल्य में किसी भी घटत/हानिकरण को लाभ और हानि विवरण में हानिकरण लाभ/हानि के रूप में माना जाता है।

घ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ और वित्तीय देनदारियाँ अमान्य करना:

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार, कंपनी लाभ एवं हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों के अलावा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि का मूल्यांकन करने के लिए ''अपेक्षित क्रेडिट लॉस'' (ईसीएल) मॉडल का उपयोग करती है। कंपनी तुलनपत्र की प्रत्येक तिथि पर आकलन करती है कि क्या वित्तीय संपत्ति या वित्तीय परिसंपत्तियों का समूह बिगड़ा हुआ है। भारतीय लेखांकन मानक 109 को अपेक्षित क्रेडिट हानि को हानि भत्ते के माध्यम से मापने की आवश्यकता होती है। कंपनी सभी व्यापार प्राप्तियों के लिए आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानियों को पहचानती है। कंपनी ने प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ते की गणना करके एक व्यावहारिक समीचीन का उपयोग किया है। प्रावधान मैट्रिक्स ऐतिहासिक क्रेडिट हानि अनुभव को ध्यान में रखता है और भविष्योन्मुखी जानकारी के लिए समायोजित किया जाता है। अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ता देय प्राप्य की उम्र बढ़ने और प्रावधान मैट्रिक्स में उपयोग की जाने वाली भत्ता दरों पर आधारित है। प्रावधान मैट्रिक्स (लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के कारण वर्ष के दौरान अद्यतित किए गए) के आधार पर लागू होने वाला अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रतिशत इस प्रकार है:

व्यापारिक प्राप्तियों की अवधि	ईसीएल प्रबंधित मैट्रिक्स
0–1 वर्ष	0 %
1–2 वर्ष	4.22 %
2–3 वर्ष	18.16 %
3–4 वर्ष	25.05 %
4–5 वर्ष	46.39 %
05 वर्ष और उससे ऊपर	100 %

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रावधान मैट्रिक्स को उन व्यापार प्राप्तियों पर लागू होने की आवश्यकता नहीं है जो किसी भी संपाशर्विक सुरक्षा (या) प्राप्य राशि की सीमा तक गारंटी द्वारा समर्थित हैं।

ड.) वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियों की मान्यता रद्द करना:–

एक वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार का एहसास

हो जाता है या उसे जब्त कर लिया जाता है। वित्तीय दायित्व तब अमान्य हो जाता है जब दायित्व से संबंधित अंतर्निहित दायित्व पूरा हो जाता है, या समाप्त हो जाता है।

2.4.10 निवेश

क) संयुक्त उद्यम में

एक संयुक्त उद्यम एक प्रकार की संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत जिन पार्टियों के पास व्यवस्था का संयुक्त नियंत्रण है उनके पास संयुक्त उद्यम की शुद्ध परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है। संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था का संविदात्मक सहमति से नियंत्रण साझा करना है, जो केवल तभी होता है जब प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए नियंत्रण साझा करने वाली पार्टियों की एकमत सहमति की आवश्यकता होती है।

संयुक्त उद्यम में निवेश को लागत पर मान्य किया जाता है।

ख) अन्य निवेश

म्यूचुअल फंड में निवेश लाभ और हानि खाते के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया गया है।

2.4.11 उधार लागत

उधार लागत जो सीधे किसी परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से संबंधित है और जिसके इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार किए जाने में अनिवार्यतः काफी समय लगता है, उसे परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि के व्यय में डाला जाता है जिसमें वे होते हैं। उधार लागत में ब्याज और अन्य लागत शामिल है जो एक इकाई उधार राशि के संबंध में खर्च करती है।

2.4.12 नकद और नकद तुल्य

तुलन–पत्र में नकद और नकद–तुल्य में बैंक में नकद, हाथ में नकद और ऐसे लघु–अवधि जमा शामिल हैं, जिनकी परिपक्वता अवधि तीन महीने या उससे कम है और कीमत में परिवर्तन होना जोखिम नगण्य है।

नकद प्रवाह विवरण के उद्देश्य के लिए, नकद और नकद–तुल्य में नकद एवं लघु–अवधि जमा, जैसा ऊपर परिभाषित है, बकाया बैंक ओवर–ड्राफ्टों का निवल शामिल है, क्योंकि उन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

2.4.13 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह विवरण को भारतीय लेखा मानक 07, नकद प्रवाह विवरण के अनुसार परोक्ष विधि का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है।

2.4.14 इक्विटी धारकों को नकद लाभांश

कंपनी अपने इक्विटी धारकों को नकद वितरण करने का दायित्व मानती है जब वितरण अधिकृत किया जाता है तथा वितरण कंपनी के विवेकाधिकार पर नहीं है। भारत में कॉर्पोरेट कानूनों के अनुसार एक वितरण तब अधिकृत होता है जब इसे शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया हो। इसकी संगत राशि सीधे इक्विटी में रखी जाती है।

2.4.15 प्रति शेयर आय

वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के आधार पर वर्ष के लिए लाभ को विभाजित करके

मूल ईपीएस मात्रा की गणना इक्विटी धारकों के लिए की जाती है।

वर्ष की अवधि के दौरान इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के साथ मूल इक्विटी धारकों के लिए देय लाभ (परिवर्तनीय पूर्वाधिकार शेयरों पर ब्याज के लिए समायोजित करने के बाद) को विभाजित करके मन्दित ईपीएस मात्रा की गणना की जाती है और साथ ही इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो सभी कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों के इक्विटी शेयरों में रूपांतरण पर जारी की जाएगी।

2.4.16 पट्टे

पट्टे की पहचान

एक अनुबंध के आरंभ में कंपनी यह आकलन करती है कि यह अनुबंध है या इसमें लीज समावेशित है। एक अनुबंध, अनुबंध होता है या इसमें लीज समावेशित होती है यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले अज्ञात परिसंपत्ति के उपयोग को एक अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

एक पट्टेदार के रूप में कंपनी

एक अनुबंध के आरंभ में कंपनी यह आकलन करती है कि यह अनुबंध है या इसमें लीज समावेशित है। एक अनुबंध, अनुबंध होता है या इसमें लीज समावेशित होती है यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले अज्ञात परिसंपत्ति के उपयोग को एक अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार देता है। कंपनी ने उपरोक्त आवश्यकताओं को लघु अवधि के लीज पर लागू नहीं करने के लिए चुना है, (जिनकी शुरुआत की तारीख में 12 महीने या उससे कम की लीज अवधि है) और ऐसे लीज जिनके लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है जैसा कि इण्ड एएस 116 के पैराग्राफ बी 3–बी 9 में वर्णित है।

संपत्ति के उपयोग का अधिकार शुरू में लागत पर मापा जाता है और बाद में लागत मोड को लागू करता है यानी किसी भी संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित हानि, हानि को कम करता है और लीज की देयता के किसी भी पुनर्माप के लिए समायोजित किया जाता है। इण्ड एएस 16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उपयोग संपत्ति के अधिकार के मूल्यह्रास में किया जाता है।

एक लीज देयता शुरू में लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापी जाती है जो उस तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है। लीज में निहित ब्याज दर का उपयोग करके लीज के भुगतान में छूट दी जाती है। यदि उस दर को आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद, लीज देयता पर ब्याज को दर्शाने के लिए लीज देयता की वहन राशि बढ़ा दी गई है, लीज भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए कम और किसी भी पुनर्मूल्यांकन या लीज अधिसूचनाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए या संशोधित सार में निश्चित लीज भुगतानों को प्रतिबिंबित करने के लिए पुनर्माप किया गया।

मार्च 2019 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम 2019 जारी किया, जिसमें इण्ड एएस 116, लीज और वापस लेने के लिए इण्ड एएस 17, लीज इण्ड एएस 116 को अधिसूचित किया गया, जो 1 अप्रैल 2019 से शुरू होने वाली लेखा अवधि से प्रभावी है।

इंड 116 के रूप में लेजी के लिए एकल, ऑन–बैलेंस शीट लीज अकाउंटिंग मॉडल पेश करता है। पट्टेदार संपत्ति के उपयोग के अधिकार को मान्यता देता है जो अंतर्निहित परिसंपत्ति का उपयोग करने के अपने अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है और लीज भुगतान करने के लिए अपने दायित्व का प्रतिनिधित्व करने वाला लीज दायित्व है। अल्पावधि लीज और कम मूल्य की वस्तुओं के पट्टेदार के लिए मान्यता छूट हैं। पट्टेदार लेखांकन पूर्ववर्ती मानक के समान रहता है– यानी पट्टेदार पट्टों को वित्त या परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत करना जारी रखते

हैं। कंपनी ने 116 के रूप में इंडिक्स में परिशिष्ट सी में उल्लिखित संक्रमण प्रावधानों को लागू किया है। इण्ड एएस–116 को अपनाने पर कंपनी पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

एक अनुबंध के आरंभ में कंपनी यह आकलन करती है कि यह अनुबंध है या इसमें लीज समावेशित है। एक अनुबंध, अनुबंध होता है या इसमें लीज समावेशित होती है यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले अज्ञात परिसंपत्ति के उपयोग को एक अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

2.4.17 बिक्री हेतु गैर–वर्तमान परिसंपत्तियाँ

गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों को बिक्री हेतु वर्गीकृत किया जाता है यदि उनकी वर्तमान लागत उसे इस्तेमाल करते रहने के बजाए मुख्यतः बिक्री लेनदेन से वसूल किया जायेगा और बिक्री की अत्यधिक संभावना मानी जाती है। इसकी गणना वहन राशि या उचित मूल्य जो भी कम है, में से बिक्री पर किए गए व्यय को घटाकर की जाती है।

गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों को बिक्री हेतु वर्गीकत किया जाता है और तुलन–पत्र में उनसे संबंधित देनदारियां, यदि हैं, अलग से दी जाती है। गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु वर्गीकृत किए जाने पर उनका मूल्यह्रास या परिशोधन नहीं किया जाता है।

2.4.18 परिसंपत्तियों का हानिकरण

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर आकलन करती है कि क्या किसी परिसंपत्ति में हानिकरण का कोई संकेत है। यदि कोई संकेत मौजूद होता है या जब किसी परिसंपत्ति का वार्षिक हानिकरण परीक्षण अपेक्षित होता है कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि, नकद उत्पन्न इकाई (सीसीयू) के उचित मूल्य में से निपटान पर किया गया व्यय घटाकर प्राप्त राशि और उपयोग में इसका मूल्य दोनों में जो भी अधिक है, होती है। वसूली योग्य राशि का निर्धारण एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए किया जाता है, जब तक परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य संपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से काफी हद तक स्वतंत्र है। जब परिसंपत्ति या नकद–उत्पन्न इकाई की वहन राशि उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक होती है, तो परिसंपत्ति का हानिकरण माना जाता है और वहन राशि में वसूली योग्य राशि लिखी जाती है।

2.4.19 आय/व्यय का महत्व

एक या एक से अधिक पूर्व अवधि की आय या व्यय की वस्तु को तभी भौतिक/महत्वपूर्ण माना जाता है, जब यह पिछले वर्षो के वित्तीय विवरण के अनुसार प्रत्येक मामले में कम्पनी के कुल राजस्व का 0.5 प्रतिशत से अधिक हो।

टिप्पण सं. 3 संपत्ति संयंत्र उपकरण

(₹ in Lakhs)

टिप्पणी 3	सकल खंड					मूल्यह्रास					हानि				कुल निवल लागत राशि	
विवरण	01.04.2023 तक शेष	वृद्धि	निपटान	समायोजन	31.03.2024 तक शेष	01.04.2023 तक शेष	वर्ष हेतु मूल्यह्रास	समायोजन	निपटान	31.03.2024 तक शेष	01.04.2023 तक शेष	वर्ष हेतु हानि	निपटान	31.03.2024 तक शेष	31.03.2024 तक शेष	31.03.2023 तक शेष
संपत्ति संयंत्र और उपकरण																
फ्री होल्ड भूमि	688.17	–	–	–	688.17	–	–	–		–	–	–	–	–	688.17	688.17
लीज होल्ड भूमि	1,865.12	–	–	–	1,865.12	68.68	24.40	–	–	93.08	–	–	–	–	1,772.04	1,796.43
भवन	10,732.74	1,045.47	–	–	11,778.21	2,346.48	214.42	–	–	2,560.90	–	–	–	–	9,217.30	8,386.25
कारखाना भवन	17,312.60	895.80	–	–	18,208.41	4,505.67	612.32	–	–	5,117.99	–	–	–	–	13,090.41	12,806.92
संयंत्र और उपकरण	2,28,766.54	16,528.22	181.22	(763.35)	2,44,350.19	82,639.61	13,783.59	51.08	160.64	96,211.47	–	97.94	–	97.94	1,48,040.78	1,46,126.94
फर्नीचर और फिक्स्चर	1,252.03	185.54	1.26	(2.48)	1,433.83	696.02	98.03	–	1.12	792.93	–	–	–	–	640.89	556.01
वाहन	481.23	133.07	46.11	–	568.19	248.74	43.41	–	45.71	246.44	–	–	–	–	321.76	232.49
कार्यालय उपकरण	1,663.73	338.17	23.91	9.88	1,987.87	934.25	205.31	(6.97)	19.67	1,126.85	–	–	–	–	861.01	729.48
अन्य उपकरण					–						–	–	–	–		
–कप्यूटर और प्रिंटर	2,277.55	547.35	48.66	(7.17)	2,769.07	1,642.31	278.56	9.51	44.56	1,866.80	–	–	–	–	902.27	635.24
–रेलवे साइडिंग	409.14	–	–	–	409.14	139.46	25.91	–	–	165.37	–	–	–	–	243.77	269.68
–विद्युत स्थापना	6,296.32	668.26	–	–	6,964.58	3,842.16	528.95	–	0.14	4,370.97	–	–	–	–	2,593.61	2,454.16
–एस एंड डी संपत्तियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–आर एंड डी संपत्तियां	346.54	783.71	–	762.65	1,892.90	207.68	58.90	(50.64)	–	317.22	–	–	–	–	1,575.69	138.86
–उपकरण	2.48	–	–	–	2.48	1.16	0.16	–	–	1.32	–	–	–	–	1.15	1.31
निम्नतम परिसम्पति मुल्य	**11.19**	**9.14**	–	–	**20.33**	**11.20**	**9.13**	–	–	**20.33**	–	–	–	–	**(0.00)**	**(0.01)**
–प्रयोगशाला उपकरण	**107.21**	**0.77**	–	–	**107.98**	**57.23**	**7.60**	–	**(0.01)**	**64.84**	–	–	–	–	**43.14**	**49.98**
कुल (क)	**2,72,212.59**	**21,135.50**	**301.16**	**(0.47)**	**2,93,046.46**	**97,340.65**	**15,890.69**	**2.98**	**271.83**	**1,12,956.51**	–	**97.94**	–	**97.94**	**1,79,991.99**	**1,74,871.93**
पिछला वर्ष मार्च 2023	2,56,548.96	16,608.38	1,004.13	(59.38)	2,72,212.58	82,632.09	15,329.57	0.36	620.65	97,340.00	–	–	–	–	1,74,871.93	1,71,916.87
उपयोग का अधिकार संपत्तियां																
भूमि	**155.72**	–	–	–	**155.72**	**21.61**	**5.40**	–	–	**27.01**					**128.71**	**134.11**
भवन	**4,283.07**	**36.47**	–	–	**4,319.54**	**2,681.24**	**576.44**	–	–	**3,257.68**					**1,061.86**	**1,601.83**
कुल (ख)	**4,438.79**	**36.47**	–	–	**4,475.26**	**2,702.85**	**581.84**	–	–	**3,284.69**	–	–	–	–	**1,190.57**	**1,735.95**
पिछला वर्ष मार्च 2023	4,211.72	227.07	–	–	4,438.79	1,994.98	707.87	–	–	2,702.85	–	–	–	–	1,735.95	2,216.74
पूंजीगत कार्य प्रगति पर																
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	5,460.05	22,451.42	30.39	(6,590.31)	21,290.77	–	–	–	–	–					21,290.77	5,460.05
कुल (ग)	**5,460.05**	**22,451.42**	**30.39**	**(6,590.31)**	**21,290.77**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**21,290.77**	**5,460.05**
विगत वर्ष मार्च, 2023	5,820.92	5,008.51	301.89	(4,944.21)	5,460.05	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,460.05	5,820.92
विकासाधीन परिसंपत्ति																
विकासाधीन परिसंपत्ति	–	960.44	–	–	960.44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	960.44	–
कुल	–	960.44	–	–	960.44	–	–		–	–	–	–	–	–	960.44	–
विगत वर्ष मार्च, 2023	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					–	–

*वर्ष 2024–25 में पूंजीकृत एसएपी एस4 हेना लाइसेंस शुल्क
सीडबल्यूआईपी पीपीई की अवधि और विकासाधीन अचल परिसंपत्ति हेतु टिप्पणी 64 का संदर्भ ग्रहण करें

टिप्पण सं. 4 अचल परिसंपत्ति

टिप्पणी 3	सकल खंड					मूल्यह्रास					हानि				कुल निवल लागत राशि	
विवरण	01.04.2023 तक शेष	वृद्धि	निपटान	समायोजन	31.03.2024 तक शेष	01.04.2023 तक शेष	वर्ष हेतु मूल्यह्रास	समायोजन	निपटान	31.03.2024 तक शेष	01.04.2023 तक शेष	वर्ष हेतु हानि	निपटान	31.03.2024 तक शेष	31.03.2024 तक शेष	31.03.2023 तक शेष
कम्प्यूटर सोफ्टवेयर	921.50	125.16	-	(0.70)	1,047.37	737.12	62.62	-	-	799.74					247.62	184.38
कुल	**921.50**	**125.16**	**-**	**(0.70)**	**1,047.37**	**737.12**	**62.62**	**-**	**-**	**799.74**					**247.62**	**184.38**
विगत वर्ष मार्च 2023	884.32	37.18	-	-	921.50	685.88	51.24	-	-	737.12					184.38	198.45

टिप्पणी सं. 5 (i)
गैर चालू निवेश

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
संयुक्त उद्यम में लागत पर इक्विटी प्रपत्रों में निवेश (बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अनुद्धृत इक्विटी शेयर {भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड तथा भारतीय रेजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम (10 की दर से 40,00,00,000 शेयर)})	1,09,603.26	1,03,479.07
कुल निवेश	**1,09,603.26**	**1,03,479.07**

टिप्पणी सं. 5 (ii)
(क) व्यापार प्राप्य – गैर चालू

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
(i) व्यापार प्राप्य		
(क) सुरक्षित, सुविचारित	–	–
(ख) असुरक्षित, सुविचारित	–	37.75
(ग) अत्यधिक उधार जोखिम वाले व्यापार प्राप्य	1,650.12	1,665.69
कुल (क)	**1,650.12**	**1,703.44**
(ii) अशोध्य भत्ता	1,650.12	1,665.69
कुल (ख)	**1,650.12**	**1,665.69**
कुल व्यापार प्राप्य (क– ख)	–	**37.75**

(ख) व्यापार प्राप्य – चालू

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य		
(क) सुरक्षित, सुविचारित	–	1,224.15
(ख) असुरक्षित, सुविचारित	1,01,869.06	1,00,393.33
(ग) अत्यधिक उधार जोखिम वाले व्यापार प्राप्य	15,708.33	15,112.43
कुल (क)	**1,17,577.39**	**1,16,729.91**
(ii) अशोध्य भत्ता	15,708.33	15,112.43
कुल (ख)	**15,708.33**	**15,112.43**
कुल व्यापार प्राप्य	**1,01,869.06**	**1,01,617.48**

व्यापार प्राप्य और अशोध्य भत्ते की अवधि हेतु टिप्पणी सं. 49 व 64 का संदर्भ ग्रहण करें.

टिप्पणी सं. 5 (iii)

(क) ऋण – गैर चालू

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) सुरक्षित, सुविचारित	–	–
– कर्मचारियों से बकाया ऋण	35.38	39.11
(ख) असुरक्षित , सुविचारित	–	–
– कर्मचारियों से बकाया ऋण	17.71	31.24
कुल	**53.09**	**70.35**

ख) ऋण – चालू

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) सुविचारित प्राप्य ऋण – सुरक्षित	–	–
(ख) सुविचारित प्राप्य ऋण – असुरक्षित	–	–
– कर्मचारियों को ऋण	64.97	112.85
कुल ऋण	**64.97**	**112.85**

टिप्पणी सं. 5 (iv)

वित्तीय परिसंपत्ति अन्य – गैर चालू

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) प्रतिपूर्ति जमा		
– सीआईएसएफ़ के पास जमा	591.91	591.91
– विद्युत बोर्ड के पास जमा	1,278.95	1,280.63
– कर प्राधिकरणों के पास जमा/अन्य	554.21	559.97
– अन्य प्रतिपूर्ति जमा	298.37	291.67
(ख) अन्य अग्रिम	–	0.96
कुल	**2,723.44**	**2,725.14**

(ख) अन्य – चालू

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
अन्य अग्रिम	649.73	89.82
एफ़डीआर पर प्राप्य ब्याज	13,212.53	12,370.18
कुल	**13,862.26**	**12,460.00**

टिप्पणी सं. 5(v) (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
बैंको के साथ शेष राशि	86,858.98	10,091.15
हाथ में चेक, ड्राफ्ट	1.14	—
हाथ में नक़दी	2.85	3.02
हाथ में पोस्टेज	2.67	2.01
कुल नकद और नकद समकक्ष (क)	**86,865.64**	**10,096.18**
उपरोक्त के अलावा अन्य बैंक बैलेंस –एफ़डीआर (3 महीने से अधिक और 12 महीने तक की परिपक्वता अवधि)	2,92,000.11	3,77,906.94
बैंक के पास नियत शेष (अव्ययित सीएसआर)	2,949.04	2,200.58
कुल बैंक शेष (ख)	**2,94,949.15**	**3,80,107.52**

टिप्पणी सं 6

अस्थगित कर परिसंपत्ति एवं देयताएं

अस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण अस्थाई भिन्नताओं के प्रभाव इस प्रकार हैं:– (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
अस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयताएं)		
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(14,515.68)	(13,942.90)
चालू देयताएं, व्यापार प्राप्य और प्रावधान	38,269.89	50,476.87
निवल अस्थगित कर परिसंपत्ति	**23,754.21**	**36,533.97**

टिप्पणी सं 7

अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
अन्य को अग्रिम	110.79	110.79
– कर प्राधिकारणों के पास जमा/अन्य	3,920.32	3,920.20
पूंजीगत अग्रिम असुरक्षित , सुविचारित	11,935.09	4,110.26
अन्य गैर चालू परिसंपत्ति	—	—
कुल	**15,966.20**	**8,141.25**

टिप्पणी सं 8

माल सूची (न्यूनतम लागत की निम्नतर दर या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर) (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) कच्चा माल		
– कच्चा माल	71,093.62	55,972.24
– पारगमन में कच्चा माल	18.60	39.12
(ख) प्रगतिशील कार्य	38,397.41	41,367.78
(ग) तैयार माल	18,802.15	19,813.86
(घ) पारगमन में सामान	16,074.92	15,208.24
(ड़) अन्य		
–स्क्रैप	1,057.81	1,560.88
–अन्य मालसूची	633.76	594.88
कुल मालसूची	**1,46,078.27**	**1,34,557.00**

"टिप्पणी सं. 42 आरबीआई के पास स्वर्ण" का संदर्भ ग्रहण करें

टिप्पणी सं 9 (क)

चालू कर परिसंपत्ति (निवल) (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
आय कर प्राधिकरण के पास शेष		
टीडीएस सहित अग्रिम कर	77,061.55	54,847.67
घटाः– आय कर हेतु प्रावधान	51,907.89	30,520.80
चालू कर परिसंपत्ति – निवल	**25,153.66**	**24,326.87**

टिप्पणी सं 10

अन्य चालू परिसंपत्ति (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
पूर्वदत्त व्यय	1,021.96	1,410.64
बिक्री कर/जीएसटी प्राधिकरणों के पास शेष	3,052.41	4,478.67
आय कर प्राधिकरणों के पास शेष	176.77	6.72
अन्य प्राप्य	98.24	21.11
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	2,123.87	3,142.47
कुल	**6,473.25**	**9,059.61**

टिप्पणी सं .10क

बिक्री हेतु परिसंपत्ति

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
बिक्री हेतु परिसंपत्ति	2,195.68	2,560.68
कुल	**2,195.68**	**2,560.68**

टिप्पणी सं. 11

निर्गत पूंजीगत शेयर

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
प्राधिकृत पूंजी		
प्रत्येक ₹ 10/– के 2,50,00,00,000 इक्विटि शेयर	**2,50,000.00**	**2,50,000.00**
निर्गत और अभिदत्त पूंजी		
प्रत्येक ₹ 10/– के 118,24,90,000 इक्विटि शेयर	1,18,249.00	1,18,249.00
	1,18,249.00	**1,18,249.00**
प्रदत्त पूंजी		
प्रत्येक ₹ 10/– के 98,75,00,740 इक्विटि शेयर (विगत वर्ष ₹ 10/– के 98,75,00,740 इक्विटि शेयर), पूर्णतः प्रदत्त	98,750.07	98,750.07
कुल	**98,750.07**	**98,750.07**

टिप्पणी सं 11क

वर्ष के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटि शेयरों का मिलन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्ष के प्रारम्भ में इक्विटि शेयर	9,875.01	9,875.01
जमाः वर्ष के दौरान जारी शेयर	–	–
घटाः वर्ष के दौरान शेयरों की पुनर्खरीद	–	–
वर्ष के अंत में अर्थात 31 मार्च, 2024 को बकाया इक्विटि शेयर	**9,875.01**	**9,875.01**

टिप्पणी सं 11ख

धारित कंपनी, उनके अनुषंगी तथा सहयोगी द्वारा धारित शेयरों का विवरण – शून्य

टिप्पणी सं 11ग

शेयरधारक ओ कंपनी इक्विटि शेयर पूंजी में 5% का अधिक धारिता रखते हैं: –

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
क) भारत के राष्ट्रपति	9,875.01	9,875.01
ख) शेयरों की संख्या का प्रतिशत	99.99	99.99

टिप्पणी सं. 11घ
कंपनी के इक्विटि शेयर में संलग्न की गई शर्तें एवं अधिकार : शून्य

टिप्पणी सं. 12
आरक्षित और अधिशेष

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) आरक्षित पूंजी	33,819.95	33,819.95
(ख) प्रतिधारित अर्जन (अधिशेष)	6,45,749.56	5,86,844.44
(ग) पूंजी शोधन आरक्षित	19,498.93	19,498.93
कुल आरक्षित और अधिशेष	**6,99,068.44**	**6,40,163.32**

(क) आरक्षित पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
वित्तीय स्थिति के अंतिम विवरण के अनुसार	33,819.95	33,819.95
जमाः वर्तमान वर्ष का अंतरण	–	–
घटाः वर्तमान वर्ष में अपलिखित	–	–
कुल आरक्षित पूंजी	**33,819.95**	**33,819.95**

(ख) प्रतिधारित अर्जन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
वित्तीय स्थिति के अंतिम विवरण के अनुसार	5,86,844.44	4,11,543.27
जम/(घटा):– त्रुटि अवधि पूर्व लेखांकन नीति में परिवर्तन	–	–
जमाः वर्तमान वर्ष में निवल लाभ/(हानि)	97,265.88	1,84,243.76
जमाः प्रतिधारित अर्जन में माने गए अन्य व्यापक आय की मदें	9,513.15	(6,981.93)
घटाः देय लाभांश	(53,377.59)	(1,962.13)
जमा – पुरानी परिसंपत्तियों का एडबेक (स्ट्रांड रोड परिसंपत्ति)	–	1.47
जमाः विगत वर्ष हेतु आयकर समायोजन	5,503.68	–
कुल प्रतिधारित अर्जन	**6,45,749.56**	**5,86,844.44**

(ग) आरक्षित पूंजी उन्मोचन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
वित्तीय स्थिति के अंतिम विवरण के अनुसार	19,498.93	19,498.93
जमाःवर्तमान वर्ष का अंतरण	–	–
घटाः वर्तमान वर्ष में अपलिखित	–	–
कुल आरक्षित पूंजी उन्मोचन	**19,498.93**	**19,498.93**

टिप्पणी सं. 13 (i)

व्यापार देय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) गैर चालू		
(क) कुल सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया और	–	–
(ख) कुल सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया	–	13.03
कुल गैर चालू व्यापार देय	–	**13.03**
(ख) चालू		
(क) कुल सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया और	516.05	800.30
(ख) कुल सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया	13,731.14	7,768.51
कुल चालू	**14,247.19**	**8,568.81**
कुल व्यापार देय	**14,247.19**	**8,581.84**

व्यापार देय की अवधि हेतु टिप्पणी संख्या 62 का संदर्भ ग्रहण करें

नोट सं. 13(ii)

अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
गैर–चालू		
आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं की प्रतिभूति जमा	13.33	13.77
कुल (क)	**13.33**	**13.77**
चालू		
बयाना जमा राशि (ईएमडी)	296.51	179.07
कर्मचारियों का दावा	–	–
आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं की प्रतिभूति जमा	614.79	446.15

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन, मजदूरी और कर्मचारियों को देय हितलाभ	2,404.07	2,821.86
संबन्धित प्राधिकरण को देय वेतन से वसूली	622.33	464.99
देय व्यय	7,223.03	2,430.24
भाप्रमुमुनिनिलि पेंशन न्यास को देय अंशदान	—	—
देय पेंशनर प्रभार	3.53	3.90
बैंक ओवर ड्राफ्ट	1,278.66	32.23
कुल (ख)	**12,442.92**	**6,378.44**

टिप्पणी सं. 13 (iii)

देय पट्टा

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
गैर– चालू		
देय पट्टा	793.24	2,002.97
कुल (क)	**793.24**	**2,002.97**
चालू		
देय पट्टा	727.28	12.74
कुल (ख)	**727.28**	**12.74**

टिप्पणी सं. 14

प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
(i) गैर वर्तमान प्रावधान		
(क) कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान		
– उपदान हेतु प्रावधान	18,818.70	18,696.88
– छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	22,204.09	21,864.92
– पेंशन के अंशदान प्रभार हेतु प्रावधान	16.97	16.97
– छुट्टी वेतन अंशदान हेतु प्रावधान	8.51	8.51
– अनुग्रही राशि के लिए प्रावधान	44.27	58.98
– सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान	35,925.22	32,257.51
– पेंशन न्यास देयता हेतु प्रावधान	59,338.74	1,05,434.02
कुल गैर वर्तमान कर्मचारी हितलाभ दायित्व	**1,36,356.50**	**1,78,337.79**

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
(ख) अन्य गैर वर्तमान प्रावधान		
– विवादित दावों के लिए प्रावधान	2,107.57	2,134.83
कुल गैर वर्तमान प्रावधान (क+ख)	**1,38,464.07**	**1,80,472.62**
(ii) वर्तमान प्रावधान		
(क) कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान		
– छुट्टी वेतन और पेंशन के अंशदान प्रभार हेतु प्रावधान	23.49	24.51
– उपदान हेतु प्रावधान	3,100.60	3,647.87
– अनुग्रही राशि/बोनस के लिए प्रावधान	320.69	287.13
– छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	3,372.56	3,889.21
– अनुकंपा नियुक्ति के एवज में क्षतिपूर्ति हेतु प्रावधान	419.73	439.83
– पेंशन न्यास देयता हेतु प्रावधान	3,256.80	6,055.63
– सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान	2,173.30	2,005.38
– देय पीआरपी	827.30	455.20
– अन्य अल्पावधिक कर्मचारी हितलाभ	407.10	350.83
कुल वर्तमान कर्मचारी हितलाभ दायित्व (क)	**13,901.57**	**17,155.59**
(ख) अन्य चालू प्रावधान		
– अन्य अल्पावधिक प्रावधान	572.46	582.82
– विवादित दावों के लिए प्रावधान	20,356.60	20,344.36
– सीएसआर के लिए प्रावधान	4,850.87	4,703.39
कुल अन्य गैर वर्तमान कर्मचारी (ख)	**25,779.93**	**25,630.57**
कुल चालू प्रावधान (क+ख)	**39,681.50**	**42,786.16**

टिप्पणी सं. 15

अन्य गैर चालू देयताएं (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
अन्य गैर चालू देयताएं	289.38	–
भारत सरकार से निधि – समायोज्य	15,854.05	15,854.05
कुल गैर चालू देयताएं	**16,143.43**	**15,854.05**

टिप्पणी सं. 16

अन्य चालू देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
कर्मचारियों का दावा	11.05	525.32
ग्राहकों को अग्रिम	2,998.90	2,556.99
पीएओ को देय	0.77	0.77
देय सांविधिक बकाया	9,763.73	9,508.05
भाप्रमुमुनिनिलि पेंशन न्यास को देय अंशदान	30.64	28.84
देय पेंशनर प्रभार	13.17	56.09
अन्य चालू देयताएं	143.80	445.97
दावों में भिन्नता	—	0.02
कुल अन्य चालू देयताएं	**12,962.06**	**13,122.05**

टिप्पणी सं. 17

राजस्व

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) उत्पादों की बिक्री		
– नोटों की बिक्री	2,35,678.35	2,26,045.79
– सिक्कों की बिक्री	47,567.29	84,180.65
– पदकों और स्मारक सिक्कों की बिक्री	13,776.31	18,022.36
– चांदी की वस्तुओं की बिक्री	499.71	522.17
– सोने की वस्तुओं की बिक्री	11,700.99	22,101.75
– पासपोर्ट एवं संबद्ध वस्तुओं की बिक्री	52,158.05	44,268.76
– डाक वस्तुओं की बिक्री	2,204.10	5,174.97
– गैर डाक वस्तुओं की बिक्री	25,037.24	21,023.28
– एनजेएसपी की बिक्री	45,073.83	51,454.22
– बिक्री –अन्य	31,365.72	13,224.75
कुल (क)	**4,65,061.59**	**4,86,018.70**
(ख) सेवाओं की बिक्री		
– ठेके का काम	2,275.55	2,482.17
– अन्य सेवा	455.33	149.50
कुल (ख)	**2,730.88**	**2,631.67**
(सी) अन्य परिचालन राजस्व एस		
– स्क्रैप की बिक्री	2,976.14	2,525.83
– अन्य परिचालन गतिविधियाँ	711.12	645.49
कुल (ग)	**3,687.26**	**3,171.3**
सतत संचालन से कुल राजस्व (क + ख + ग)	**4,71,479.73**	**4,91,821.69**

टिप्पणी सं. 18

अन्य आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
– ब्याज आय	28,355.25	13,132.89
– लाभांश आय		
अन्य आय		
– विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव से लाभ/(हानि)	577.64	298.47
– अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ –	–	42.11
अन्य गैर परिचालन आय (ऐसी आय से सीधे संबंधित व्यय को घटाकर)	1,552.38	3,105.66
– अन्य आय	630.48	479.56
– प्रावधान/देयताएं वापस लिखी गईं	111.71	8,801.27
कुल अन्य आय	**31,227.46**	**25,859.96**

टिप्पणी सं. 19

उपभोग की गई सामग्री की लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
कच्चा माल		
स्वदेशी:		
प्रारंभिक स्टॉक	49,447.19	59,476.56
जोड़ें: खरीदारी		
आरएम– पेपर	62,606.02	42,202.32
आरएम–इंक	14,767.25	11,385.23
आरएम– अन्य कच्चा माल	71,721.96	36,172.38
आरएम– पैकिंग सामग्री	244.79	–
घटाएँ: इन्वेंट्री का समापन मूल्य	63,342.96	49,447.19
कुल स्वदेशी सामग्री का उपभोग	**1,35,444.25**	**99,789.30**
आयातित:		
प्रारंभिक स्टॉक	5,953.01	5,413.23
जोड़ें: वर्ष के दौरान खरीदारी	4,704.98	5,343.05
आरएम– पेपर	3,535.63	9,903.31
आरएम– अन्य कच्चा माल	4,058.72	3,668.83
घटाएँ: इन्वेंट्री का समापन मूल्य	6,909.58	5,953.01
कुल आयातित सामग्री खपत	**11,342.76**	**18,375.41**
उपभोग की गई सामग्री की लागत	**1,46,787.01**	**1,18,164.71**

टिप्पणी सं. 20

तैयार माल, व्यापार में स्टॉक और प्रगति पर कार्य की सूची में परिवर्तन (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रारंभिक जमा		
कार्य प्रगति पर	41,367.78	40,606.84
तैयार माल	19,813.86	28,518.52
कतरन	1,542.56	1,545.45
कुल प्रारंभिक शेष (क)	**62,724.20**	**70,670.81**
जमा शेष		
कार्य प्रगति पर	38,397.41	41,367.78
तैयार माल	18,802.15	19,813.86
कतरन	1,039.39	1,542.56
कुल समापन शेष (ख)	**58,238.95**	**62,724.20**
तैयार माल, व्यापार में स्टॉक और प्रगति में कार्य (एबी) की सूची में कुल परिवर्तन	**4,485.25**	**7,946.61**

टिप्पणी सं. 21

कर्मचारी लाभ व्यय (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन, मजदूरी और भत्ते	58,030.66	58,483.43
अधिक समय तक	11,069.33	10,647.72
प्रोत्साह	11,331.30	9,726.86
एलटीसी	133.56	225.44
चिकित्सा	2,425.59	2,814.06
ईपीएफ में नियोक्ता का योगदान	3,602.51	3,596.41
अवकाश वेतन और पेंशन प्रभार अंशदान	190.55	214.09
एसपीएमसीआईएल पेंशन ट्रस्ट में योगदान	1,537.03	1,605.87
छुट्टी नकदीकरण	8,161.02	7,654.31
ग्रेच्युटी	4,198.81	4,327.02
कर्मचारी कल्याण व्यय	145.15	70.54
अन्य कर्मचारी लाभ	1,738.91	1,857.42
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	15,058.31	5,072.21
कुल कर्मचारी लाभ व्यय	**1,17,622.73**	**1,06,295.38**

टिप्पणी सं. 22
वित्तीय लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज लागत	–	–
पट्टा देयता पर ब्याज की समाप्ति	142.74	204.41
कुल	**142.74**	**204.41**

टिप्पणी सं. 3 एवं 4
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
संपत्ति संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास	15,890.69	15,357.10
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	62.62	21.78
आरओयू का परिशोधन	581.84	709.81
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की क्षति	97.94	–
कुल	**16,633.09**	**16,088.69**

टिप्पणी सं. 23
अन्य खर्च

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
संपत्ति संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास	**15,890.69**	**15,357.10**
(क) अन्य विनिर्माण व्यय		
–भंडार, स्पेयर और घटकों की खपत	10,285.52	17,334.29
–बिजली, ईंधन और पानी	8,549.38	7,916.43
–मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव	819.18	750.91
–फैक्ट्री भवन की मरम्मत एवं रखरखाव	620.44	723.27
–पैकिंग खर्च	2,500.26	2,109.30
–अन्य विनिर्माण लागत	1,796.07	2,432.33
कुल (क)	**24,570.85**	**31,266.53**
(ख) प्रशासनिक व्यय		
–विज्ञापन	108.22	105.72
–कमीशन (नीलामी एवं अन्य)	190.63	119.52
–ऑडिट फीस	56.53	58.48
–बैंक शुल्क	2,263.12	28.03
–कैंटीन खर्च	162.38	210.06

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
–औषधालय व्यय	164.94	61.60
–पर्यावरण शुल्क	80.42	63.07
–फीस एवं मानदेय	5.89	24.43
–बाहरी माल भाड़ा	1,635.92	1,533.86
–विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव से नुकसान	176.33	5.47
–सहायता व्यय में अनुदान	1.02	1.15
–परिसंपत्तियों की बिक्री/त्याग पर हानि	46.92	25.78
–गेस्ट हाउस का खर्च	123.01	57.07
–कर्मचारियों की भर्ती	5,272.48	4,224.13
–बागवानी व्यय	169.65	88.28
–आतिथ्य एवं मनोरंजन व्यय	63.42	58.26
–कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	708.97	829.53
–बैठक व्यय	22.11	30.53
– विविध व्यय	320.63	374.26
–कार्यालय का व्यय	455.77	487.02
–डाक एवं कूरियर व्यय	89.52	61.16
– मुद्रण एवं स्टेशनरी व्यय	54.75	58.56
–अनुसंधान एवं विकास व्यय	691.66	193.34
–मरम्मत एवं रखरखाव– भवन	1,648.91	1,673.87
–मरम्मत और रखरखाव– कंप्यूटर	104.59	156.13
–मरम्मत एवं रखरखाव– अन्य	846.14	859.28
–किराया	263.75	162.19
–बीमा	1,423.53	1,274.50
– दरें एवं कर	390.42	193.19
–सुरक्षा शुल्क	20,869.40	20,605.77
–सेमिनार और प्रशिक्षण व्यय	120.56	95.58
–सदस्यता, समाचार पत्र, पुस्तकें और पत्रिकाएँ	14.06	14.57
–टेलीफोन और इंटरनेट शुल्क	190.19	188.11
–यात्रा एवं परिवहन व्यय	744.93	711.82
–यात्रा व्यय– विदेश	285.40	146.27
– यूनिफ़ॉर्म और लिवरीज़	8.51	16.03
– कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (सीएसआर)	1,715.10	2,122.19
–वाहन किराये/रखरखाव शुल्क	543.88	472.18
–पानी और बिजली शुल्क	457.96	393.66
–अन्य व्यय	1,926.32	1,033.15
–ब्याज और जुर्माना	–	10.21
कुल (ख)	**44,417.94**	**38,828.01**

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
(ग) वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान		–
–व्यापार प्राप्य के लिए प्रावधान	595.90	–
–पेंशन ट्रस्ट देयता के लिए प्रावधान	14,206.89	13,033.25
– विवादित दावों के लिए प्रावधान	41.46	11,204.95
कुल (ग)	**14,844.25**	**24,238.20**
कुल अन्य व्यय (क+ख+ग)	**83,833.04**	**94,332.74**

सीएसआर व्यय के विवरण हेतु टिप्पणी सं. 38 देखें।

टिप्पणी सं. 23(क)

लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) सांविधिक लेखा परीक्षक		
(क) वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क	4.25	4.25
(ख) कर लेखा परीक्षा शुल्क	2.66	2.66
उप– कुल (क)	**6.91**	**6.91**
(ख) शाखा लेखा परीक्षक		
(क) वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क	24.75	24.75
(ख) कर लेखा परीक्षा शुल्क	15.47	15.47
कुल	**40.22**	**40.22**
अन्य सेवाएँ	9.40	11.35
उप– कुल (ख)	**9.40**	**11.35**
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (ए+बी) (जीएसटी रहित)	**56.53**	**58.48**

नोट नं. 24

प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं –
भारतीय लेखांकन मानक–37 के आधार पर आकस्मिक देयताएं:

(राशि ₹ लाख में)

आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं (अप्रावधानिक सीमा तक)	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
(I) आकस्मिक देनदारियाँ		
(i) कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया (कानूनी मामलों को छोड़कर जहां राशि अनिश्चित है)	10722.57	12006.31
(क) (i) कर्मचारियों/श्रमिकों द्वारा दायर मामले	3211.11	3293.01
(ii) आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दायर मामले	490.64	457.86
(ख) वैट/सीएसटी	1732.24	2999.21
(ग) सेवा कर/जीएसटी	–	–
(घ) वाणिज्यिक कर	–	–
(ड़) आयकर टीडीएस	3.36	0.06
(च) जल कर	3465.92	3465.92
(छ) अन्य	1822.60	1790.25
(ii) बैंकों द्वारा जारी बैंक गारंटी और ऋण पत्र	53543.40	60668.71
कुल (i)	**64269.27**	**72675.02**
(II) प्रतिबद्धताएँ		
(i) पूंजीगत खाते पर लगाई जाने वाली शेष अनुबंधों की अनुमानित और अप्रावधानित राशि	40164.06	31003.60
कुल (ii)	**40164.06**	**31003.60**
कुल योग (i+ii)	**104430.33**	**103678.62**

(क) कर्मचारियों/कामगारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दायर मुदकमों का विरोध किया जा रहा है और तदनुसार, किसी भी प्रावधान को आवश्यक नहीं माना गया है। विभिन्न अपीलीय मंचों के समक्ष करों से संबंधित मुकदमें भी लड़े जा रहे हैं और तदनुसार, कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

(ख) सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद ने आपूर्तिकर्ता द्वारा दायर एक मामले में, सूक्ष्मत लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम, 2000 के अनुसार ₹ 126.28 लाख पर ब्याज सहित ₹ 231.28 लाख की मूल राशि भुगतान करने का निर्देश दिया है। कंपनी ने इन आदेशों के विरुद्ध अपील दायर की है और उच्च न्यायालय में ₹ 263.99 लाख की अपील लंबित है अर्थात ₹ 126.28 लाख जमा ₹ 137.71 लाख और जिला न्यायालय में ₹ 93.57 लाख की अपील लंबित है और इसे आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है।

नोट नं. 25

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों से संबंधित विवरण

प्रबंधन ने कंपनी को माल और सेवाएं प्रदान करने वाले ऐसे उपक्रमों को पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम 2006 में परिभाषित मानदंडों को पूरा करते हैं। तदनुसार ऐसे उपक्रमों को 31 मार्च, 2024 को देय राशि का विवरण कंपनी में उपलब्ध और उससे प्राप्त जानकारी के आधार पर इस वित्तीय विवरण में दिया गया है।

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
1.	वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ताओं को शेष बकाया राशि	516.05	813.33
2.	वर्ष के दौरान अर्जित की गई ब्याज की राशि और वर्ष के अंत में बकाया	शून्य	शून्य
3.	वर्ष के दौरान धारा 16 के संदर्भ में भुगतान की गई ब्याज राशि के साथ, नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान	शून्य	शून्य
4.	भुगतान में देरी की अवधि के कारण लंबित ब्याज राशि (जिसका भुगतान हो गया हैं परंतु वर्ष के दौरान नियुक्त किए गए दिन के पश्चात) लेकिन अधिनियम के अनुसार ब्याज को न जोड़ते हुए।	शून्य	शून्य

नोट नं. 26

स्थायी परिसंपत्तियाँ

(क) भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, 10.02.2006 को नौ इकाइयों की सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को पुस्तक मूल्य पर कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया है। तदनुसार, भारत सरकार की इकाइयों की लेखा–जोखा पुस्तकों के अनुसार 09.02.2006 को प्रचलित सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर कंपनी की पुस्तकों में 10.2.2006 को ले लिया गया था।

(ख) कंपनी अधिनियम 2013 के अधिनियमन के अनुसार, कंपनी ने मूल्यह्रास और परिशोधन पर लेखांकन नीति में खुलासा किए गए कुछ परिसंपत्तियों के संबंध में छोड़कर अनुसूची प्प् में निर्दिष्ट अनुमानित उपयोगी जीवन लागू किया है। तदनुसार, शेष उपयोगी जीवन पर असंकृत ले जाने वाले मूल्य का अवमूल्यन/परिशोधन किया जा रहा है।

नोट नं. 27

टकसालों में बहुमूल्य धातुएं

मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद स्थित टकसालों में सोने, चांदी और अन्य धातुओं का विपुल भंडार है जो 10 वर्ष से अधिक पुराना है और जिसका उपयोग बहुत कम मात्रा में पदकों के निर्माण के लिए किया जाता है। धातुओं का रिकॉर्ड बनाए रखने और उनकी भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली है। इकाइयों में धातुओं के प्रत्येक श्रेणी का अलग–अलग विस्तृत विवरण शुद्धता के साथ उपलब्ध है। इन धातुओं का मूल्य पुस्तक मूल्य के अनुसार लिया गया है जो इसके बाजार मूल्य से कम है। चूंकि वर्तमान उत्पादन में इन धातुओं की खपत बहुत कम है इसलिए कंपनी ने इकाइयों में पड़ी इन धातुओं के निपटान के लिए प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं।

नोट नं. 28

वापस लिए गए सिक्के

वापस लिए गए सिक्के/गैर–वर्तमान सिक्के वित्त मंत्रालय की ओर से टकसालों द्वारा रखे जाते हैं। इन सिक्कों को सेल

द्वारा पिघलाया जाता है और बराबर वजन के कोरे सिक्के सेल द्वारा टकसालों को दिए जाते हैं। टकसालें वापस लिए गए सिक्कों की लागत की कटौती के बाद इन सिक्कों का भुगतान सेल को करती हैं। इन कोरे सिक्कों से बने सिक्कों की बिक्री की राशि एसपीएमसीआईएल के पिघलने और सेवा शुल्क में शामिल सभी व्यय की कटौती और समायोजन के बाद भारत सरकार को भेजी जाती है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी को वित्त मंत्रालय से कोई गैर–वर्तमान सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं।

नोट नं. 29

कर्मचारी हितलाभ–भारतीय लेखांकन मानक–19

कंपनी के अधिकांश कर्मचारी भारत सरकार से मानित प्रतिनियुक्ति पर थे। दिनांक 15.09.2008 को भारत सरकार, कंपनी और विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कर्मचारियों, जो मानित प्रतिनियुक्ति पर थे, को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 37–ए के अनुसार भारत सरकार या कंपनी चयन का विकल्प दिया गया। सरकार द्वारा आदेश क्र. 10/1/2009. एसपीएमसी, दिनांक 29.05.2009 के तहत स्थायी विलयन, 01.11.2008 से प्रभावी, की अधिसूचना जारी की गई है। 14256 कर्मचारियों ने कंपनी में शामिल होने का विकल्प चुना।

परिभाषित अंशदान योजनाएं

(क) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ): ईपीएफ के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दिसंबर, 2009 में छूट दी गई। इस ट्रस्ट ने अप्रैल, 2010 से कार्य प्रारंभ किया और अब कर्मचारियों के भविष्य निधि से संबंधित सभी मामले देख रहा है। कंपनी पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि के लिए निश्चित योगदान इस ट्रस्ट को देती है, जो श्रम मंत्रालय द्वारा निर्धारित निवेश पैटर्न के अनुसार अनुमत प्रतिभूतियों में भविष्य निधि अंशदान का निवेश करता है। परिवार पेंशन योजना का अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को दिया जाता है। अंशदान को व्यय माना गया है तथा लाभ हानि लेखा में शामिल किया गया है।

(ख) सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ): जीपीएफ के लिए एक ट्रस्ट मार्च, 2011 को बनाया गया। इस ट्रस्ट ने अप्रैल, 2011 कार्य प्रारंभ किया। 1 अप्रैल 2011 से कर्मचारियों का अंशदान इस ट्रस्ट में जमा किया जाता है। इस निधि में केवल कर्मचारी अंशदान है। अतः लाभ हानि लेखा में कोई राशि नहीं दर्शाई गई है।

परिभाषित हितलाभ योजनाएं

(क) पेंशनः संयुक्त पेंशन विकल्पियों को पेंशन का भुगतान भारत सरकार द्वारा गठित कंपनी कर्मचारी पेंशन निधि ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा। संयुक्त विकल्पियों के संबंध में, ट्रस्ट में पेंशन अंशदान के लिए प्रावधान केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार किया गया है।

(ख) छुट्टी यात्रा रियायतः छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) हितलाभ कंपनी द्वारा अपनाए गए भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार दिया गया है।

(ग) उपदान (ग्रेच्युटी): उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार कंपनी की एक परिभाषित उपदान हितलाभ योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच साल या उससे अधिक की नियमित सेवा प्रदान की है, वह अधिवर्षता, त्याग–पत्र, बर्खास्तगी, विकलांगता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन की दर से (15/26 आहरित अंतिम मूल वेतन + महंगाई भत्ता) उपदान प्राप्त करने का हकदार है जिसकी अधिकतम सीमा 20 लाख है। इसकी देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की गई है।

(घ) अर्जित एवं अर्ध वेतन छुट्टी: कंपनी अपने कर्मचरियों को अर्जित छुट्टी और अर्ध वेतन छुट्टी हितलाभ प्रदान करती है जिनके लिए प्रत्येक अर्ध–वर्ष के अंत में क्रमशः 15 दिन और 10 दिन जोड़े जाते है। कंपनी से अलग होने पर अधिकतम 300 दिन की अर्जित छुट्टी का नकदीकरण किया जाता है। अर्ध–वेतन छुट्टी का नकदीकरण केवल अलग होने पर किया जाता है और यह अर्जित छुट्टी और अर्ध–वेतन छुट्टी दोनों मिलाकर अधिकतम 300 दिन के अधीन है। कंपनी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार अधिकतम 40 शेष जमा अर्जित छुट्टी के नकदीकरण की अनुमति देती है बशर्ते नकदीकरण के बाद शेष जमा छुट्टी 30 दिन से कम नहीं होनी चाहिए और यह अधिकतम 300 दिन के संचय के अधीन है। इसकी देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की गई है।

(ङ) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभः कंपनी की सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना है जिसके अंतर्गत पात्र पूर्व–कर्मचारियों को उनके पूर्ण विवेक पर एकमुश्त निर्धारित अंशदान का भुगतान किए जाने पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है। इसकी देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की गई है।

(च) भारतीय लेखांकन मानक– 19 "कर्मचारी लाभ" के अनुसार, परिभाषित प्रकटीकरण निम्नवत हैं:

(राशि ₹ लाख में)

क्र सं.	विवरण	उपदान		छुट्टी		सेवानिवृत्तोपरांत चिकित्सा लाभ	
		31.03.24	31.03.23	31.03.24	31.03.23	31.03.24	31.03.23
परिभाषित अंशदान योजना							
परिभाषित हितलाभ योजना							
क	**परिभाषित हितलाभ दायित्व के प्रारंभिक और अंत शेष का मिलान**						
	वर्ष के प्रारंभ में परिभाषित हितलाभ दायित्व	22,344.74	21,436.08	25,754.31	23,406.38	34,262.91	21,671.15
	वर्तमान सेवा लागत	1770.90	1,809.57	3,826.57	3,609.03	882.82	870.02
	ब्याज लागत	1,635.64	1,466.23	1,885.22	1,601.00	2,508.04	1,482.31
	बीमांकिक (लाभ/हानि)	(57.33)	792.24	(726.59)	2,433.88	2918.00	11,671.22
	हितलाभ भुगतान	(3,774.67)	(3,159.38)	(5,162.86)	(5,295.98)	(2,473.24)	(1,431.79)
	वर्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्व	21,919.29	22,344.74	25,576.64	25,754.31	38,098.54	34,262.91
ख	**योजना परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य के प्रारंभिक एवं अंत शेष का मिलान**						
	अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–	–	–	–	–
	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक आय	–	–	–	–	–	–
	नियोक्ता अंशदान	–	–	–	–	–	–
	भुगतान किए गए हितलाभ	–	–	–	–	–	–
	अवधि के अंत मे योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–	–	–	–	–

क्र सं.	विवरण	उपदान		छुट्टी		सेवानिवृत्तोपरांत चिकित्सा लाभ	
		31.03.24	31.03.23	31.03.24	31.03.23	31.03.24	31.03.23
ग	**बीमांकिक अनुमान**						
	रियायत दर (प्रति वर्ष)	7.21	7.32	7.21	7.32	7.21	7.32
	योजना परिसंपत्तियों पर आय की अपेक्षित दर (प्रति वर्ष)	–	–	–	–	–	–
	भावी वेतन/लागत वृद्धि (प्रति वर्ष)	9.00	9.00	9.00	9.00	7.50	7.50
घ	**संवेदनशीलता विश्लेषण**	**31.03.2024**		**31.03.2024**		**31.03.2024**	
	(क) रियायत दर में परिवर्तन का प्रभाव						
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	21,919.29		25,576.64		38,098.54	
	0–50% वृद्धि के कारण प्रभाव	(843.78)		(998.84)		(1,626.76)	
	0–50% कमी के कारण प्रभाव	904.61		1,076.33		1,711.55	
	(ख) परिवर्तन का वेतन पर प्रभाव/चिकित्सा लागत दर						
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	21,919.29		25,576.64		38,098.54	
	0–50% वृद्धि के कारण प्रभाव	478.57		1,052.80		1,954.21	
	0–50% कमी के कारण प्रभाव	(531.52)		(987.48)		(1,767.66)	

नोट नं. 30

पेंशन फंड ट्रस्ट देयता

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए पेंशन और मृत्यु सह–सेवानिवृत्ति उपदान के प्रति देयता का विवरण नीचे दिया गया है:

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, 31.03.2024 को पेंशन और मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान के प्रति देयता की कुल राशि ₹ 213363.40 लाख है। 31.03.2024 को ₹ 150767.86 लाख की योजना परिसंपत्तियों पर विचार करने के बाद कटौती ₹ 62595.54 लाख रुपये है। 31.03.2023 तक बही खातों में प्रदान की गई देयता की कुल राशि ₹ 1,11,489.45 लाख थी। इसलिए 31.03.2024 को बही खातों में देयता की कोई कमी नहीं है, कंपनी ने 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान पेंशन ट्रस्ट को ₹ 63101.00 लाख का भुगतान किया है।

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
1	पेंशन एवं मृत्यु सह सेवानिवृत्ति दायित्व	2,13,363.40	2,01,626.38
2	उपदान	1,50,767.86	90,136.93
3	घटा: पेंशन निधि की योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	62,595.54	1,11,489.45
4	घटा (1)–(2)	1,11,489.45	1,08,691.40
5	विगत वर्ष में किए गए प्रावधान संबंधी देयता (कुल भुगतान)	–	2,798.05

दिनांक 31.10.2008 को अर्थात एसपीएमसीआईएल को सरकार के देय राशि का कर्मचारियों के आमेलन की तिथि सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 37–ए के अनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा भुगतान किया गया था और दायित्व का मूल्यांकन बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर नहीं किया गया था। इसलिए, पेंशन और मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान के लिए देयता की राशि के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दिनांक 31.10.2008 को पुनर्गणना की गयी थी। दिनांक 31.10. 2008 को देय राशि ₹ 37,330.85 लाख निकला। जैसा कि वित्त मंत्रालय ने इस देयता के लिए ₹ 18,174 लाख की राशि का भुगतान किया था, वित्त मंत्रालय के साथ ₹ 19,157 लाख (अर्थात ₹ 37,330 लाख – ₹ 18,174 लाख) की राशि प्राप्त करने के लिए मामला उठाया गया है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान वित्त मंत्रालय से प्राप्य के रूप में इस राशि का हिसाब नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय से प्राप्ति के वर्ष में राशि का हिसाब किया जाएगा।

नोट नं. 31

भारतीय लेखांकन मानक 108 के अनुसार परिचालन खंड

प्रबंधन की राय में, कंपनी के पास आईएनडी एएस–108 में परिकल्पित कोई परिचालन/रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं है क्योंकि उत्पाद श्रेणियों से जुड़े जोखिम और रिटर्न अलग नहीं हैं। वर्ष के दौरान उत्पादों की बिक्री का लगभग 90 प्रतिशत भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को पूंजीगत नियोजित आधार पर लागत के साथ–साथ उचित लाभ के आधार पर आपूर्ति की गई है। इसके अलावा कंपनी प्रतिभूति उत्पादों के निर्माण के संप्रभु कार्य में लगी हुई है।

नोट नं. 32

पार्टी संबंधी उद्घोषणा – भारतीय लेखांकन मानक– 24

भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक 24 'संबंधित पार्टी प्रकटीकरण' के अनुसार पार्टी संबंधी सूची और अंतरण निम्नलिखित हैः

पार्टी का नाम	संबंध
क. बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम (जेवी)
ख. भारतीय रिजर्व बैंक	संयुक्त उद्यम का संगठन
ग. सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ ट्रस्टः	
i) एसपीएमसीआईएल ईपीएफ ट्रस्ट	सेवानिवृत्ति लाभ विश्वास
ii) एसपीएमसीआईएल पेंशन ट्रस्ट	सेवानिवृत्ति लाभ विश्वास
iii) एसपीएमसीआईएल पीएफ ट्रस्ट	सेवानिवृत्ति लाभ विश्वास
घ. भारत के राष्ट्रपति	शेयरधारक

(क) संयुक्त उद्यम से लेनदेन :

कंपनी ने 13.10.2010 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक कंपनी बनाकर प्रत्येक संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा इक्विटी में 50% की भागीदारी के साथ मैसूर में एक प्रतिभूति पेपर मिल स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) के साथ एक संयुक्त उद्यम के लिए समझौता किया है। कंपनी ने 50 प्रतिशत पूंजीगत अंशदान की दिशा में ₹ 40,000 लाख का योगदान दिया है। कंपनी को 31 मार्च, 2024 तक ₹ 10 प्रति शेयर की दर से 40,00,00,000 इक्विटी शेयर आवंटित किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत ₹ 40000 लाख है।

i. वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए संयुक्त उद्यम में स्वामित्व का अनुपात 50% है।

(राशि ₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
इक्विटी में अंशदान	40,000	40,000

ii. कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (50% देनदारी)

विवरण	31.03.2024 को स्थिति	31.03.2023 को स्थिति
आयुक्त सीमा शुल्क (अपील) के समक्ष अपील का परिणाम लंबित है, सीमा शुल्क मांग को दायित्व के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।	–	248.30
क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग हाउस के मामले में व्यवहार्यता, जहां सिटी सिविल कोर्ट, बेंगलुरु द्वारा मध्यस्थ न्यायाधीकरण के आदेश को संयुक्त उद्यम के पक्ष में अलग रखा जाता है, मामला उच्च न्यायालय में लंबित है	21.41	21.41

iii. प्रदान न की गई सीमा तक असमाप्त वचनबद्धताएं (अग्रिमों का शुद्ध) (50% देनदारी)

विवरण	31.03.2024 को स्थिति	31.03.2023 को स्थिति
पूंजी और राजस्व खाते में प्रदान नहीं की गई असमाप्त प्रतिबद्धताएं	11,211.32	6,846.70
सीमाशुल्क/उत्पाद शुल्क प्राधिकरण के साथ निष्पादित बांड	–	775.00

*इसमें 29.77 लाख यूरो, 0.9 लाख अमेरिकी डॉलर और 0.06 सिंगापुर डॉलर (₹ 6.60 लाख) मूल्यवर्ग के अनुबंध का मूल्य शामिल है, जो असंरक्षित है।

iv. बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से किया गया लेनदेन

(राशि ₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
सीडब्ल्यूबीएन पेपर की खरीद	21,085.18	15,573.41
प्राप्त लाभांश	5,180.80	4,910.39

v. बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास शेष राशि

(राशि ₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
व्यापार प्राप्य/(व्यापार देय)	30.37	(4.50)

ख) संयुक्त उद्यम के मामले में संबंधित पक्ष से लेनदेन

बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (संयुक्त उद्यम) के मामले में संबंधित पक्ष से लेनदेन का प्रकटीकरण

संबंधित पक्ष	संबंधो की प्रकृति
i. भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)	50% इक्विटी शेयरों और कंपनी में वोटिंग अधिकार के साथ संयुक्त उद्यम प्रमोटर
ii. भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल)	50% इक्विटी शेयरों और कंपनी में वोटिंग अधिकार के साथ संयुक्त उद्यम प्रमोटर
भारतीय लेखांकन मानक 24 के तहत निदेशकों और महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मियों की सूची, "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण"	
कार्यकारी निदेशक	**नामांकनकर्ता**
श्री के.जी. विश्वनाथन (प्रबंध निदेशक) महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक (01.06.2022 से प्रभावी)	बीआरबीएनएमपीएल
श्री शरणप्पा थालीकरप्पा महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक (16.06.2022 से नियुक्त)	बीआरबीएनएमपीएल
महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक (16.06.2022 से नियुक्त)	
गैर–कार्यकारी निदेशक	**नामांकनकर्ता**
श्री विजय रंजन सिंह, अध्यक्ष (27.09.2023 से नियुक्त)	एसपीएमसीआईएल – आधिकारिक निदेशक
श्रीमती तृप्ति पात्रा घोष, अध्यक्ष (01.05.2021 से पुनः नियुक्त और 30.04.2023 से कार्यमुक्त)	एसपीएमसीआईएल – आधिकारिक निदेशक
श्री सुनील कुमार सिन्हा (28.09.2022 से पुनः नियुक्त, 19/05/2023 से 26/09/2023 की अवधि के लिए अध्यक्ष)	एसपीएमसीआईएल – आधिकारिक निदेशक
श्री अजय अग्रवाल (22/05/2023 से नियुक्त)	एसपीएमसीआईएल – आधिकारिक निदेशक
श्री अरविंद गोपालराव कुलकर्णी (13.10.2022 से पुनः नियुक्त)	बीआरबीएनएमपीएल – स्वतंत्र निदेशक
श्री महेश कुमार मल्ल (04/07/2023 से नियुक्त)	बीआरबीएनएमपीएल – आधिकारिक निदेशक
श्री सुधीर साहू (11.03.2023 से पुनः नियुक्त)	एसपीएमसीआईएल – आधिकारिक निदेशक
अन्य	
श्री लक्ष्मीशा बाबू एस (15.06.2018 से नियुक्त)	कंपनी सचिव–महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक

संबंधित पक्षों के साथ किया गया लेनदेनः (2023–24 के लिए)

i. कंपनी द्वारा निम्नलिखित लेनदेन संबंधित पक्षों के साथ व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में और प्रिंसिपल से प्रिंसिपल आधार पर किए जाते हैं।

(राशि ₹ लाख में)

लेन–देन की प्रकृति	बीआरबीएनएमपीएल		एसपीएमसीआईएल	
	2023–24	2022–23	2023–24	2022–23
प्रचालन से राजस्व	94,741.89	88239.93	18762.81	14006.88
माल और सेवाओं की खरीद	42.18	74.4		–
पट्टे किराये पर व्यय	24.80	1.00		–
वसूली योग्य राशि	0.00	1,418.76		–
व्यापार और अन्य प्राप्य	0	258.47		–
व्यापार देय	53.23	52.92		–
सीडबल्यूबीएन कागज़ की बिक्री के विरुद्ध अग्रिम	1991.33	–	218.05	380.00

ii. केएमपी को वेतन, भत्ता और लाभ का भुगतान (राशि ₹ लाख में)

विवरण	2023–24	2022–23
श्री एस थलीकेरप्पा*	91.98	68.83
श्री के.जी. विश्वनाथन*	3.87	79.3
श्री लक्ष्मीशा बाबू एस*	33.47	29.37

*परिभाषित लाभ लागत (उपदान और छुट्टी वेतन) शामिल नहीं है। प्रबंध निदेशक सहित कर्मचारियों के पूल के लिए परिभाषित लाभ के लिए बीमांकिक मूल्यांकन प्राप्त किया गया है और खातों में कर्मचारियों के परिभाषित लाभों के रूप में प्रदान किया गया है। इसलिए एक व्यक्तिगत कर्मचारी के रूप में प्रबंध निदेशक के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों के लिए देयता का पता लगाने योग्य नहीं है।

iii. गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों का बैठक शुल्क (राशि ₹ लाख में)

श्री अरविंद गोपाल राव कुलकर्णी	2023–24	2022–2023
बोर्ड, सीएसआर और लेखा परीक्षा समिति	3.35	2.10
सलाहकार समिति	–	1.20
जेब खर्च की प्रतिपूर्ति	0.02	0.20

(ग) आरबीआई के साथ लेन–देन और शेषः– (राशि ₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
बैंक नोटों की बिक्री	2,35,678.35	2,26,045.75
वर्ष के दौरान प्राप्त भुगतान	2,35,678.35	2,26,045.75

(ii) आरबीआई के पास शेष राशिः कंपनी खातों में, 31 मार्च, 2024 तक आरबीआई की ओर से कोई शेष बकाया राशि नहीं है (शून्य, 31/03/2023)।

(घ) महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकः

- सुश्री तृप्ति पी. घोष, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक (सीएमडी) (01.05.2018 से 30.04.2023 तक)
- श्री विजय रंजन सिंह, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक (सीएमडी) (27.09.2023 से)
- श्री सुनील कुमार सिन्हा, निदेशक (मानव संसाधन) (01.09.2016 से)
- श्री अजय अग्रवाल, निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) (23.11.2017 से)
- श्री सचिन अग्रवाल, कंपनी सचिव (कंपनी सचिव) (23.09.2009 से)

वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के साथ सिवाय नीचे दिए गए कोई लेनदेन नहीं किया गया है। कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के लिए सकल पारिश्रमिक निम्नानुसार हैः

(राशि ₹ लाख में)

नाम	पदनाम	2023–24	2022–23
सुश्री तृप्ति पात्रा घोष	अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक (30.04.2023 तक)	3.95	41.61
श्री विजय रंजन सिंह	अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक	23.45	–
श्री एस.के.सिन्हा	निदेशक (मानव संसाधन)	95.16	90.48
श्री अजय अग्रवाल	निदेशक (वित्त) और सीएफआ	74.45	79.94
श्री सचिन अग्रवाल	कंपनी सचिव	24.99	22.69
कुल		**221.98**	**234.72**

केएमपी का 31.03.2024 तक कोई बकाया नहीं है।

(ड) सेवानिवृत्ति लाभ न्याकस के साथ लेनदेन :

(राशि ₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
क. एसपीएमसीआईएल ईपीएफ ट्रस्ट के साथ लेनदेन		
1. वर्ष के दौरान किए गए/मान्यता प्राप्त व्यय		
क. मासिक योगदान	310.76	259.44
ख. मेसर्स दाराशॉ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को किया गया भुगतान	–	6.68
ग. लेखापरीक्षा शुल्क	0.24	0.47
घ. विविध व्यय	1.54	1.19
ड़. व्यावसायिक शुल्क	10.66	16.13
कुल (1)	**323.20**	**283.91**
2. वर्ष के दौरान ईपीएफ न्यास को किया गया भुगतान	3,348.20	1,182.74
3. वर्ष के दौरान ईपीएफ न्यास से प्राप्त भुगतान	(3,025.00)	
ख. एसपीएमसीआईएल पेंशन न्यास के साथ लेनदेन		
क. मासिक अंशदान	7.10	5.09
ख. वित्तीय वर्ष के लिए पेंशन भुगतान का प्रावधान	14,206.89	13,033.25
ग. वित्त वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि	63,101.00	10,235.00
ग. एसपीएमसीआईएल पीएफ न्यास के साथ लेनदेन		
1. वर्ष के दौरान किए गए/मान्य व्यय		
क. वित्तीय वर्ष के लिए मासिक योगदान	7.42	5.09
ख. मार्च, 2024 के लिए अदत्त अंशदान (विगत वर्ष में मार्च, 2023)	0.58	0.82
कुल (1)	**8.00**	**5.91**
2. प्रदत्त ऋण	**604.00**	**82.00**
घ. वर्ष के दौरान ईपीएफ का किया गया भुगतान (प्रदत्तद ऋण के	**अतिरिक्त)** –	**780.22**
ड. ट्रस्ट का अंतिम शेष (वसूलीयोग्य/देय)		
क. ईपीएफ ट्रस्ट	(253.88)	(253.88)
ख. पीएफ ट्रस्ट	639.67	34.85
ग. पेंशन ट्रस्ट	–	–

(च.) प्रमुख शेयरधारक के साथ लेन–देनः

(राशि रु. लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
प्रदत्त लाभांश		
• अन्तरिम लाभांश	–	–
• अंतिम लाभांश	53,377.59	1,962.13

भारतीय लेखांकन मानक 24 में यथावर्णित संबंधित पार्टियों के साथ कोई अन्य लेनदेन नहीं हुई है।

नोट नं. 33

भारतीय लेखांकन मानक–33 – प्रति शेयर आय (राशि ₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
कर पश्चात लाभ (लाख में)	97,265.88	1,84,243.76
विभाजक के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	98,75,00,740	98,75,00,740
मूल/मिश्रित आय प्रति शेयर (लाख में)	9.85	18.66

नोट नं. 34

भारतीय लेखांकन मानक–12 आयकर

आस्थगित कर खाते से संबंधित क्रियाकलाप इस प्रकार है:

विवरण	(राशि ₹ लाख में)
आस्थगित कर परिसंपत्तियों का प्रारंभिक शेष (पुनर्स्थापित)	36,533.97
घटा: वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्तियों (शुद्ध) में हुई कमी	(12,779.76)
आस्थगित कर परिसंपत्तियों का अंतिम शेष	23,754.21

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान अस्थायी अंतर के कारण आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों के महत्वपूर्ण घटक और वर्गीकरण इस प्रकार हैं:

विवरण	(राशि ₹ लाख में)
आस्थगित कर संपत्ति/(देनदारियाँ) के संबंध में:	
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	(14,515.68)
वर्तमान देनदारियां, व्यापार प्राप्य और प्रावधान	38,269.89
आस्थगित कर परिसंपत्तियों का अंतिम शेष	23,754.21

आस्थगित कर आस्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और इसे केवल उस सीमा तक मान्यता दी गई है कि एक उचित निश्चितता है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके खिलाफ ऐसी आस्थगित कर संपत्ति की वसूली की जा सकती है।

नोट नं. 35

कुछ व्यापार प्राप्तियों, अन्य परिसंपत्तियों, व्यापार और अन्य देयों का शेष पुष्टि/सुलह और परिणामी समायोजन के अधीन है, यदि कोई हो। जारी कार्यों के आधार पर मिलान किया जाता है जहां भी आवश्यक समझा गया है, वहां प्रावधान किए गए हैं। तथापि, प्रबंधन को ऐसी लंबित पुष्टि/सुलह का कोई प्रमुख वित्तीय प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

नोट नं. 36

प्रतिभूति जमा प्रदत्त

बिजली कनेक्शन और आपूर्ति प्राप्त करने के लिए इकाइयों द्वारा विभिन्न विद्युत विभागों/बोर्डों और कंपनियों के साथ प्रत्यायुत जमा की गई है। इनमें से अधिकांश जमा निगमीकरण से पहले किए गए हैं।

नोट नं. 37

अनुसंधान एवं विकास व्यय

कंपनी ने राजस्व स्वरूप अनुसंधान एवं विकास व्यय पर ₹ 691.66 लाख खर्च किए हैं और आर एंड डी परिसंपत्तियों में ₹ 783.71 लाख मूल्य की पीपीई वस्तुओं को जोड़ा है, उक्त राशि में से ₹ 22.40 लाख वर्ष के दौरान सीडब्ल्यूआईपी पूंजीकरण से संबन्धित हैं और वर्ष के दौरान सीडब्ल्यूआईपी में ₹ 650 लाख की राशि आर एंड डी परिसंपत्तियों से संबंधित है। वर्ष के दौरान किया गया कुल अतिरिक्त अनुसंधान एवं विकास व्यय निम्नानुसार है:

क) राजस्व स्वसरूप – ₹ 691.66 लाख
ख) पूंजी स्वसरूप – ₹ 1411.31 लाख

नोट नं. 38

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास संबंधी व्यय

कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के साथ पठित धारा 135 के अनुसार खर्च की जाने वाली सीएसआर राशि ₹ 2674.05 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1797.77 लाख) है। वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा सीएसआर पर ₹ 453.10 लाख (पिछले वर्ष ₹ 828.75 लाख) व्यय किए गए। कंपनी ने ₹ 1114.53 लाख रुकी राशि समायोजित की है। वर्ष के दौरान अव्ययित सीएसआर के प्रावधान के विरूद्ध उन परियोजनाओं का विवरण जिनके विरुद्ध राशि को अव्ययित सीएसआर (पिछले वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के साथ) के प्रावधान में समायोजित किया गया है, तालिका 38क में प्रदान किया गया है और वर्ष के दौरान खर्च किए गए सीएसआर व्यय का विवरण तालिका 38ख में प्रदान किया गया है:

तालिका 38क (पिछले वित्तीय वर्षों में अनुमोदित सीएसआर व्यय अव्ययित सीएसआर प्रावधान के लिए समायोजित)

(राशि ₹ लाख में)

क्र.सं.	सीएसआर परियोजना	2023–24	2022–23
1.	सीएसआईआर के माध्यम से अटल इनक्यूबेशन में योगदान	11.05	97.98
2.	अस्पताल में एम्बुलेंस, वेनिलेटर और फॉगिंग मशीन प्रदान करना	–	13.44
3.	सामाजिक विकास के लिए ग्राम के एकीकृत विकास हेतु सीएसआर प्रस्ताव आदर्श ग्राम सिरोल्या तहसील देवास (म.प्र.) टीईआरआई	161.29	–
4.	जीआईएमएस ग्रेटर नोएडा को चिकित्सा उपकरण प्रदान करना	36.49	78.50
5.	सीएसआर शासकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देवास में बालक–बालिकाओं के लिए दो अतिरिक्त कक्षा कक्ष एवं शौचालयों के निर्माण हेतु प्रस्ताव	6.05	3.15
6.	महिला सशक्तिकरण के लिए एएमएच एसएससी कौशल विकास (300 महिलाएं)	78.93	22.52
7.	कोविड–19 महामारी के कारण मृतकों के 266 बच्चों (स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के लिए) को सहायता प्रदान करना / ₹ 2000/– प्रति बच्चा/प्रति माह एक वर्ष की अवधि के लिए (महिला बाल विकास)	15.96	47.88
8.	जिला मुख्यालय अस्पताल, मेडचल–मलकाजगिरी, तेलंगाना को आवश्यक चिकित्सा उपकरण प्रदान करने के लिए सीएसआर प्रस्ताव	10.46	68.02

क्र.सं.	सीएसआर परियोजना	2023–24	2022–23
9.	कलकत्ता ब्लाइंड स्कूल को फर्नीचर फिक्स्चर और शैक्षिक उपकरण प्रदान करने के लिए सीएसआर प्रस्ताव	0.49	8.82
10.	आकांक्षी जिला बड़वानी के लिए बड़वानी जिला "मिशन बाल शक्ति–2.0" में पोषण के लिए सीएसआर प्रस्ताव	79.80	39.90
11.	स्वच्छ गंगा कोष और स्वच्छ भारत कोष में योगदान	–	70.66
12.	एसडीएमसी को–एड प्राइमरी स्कूल को बुनियादी ढांचा प्रदान करना	–	3.06
13.	कुपोषित बच्चों को पोषण प्रदान करना और भोजन के पैकेट का वितरण	–	23.97
14.	एम. जी. अस्पताल का नवीनीकरण	–	95.78
15.	सिविल अस्पताल सेक्टर 30 नोएडा के लिए चिकित्सा उपकरण प्रदान करने के लिए सीएसआर प्रस्ताव	–	5.58
16.	कचरा संग्रहण वाहन उपलब्ध कराने के लिए सीएसआर प्रस्ताव	–	42.09
17.	मिशनरीज ऑफ चैरिटी, नासिक को एम्बुलेंस प्रदान करने के लिए सीएसआर प्रस्ताव	–	23.64
18.	कोकाटा, हुगली और 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल में 5 बाल देखभाल संस्थान और 6 खाली घरों को उपकरण प्रदान करना	–	36.68
19.	इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, लाजपत नगर, नई दिल्ली के लिए छात्रावास भवन में स्कूल वैन और फर्नीचर प्रदान करना	–	9.88
20.	आशाग्राम अस्पताल, बड़वानी (म.प्र.) को सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध कराने का सीएसआर प्रस्ताव	–	16.99
21.	ओवेरियन कैंसर एवं विटामिन डी के जोखिम कारकों के संबंध में समुदाय आधारित मास स्क्रीनिंग कार्यक्रम के लिए सीएसआर प्रस्ताव और सर्वाइकल कैंसर सहभागिता इंटरनेशनल फाउंडेशन के बारे में जागरूकता।	–	48.41
22.	मैसर्स सेवा भारती, हैदराबाद के माध्यम से जनरल ड्यूटी असिस्टेंट/नर्सिंग सहायक प्रशिक्षण के लिए 80 महिला उम्मीदवारों (प्रत्येक 80 उम्मीदवारों के चार बैच) के कौशल विकास के लिए सीएसआर प्रस्ताव	–	50.83
23.	निगम कार्यालय सहित इकाइयों द्वारा स्थानीय निकायों/स्कूलों/समितियों आदि के माध्यम से आम जनता को वितरण के लिए ₹ 22,00,000/– (करों सहित) की अनुमानित लागत पर 44,000 राष्ट्रीय ध्वजों की खरीद / ₹ 50/– प्रति ध्वज प्रदान करने के लिए सीएसआर प्रस्ताव	–	14.34
24.	नासिक, देवास, होशंगाबाद (नर्मदापुरम) और हैदराबाद में एएलआईएमसीओ के माध्यम से दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान करना	20.32	–
25.	कामा अल्बलेस अस्पताल, मुंबई को चिकित्सा उपकरण और एक एम्बुलेंस प्रदान करना।	22.50	–
26.	संयुक्त जिला अस्पताल, जनपद महाराजगंज (सीएमओ जिला संयुक्त अस्पताल, जनपद महाराजगंज) को चिकित्सा उपकरण प्रदान करना	51.66	–

क्र.सं.	सीएसआर परियोजना	2023–24	2022–23
27.	काकीनाडा जिले में कुपोषित बच्चों के लिए अतिरिक्त पोषण प्रदान करना। (जिला महिला एवं बाल कल्याण एवं अधिकारिता अधिकारी, काकीनाडा जिला)	16.01	–
28.	सामान्य ड्यूटी सहायक पर कौशल विकास कार्यक्रम (150 ईडब्ल्यूएस लड़कियों/लड़कों के लिए 1000 घंटे का प्रशिक्षण /₹ 42/–प्रति घंटा (सीआरसीसीटी)	44.10	–
29.	बी.वाई.एल. नायर चैरिटेबल अस्पताल मुंबई को चिकित्सा उपकरण	60.14	–
30.	नवजात देखभाल इकाइयों की स्थापना	29.83	–
31.	नामको अस्पताल–नासिक को कैंसर डिटेक्शन वैन मैमोग्राफी वैन प्रदान करने का सीएसआर प्रस्ताव	90.83	–
32.	एमएनजे अस्पताल–हैदराबाद को कैथीटेराइजेशन प्रयोगशाला की स्थापना के लिए चिकित्सा उपकरण प्रदान करना	223.54	–
33.	श्री सतयु अनुसंधान केन्द्र, गाजियाबाद को एम्बुलेंस प्रदान करना	22.70	–
34.	बचत के खाते में अव्ययित राशि पीएम केयर फंड में जमा	132.41	–
35.	अन्य प्रशासनिक खर्च		6.66
36.	वर्ष के दौरान अव्ययित सीएसआर के प्रावधान के विरुद्ध किया गया सीएसआर व्यय (पिछले वर्ष के सीएसआर व्यय का संबंधित आंकड़ा पी एंड एल में डेबिट किया गया)	1,114.53	828.74

तालिका 38 ख वर्ष 2023–24 के दौरान पी एंड एल पर सीएसआर व्यय (राशि ₹ लाख में)

क्र.सं.	सीएसआर परियोजना	2023–24
1.	न्यूरोमॉड्यूलेशन सुविधा को बढ़ाने के लिए डीईईपी टीएमएस ब्रेन स्टिमुलेशन मैग्नेटिक स्टिमुलेटर की खरीद के लिए – एम्स– नई दिल्ली	168.00
2.	नासिक के ग्रामीण क्षेत्र में 12 कचरा संग्रहण वाहन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव।	86.62
3.	सेवा भारती, हैदराबाद के माध्यम से 90 महिलाओं, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के कौशल विकास का प्रस्ताव,	35.31
4.	नासिक सेंट्रल प्रिजन, नासिक में एम्बुलेंस और चिकित्सा उपकरण प्रदान करने का प्रस्ताव	2.23
5.	देवास जिले की पहल पर 'मेरा स्कूल स्मार्ट स्कूल' के तहत देवास जिले के 100 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने का प्रस्ताव	16.78
6.	पशु चिकित्सकों, विधवाओं और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए सेना सेना झंडा दिवस कोष (एएफ़एफ़डीएफ़)	100.00
7.	दिल्ली/एनसीआर के 200 बेरोजगार उम्मीदवारों को मजबूत करने के लिए सीएसआर गतिविधियों के तहत रमेश चंद चैरिटेबल ट्रस्ट (सीआरसीसीटी) द्वारा कौशल प्रशिक्षण (ड्रेसर–मेडिकल) कार्यक्रम का प्रस्ताव	25.92
8.	थर्ड पार्टी आकलन वित्त वर्ष 2021–22	5.69
9.	अन्य प्रशासनिक खर्च	12.54
	कुल	**453.10**

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय (राशि ₹ लाख में)

व्यय का विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान व्योयित आवश्यक राशि	2674.05	1797.77
बोर्ड द्वारा वर्ष के दौरान अनुमोदित राशि	2860.29	1630.67
व्ययित राशि	453.10	828.74
चालू परियोजनाओं के लिए अलग खाते में जमा की गई राशि	2683.75	1293.44
वर्ष के अंत में कमी	शून्य	शून्य
विगत वर्षों की कुल कमी	शून्य	शून्य
सीएसआर गतिविधियों का स्वलरूप	स्कूलों के लिए छात्रावास का निर्माण, अस्पताल को चिकित्सा उपकरण प्रदान करना, पुस्तकालय का निर्माण आदि।	
प्रासंगिक लेखांकन मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संदर्भ में संबंधित पार्टीगत लेन–देन का विवरण	शून्य	शून्य

चूंकि चालू परियोजनाओं की राशि बैंक खाते में जमा कर दी गई है, इसलिए कोई कमी नहीं हुई है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान चालू परियोजनाओं के संबंध में ₹ 1262.00 लाख के लिए प्रावधान किया गया है जो 31.03.2024 तक अधूरी है

31.03.2024 तक, इस संबंध में निर्धारित बैंक खातों में अव्ययित सीएसआर राशि की शेष राशि इस प्रकार हैः–

(राशि ₹ लाख में)

वर्ष	अव्ययित राशि
2022–23	1185.36
2021–22	1320.95
पूर्व वर्षों में	442.73
कुल	**2949.04**

नोट 39

भारतीय लेखांकन मानक 32 और 109 वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों की पहचान

क) परिशोधन लागत पर वित्तीय संपत्ति

तदोपरांत इन वित्तीय परिसंपत्तियों में एक व्यापार मॉडल है, तो, वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है, ताकि संविदागत नकदी प्रवाह को संचित करने के लिए इन परिसंपत्तियों को प्रतिरक्षित किया जा सके और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें नकदी प्रवाह की विनिर्दिष्ट तिथियों को बढ़ाती है, जो महज

मूलधन का भुगतान और बकाया मूल राशि पर ब्याज है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को वित्त आय में शामिल किया जाता है, जो प्रभावी ब्याज दर ('ईआईआर') विधि का उपयोग करके अर्जित की जाती है। इन परिसंपत्तियों से होने वाले लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति

वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि इन वित्तीय परिसंपत्तियों को एक ऐसे व्यवसाय के भीतर आयोजित किया जाता है जिसका उद्देश्य दोनों संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तों को नकद प्रवाह के लिए निर्दिष्ट तिथियों पर वृद्धि देते हैं जो केवल मूलधन का भुगतान करते हैं और बकाया मूल राशि पर ब्याज। हानि लाभ या हानि, ब्याज राजस्व और विदेशी मुद्रा लाभ और हानि जो लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त कर रहे हैं, की मान्यता के अलावा, ओसीआई के माध्यम से ले जाने वाली राशि में लेनदेन किए जाते हैं। इक्विटी निवेश (सहायक कंपनियों और सहयोगियों निवेश के अलावा) जो व्यापार के लिए आयोजित नहीं किए जाते हैं, कंपनी ने ओसीआई में ऐसे उपकरणों के उचित मूल्य में बाद में परिवर्तन प्रस्तुत करने के लिए एक अटल चयन किया है। इस तरह का चयन कंपनी द्वारा मौजूदा इक्विटी साधनों/नए इक्विटी साधनों के लिए प्रारंभिक मान्यता के लिए संक्रमण के समय साधन आधार पर किया जाता है।

ग) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है जब तक कि इसे परिशोधित लागत पर या प्रारंभिक मान्यता पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण लेनदेन लागत तुरंत लाभ और हानि के विवरण में पहचानी जाती है।

इक्विटी उपकरण और वित्तीय देनदारियां

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय देनदारियों और इक्विटी उपकरणों को अनुबंध में दर्ज की गई संविदात्मक व्यवस्थाओं के सार और वित्तीय देयता और इक्विटी साधन की परिभाषाओं के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

i. इक्विटी उपकरण

एक अनुबंध है जो अपनी सभी देनदारियों को काटने के बाद कंपनी की परिसंपत्तियों में अवशिष्ट ब्याज का सबूत देता है। इक्विटी उपकरण जो नकदी के लिए जारी किए जाते हैं, प्राप्त आय, प्रत्यक्ष निर्गम लागत के शुद्ध पर दर्ज किए जाते हैं। इक्विटी उपकरण जो नकदी के अलावा अन्य विचार के लिए जारी किए जाते हैं, इक्विटी उपकरण के उचित मूल्य पर दर्ज किए जाते हैं।

ii. वित्तीय देनदारियाँ

प्रारंभिक मान्यता और आगामी उपाय

वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर और उधार लेने और देय के मामले में, सीधे देय लागत के शुद्ध रूप से निर्धारण किया जाता है।

वित्तीय देनदारियों को बाद में प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है, सिवाय एक व्यावसायिक संयोजन में मान्यता प्राप्त आकस्मिक विचार के लिए जिसे बाद में लाभ या हानि के माध्यम से

उचित मूल्य पर मापा जाता है। तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाले व्यापार और अन्य देय लोगों के लिए, इन उपकरणों की कम परिपक्वता के कारण ले जाने वाले अनुमानित उचित मूल्य हैं।

वित्तीय देनदारियों को अमान्यत करना

जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन, रद्द या समाप्त हो जाता है तो वित्तीय देनदारियों को अमान्य कर दिया जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से किसी अन्य द्वारा काफी अलग–अलग शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, तो इस तरह के विनिमय को मूल देयता और एक नई देयता को अमान्य माना जाता है। संबंधित रखाव लागत राशियों में अंतर लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया गया है।

वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण परंतु इसे सीमित नहीं किया गया है :–

i) श्रेणीवार वित्तीय साधन द्वारा वर्ग (III श्रेणी): (राशि ₹ लाख में)

वित्तीय संपत्तिः	31 मार्च, 2024		31 मार्च, 2023	
	वहन राशि	परिशोधित लागत	वहन राशि	परिशोधित लागत
निवेश	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
ऋण	118.06	118.06	183.19	183.19
जमा एवं प्राप्य	2,723.43	2,723.43	2,724.18	2,724.18
व्यापार प्राप्तियां	101,869.06	101,869.06	101,655.22	101,655.22
नकद और उसके समानांतर	86,865.64	86,865.64	10,096.18	10,096.18
अन्य बैंक शेष	294,949.15	294,949.15	380,107.52	380,107.52
प्राप्तियां	–	–	0.96	0.96
अन्य	13,862.26	13,862.26	12,460.00	12,460.00
वित्तीय देनदारियांः				
व्यापारिक देनदारियां	14,247.19	14,247.19	8,581.85	8,581.85
प्रतिभूति जमा और बयाना राशि	924.63	924.63	638.99	638.99
कर्मचारी लाभ	3,029.93	3,029.93	3,290.74	3,290.74
व्यय एवं अन्य देय	10,022.20	10,022.20	4,478.19	4,478.19

ii) उचित मूल्य उपाय पदानुक्रमः

चूंकि "लाभ और हानि खाते के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)" या "अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई)" पर कोई वित्तीय प्रपत्र मूल्य नहीं हैं और सभी वित्तीय प्रपत्रों को परिशोधित मूल्य पर मूल्यवान माना गया है केवल ऊपर एक माप पदानुक्रम है और इस प्रकार कोई अलग प्रकटीकरण नहीं है।

iii) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्य :

नीचे दी गई तालिका में वित्तीय प्रपत्रों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने में किए गए निर्णय और अनुमान दिखाए गए हैं, जिन्हें परिशोधित लागत पर आंकलित किया जाता है और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है।

(राशि ₹ लाख में)

वित्तीय संपत्तिः	31 मार्च, 2024		31 मार्च, 2023	
	वहन राशि	परिशोधित लागत	वहन राशि	परिशोधित लागत
वित्तीय पूंजी				
ऋण	118.06	118.06	183.19	183.19
जमा एवं प्राप्य	2,723.43	2,723.43	2,724.18	2,724.18
वित्तीय देनदारियां				
उधारी	–	–	–	–

व्यापार प्राप्तियों, व्यापार देय, अंतर इकाई शेष, अल्पकालिक जमा, नकद और नकद समकक्ष, कर्मचारी लाभ और अन्य देय की मात्रा को उनके अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

कंपनी मानती है कि प्रत्याभुत जमा में एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है। प्रतिभूति जमा कंपनी के प्रदर्शन के साथ मेल खाता है और अनुबंध के लिए वित्त के प्रावधान के अलावा अन्य कारणों के लिए बनाए रखने के लिए राशि की आवश्यकता है। प्रत्येक मील का पत्थर भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत की रोक का उद्देश्य अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफल रहने वाले ठेकेदार से कंपनी के हितों की रक्षा करना है। तदनुसार, प्रत्याभुत जमा की लेनदेन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है और बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

iv) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने एसपीएमसीआईएल जोखिम प्रबंधन नीति–2018 का गठन किया है। एसपीएमसीआईएल जोखिम प्रबंधन नीति के गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अनुसार, जोखिम मालिकों द्वारा समर्थित एक निगम जोखिम समिति (सीआरसी) का गठन किया गया है। सीआरसी जोखिम मालिकों द्वारा रिपोर्ट किए गए सभी जोखिमों की समीक्षा करेगा, प्रमुख जोखिमों की पहचान करेगा और उन्हें कंपनी के निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) को रिपोर्ट करेगा। जोखिम प्रबंधन समिति यह सुनिश्चित करेगी कि जोखिम प्रबंधन गतिविधियां नीति के अनुसार शुरू की जाएं और संगठन के सामने आने वाले प्रमुख जोखिमों और एचओई स्तर पर किए गए शमन उपायों पर बोर्ड का मूल्यांकन करें।

नोट नं. 40

भारतीय लेखांकन मानक 116 के अनुसार पट्टे के लिए लेखांकन

कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2019 और कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) द्वितीय संशोधन नियमों के माध्यम से कारपोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') ने भारतीय लेखांकन मानक 116 पट्टों को अधिसूचित किया है जो मौजूदा लीज मानक, भारतीय लेखांकन मानक 17 पट्टों और अन्य व्याख्याओं की जगह 116 पट्टे हैं। भारतीय लेखांकन मानक 116 दोनों पट्टेदारों और पट्टेदारों के लिए पट्टों की मान्यता, माप, प्रस्तुति और प्रकटीकरण के लिए सिद्धांतों को निर्धारित करता है। यह पट्टेदारों के लिए एक एकल, तुलन पत्र पर लीज लेखांकन मॉडल का परिचय देता है।

01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी, कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 116 – पट्टों को अपनाया है और संशोधित पूर्वव्यापी विधि

का उपयोग करके 01 अप्रैल, 2020 को मौजूदा पट्टा अनुबंध के लिए मानक लागू किया है। नतीजतन, कंपनी ने प्रारंभिक आवेदन की तारीख में शेष पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पट्टे की देयता दर्ज की, जो वृद्धिशील उधारी दर पर छूट दी गई है और प्रारंभिक आवेदन की तारीख में पट्टा देयता के बराबर राशि पर उपयोग परिसंपत्ति का अधिकार है। तदनुसार, कंपनी ने तुलनात्मक जानकारी को फिर से नहीं दर्शाया है।

कंपनी ने संपत्ति उपयोगाधिकार की और ₹ 1605.87 लाख के पट्टा देयता को परिवर्तन की तिथि से मान्यता दी है। प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त लीज देनदारियों के लिए 8% की वृद्धिशील उधार दर लागू की गई है।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹ 674.42 (पिछले वर्ष ₹ 738.00 लाख) पट्टों पर व्यय किया। वित्त लागत ₹ 142.74 लाख (पिछले वर्ष ₹ 222.01 लाख) है और उपयोग के अधिकार की संपत्ति पर मूल्यह्रास ₹ 581.84 लाख है।

भारत सरकार टकसाल, नोएडा के मामले में, पट्टे पर दी गई संपत्ति के लिए भविष्य में कोई पट्टा देयता नहीं है, क्योंकि पट्टे के किराए की पूरी राशि का एकमुश्त भुगतान कर दिया गया था। इसलिए, कोई पट्टा देयता नहीं बनाई गई है।

निगम कार्यालय के मामले में एक पट्टा समझौता 10 अक्टूबर, 2022 को समाप्त हो गया है। वह कार्रवाई हेतु विचाराधीन है और तब तक परिसर के उपयोग के लिए भुगतान किराए के रूप में बुक किया गया है और इसे पट्टे के रूप में नहीं माना गया है।

कंपनी के लिए 31.03.2024 तक उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है:–

(राशि ₹ लाख में)

संपत्ति उपयोग का अधिकार	31.03.2024 को समाप्त वर्ष में वृद्धि राशि	31.03.2024 को कुल वहन राशि
भूमि	–	128.71
भवन	36.47	1,061.86
कुल	**36.47**	**1,190.57**

नोट नं. 41

निष्क्रिय चल/अचल मालसूची

कंपनी के पास धीमी, उपयोगी और अचल वस्तुओं का भंडार है। मूल्यांकन लागत के न्यूनतम पर अथवा शुद्ध वसूली मूल्य, पर किया गया है। स्टोर, वित्त और तकनीकी समिति के सदस्यों वाली स्थायी समिति/निस्तारण समिति बनाकर इकाइयों में एनआरवी का पता लगाया गया है।

नोट नं. 42

आरबीआई के पास रखा सोना

भारतीय रिजर्व बैंक के पास 85,555 ग्राम सोना रखा है। उपरोक्त में से, वर्ष 2006–07 में भारतीय रिजर्व बैंक के स्वर्ण शीर्ष के तहत 10,336 ग्राम (₹ 1,43,670/– का मूल्य) के सोने का पहले ही लेखा परीक्षण किया जा चुका है जिसका कब्जा भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। भारत सरकार टकसाल, मुंबई उसी को कब्जे में लेने की व्यवस्था करेगी। 75,219 ग्राम शेष के संबंध में, भारत सरकार टकसाल, मुंबई को भारतीय रिजर्व बैंक दिनांक 06.06.2008 संदर्भः सं. बीवाई.

सीवाई. सं. 5047/01.11.044/2007–08 से एक पत्र मिला है कि उनके पास सार्वजनिक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई की ओर से सोना रखा गया है। इसलिए सोना इकाई से संबंधित नहीं है, और इसलिए इसे अपने खाते में नहीं दर्शाया गया है।

नोट नं. 43

परित्यक्त संपत्ति

भारत सरकार टकसाल, कोलकाता में 31.03.2023 तक ₹ 2531.88 लाख की बकाया संपत्ति परित्यक्त है। भारत सरकार टकसाल, कोलकाता में बिक्री के लिए रखी परित्यक्त संपत्तियों का मूल्य 31.03.2024 तक ₹ 2166.39 लाख है। ₹ 309.40 लाख की अंतर राशि को 'बिक्री से विरक्त संपत्ति' के निपटान की लागत के रूप में दर्शाया गया है और इसे लाभ और हानि विवरण के नोट संख्या 20 और परित्यक्त संपत्ति की बिक्री के रूप में प्रदर्शित किया गया है तथा ₹ 415.62 लाख की परित्यक्त संपत्ति को स्क्रैप बिक्री में शामिल किया गया है एवं नोट संख्या 18 में दिखाया गया है। परित्यक्त संपत्ति में अचल संपत्ति और कच्चा माल दोनों ही सम्मिलित हैं। पीपीई परित्यक्त वस्तुओं की बिक्री पर हानि की राशि ₹ 31.64 लाख को अन्य खर्चों के तहत दर्शाया गया है।

31.03.2024 तक बिक्री के लिए रखी गई कुल परित्यक्त संपत्ति ₹ 2195.68 लाख है।

नोट नं. 44

पूर्व अवधि मदों से संबंधित प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्व अवधि से संबंधित प्रमुख मदों का समायोजन नहीं किया गया है।

नोट 45

लाभांशः

वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरधारकों को वर्ष 2022–23 के लिए ₹ 53,377.59 लाख का अंतिम लाभांश भुगतान किया है। वर्ष 2023–24 के दौरान कोई अंतरिम लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

नोट 46

भारत सरकार से निधि (समायोज्य)

'भारत सरकार से निधि (समायोज्य)' खाते में 31.03.2014 तक शेष राशि ₹ 287864 लाख थी। पत्र संख्या 3/2/2008–सीवाई–।।। पीएमसी दिनांक 09.02.2015 के अनुसार, एसपीएमसीआईएल की पूंजी संरचना को 01.04.2015 से अंतिम रूप दिया गया था (पत्र संख्या 3/2/2008–सीवाई–।।। एसपीएमसी दिनांक 24.07.2015) और (पत्र संख्या 13/2/2016–एसपीएमसी दिनांक 04.03.2020)। अंतिम पूंजी संरचना के अनुसार ₹ 118244 लाख इक्विटी में अंतरित किए गए थे। ₹ 18245 लाख देय ऋण में अंतरित किए गए थे और ₹ 33400 लाख पूँजीगत रिजर्व में अंतरित किए गए। ₹ 17975.76 लाख की शेष राशि 'भारत सरकार से निधि (समायोज्य)' खाते में थी।

कंपनी के पास सरकार से देय राशियों के खाते में शेष राशि है। पीएओ के साथ संयुक्त विकल्पधारक कर्मचारियों की संचित शेष राशि के लिए ₹ 369.50 लाख, ₹ 901.97 लाख प्रारंभिक शेष राशि के लिए और ब्याज राशि जो पीएओ से निगमीकरण के समय आनुपातिक विकल्पधारक कर्मचारियों के लिए वसूली योग्य है और ₹ 850.24 लाख एमओएफ के साथ असमाधान शेष के कारण शेष है। वर्ष 2019–20 में, कुल राशि ₹ 2121.71 लाख को देय राशि से समायोजित

किया गया है और अब भारत सरकार से समायोज्य शेष राशि ₹ 15854.05 लाख है जिसे वित्त मंत्रालय के साथ निपटान किया जाना बाकी है। जीएल में शेष राशि के संबंध में निर्देशों के लिए वित्त मंत्रालय को दिनांक 22.05.2024 को पत्र अग्रेषित किया गया है, कंपनी वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार आवश्यक लेखांकन करेगी।

नोट 47

प्रशुल्क आयोग का संदर्भ

सीएसी द्वारा निर्धारित और एमओएफ द्वारा अनुमोदित बैंक नोटों के मूल्य निर्धारण के आधार पर कंपनी ने दरों में अंतर के लिए आरबीआई पर दावा किया था। हालांकि आरबीआई ने दावे पर विचार नहीं किया है और बीआरबीएनएमपीएल की तुलना में एसपीएमसीआईएल को देय दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए कहा है। तदनुसार रणनीतिक योजना समूह की बैठकों में विभिन्न चर्चाओं के अनुसार योजना समूह, वास्तविक लागत/मूल्य निर्धारण के लिए मामला टैरिफ आयोग को भेजा गया है।

हालांकि प्रशुल्क आयोग बंद होने की स्थिति में, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के दिनांक 17.02.2022 के ईओएम संख्या 7/7/2020 के माध्यम से एसपीएमसीआईएल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को वर्ष 2011–12 से वर्ष 2019–20 तक आपूर्ति किए गए बैंक नोटों के उचित मूल्य निर्धारण पर विचार आमंत्रित किए गए थे। इस ईओएम के जवाब में, एसपीएमसीआईएल ने दिनांक 09.03.2022 के पत्र के माध्यम से वित्त मंत्रालय को सूचित किया कि इस अध्ययन को करने की कोई आवश्यकता/औचित्य नहीं है और प्रशुल्क आयोग के बंद होने से एसपीएमसीआईएल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नोट नं. 48

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान सीएनपी नासिक में 500 रुपये का एक बंडल गायब हो गया था। इकाई द्वारा जांच एजेंसियों की मदद से उसी की जांच की जा रही थी। उसी के अंतिम परिणाम में, न्यायिक मजिस्ट्रेट डिवीजन–1 कोर्ट, नासिक–रोड, नासिक ने 24/08/2022 के अपने आदेश में टिप्पणी 'सी' सार के साथ मामले को बंद कर दिया है। सही और निष्पक्ष अवलोकन बनाए रखने के लिए बंडल की लागत अर्थात् ₹ 3170.07 को मालसूची से ही हटाकर अन्य प्राप्य के रूप में दर्ज किया गया था।

नोट नं. 49

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार व्यापार प्राप्तियों की हानी के लिए ईसीएल नीति अपनाई है, पूर्व में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सिफारिश पर, कंपनी तुलन पत्र तिथि के रूप में तीन वर्ष से अधिक पुराने बकाया व्यापार रसीदों के लिए 100% प्रावधान कर रही थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष (2023–24) के दौरान, ईसीएल मैट्रिक्स को लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में अद्यतन किया गया है; संशोधित मैट्रिक्स लेखांकन नीति नोट 2.4.9 में साझा किया गया है। अद्यतन किए गए ईसीएल मैट्रिक्स के अनुसार कार्य निम्नलिखित हैः

(राशि ₹ लाख में)

व्यापारिक प्राप्तियां	31/03/2023 को ईसीएल	वित्त वर्ष 2023–24 दौरान उपलब्ध अतिरिक्त ईसीएल	वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान प्रतिलेखित ईसीएल	31/03/2024 को कुल ईसीएल
1 वर्ष–2 वर्ष	157.50	122.04	11.10	268.44
2 वर्ष–3 वर्ष	467.92	574.34	187.85	854.41
3 वर्ष–4 वर्ष	1,628.89	388.73	658.61	1,359.01
4 वर्ष–5 वर्ष	2,584.00	579.13	1,817.96	1,345.17
5 वर्ष से अधिक	11,939.81	1,591.61	–	13,531.42
कुल	**16,778.12**	**3,255.85**	**1,283.58**	**17,358.45**

नोट नं. 50

वर्ष के दौरान या पिछले वर्ष में कंपनी ने किसी भी संयंत्र, संपत्ति या उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

नोट 51

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा लाभ/अर्जित/उपगत हानि का विवरण इस प्रकार है: (राशि ₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	2023–24	2022–23
1	विदेशी मुद्रा लाभ	577.64	298.47
2	विदेशी मुद्रा हानि	176.33	5.47

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी ने ₹ 10.46 लाख (पिछले वर्ष ₹ 6.39 लाख) की निर्यात बिक्री की है।

नोट नं. 52

कंपनी के पास कोई ऐसी अघोषित आय नहीं है, जिसे लेखा विवरणों में दर्ज नहीं किया गया हो और जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वर्ष के दौरान आयकर मूल्यांकन में समर्पित या खुलासा किया गया हो (जैसे, खोज या सर्वे या आयकर अधिनियम, 1961 की किसी अन्य प्रावधानों के तहत)।

नोट नं. 53

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्रवाई शुरू या लंबित नहीं है।

नोट नं. 54

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

नोट नं. 55

कंपनी के पास कोई शुल्क या प्रतिफल नहीं है जो अभी तक वैधानिक अवधि से परे आरओसी के साथ पंजीकृत नहीं है।

नोट नं. 56

किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा कंपनी को इरादतन बकायादार घोषित नहीं किया गया है।

नोट नं. 57

लेन–देन के समय उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, कंपनी ने किसी अन्य कंपनी के साथ कोई लेन–देन नहीं किया है जिसका नाम कंपनी के साथ लेन–देन के समय काट दिया गया हो।

नोट नं. 58

कंपनी ने व्यवस्था की किसी भी योजना को मंजूरी नहीं दी है।

नोट नं. 59

तुलन पत्र की तारीख में, कंपनी ने किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कोई धन उधार नहीं लिया है।

नोट नं. 60

वर्ष के दौरान, कंपनी ने एसपीएमसीआईएल भविष्य निधि न्यास को कार्यशील पूंजी के लिए घ604 लाख का ऋण प्रदान किया था। एसपीएमसीआईएल भविष्य निधि न्यास द्वारा 11 जून, 2024 को इसके साथ ही पिछले वित्तीय वर्ष (FY 2022–23) से पुराना बकाया का भुगतान किया गया। इसी वित्तीय वर्ष में, कंपनी ने एसपीएमसीआईएल भविष्य निधि न्यास को ₹ 3025.00 लाख की विभिन्न राशियों का ऋण प्रदान किया था, जिसे विशेष ध्यान देने योग्य परियोजना ने उसी वित्तीय वर्ष के अंदर भुगतान किया था। इन राशियों के अलावा, कंपनी ने इस वर्ष के दौरान प्रमोटर्स, निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (केएमपी) और संबंधित पक्षों (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित) को सिविल या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई ऋण या ऋण के समकक्ष अग्रिम नहीं प्रदान किया था।

(क) मांग पर चुकाने योग्य या

(ख) किसी भी शर्तों या चुकौती की अवधि निर्दिष्ट किए बिना

नोट नं. 61

कंपनी अपने लेखा विवरणों के रखरखाव के लिए एक लेखा सॉफ़्टवेयर उपयोग करती है, जैसे एसएपी ईसीसी 6.0, जिसमें लेखा ट्रेल (संपादन लॉग) दर्ज करने की सुविधा होती है और यह समस्त महत्वपूर्ण लेन–देन के लिए पूरे वर्ष क्रियान्वयन में रही है। इसके अतिरिक्त, लेखा सॉफ़्टवेयर के संदर्भ में संपादन लॉग सुविधा का किसी भी मामले में बदलाव किए जाने का कोई उदाहरण नहीं मिला।

नोट नं. 62 व्यापार देय की समयावधि

31.03.2024 को स्थिति

भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया (राशि ₹ लाख में)

विवरण	वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 साल	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	516.05	–	–	–	516.05
(ii) अन्य	13,362.12	327.98	40.55	0.50	13,731.14
(iii) विवादित बकाया–एमएसएमई	–	–	–	–	–
(iv) विवादित बकाया–अन्य	–	–	–	–	–
कुल	**13,878.17**	**327.98**	**40.55**	**0.50**	**14,247.19**

31.03.2023 को स्थिति

भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया (राशि ₹ लाख में)

विवरण	वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 साल	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	785.22	15.08	–	–	800.30
(ii) अन्य	5,452.03	2,337.95	(9.60)	1.16	7,781.54
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	–	–	–	–	–
(iv) विवादित बकाया – अन्य	–	–	–	–	–
कुल	**6,237.25**	**2,353.03**	**(9.60)**	**1.16**	**8,581.84**

नोट 63

सीडबल्यूआईपी (पूंजीगत कार्य–प्रगति) और विकासात्मक संपत्तियों की समयावधि

31.03.2024 को स्थिति (राशि ₹ लाख में)

सीडबल्यूआईपी	की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 साल	3 से अधिक वर्ष	कुल
चालू परियोजनाएं	18,670.62	2,513.58	106.56	–	21290.77
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	–	–	–	–	–

31.03.2024 को स्थिति (राशि ₹ लाख में)

विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	की अवधि के लिए आईएयूडी में राशि				
	वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 साल	3 से अधिक वर्ष	कुल
चालू परियोजनाएं	960.44	–	–	–	960.44
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	–	–	–	–	–

31.03.2023 को स्थिति (राशि ₹ लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 साल	3 से अधिक वर्ष	कुल
चालू परियोजनाएं	960.44	–	–	–	960.44
चालू परियोजनाएं	4,635.83	282.34	184.80	357.08	5460.05
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	–	–	–	–	–

31.03.2023 को स्थिति (राशि ₹ लाख में)

विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	की अवधि के लिए आईएयूडी में राशि				
	वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 साल	3 से अधिक वर्ष	कुल
चालू परियोजनाएं	–	–	–	–	–
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	–	–	–	–	–

सीडब्यू आईपी की पूर्ण होने की अवधि

31.03.2024 को स्थिति (रुपये लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी की समापन अवधि	समापन अवधि कुल				
	वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 साल	3 से अधिक वर्ष	कुल
चालू परियोजनाएं	21,290.75	–	–	–	21,290.75
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	–	–	–	–	
कुल	**21,290.75**	–	–	–	**21,290.75**

31.03.2024 को स्थिति (राशि ₹ लाख में)

समापन अवधि विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	समापन अवधि कुल				
	वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 साल	3 से अधिक वर्ष	कुल
चालू परियोजनाएं	960.44	–	–	–	960.44
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	–	–	–	–	
कुल	**960.44**	–	–	–	**960.44**

31.03.2023 को स्थिति (राशि ₹ लाख में)

समापन अवधि सीडबल्यूआईपी	समापन अवधि कुल				
	वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 साल	3 से अधिक वर्ष	कुल
चालू परियोजनाएं	3,501.30	1,958.75	–	–	5,460.05
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	–	–	–	–	–

31.03.2023 को स्थिति (राशि ₹ लाख में)

समापन अवधि विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	समापन अवधि कुल				
	वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 साल	3 से अधिक वर्ष	कुल
चालू परियोजनाएं	–	–	–	–	–
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	–	–	–	–	
कुल	–	–	–	–	–

नोट नं. 64

व्यापारिक प्राप्य की अवधि

31.03.2024 को स्थिति (राशि ₹ लाख में)

विवरण	6 महीने से कम	6 महीने –1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य– प्रमुख सामग्री	76,890.95	9,414.21	6,092.69	3,850.51	5,620.69	101,869.06
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य– संदेहास्प द मानी गई	–	–	268.44	854.41	16,235.59	17,358.45
(iii) विवादित व्यापार प्राप्तियां – प्रमुख सामग्री	–	–	–	–	–	–
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य– संदिग्धा	–	–	–	–	–	–
कुल	**76,890.95**	**9,414.21**	**6,361.13**	**4,704.92**	**21,856.28**	**119,227.51**

31.03.2023 को स्थिति (राशि ₹ लाख में)

विवरण	6 महीने से कम	6 महीने –1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य– प्रमुख सामग्री	76,764.96	8,216.42	6,266.85	6,634.75	3,772.25	101,655.23
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य– संदिग्ध	–	–	157.38	467.82	16,152.92	16,778.12
(iii) विवादित व्यापार प्राप्तियां– प्रमुख सामग्री	–	–	–	–	–	–
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य– संदिग्ध	–	–	–	–	–	–
कुल	**76,764.96**	**8,216.42**	**6,424.23**	**7,102.57**	**19,925.17**	**118,433.34**

नोट नं. 65

भारतीय लेखांकन मानक 7 से संबंधित प्रकटीकरण, वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देनदारियों में परिवर्तन

कंपनी के पास वित्तीय प्रकृति की कोई बाहरी उधारी नहीं है; इसलिए यह खुलासा कंपनी पर लागू नहीं होता है।

नोट नं. 66

संयुक्त उद्यम लाभ में अंतर समूह लेन–देन का मिलान लाभ और हानि खाते में लिया गया

कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम से खरीदे गए सीडब्ल्यूबीएन स्टॉक को बंद करने पर अप्राप्त लाभ में एसपीएमसीआईएल का हिस्सा भारतीय लेखांकन मानक 28 (इक्विटी विधि) के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त उद्यम का लाभ लेते समय कम कर दिया गया है। उसी का सामंजस्य इस प्रकार है:

(राशि ₹ लाख में)

क्रं. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2022–23
1	संयुक्त उद्यम का लाभ (संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों के अनुसार)	23179.36	20656.99
2	एसपीएमसीआईएल का हिस्सा (50%)	11589.68	10328.50
3	जोड़ें:– सीडबल्यूबीएन कागज़ पर अवास्तविक लाभ (पिछले वर्ष संयुक्त उद्यम के लाभ शेयर से कम)	135.84	1036.19
4	घटा:– कंपनी के साथ सीडब्ल्यूबीएन पेपर स्टॉक बंद करने के कारण संयुक्त उद्यम लाभ में अवास्तविक लाभ में एसपीएमसीआईएल का हिस्सा	382.68	135.84
5	संयुक्त उद्यम का शुद्ध लाभ समेकित लाभ एवं खाते में लिया गया (2 + 3–4)	11342.84	11228.85
6	संयुक्त उद्यम के ओसीआई में एसपीएमसीआईएल की हिस्सेदारी (संयुक्त उद्यम के ओसीआई का 50%)	–37.85	–10.96
	समेकित लाभ और हानि खाते में ली गई संयुक्त उद्यम की कुल व्यापक आय (5+6)	11304.99	11217.89

नोट सं. 67

समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त जानकारी

(राशि ₹ लाख में)

क्रं. सं.	उद्यम का नाम (शेयर का %)	31.03.2024 को स्वामित्व ब्याज का अनु9'पात	शुद्ध संपत्ति अर्थात कुल संपत्ति घटा कुल देनदारियां		लाभ या हानि में हिस्सा		अन्य व्यापक आय में हिस्सा		कुल व्यापक आय में हिस्सा	
			समेकित शुद्ध संपत्ति के % के रूप में	राशि (रु) लाख में)	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि (रु) लाख में)	समेकित ओसीआई के % के रूप में	राशि (रु) लाख में)	कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि (रु) लाख में)
1	एसपीएमसी आईएल एकल		91.28%	728,215.25	88.34%	85,923.04	100.40%	9,551.00	89.41%	95,474.04
2	संयुक्त उद्यम (भारतीय)									
	बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	50.00%	8.72%	69,603.26	11.66%	11,342.84	–0.40%	(37.85)	10.59%	11,304.99

नोट नं. 68

31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए अतिरिक्त विनियामक जानकारी

अचल संपत्तियों का स्वामित्व विलेख, जो कंपनी के नाम पर नहीं है						
तुलनपत्र की प्रासंगिक मदें	संपत्तिगत मद का विवरण	सकल वहन मूल्य ₹ लाख में	नामे शीर्ष विलेख	क्या शीर्ष विलेख धारक प्रचारक, निदेशक या प्रचारक' / निदेशक का संबंधी या प्रचारक / निदेशक का कर्मी	संपत्ति धारण की तिथि	कंपनी के नाम न होने का कारण'' (''विवादास्पिद भी बताएं)
पीपीई प्र.का.का., नर्मदापुरम	भूमि	3.57	प्र.का.का., नर्मदापुरम	नहीं	वर्ष 2006 से	109.40 एकड़ के लिए उत्परिवर्तन प्रक्रिया में है,
पीपीई भा.स.ट. कोलकाता	भवन	1,100.86	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	नहीं	वर्ष 2006 से	औपचारिक समनुदेशन विलेख का पंजीकरण प्रक्रियाधीन है।
	भूमि और भवन	1.47			26.10.2020	स्ट्रैंड रोड, कोलकाता में स्थित ओल्ड मिंट कॉम्प्लेक्स पंजीकरण के लिए प्रक्रियाधीन है।
पीपीई भा.स.ट. मुंबई	भूमि	4.44	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	नहीं	वर्ष 2006 से	स्थानांतरण के लिए प्रलेखन प्रक्रियाधीन है। कुल 51609.11 वर्ग मीटर भूमि में से, परेल संपत्ति में अतिक्रमण हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है: क) भवन संख्या 09, परेल मिंट कॉलोनी के पीछे, साईराम आदर्श सेवा मंडल के तहत लगभग 500 वर्ग मीटर में अतिक्रमण है।

						ख) मिंट कॉलोनी के उत्तरी कोने, लगभग 1000 वर्ग मीटर, महंत गोदावरी गिरिजी और उनके अनुयायियों के आश्रम द्वारा अतिक्रमण किया गया है।
पीपीई च.प्र.मु. नासिक	भूमि	59.56	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	नहीं	वर्ष 2006 से	निगमीकरण के बाद वित्त मंत्रालय से दिनांक 10.02.2006 को भूमि और भवन का बड़ा हिस्सा एसपीएमसीआईएल को हस्तांतरित कर दिया गया था। सभी 7/12 एक्सट्रैक्ट एसपीएमसीआईएल के नाम पर हैं। स्वत्वाधिकार विलेख में नाम बदलने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।
	गैर–कारखाना भवन	642.35				
	कारखाना भवन	1860.88				
पीपीई भा.प्र.मु. नासिक	भूमि	25.52	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	नहीं	वर्ष 2006 से	निगमीकरण के बाद वित्त मंत्रालय से दिनांक 10.02.2006 को भूमि और भवन का बड़ा हिस्सा एसपीएमसीआईएल को हस्तांतरित कर दिया गया था। सभी 7/12 एक्सट्रैक्ट एसपीएमसीआईएल के नाम पर हैं। स्वत्वाधिकार विलेख में नाम बदलने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।
	गैर–कारखाना भवन	1484.06				
	कारखाना भवन	699.83				

नोट नं. 69

अनुपात

विवरण	अंश	भाजक	अनुपात 2023–24	अनुपात 2022–23	अनुपातिक परिवर्तन
वर्तमान अनुपात	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देनदारियां	8.44	9.49	–11%
ऋण इक्विटी अनुपात	ऋण	हिस्से दारी	–	–	
कर्ज सेवा अनुपात कवरेज	शुद्ध ऑपरेटिंग आय	कुल ऋण सेवा	–	–	
इक्विटी अनुपात पर वापसी	ब्याज के बाद शुद्ध लाभ	शेयरधारक निधि	12.66%	26.05%	–51%
इंवेंटरी टर्नओवर अनुपात	बेचे गए माल की कीमत	औसत सूची	1.67	1.47	14%
व्या पार प्राप्य कारोबार अनुपात	उधार ब्रिकी	प्राप्यर औसत खाते	4.33	4.16	4%
व्यापार देय कारोबार अनुपात	उधार खरीद	देय औसत खाते	14.16	11.48	23%
शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	कुल ब्रिकी	नियोजित पूंजी	0.79	0.82	–3%
शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ	बिक्री	20.63%	37.46%	–45%
नियोजित पूंजी पर वापसी	ब्याज और कर पूर्व परिचालन लाभ	नियोजित कुल पूंजी	13.99%	24.48%	–43%
निवेश पर प्रतिफल	करोपरांत शुद्ध लाभ	कुल संपत्ति	9.41%	18.83%	–48%

* क्रेडिट बिक्री, मेडल और परिचालन सिक्के की बिक्री की गणना के लिए, सिक्के, छिटपुट काम और कबाड़ को नकद बिक्री माना जाता है; इसलिए क्रेडिट बिक्री की गणना के लिए इन वस्तुओं को संचालन से राजस्व की मद से कम कर दिया गया है।

आरओई, आरओआई, आरओसीई और शुद्ध लाभ अनुपात में परिवर्तन के लिए स्पष्टीकरण

पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि के कारण पिछले साल की तुलना में राजस्व में सुधार हुआ है।

- वित्त वर्ष 2022–23 में वित्त वर्ष 2018–19 और 2019–20 के लिए परिचालन सिक्कों के लिए ₹ 385 करोड़ प्राप्त होने के कारण, परिचालन सिक्कों से प्राप्त राजस्व ₹ 842 करोड़ था, जबकि वित्तीय वर्ष के दौरान यह घटकर ₹ 476 करोड़ हो गया है। (इस वर्ष % शेयर 17% से घटकर 10% हो गया)
- गैर–सिक्का व्यवसाय से राजस्व 406.46 करोड़ रुपये से घटकर ₹ 259.77 करोड़ रुपये हो गया है।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 में, पुराने वैट और बिक्री कर मामलों के निपटान के कारण, ₹ 545.62 करोड़ रुपये का प्रावधान उलट दिया गया था, इसलिए वित्त वर्ष 2022–23 का कर पश्चात लाभ असाधारण रूप से अधिक था।
- (उत्पादवार राजस्व का ब्यौरा नीचे दिया गया है:)

उत्पाद–वार राजस्व विवरण					
क्र.सं.	उत्पाद	2023–24		2022–23	
		राशि (लाख रुपये में)	%	राशि (लाख रुपये में)	%
1	मुद्रा नोट	235,678.35	50%	226,045.79	46%
2	प्रचलन सिक्के	47,567.29	10%	84,180.65	17%
3	पदक और स्मारक सिक्के	13,776.31	3%	18,022.36	4%
4	सोने के सिक्के और ईंटें	11,700.99	2%	22,101.75	4%
5	चांदी के सिक्के	499.71	0%	522.17	0%
6	पासपोर्ट	52,158.05	11%	44,268.76	9%
7	डाक का	2,204.10	0%	5,174.97	1%
8	गैर डाक	25,037.24	5%	21,023.28	4%
9	एनजेएसपी	45,073.83	10%	51,454.22	10%
10	अन्य	37,783.85	8%	19,027.74	4%
	कुल	**471,480**	**100%**	**491,822**	**100%**

नोट नं. 70

बेहतर विवरण के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण को प्रतिपुष्ट करने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, पुनः प्रस्तुत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है। पिछले वर्ष का प्रमुख पुनर्समूहन/पुनर्वर्गीकरण इस प्रकार हैं–

विवरण	राशि (₹लाख में)	विगत वर्गीकरण	पुनः वर्गीकरण	विचार
प्रावधान गैर वर्तमान	178337.79	ईबीओ– गैर वर्तमान	प्रावधान गैर वर्तमान	बेहतर प्रस्तुति के लिए और वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुपालन में
प्रावधान वर्तमान	17155.58	ईबीओ– वर्तमान	प्रावधान वर्तमान	बेहतर प्रस्तुति के लिए और वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुपालन में
व्यापार देय– वर्तमान	4.37	ओसीएल– ओसीएल	व्यापार देय– वर्तमान	बेहतर प्रस्तुति के लिए और वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुपालन में
अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियां	696.55	अन्य वर्तमान देनदारियां	अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियां	बेहतर प्रस्तुति के लिए और वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुपालन में

विवरण	राशि (₹लाख में)	विगत वर्गीकरण	पुनः वर्गीकरण	विचार
प्राप्य व्यापार– वर्तमान	1509.64	व्यापार प्राप्य वर्तमान सुरक्षित	व्यापार प्राप्य वर्तमान असुरक्षित	बेहतर प्रस्तुति के लिए और वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुपालन में
कर्मचारियों को ऋण गैर वर्तमान और वर्तमान– असुरक्षित	27.80	ऋण (वर्तमान और गैर वर्तमान) – सुरक्षित	ऋण (वर्तमान और गैर वर्तमान) – असुरक्षित	बेहतर प्रस्तुति के लिए और वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुपालन में
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	3843.82	अन्य गैर चालू वित्तीय आस्तियां	अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियों के साथ संयोजित वित्तीय आस्तियों और इसके विपरीत को बेहतर प्रस्तुति के लिए और वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुपालन में फिर से समूहीकृत किया गया था
अन्य वर्तमान वित्तीय संपत्ति– अन्य अग्रिम	522.37	ओसीएफ़ए–अन्य अग्रिम	ओसीए– आपूर्तिकर्ताओं और ओएनसीए–कैपिटल एडवांस को अग्रिम	बेहतर प्रस्तुति के लिए और वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुपालन में
अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्ति – कैपिटल अग्रिम	4066.01	ओसीए–कैपिटल एडवांस, सप्लायर्स को एडवांस, ओसीएफ़ए–अन्य एडवांस, ओएनसीए–दूसरों को एडवांस	अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्ति – कैपिटल अग्रिम	बेहतर प्रस्तुति के लिए और वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुपालन में

नोट नं. 71

कंपनी के लिए कार्यात्मक और प्रस्तुति भारतीय रुपये में है।

हेतु मैसर्स ज्ञानेन्द्र एंड एसोसिएट्स
सनदीलेखाकार
फर्म रजि. नंबर : 04661एन

ह०/–
(जी.के. अग्रवाल)
एम. नं. 081603
साझेदार

कृते भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

ह०/–
(सचिन अग्रवाल)
कंपनी सचिव
(पैन एडीआरपीए9630क्यू)

ह०/–
(अजय अग्रवाल)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
(डीआईएन : 06778079)

ह०/–
(विजय रंजन सिंह)
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 06386038)

दिनांकः 10 जुलाई, 2024
स्थानः नई दिल्ली

अनुलग्नक

एओसी–1

अनुशंगी/सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताओं का विवरण

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पाठ्य धारा 129 की उपधारा (3) के प्रथम नियम के अनुसरण में)

भाग "क"

सहायिका	लागू नहीं

भाग "ख" सहायक एवं संयुक्त उद्यम

	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसरण में सहायक कंपनी संबंध में विवरण	
	एसोसिएट/संयुक्त उद्यम का नाम	बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1.	अंतिम लेखा परीक्षित तुलन पत्र की तिथि	31.03.2024
2.	कंपनी द्वारा सहायक/संयुक्त उद्यम के वर्ष के अंत में रखे गए शेयरों की संख्या	40,00,00,000
	सहायक/संयुक्त उद्यम में निवेश की गई राशि	4,00,00,00,000
3.	इसमें महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (6) के अनुसार
4.	एसोसिएट/संयुक्त उद्यम के समेकित न होने के कारण	लागू नहीं
5.	नवीतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयधारिता के लिए निवल मूल्य	₹ 109985.96 लाख
6.	वर्ष के लिए लाभ / हानि	₹ 11551.84 लाख
(i)	समेकन में माना गया	हाँ
(ii)	समेकन पर नहीं माना गया	लागू नहीं

1) एसोसिएट/संयुक्त उद्यम का नाम जिनमें अभी प्रचालन प्रारंभ होना है – लागू नहीं

2) एसोसिएट/संयुक्त उद्यम जिन्हें वर्ष के दौरान परिसीमन अथवा बेचा गया

हेतु और कृते
मैसर्स ज्ञानेन्द्र एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 04661एन

ह०/–
(जी.के. अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्याः 081603

दिनांकः 10 जुलाई 2024
स्थानः नई दिल्ली

कृते भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

ह०/–
(सचिन अग्रवाल)
(कंपनी सचिव)
(PAN ADRPA9630Q)

ह०/–
(अजय अग्रवाल)
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
(DIN: 06778079)

ह०/–
(विजय रंजन सिंह)
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक
(DIN:06386038)

शब्दावली

एएमएस	उपस्थिति प्रबंधन प्रणाली
एपीआर	वार्षिक संपत्ति विवरण
एपीवी	वार्षिक भौतिक सत्यापन
बीएआरसी	भाभा प्रमाणु अनुसंधान केन्द्र
बैनोमु	बैंक नोट मुद्रणालय
बीएनपीएमआइपीएल	बैंक नोट पेपर मिल इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
बीएनडी	भारतीय निर्देशक द्रव्य
बीपीएस	बैंक नोट प्रोसेसिंग सिस्टम
सीएण्डएजी	नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक
सीएसी	मुख्य सलाहकार लागत
सीडीए	केन्द्रीय महंगाई भत्ता
सीईसीआरआई	केन्द्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान
सीईएसटीपी	दूषित जल उपचार संयंत्र
सीआईएफ	लागत, बीमा एवं भाड़ा
सीआईपीईटी	केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
सीआईएसएफ	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
सीएमडी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
चपमु	चलार्थ पत्र मुद्रणालय
7वां के.वे. आ.	7वां केन्द्रीय वेतन आयोग
सीपीएसई	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम
सीआरएम	प्रमाणित संदर्भ सामग्री
सीआरएन	कम्प्यूटरीकृत रैंडम नंबरिंग
सीएसआईआर	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
सीएसआर	निगम के सामाजिक दायित्व
सीटीई	मुख्य तकनीकी परीक्षक
सीटीपी	कम्प्यूटर से ऑफसेट प्लेट मेकिंग प्रणाली
सीवीसी	केन्द्रीय सतर्कता आयोग
सीवीओ	मुख्य सतर्कता अधिकारी
सीडब्ल्यूबीएन	सिलिंडर वाटरमार्क बैंक नोट
डीडीजी	उप महानिदेशक
आकावि	आर्थिक कार्य विभाग
डीआईएन	निदेशक पहचान संख्या
डीआईपीएएम	निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
डीओपी	डाक विभाग
डीपीई	लोक उद्यम विभाग
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
ईएमएस	पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली
ईएमडी	अर्नेस्ट मनी डिपाजिट
ईपी	इंटरप्राइज पोर्टल
ईआरपी	इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग
ईटीपी	दूषित जल उपचार संयंत्र
एफआईएफओ	प्रथम प्रवेश प्रथम निर्गम
एचएच	श्रवण बाधित
एचआरडी	मानव संसाधन विकास
आईबी	खुफिया ब्यूरो
आईसीएआई	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया
आईसीएआई	इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया
आईसीसी	इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स
आईसीएसआई	इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज ऑफ इण्डिया
आईडीए	औद्योगिक महंगाई भत्ता
आईईएम	स्वतंत्र बाहरी पर्यवेक्षक
भा.स.ट./भासट	भारत सरकार टकसाल
आईआईआईटी संस्थान	इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी
आईएमसी	अंतर मंत्रालय समिति
इण्ड–एएस	भारतीय लेखा मानक
आईपी	सत्यनिष्ठा समझौता
भा.प्र. मु./भाप्रमु	भारत प्रतिभूति मुद्रणालय
जेवी/सउ	संयुक्त उद्यम
केपीएमजी	केपीएमजी इंडिया लिमिटेड
केडब्ल्यू	किलोवाट
एलडीपीई	लो डेन्सिटी पोल्यिथिलिन
एलटीसी	छट्टी यात्रा रियायत
एमईए	विदेश मंत्रालय
एमएचए	गृह मंत्रालय
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमपीसीएस	मिलियन नग
एमएसई	लघु एवं सूक्ष्म उद्योग
एमएसएमई	लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग
एमटी	मीट्रिक टन
एनएबीएल	राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड
एनसीएल	राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला
एनजेएसपी	गैर–न्यायिक स्टंप पेपर
एनपीएल	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला
ओईएम	मौलिक उपस्कर निर्माता
ओएच	अस्थि बाधित / विकलांग
ओएलआईसी	राजभाषा कार्यान्वयन समिति
ओवीआई	ऑप्टिकल वैरिएबल इंक
पीएओ	वेतन एवं लेखा कार्यालय
पीएसई	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम
पीआरपी	निष्पादन संबंधी वेतन
पीएसपी	पासपोर्ट सेवा परियोजना
पीडब्ल्यूडी	विकलांक व्यक्ति
क्यूए	चतुष्कोणीय मिश्रधातु
आर एण्ड डी	अनुसंधान एवं विकास
आरएएफए	रिसर्च एलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट
आर.बी.आई.	भारतीय रिजर्व बैंक
आरएमपी	जोखिम प्रबंधन समिति
एसएपी	सिस्टम, एप्लीकेशन एवं डाटा प्रोसेसिंग उत्पाद
एससी/एसटी/	अनुसूचित जाति/अनुसूचित
ओबीसी	जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग
एसडी	सत्त विकास
एसआई	अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली
एसओआई	सुपर आर्लोफ इंटैग्लियो
प्र.का.का./प्रकाका	प्रतिभूति कागज कारखाना
एसपीएमसी आईएल	भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
एसपीपी/प्रमु	प्रतिभूति मुद्रणालय
टीओएल आईसी	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
यूएटी	प्रयोक्ता स्वीकरण प्रशिक्षण
वीएच	दृष्टि बाधित

वित्तीय शब्दावली

केपेक्स	पूँजीगत व्यय
सीडी	सीमा शुल्क
ईबीआईडीटीए	ब्याज कर मूल्यह्रास और परिशोधन के साथ शुद्ध आय
ईडी	उत्पाद शुल्क
ईपीएस	प्रति शेयर अर्जन
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
पीएटी	कर पश्चात लाभ
पीबीआईडीटीए	ब्याज कर मूल्यह्रास और परिशोधन के साथ शुद्ध लाभ
पीबीआईटी	कर एवं ब्याज के पूर्व लाभ
पीबीटी	कर पूर्व लाभ
टीसीआई	कुल व्यापक आय
डब्ल्यूआईपी	प्रगति में कार्य
एसए	लेखा परीक्षा मानक
एफएसपी	उचित बिक्री मूल्य
एनआरबी	शुद्ध वसूली योग मूल्य

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 16वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली
फोनः 011–23701225–26, फैक्सः 011–23701223
(सीआईएन : यू22213डीएल2006जीओआई144763)

सूचना

यह सूचित किया जाता है कि भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) की 19वीं (उन्नीसवीं) वार्षिक आम बैठक 28 सितंबर, 2024 को प्रातः 11:15 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 16वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में निम्नलिखित कार्यों का संचालन किया गयाः

सामान्य कार्य

1. वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले एकल और समेकित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना, साथ ही निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।
2. 31 मार्च 2024 को कंपनी के निवल मूल्य के 5% की दर से अंतिम लाभांश घोषित करना।
3. 2024–25 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखाकार द्वारा नियुक्त कंपनी के लेखा परीक्षकों की पारिश्रमिक तय करना।

विशेष कार्य

4. लागत लेखा परीक्षकों की पारिश्रमिक को मान्यता देना और इस संबंध में विचार करना, और यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को बिना संशोधन के या संशोधन के साथ पारित करना।

   "**संकल्पित किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और अन्य लागू प्रावधानों और कंपनियों (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, जिसमें कोई वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमित प्रावधान शामिल हैं, जो वर्तमान में लागू हैं, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखा परीक्षकों को 2024–25 के लिए लागत रिकॉर्डों के लेखा परीक्षा के लिए कुल पारिश्रमिक ₹ 52,500/– (सभी करों सहित) की मंजूरी दी जाती है।

   पुनः संकल्पित किया जाता है कि कंपनी का निदेशक मंडल इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कार्य और कदम उठाने के लिए अधिकृत है।"

निदेशक मंडल के आदेश पर

सचिन अग्रवाल

(सचिन अग्रवाल)
कंपनी सचिव

दिनांकः 28 सितंबर, 2024
स्थानः नई दिल्ली

टिप्पणीः

1. एक सदस्य जिसे उपस्थित होने और मतदान करने का अधिकार है, वह अपने स्थान पर उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) नियुक्त करने का अधिकार रखता है। ऐसा प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी फॉर्म संलग्न है।
2. सदस्य/प्रॉक्सी धारक को बैठक में उपस्थित होने के लिए उपस्थिति पर्ची लानी होगी और इसे बैठक हॉल के प्रवेश द्वार पर, सही तरीके से हस्ताक्षरित करके सौंपना होगा।
3. वार्षिक आम बैठक के स्थल के लिए मार्ग मानचित्र भी संलग्न है।
4. वार्षिक आम बैठक में ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने हेतु वीसी लिंक https://spmcil.webex.com/spmcil/j.php?MTID=m94097dd6368b98f7b52205f15eb02392 है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में विशेष व्यवसाय से संबंधित भौतिक तथ्यों को स्थापित करने वाला विवरण

मद संख्या 4

निदेशक मंडल ने लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर मैसर्स. शिखा नागा मल्लेश्वर राव एवं कंपनी., लागत लेखाकारों को 2024–25 के वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखा परीक्षा रिकॉर्डों की लेखा परीक्षा के लिए कुल पारिश्रमिक ₹ 52,500/– (सभी करों सहित) पर लागत लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार, जो कि कंपनियों (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पढ़ी जाती है, लागत लेखा परीक्षकों को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक को कंपनी के सदस्यों द्वारा मान्यता प्राप्त करनी होगी।

इसके अनुसार, 2024–25 के वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखा परीक्षकों को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक की मान्यता के लिए साधारण प्रस्ताव पारित करने के लिए सदस्यों की सहमति मांगी जाती है। कंपनी के किसी भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को इस प्रस्ताव में कोई रुचि या संबंध नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश पर

सचिन अग्रवाल

(सचिन अग्रवाल)
कंपनी सचिव

दिनांकः 28 सितंबर, 2024
स्थानः नई दिल्ली

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 16वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली

फोनः 011–23701225–26, फैक्सः 011–23701223

(सीआईएन : यू22213डीएल2006जीओआई144763)

उपस्थिति पत्रक

कृपया इस उपस्थिति पर्ची को भर लें तथा बैठक हाल में प्रवेश द्वार पर इसे सौंप दें।

शेयरधारक/प्रतिनिधि का नामः .....

पंजीकृत फोलियो नंबरः .....

मैं, भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की 19वीं वार्षिक आम बैठक में शनिवार, 28 सितंबर 2024 को प्रातः 11:15 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, 16वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली–110001 में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ ।

हस्ताक्षर

दिनांक : 28 सितंबर, 2024
स्थानः नई दिल्ली

फॉर्म सं. एमजीटी–11
प्रतिनिधि फार्म

(कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19 (3) तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 (6) के अनुसरण में)

सीआईएन : **यू22213डीएल2006जीओआई144763**
कंपनी का नाम : **भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड**
पंजीकृत कार्यालय : **16वां तल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली–110001**

सदस्य (यों) का नाम	:	.....
पंजीकृत पता	:	.....
ईमेल आईडी	:	.....
फोलियो नं.	:	.....

मैं/हम, उपर्युक्त नामित कंपनी के .....शेयर के सदस्य(यों) होते हुए, अपना प्रतिनिधि तदतद्नुसार नियुक्त करता हूँ।

1. नाम : .....
   पता : .....
   ईमेल आईडी : .....
   हस्ताक्षर : .....या इसके न होते हुए
2. नाम : .....
   पता : .....
   ईमेल आईडी : .....
   हस्ताक्षर : .....या इसके न होते हुए
3. नाम : .....
   पता : .....
   ईमेल आईडी : .....
   हस्ताक्षर : .....या इसके न होते हुए

जो कि मेरे/हमारी ओर से कंपनी की 19वीं वार्षिक आम बैठक, जो कि प्रातः 11:15 बजे दिनांक 28 सितंबर 2024 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, 16वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली में आयोजित होनी है या उसके स्थगन में उपस्थित होने तथा निम्नलिखित प्रस्ताओं के संबंध में मतदान (पोल द्वारा) करने हेतु अधिकृत है और इस प्रस्ताव के संबंध में किसी प्रकार के स्थगन को नीचे सूचित किया गया है:–

प्रस्ताव सं.

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

इसे हस्ताक्षर किया गया दिनांक – सितंबर, 2024
सदस्य का हस्ताक्षर :
प्रतिनिधि (यों) का हस्ताक्षर :

राजस्व टिकट चिकाएं

टिप्पणी: यह प्रतिनिधि फार्म को प्रभावी बनाने के लिए पूरी तरह से भर कर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वार्षिक आम बैठक के प्रारंभ हाने से कम से कम 48 घंटे पहले जमा करना चाहिए।

वार्षिक आम सभा स्थल के मार्ग का मानचित्र

ROUTE MAP OF THE VENUE OF ANNUAL GENERAL MEETING



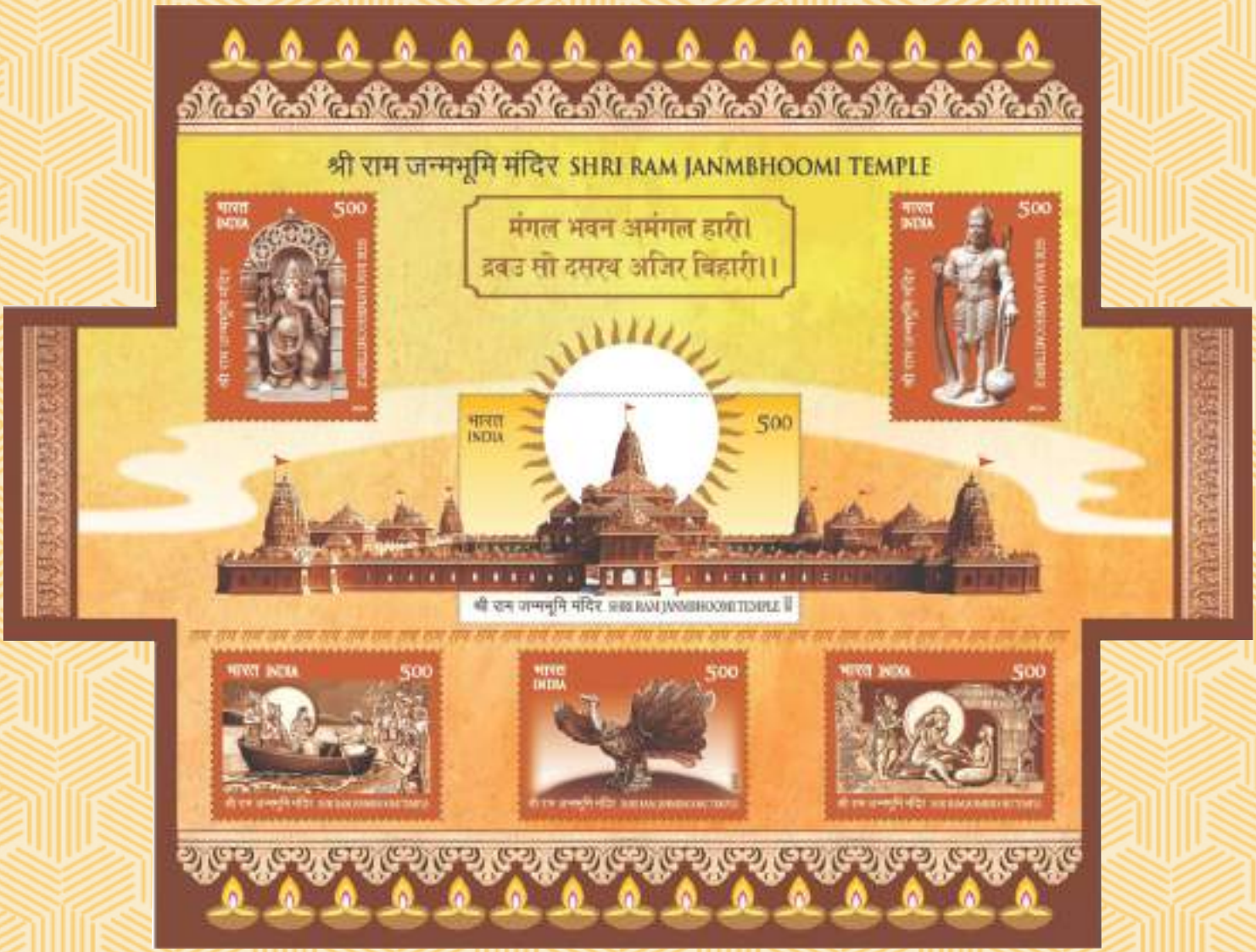
Notes

Notes

Notes

Notes

Notes


श्री राम जन्मभूमि मंदिर SHRI RAM JANMBHOOMI TEMPLE
मंगल भवन अमंगल हारी।
द्रवउ सो दसरथ अजिर बिहारी।।
भारत INDIA
500
श्री राम जन्मभूमि मंदिर SHRI RAM JANMBHOOMI TEMPLE

SPMCIL NETWORK



Security Paper Mill
NARMADAPURAM



Currency Note Press
NASHIK

Security Printing Press
HYDERABAD



India Government Mint
KOLKATA

India Government Mint
NOIDA



New Delhi
SPMCIL
Registered
Office



India Security Press
NASHIK

India Government Mint
MUMBAI



Bank Note Press
DEWAS



India Government Mint
HYDERABAD



NEW DELHI :
SPMCIL Registered Office
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan,
Janpath, New Delhi-110 001, INDIA.
Ph: 91-11-23701225,43582200
Fax : 91-11-23701223
Email : info@spmcil.com
Web: www.spmcil.com

MUMBAI :
India Government Mint
Shahid Bhagat Singh Marg, Fort,
Mumbai-400 001, Maharashtra, INDIA
Ph: 91-22-22662555, 22703184-85
Fax : 91-11-22661450
Email : igm.mumbai@spmcil.com
Web: http://igmmumbai.spmcil.com

NOIDA
India Government Mint
D-2, Sector-1, Post Box No.78
Noida-201301, Uttar Pradesh, INDIA
Ph: 91-120-4783116
Fax : 91-120-2537609
Email : igm.noida@spmcil.com
Web: http://igmnoida.spmcil.com

KOLKATA :
India Government Mint
Alipur, Kolkota-700 053
West Bengal, INDIA
Ph: 91-33-24014821, 24010132
Fax : 91-33-24010553
Email : calmint@spmcil.com
Web: http://igmkolkata.spmcil.com

NARMADAPURAM :
Security Paper Mill
Narmadapuram-461 005
Madhya Pradesh, INDIA
Ph: 91-7574-286001/255259
Fax : 91-7574-255170
Email : gm.spm@spmcil.com
Web: http://spmnarmadapuram.spmcil.com

NASHIK :
Currency Note Press
Jail Road, Nashik Road-422 101
Maharashtra, INDIA
Ph: 91-253-2463730-39
Fax : 91-253-2464100
Email : gmcnp@spmcil.com
Web: http://cnpnashik.spmcil.com

NASHIK :
India Security Press
Nashik Road-422 101
Maharashtra, INDIA
Ph: 91-253-2402200
Fax : 91-253-2462718
Email : isp@spmcil.com
Web: http://ispnasik.spmcil.com

DEWAS :
Bank Note Press
Dewas-455 001
Madhya Pradesh
Ph: 91-7272-255222,268284
Fax : 91-7272-255111
Email : bnpdewas@spmcil.com
Web: http://bnpdewas.spmcil.com

HYDERABAD :
India Government Mint
IDA, Phase-II, Cherapally, P.B. No. 10
H.C.L.(PO), R.R. District,
Hyderabad-500 051, Telangana, INDIA
Ph: 91-40-27268300
Fax : 91-40-27262951
Email : igm.hyderabad @spmcil.com
Web: http://igmhyderabad.spmcil.com

HYDERABAD :
Security Printing Press
Mint Compound, Saifabad,
Hyderabad-500 063, Telangana, INDIA
Ph: 91-40-23455532
Fax : 91-40-23456687
Email : spp.hyd@spmcil.com
Web: http://spphyderabad.spmcil.com

Security Printing and Minting Corporation of India Limited
A Mini Ratna Category-I CPSE (Wholly owned by Govt. of India)
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi-110 001 Website: www.spmcil.com CIN : U22213DL2006GOI144763

Designed By: Studio - BNP, Dewas